आई. एस. एस. एन. 0970-9398

अंक 59

राजभाषा भारती

अक्तूबर-दिसम्बर 1992

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

नई दिल्ली : के.हि.प्र. संस्थान द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सांसद श्री विट्ठल एम. जाधव, (मध्य में) संयोजक, संसदीय राजभाषा उपसमिति (1) उनकी बाईं ओर हैं संस्थान के निदेशक श्री महेशचन्द्र दुबे तथा श्री जीवन प्रकाश पंत।

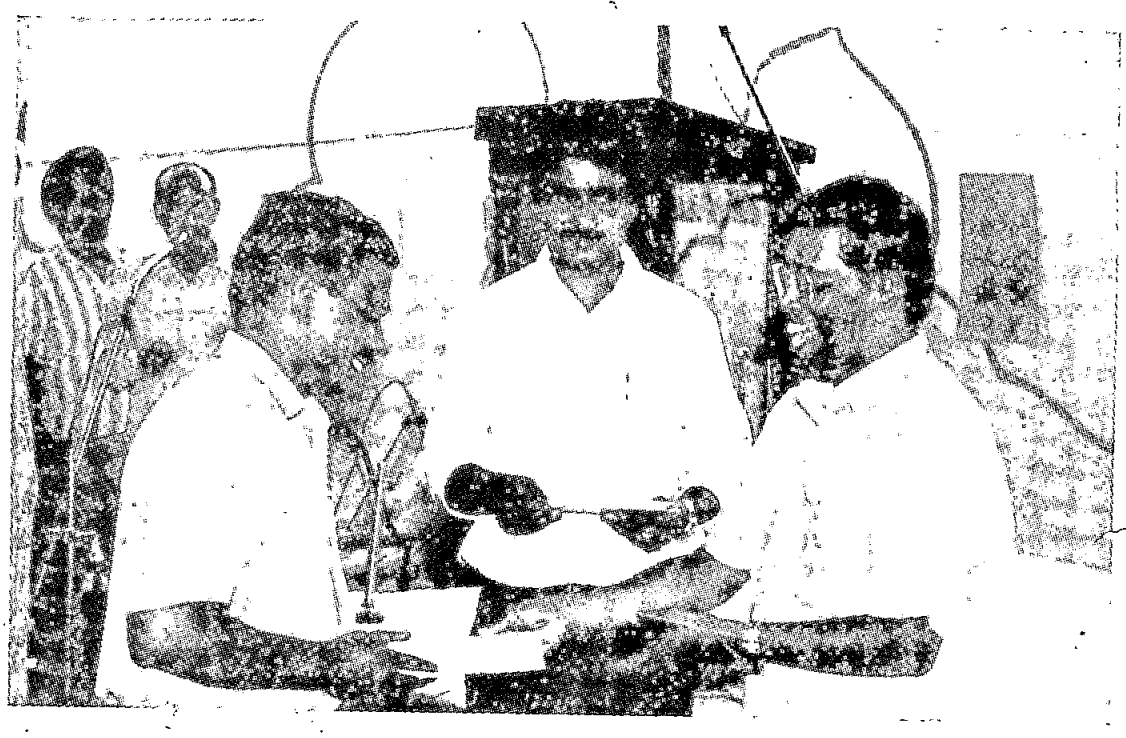

नई दिल्ली : संस्कृति विभाग में डेस्क अधिकारी श्री एम.ए. मुरलीधरन को पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉ. सीताकान्त महापात्र, सचिव (राजभाषा)

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल ॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 15
अंक : 59

आश्विन—अग्रहायण 1914 शक
अक्तूबर—दिसम्बर 1992

☐ संपादक-द्वय

भगवानदास पटैरया
उपसचिव (कार्यान्वयन)
डा. राम कुमार मिश्र
निदेशक (अनुसंधान)

☐ उप-संपादक

डॉ गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

संपादन सहायक

शांति कुमार स्याल

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

संपादकीय

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ
☐	**चिंतन**		
1.	हिंदी को राजभाषा का स्वरूप प्रदान करने में हिंदीतर भाषियों की भूमिका	विजय कुमार यादव	1
2.	हिंदी को सिर्फ भाषा मत समझो !	चन्द्रशेखर नायर	4
3.	संघ की राजभाषा नीति और प्रशासन	निशिकान्त महाजन	6
4.	व्यापार तथा उद्योगों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाएं !	जगन्नाथ	13
5.	प्रशासनिक हिंदी में अर्थ की सुस्पष्टता का महत्त्व	डॉ. केशरीलाल वर्मा	15
6.	भारतीय बैंकिंग प्रबंधन और हिन्दी	प्रेम सिंह चौहान	16
7.	बैंकों में कम्प्यूटरीकरण और राजभाषा हिंदी	डॉ. ओम विकास	20
☐	**साहित्यिकी**		
8.	भारतीय कथासाहित्य (तेलगु-हिंदी) : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ	प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी	23
☐	**पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में**		
9.	पण्डित बाबू विष्णु पराड़कर और हिंदी पत्रकारिता	मोहन चंद्र मिश्र	25
10.	ब्राह्मी-लिपि	वी.एस. दहिया	28
☐	**विश्व हिंदी दर्शन**		
11	अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की गूंज	डॉ. शंकरदयाल सिंह	30
☐	**समिति समाचार**		
	(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें		32
	1. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली		
	2. नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय		
	3. जल संसाधन मंत्रालय		
	(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		34
	1. इलैक्ट्रानिकी विभाग 2. इस्पात मंत्रालय		
	3. संपदा निदेशालय 4. मुद्रण निदेशालय		

434 HA/93—1

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 42

1. पारादीप 2. जालंधर 3. पोर्ट ब्लेयर 4. धनबाद
5. उदयपुर 6. पुणे (बैंक) 7. बीकानेर 8. नागपुर (बैंक)
9. कलकत्ता 10. देवास 11. बम्बई (बैंक) 12. बर्नपुर—आसनसोल

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 50

1. रक्षा लेखानियंत्रक, दक्षिणी कमान, पुणे
2. पूर्वी रलवे मंडल, मुगलसराय
3. बालको (प्रधान कार्यालय) नई दिल्ली
4. गोवा शिपयार्ड, वास्को-डी-गामा, गोवा
5. आकाशवाणी सांगली
6. रक्षा लेखा नियंत्रक (उत्तरी कमान) जम्मू छावनी
7. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, मध्य प्रदेश, इन्दौर
8. नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. कोमकेरप, मणिपुर
9. आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार (पंजाब)
10. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/मुख्यालय
11. आकाशवाणी, पटना
12. दिल्ली नगर निगम
13. मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–3
14. आयकर आयुक्त केन्द्रीय प्रभार (लुधियाना)
15. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, नागपुर
16. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (क्षेत्रीय कार्यालय) मद्रास
17. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली
18. दक्षिण मध्य रेलवे, गुंतकुल मण्डल

राजभाषा सम्मेलन संगोष्ठियां 59

1. कानपुर में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी
2. आकाशवाणी, अहमदाबाद में राजभाषा संगोष्ठी
3. दिल्ली विश्वविद्यालय में वैदिक संगोष्ठी
4. नरवाना में हिंदी गोष्ठी

☐ हिंदी के बढ़ते चरण 65

1. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में हिन्दी का प्रयोग : प्रगति और उपलब्धियां

☐ हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह 67

☐ हिंदी कार्यशालाएं 78

☐ विविधा

○ समाचार दर्शन 86
○ प्रेरणा पुंज 88
○ राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार समारोह 89
○ पुस्तक समीक्षा 93
○ आदेश/अनुदेश 96

लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में भाषा का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनता तभी राजकाज में सक्रिय भागीदार हो सकती है जब कि राजकाज ऐसी भाषा में हो, जिसे वहां की जनता अच्छी तरह से समझ सके। तथ्य यह है कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी केवल राजकाज की भाषा के माध्यम से ही कम की जा सकती है।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों, आदि में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग क्रमबद्ध रूप से बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सघन प्रयास किए गए हैं। फलतः केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। अब "क" क्षेत्र स्थित केन्द्रीय कार्यालयों में मूल पत्राचार हिन्दी में विपुल मात्रा में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि जनता द्वारा सरकारी कार्यालयों को हिन्दी में पत्रादि लिखे जाएं।

यह आवश्यक है कि उद्योग और व्यापार में भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। इस दिशा में राजधानी दिल्ली के गांधी नगर के सिलेसिलाए वस्त्रों के विक्रेताओं के संघ की कार्यसमिति ने अपने सदस्यों को एक पत्र भेज कर उन्हें अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया है। संघ ने अपने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करने शुरू करें, दूरभाष पर हिन्दी में बातचीत करें, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नामपट्ट, अभिलेख, पत्र-व्यवहार, निमंत्रण-पत्र आदि में यथा-संभव हिन्दी का ही प्रयोग करें तथा प्रचारात्मक सामग्री जैसे केलेन्डर, डायरी आदि भी हिन्दी में ही छपवाएं।

राजभाषा भारती के 'चिंतन' स्तम्भ के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ ने "व्यापार तथा उद्योगों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय" सुझाए हैं। यह लेख मार्गदर्शी है—उन व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए जो हिन्दी का प्रयोग करना चाहते हैं।

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य श्री विजय कुमार यादव ने "हिन्दी को राजभाषा का स्वरूप प्रदान करने में हिन्दीतर भाषियों की भूमिका" को विवेचित-विश्लेषित किया है। निःसंदेह हिन्दी को राजभाषा बनाने का श्रेय हिन्दीतर भाषियों को जाता है और वर्तमान में हिन्दी को आगे बढ़ाने में हिन्दीतर भाषी अग्रणी हैं। राजभाषा विभाग के तत्वावधान में फिल्म प्रभाग द्वारा अब तक हिन्दी के बारे में 19 फिल्में बन चुकी हैं। इसमें से ज्यादातर फिल्मों के निर्देशक हैं—हिन्दीतर भाषी श्री चन्द्रशेखर नायर। हिन्दी फिल्मों के निर्माण में उनके अनुभव "हिन्दी को सिर्फ भाषा मत समझो" लेख में समाहित हैं।

"संघ की राजभाषा नीति और प्रशासन" लेखमाला के अधिकारी–विद्वान लेखक श्री निशिकान्त महाजन, संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा विभाग के महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन [redacted] आ हैं। प्रस्तुत लेख हिन्दी भाषा से जुड़े अधिकारियों के लिए

अन्तर्गत ही "प्रशासनिक हिंदी में अर्थ की सुस्पष्टता का महत्व" [redacted] ण और राजभाषा हिन्दी" शामिल किए गए हैं। 'साहित्यिकी' स्तम्भ [redacted]. सुन्दर रेड्डी ने "भारतीय कथा साहित्य (तेलुगु-हिन्दी) : एतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ" तथा 'पूरानी यादें नये : परिपेक्ष्य में '"पण्डित बाबु विष्णु पराड़कर और हिन्दी पत्रकारिता" तथा "ब्राह्मी लिपि" के लेख समाहित किए गए हैं।

गत वर्ष त्रिनीडाड टोबेगो में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में भारत की ओर से डा. शंकरदयाल सिंह, संसदीय सदस्य के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। सर्मपित हिन्दी सेवी डा. शंकरदयाल सिंह, संसदीय राजभाषा समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की स्थिति और गति का जायज़ा लेने का उन्हें एक सुन्दर अवसर मिला।

"अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी की गूंज" लेख के माध्यम से उन्होंने राजभाषा भारती के पाठकों को अपने अनुभवों से अवगत कराया है।

'राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां' स्तम्भ में संकलित "कानपुर में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी" "आकाशवाणी, अहमदाबाद में राजभाषा सम्मेलन", "दिल्ली विश्व-विद्यालय में वैदिक संगोष्ठी", संबन्धी सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय है। "नई दिल्ली नगरपालिका में हिन्दी का प्रयोग : प्रगति और उपलब्धियां" वि. लेख 'हिन्दी के बढ़ते चरण स्तम्भ' में दिया गया है। 'हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह समारोह, 'विविधा," 'हिन्दी कार्यशालाएं', 'सामाचार दर्शन,' 'आदेश' अनुदेश' आदि स्तम्भों में पूर्ववत्त सामग्री संयोजित की गई है।

राजभाषा भारती का प्रस्तुत अंक अपनी सामर्थ्य और सीमाओं के अनुसार विविधता-पूर्ण जानकारियां लेकर आपके हाथों में है। कृपया स्वयं पढ़ें और अपने सहकर्मियों को पत्रिका पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पत्रिका के बारे में सुधी पाठकों के सुझावों की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है।

हिंदी को राजभाषा का स्वरूप प्रदान करने में हिंदीतर भाषियों की भूमिका

☐ विजय कुमार यादव,*
सदस्य संसदीय राजभाषा समिति

किसी भी बहुभाषी देश में राजभाषा की मान्यता के लिए कई तत्त्वों की आवश्यकता होती है। इनमें विशेष उल्लेखनीय तत्त्व इस प्रकार हैं: उस देश की आबादी का बड़ा भाग उस भाषा को बोलता और समझता हो, उस भाषा से भिन्न भाषा-भाषियों को यह पढ़ने, सीखने, समझने और बोलने में अपेक्षाकृत सरल अनुभव होता हो, अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को समाहित करने की सहज क्षमता हो, वह भाषा स्वयं भी सम्पन्न हो, सांस्कृतिक विरासत से उसका घनिष्ठ संबंध हो और देश में संपर्क भाषा के रूप में जनगण द्वारा जिसे स्वत: अपनाने की पुरानी परम्परा हो। हिंदी में ये सारे तत्त्व मौजूद हैं।

भारत बहुभाषी, प्राचीन और विशाल देश है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 1108 भाषाएं बोली जाती है। जार्ज ग्रियरसन ने लिंग्वस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (भारत के भाषायी सर्वेक्षण) में लिखा है कि भारत में 179 भाषाएं, 544 प्रादेशिक भाषाएं तथा 1822 मातृभाषाएं हैं।

कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक फैले इस विशाल भू-खण्ड में विविधताओं का होना स्वाभाविक है। देश की विशालता और विविधताओं के बावजूद इसकी पुरातन सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराओं ने एकता की ऐसी कड़ी जोड़ रखी है जो विश्व में अद्वितीय है।

देश में एकता की इस अनमोल धरोहर पर चोट की जा रही है और देश की अखण्डता को मिटाने की कुचेष्टा चल रही है।

राजभाषा एक ऐसी कड़ी है जो न केवल भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाती है अपितु सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता भी पैदा करती है।

राजभाषा हिंदी को लेकर आज जो भी विवाद नजर आता है वह पूरी तरह देश की प्राचीन परम्पराओं एवं वास्तविकताओं से भिन्न है। जनगण की आशा और आकांक्षाओं के भी प्रतिकूल है। इसके पीछे राजनैतिक कुटिलताओं का हाथ है। ऐसा भी अंग्रेजी को सामने खड़ा कर किया जा रहा है जिसके जानने वालों की संख्या आबादी का मात्र 2.98% है जब कि राजभाषा हिंदी के जानने वालों की संख्या 87% है।

हिंदी को सदियों से देश की जनता ने अखिल भारतीय पैमाने पर देश की सम्पर्क भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से स्वत: अंगीकार कर रखा है। यही जगह है कि संविधान सभा ने आजादी के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का कानूनी दर्जा भी प्रदान किया।

संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश काल के बाद से देश के विभिन्न भाषा-भाषी के बीच सम्पर्क तथा एकात्मकता स्थापित करने में हिंदी भाषा का कोई न कोई रूप व्यवहार में आता रहा है। फलत: इसे व्यापक रूप धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि इस बहुमुखी देश में केवल हिन्दी को ही स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र के बाहर भी फलने-फूलने और अंगीकृत होने का गौरव प्राप्त हुआ। डा. सुनीत कुमार चटर्जी के शब्दों में "केवल बंगला या गुजराती, पंजाबी या मराठी का ज्ञान किसी व्यक्ति को प्रान्तों के संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित रख सकता है परन्तु हिन्दी को लेकर वह अखिल भारतीय बन जाता है।"

पुरातन काल से ही देश की सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों, साहित्य एवं संगीत, व्यापार, राजनीति और पर्यटन ने हिन्दी को व्यापकतम रूप प्रदान करने का काम किया है। इन्हीं परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं ने हिन्दी को गैर-हिंदी क्षेत्रों में पहुंचाया।

हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप देने और इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में गैर हिन्दी भाषियों की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

*3, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

यह देश अनेक धर्मों, मत-मतान्तरों एवं तीर्थ स्थानों का रहा है । साधु, सन्त, आचार्य और भक्तगण धर्मों, मतों तथा पंथों का प्रचार-प्रसार और तीर्थ स्थानों का भ्रमण प्राचीन

[redacted]

देश की उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम भागों में हिन्दुओं के अनेक तीर्थ-स्थान हैं । इन स्थानों में भारत के कोने-कोने से तीर्थयात्रीगण आया जाया करते थे। यह लोग विचारों के आदान-प्रदान में सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का ही इस्तेमाल करते थे ।

साधु-संतों एवं आचार्यों ने अपने मतों के प्रचार के लिए हिन्दी को ही अपनाया । भक्ति आन्दोलन को मजबूत बनाने का काम दक्षिण भारत के आचार्य रामानंद और संत वल्लभाचार्य ने हिंदी भाषा के माध्यम से किया।

केरल के राजा स्व. स्वाति तिरूनाल महाराजा द्वारा व्रजभाषा में लिखे 37 गीत मिलते हैं जिनमें दक्षिण हिंदी और खड़ी बोली का भी असर पाया जाता है ।

मलयालम साहित्य में हिन्दुस्तानी का प्रयोग मिलता है । मलयालम के प्रसिद्ध प्राचीन कवि हास्यसम्राट स्व. कंचन नंबियार की "तुल्लल कथा"--(कथानाटेय) में कहीं-कहीं हिन्दुस्तानी के वाक्यों को देखा जाता है ।

केरल के प्रमुख बन्दरगाहों और व्यापार केन्द्रों में उत्तर भारत के मारवाड़ी, गुजराती और मुसलमानों के व्यापारिक कार्यों से आवागमन के कारण वहां हिंदी के प्रसार-प्रचार में मदद मिली । अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में दक्षिणी हिंदी से केरल का विशेष संबंध स्थापित हुआ।

ऊर्दू के प्रथम कवि कुली कुतुबशाह अली कर्नाटक के बीजापुर के थे । यहां के कई हिंदु कवियों ने इनसे भी पूर्व दक्षिणी हिंदी में काव्य लिखे ।

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कई भक्त कवियों ने कन्नड़ के साथ ही साथ हिंदी में पदों की रचना की । दत्त सम्प्रदाय के कर्नाटक शाखा के कई लोगों ने हिंदी में पद लिखे ।

प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार "बहमनी (आन्ध्र प्रदेश, गुलवर्गा) राज्य के कार्यालयों में हिंदी जबान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी ज़बान का पद दे रखा था।"

चौदहवीं शताब्दी में उत्तर-दक्षिण के मेल से आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण हिंदी की उत्पत्ति हुई जिस पर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रभाव था ।

पुष्टिमार्ग के आचार्य श्री वल्लभ आन्ध्र के ही थे जिन्होंने स्वयं और अन्य कवियों को प्रेरणा देकर हिंदी की महत्त्वपूर्ण सेवा की है । श्री वल्लभ के बाद पदभास्कर और लाल कवि का नाम आता है जो रीतिकालीन कवियों में भाषा के विचार से परिपक्व माने जाते हैं ।

डॉ. शिवराज वर्मा द्वारा रचित "हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास" नामक ग्रन्थ के अनुसार "15वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में बहमनी के कमजोर पड़ने पर वह साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । परिणामतः बीजापुर के आदिल शाही गोलकुंडा के कुतुबशाही तथा बीदर में बरीदशाही की सल्तनत स्थापित हुई इन राज्यों ने भी हिन्दी को अपनाया, हिन्दी के कवियों और लेखकों को प्रश्रय दिया। बीजापुर के शासकों ने दक्षिण हिन्दी को ही अपनी राजभाषा अपनाया। इस प्रकार 16वीं शती के प्रारम्भ तक दक्षिणी (हिन्दी) दक्षिण के राजाओं तथा प्रजा की भाषा बन गई--।"

मध्य काल में भक्ति की प्रधानता रही । उत्तरी भारत के धार्मिक स्थलों के साथ ही साथ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का भी बहुत महत्त्व रहा है । बारहवीं शती में रामानुजाचार्य द्वारा पुरी में वैशणव मठ की स्थापना और वैष्णव भक्ति के प्रचार और सोलहवीं शती में चैतन्य प्रभु द्वारा उत्कल में संकीर्तन परम्परा के जरिए हिंदी की महत्त्वपूर्ण सेवा की गई। 15वीं शताब्दी के राय रामानंद पट्टनायक ने संस्कृत और उड़िया के साथ व्रजभाषा में अनेक रचनाएं कीं । उड़ीसा में जब मराठों का राज्य स्थापित हुआ तब भी वहां फारसी, उड़िया और मराठी के साथ-साथ हिंदी का भी प्रचलन रहा।

उड़ीसा का बहुत पुराना संबंध हिन्दी प्रदेश से रहा है उड़ीसा, बंगाल और बिहार पहले एक ही साथ था । इस प्रकार वहां हिंदी का प्रचलन सदियों पुराना है ।

हिंदी प्रदेश के निकटवर्ती होने, वल्लभ सम्प्रदाय, स्वामी-नारायण संप्रदाय, जैन धर्म और संत मत के व्यापक प्रभाव तथा गुजरात के मुसलमान बादशाहों और राजपूत राजाओं के हिंदी-प्रेम के कारण शताब्दियों पहले गुजरात में हिंदी को विकसित होने का प्रचुर मौका मिला।

अम्बा शंकर नागर की पुस्तक "हिन्दी साहित्य की हिंदीत्तर प्रदेशों की देन" के अनुसार गुजरात में वैष्णव धर्म के व्यापक प्रचार का श्रेय वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ को है जिन्होंने गुजरात की जनता को वल्लभ सम्प्रदाय की ओर आकृष्ट किया । व्रजभाषा में रचना करने वाले वैष्णवों की परम्परा सन् 1482 के आसपास भाल्लन से शुरू होती है । इस परम्परा के सुप्रसिद्ध कवि बैजू बावरा और अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कृष्णदास अधिकारी का नाम उल्लेखनीय है ।

वल्लभ संप्रदाय के बाद गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय के कवियों के द्वारा हिंदी में रचनायें की गई ।

वैष्णव भक्तों की तरह गुजरात के निर्गुण मतावलम्बी ज्ञानमार्गी संतों ने भी हिंदी में कविता की । यहां कबीरपंथी के अलावा दादू, रामानंदी प्रणामी आदि पंथों के अनुयायी संतों ने जनता को सधुक्कड़ी वाणी (हिंदी) में उपदेश दिया है । इनमें संत दादू और प्राणनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। गुजरात के संतों ने आज से सदियों पहले गांव-गांव और घर-घर पहुंच कर अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की अलख जगाई थी ।

जैन धर्म का प्राचीन केन्द्र होने के कारण गुजरात के जैन कवियों ने अपभ्रंश में तथा सत्रहवीं शती के बाद ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनायें की ।

गुजरात के सूफी संतों ने गूजरी भाषा में अपनी रचनायें प्रस्तुत कीं जो हिन्दी के बहुत निकट थीं ।

गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के राजाओं ने भी हिंदी को आश्रय दिया और इसने बहुत से कवियों को प्रोत्साहित किया ।

महाराष्ट्र में हिंदी की प्राचीन परम्परा है । मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है ।

मराठी संत सदा से ही हिंदी की ओर आकर्षित रहे हैं। महाराष्ट्र में नाथ सम्प्रदाय के मुख्यतः उपदेश हिंदी में ही होते थे ।

महाराष्ट्र के बारकटी सम्प्रदाय के संत ज्ञानेश्वर, सन्त एकनाथ और सन्त तुकाराम ने हिंदी में भी पदों को लिखा।

मराठी शासकों ने मराठी के साथ-ही-साथ हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया। शिवाजी के पिता श्री शाहजी के दरबार में 500 कवि रहा करते थे जिनमें अनेक कवि हिंदी के ज्ञाता भी थे। शिवाजी स्वयं हिंदी कवियों को आश्रय देते थे । हिंदी के महान कवि भूषण का शिवाजी के दरबार में राजाश्रय प्राप्त करना एक प्रसिद्ध घटना है ।

महाकवि विद्यावती का बंगला और हिंदी को निकट लाने में महान योगदान रहा है । बंगला के अनेक वैष्णव कवियों ने हिंदी (ब्रजभाषा) में भी लिखा ।

बंगाल ने हिंदी को व्यापक बनाने में 16वीं, 17वीं और 18वीं शती में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन की बुलन्द आवाज बंगाल में उठी थी । हिंदी के समर्थन में बंगाल के जिन नेताओं, साहित्यकारों और कवियों ने आवाज उठाई उनमें सर्वश्री तरूणीचरण मित्र, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, बंकिमचन्द्र चटर्जी, आचार्य क्षितिमोहन सेन और डा. सुनीति कुमार चटुर्जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी का जन्म स्थान पंजाब है ।

नाथों के गुरू गोरखनाथ की बहुत सी रचनायें हिंदी में हैं । हिंदी के अधिकांश आदिकालीन साहित्य का रचना-स्थल पंजाब ही रहा है । ग्यारहवीं शती के हिंदी के कवि अब्दुल रहमान पंजाब के ही रहने वाले थे । पंजाब के कवियों ने अपनी वाणी में हिंदी को भी स्थान दिया।

सिक्ख गुरूओं ने अपनी कई वाणियां हिंदी में लिखीं । सिक्खों के अंतिम और दसवें गुरू गोविंदसिंह जी ने हिंदी के बहुत से कवियों को राजाश्रय दिया और हिन्दी की अनेक ग्रन्थों की रचना करवाई। इनकी अपनी रचनायें दशमग्रन्थ में संकलित हैं, जिनका पंजाब के हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

गुरू गोबिन्दसिंह के बाद अनेक सिक्ख गुरूओं ने राजभाषा में गुरू इतिहास लिखा । निर्मल पंथी साधुओं ने पंजाब के हिंदी साहित्य को विशेष योगदान दिया है ।

हिंदी के बहुत से कवियों को पटियाला दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ तथा नाभा, जींद और कपूरथला रियासतों के नरेशों ने भी हिंदी कवियों को आश्रय दिया।

शंकराचार्य ने कश्मीर में आकर शैव मंत का प्रचार हिंदी में ही किया। कश्मीरी पंडित जिनका संबंध हिंदी भाषी तीर्थ स्थानों से रहा, ने हिंदी के प्रचार में काफी योगदान दिया।

पर्यटन ने भी यहां हिंदी प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया। भारत के अन्य गैर हिंदी भाषी प्रांतों के पर्यटक कश्मीरियों से हिंदी में ही बात करते थे ।

जम्मू के बुलभेद ने सन् 1572 में राम चरित मानस का हिंदी अनुवाद "तुलसी रामायण" से किया और 1823 में कवि दत्त ने "वीर विलास" नामक काव्य की रचना ब्रजभाषा में की।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को ही नेताओं ने आम जनता के बीच आंदोलन का संदेश पहुंचाने में मजबूत एवं सर्वव्यापी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। अन्य ऐसी कोई एक भाषा नहीं थी जिनके बल पर भारत के इस बड़े भू-भाग में आजादी के संघर्ष को पहुंचाया जा सकता हो ।

आजादी के परचम को ऊंचा उठाने और इसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में हिंदी का ऐतिहासिक योगदान रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के पूरे दौर में गैर-हिंदी भाषा-भाषी नेताओं ने एकमत से हिंदी को पूरे देश की सम्पर्क भाषा के रूप में प्रसार एवं प्रचार किया तथा इस भाषा के द्वारा पूरे देशवासियों को अंग्रेजी राज की गुलामी के विरुद्ध सुदृढ़ एकता सूत्र में बांधे रखा।

देश के प्रमुख विद्वानों, राजनेताओं तथा समाज सेवकों ने हिंदी को ही देश की एकता को मजबूत करने, इसे सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा के सर्वथा योग्य होने की जोरदार वकालत की । इनमें महात्मा गांधी, विनोबाभावे, स्वामी दयानंद सरस्वती, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस तरह हिंदी को राजभाषा का स्वरूप प्रदान करने में अहिंदी भाषियों की भूमिका हिंदी भाषियों से कम नहीं है । इस एकता की परम्परा को कायम रखकर ही हम वास्तविक रूप में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान कर सकते हैं ।

□

हिन्दी को सिर्फ भाषा मत समझो !

☐ चन्द्रशेखर नायर*

राजभाषा हिन्दी के बारे में अब तक 19 फिल्में बन चुकी हैं । भारत सरकार के फिल्म प्रभाग के लिए बनी इन ज्यादातर फिल्मों के निर्देशक हैं हिन्दीतर भाषी चन्द्रशेखर नायर । अब तक 350 डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण वह कर चुके श्री नायर को हिन्दी भाषा पर फिल्में बनाते समय अहिन्दी भाषी राज्यों में फिल्म निर्माण के दौरान जो अनुभव हुए, प्रस्तुत हैं उसी की झलक :

हिन्दी भाषा पर बनी फिल्म प्रभाग की फिल्म के कैसेटों की बिक्री एक हजार के आंकड़े तक पहुंच गई है । भारत में 19 फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य तथा राजभाषा हिन्दी के विभिन्न आयामों का लेखा-जोखा है । दुनिया में आज तक किसी एक भाषा को विषयवस्तु बनाकर इतनी फिल्में नहीं बनीं । इनमें से अधिकांश फिल्मों के संकल्पन-निर्माण-निर्देशन के दौरान जो अनुभव हुए हैं, वे विलक्षण हैं । यह अनुभव यात्रा कहां से आरंभ हुई, कैसे कहूं ? मॉरीशस में हुए द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के 1976 के काल से (फिल्म "एकता का पर्व") या 1975 में हुए प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में बनी दीर्घावधि वाली फिल्म "उदयांजलि" को लेकर जब स्व. अनंत गोपाल शेवड़े हमारे फिल्म प्रभाग पधारे थे और (चूंकि फिल्म प्रभाग की फिल्मों लम्बाई है दो रीलें–जिससे अधिक बड़े रूप में भारत के सिनेमाघरों में वे नहीं दिखाई जा सकती हैं) तब एक ही दिन में उस दीर्घ अवधिवाली फिल्म को दो रीलों की गागर में सागर भर देने वाले अपने अंतरंग अनुभव से यह भाषा-यात्रा का वर्णन आरंभ करूं–नहीं समझ में आता। बचपन से हिन्दी के प्रति लगाव उन्माद की सीमा तक था ।

1988 में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सुझाव पर फिल्म-प्रभाग ने हिन्दी भाषा पर पहली फिल्म बनाने का संकल्प किया। तभी आरम्भ हुआ था––यह भाषा यात्रा का दौर । 14 सितम्बर, 1988 को हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदर्शित लगभग एक घंटे की फिल्म थी––"हिन्द की वाणी" जिसमें लगभग पूरे भारत में फैली हिन्दी भाषा का आकलन था । उसमें हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास की गाथा भी गुंथी थी एक कथा के माध्यम से। जिसके लिए दो प्रमुख पात्र सरिता सेठी एवं दिनेश शाकुल भी हमारे साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल की यात्रा के प्रस्तुतकर्ता बनकर हमारे फिल्म यूनिट के साथ आए थे । उस यात्रा में हमारे ध्यान में यह बात आई कि हिन्दी के विरोध आदि का जो "मिथक" दिल्ली के शक्ति-गलियारों को अक्सर हौवा बनाकर दिखाया जाता है, उससे बिल्कुल अलग है हामार भाषा मानचित्र । बस से गांव-गांव घूमते-घूमते हम केरल के अंतिम छोर तक पहुंच गए थे हिन्दी बोलते-बोलते और राह में मिलते सभी अनायास उपलब्ध व्यक्तियों के फिल्म-इंटरव्यू को हिन्दी में फिल्माते हुए ।

जीवन भर याद रहेगी मदुरै तमिलनाडु के हृदयस्थ बसी मंदिर-नगरी के जी.वी. माधवाचार्य की वह भावपूर्ण उक्ति-'हमारे देश में भाषा के नाम पर राज्य बने हैं जैसे महाराष्ट्र मराठी के नाम पर, गुजरात गुजराती के नाम पर, बंगाल बंगाली के नाम पर यहां तक कि तमिलनाडु भी तमिल भाषा के नाम पर बना है––ये सब प्रादेशिक भाषाएं हैं । क्या हिन्दी के नाम पर कोई राज्य है ? तमिल प्रदेश की भाषा है, हिन्दी सारे भारत की भाषा है, सारे भारत को एकसूत्र में बांधकर रखने वाली भाषा है हिन्दी ।" उसी हिन्दी प्रेमी तमिलभाषी की वाणी सदैव ही मन में गूंजती रहती है । इस कथन की सच्चाई से साक्षात्कार होता रहा है कदम-कदम पर, जब 1988 से आगे बढ़कर हम हिन्दी भाषा के फिल्म निर्माण में पूरे संकल्प के साथ जुट गए ।

फिल्म प्रभाग में 1988 से 1990 तक बनी हिन्दी विषयक मुख्य फिल्में हैं––'देश की वाणी' ('हिन्दी की वाणी' का सिनेमाघर में प्रदर्शनीय लघु संस्करण), 'भारत की वाणी' (इस एक घंटे की अवधि वाली फिल्म महाराष्ट्र के साथ संपूर्ण दक्षिण भारत की रोचक भाषायात्रा का विस्तृत विवरण है), '14 सितम्बर 1949' फिल्म में बालनाटिका के मनोरंजक नाटकीय मुहावरे के माध्यम से संविधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्यों द्वारा (जिनमें डा. राजेन्द्र प्रसाद (अध्यक्ष), पं. नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डा. अम्बेडकर दिग्गज थे) सर्वसम्मति से हिन्दी को स्वतन्त्र भारत की अपनी राजभाषा के पद पर अधिष्ठित किया जाना दिखाया गया था । 'एकता की वाणी' सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित 'भारत की वाणी' का लघु संस्करण है ।

राजभाषा विभाग के निदेशक डा. महेशचन्द्र गुप्त इन फिल्मों के निर्माण के स्रोत हैं। उन्हीं का प्रस्ताव था कि फिल्म प्रभाग हिन्दी पर और 7 फिल्मों का निर्माण करे । इसके लिए यथेष्ठ धनराशि भी जमा करवा दी गई और फिर आरंभ हुआ हिन्दी की फिल्मों का निर्माण (1990 में ही 'संविधान के साक्षी' शीर्षक फिल्म की शूटिंग हमने की मद्रास में । डा. मोटुरि सत्यनारायण (जो कि हिन्दी को भारत भर में प्रचारित करनेवाले समर्पित गांधीवादी हिन्दी पुरुष हैं तथा आज जिनकी आयु है 91 वर्ष) तथा उनके दो अन्य समकालीन श्री मन्नूलाल द्विवेदी तथा चौधरी रणबीर सिंह जी के

*निर्माता-निर्देशक, फिल्म प्रभाग, 24––डॉ० गोपाल राव देशमुख मार्ग, बम्बई

साक्षात्कारों के फिल्मीकरण द्वारा । दिल्ली में संसद-भवन में भी शूटिंग हुई। "संविधान के साक्षी" का प्रदर्शन गत गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 1992 को दूरदर्शन द्वारा किया गया । 11 अगस्त, 92 को यह पुनः प्रदर्शित की गई। इस फिल्म में इंटरव्यू के माध्यम से यह भी प्रमाणित हुआ कि हिन्दी को सर्वसम्मति से भारत की राजभाषा के पद पर अधिष्ठित किया गया था।

हमारे भारत में 179 भाषाएं हैं 545 बोलियां हैं और 1652 विभिन्न मातृभाषाएं हैं—यह सत्य मद्रास के श्री वासवानी ने हमें बताया था । ऐसें विशाल विराट भाषा–मानचित्रवाले भारत में स्वदेशी आंदोलन ने पहले से ही हिन्दी द्वारा लोगों को एकसूत्र में पिरो दिया था। रही-सही कसर आकाशवाणी, हिन्दी फिल्मों ने और आज दूरदर्शन ने भी पूरी कर दी है और आज देश का अधिकांश भाग हिंदी-ध्वनियों से गुंजायमान है यह जीवन्त सत्य हमने अपने दक्षिण प्रवास में कदम-कदम पर अनुभव किया है और कैमरे द्वारा उस फिल्म पर अंकित भी किया । 1990 के मई मास में पूर्वोत्तर भारत के असम, मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम की भाषा-यात्रा में प्रस्तुति-कलाकार थे बम्बई के विल्सन कालेज के युवा छात्र संजय कुमार तो बंगाल के भारतीय पुरातत्ववेत्ता डा. बलराम चक्रवर्ती–परिणामस्वरूप बनी प्रभावशाली फिल्म "पूर्वान्जलि" जिसे 1991 के हिन्दी दिवस के अवसर पर दूरदर्शन ने जब प्रदर्शित किया तो हिन्दी जगत भावुक हो उठा । इसमें साक्षी थीं—तिस्ता नदी के ऊंचे पर्वतीय टीले पर मिले नौ वर्षीय भूटिया नेपाली बालक की सीधी-सादी हिन्दी की बातें त्रिपुरा, के, अगरतला के बंगभाषी त्रिपुरी भाषी निवासियों की अंतरंग रंजक साक्षियां, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालथन हौलाजी की तरह इन सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने भी हिन्दी की, अपने राज्य की कथा हिन्दी में ही कहीं थी । असम के राज्यपाल डा. लोकनाथ मिश्र (जो स्वयं उड़िया भाषा के विद्वान हैं) का हिन्दी-अनुराग मन को छू गया। सभी जगह राह चलते-चलते बातें फिल्माई गई थी—रिपोर्ताज के रूप में तो साथ ही सभी प्रादेशिक भाषा-संस्कृतियों की अनूठी छवि के साथ घुली-मिली विराट हिन्दी-भाषाजन्य भारतीय मानसिकता का चित्र भी उभर आया है पूर्वांजलि में । लोकसंगीत लोकनृत्यों के पुट से रंग कर फिल्म 'पूर्वान्जलि' में सभी भारतीय भाषाओं में डब कर के भारत के सभी सिनेमाघरों में फिल्म प्रभाग ने क्रमशः तीन भागों में प्रदर्शित किया है ।

यह वर्ष 1992 तो हमारे लिए, फिल्म प्रभाग के लिये हिन्दी वर्ष ही है । जनवरी 1992 में "संविधान के साक्षी" मार्च में पूर्वांजलि को रिलीज किया तीन भागों में 9 अप्रैल 1992 में एक घंटे की अवधिवाली फिल्म बनाई है—"केरलांजलि" (जो 14 सितम्बर 1992 को प्रदर्शित होगी) तो मई मास 1992 में पूर्वोत्तर के अरुणाचल, नागालैण्ड, मेघालय तथा मणिपुर में जो चार फिल्में "शूट" की गई हैं वे अब "अरूणांजलि" (40 मिनटों की अवधि) "नागांजलि" (एक घंटे की अवधि) "मेघांजलि" (30 मिनटों की अवधिवाली) तथा "मणिपुर–गाथा" (50 मिनटों की अवधि-वाली) फिल्म-शीर्षकों के अंतर्गत निर्माण के अंतिम चरणों में हैं । 14 सितम्बर 1992 को इनके प्रिन्ट तैयार होंगे । इन सबको मिलाकर जो फिल्म एक घंटे की अवधिवाली निर्माणा-धीन हैं उसका शीर्षक है 'जयहिन्द' जो 14 सितम्बर 92 हिन्दी दिवस के अवसर पर रात्रि 9.50 बजे दूरदर्शन द्वारा प्रदर्शित किये जाने का संकल्प है । रात दिन के अथक परिश्रम, प्रतिदिन दो-दो पालियों में बिना किसी "ओवरटाईम" के (जो कि सरकार द्वारा फिलहाल निषिद्ध है तथा शनिवार तथा अवकाश के दिनों में भी) इन हिन्दी फिल्मों के निर्माण कार्य में जो हमारी फिल्म टीम के सभी साथी अहिन्दी भाषी हैं । हिन्दी के प्रति उनका अनुरागमय समर्पण हमारे गर्व का विषय है । हमारी पूरी फिल्म टीम ही अहिन्दी भाषाभाषी है–कैमरा मैन द्वय शंकर पटनाईक, अनिल रानडे, मुख्य रिकार्डिस्ट शुभाशीष चौधरी, मुख्य संपादक नूर बागवान, संपादक-द्वय भूपेन्द्र म्हात्रे एवं अलताफ बंगाली तथा संगीत दिग्दर्शक नारायणन तथा रानामुज दासगुप्त ।

मणिपुर के भाषा–आंदोलन के दौर में जो इंटरव्यू हमने फिल्माए हैं उनमें साधारण जन से लेकर मणिपुरी–हिन्दी–संस्कृत के विद्वान श्री नीलवीर शास्त्री ने भी यही एक बात दुहराई कि यह हिन्दी विरोध नहीं है जैसे बालक अपनी माता से हठ करता है वैसा ही है मणिपुरी भाषा को अष्टमसूची में सम्मिलित करने का मणिपुरी हठ । इन सभी फिल्मों के दौरान गांव-गांव फिल्म यूनिट के साथ कभी बस से, कभी रेल तो कभी वायुयान से घूमते-घूमते सभी से केवल हिन्दी में ही बातें करते हमने यह अनुभव किया कि अरूणाचल जैसें प्रदेश में जहां 16 (भारत की भाषाई एकता की फिल्म) इसी भाषायात्रा के दौरान निकली एक फिल्म-धारा है, जिसे कछार पेपर मिल के कर्मचारियों सें वार्तालाप करते-करते निर्मित किया गया। सारे भारत के उद्योगों में जो सभी प्रदेशों के अलग-अलग वर्ग तथा क्षमता के कर्मचारीगण हैं वे सभी आपस में खुलकर हिन्दी का ही प्रयोग कर रहे हैं । हिन्दी के इतने सारे स्वरूपों को हमें फिल्माने का सौभाग्य मिला है कि लगता है इस उद्देश्य के पथ पर चलते-चलते ही जीवन धन्य हो गया है । फिल्म प्रभाग के मंच से हमने 1992 में जनवरी से सितम्बर तक 8 फिल्में हिन्दी में बनाई हैं और लग रहा है कि फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पुणे में 1961–64 में हमारी सीखी फिल्म-निर्देशन कला सार्थक हुई है, अपने देश के काम आई है । अब तो जीवन जो है, उसे दिशा मिल गई है लक्ष्य मिल गया वह है, भारत की एकता का लक्ष्य भारत की वाणी, एकता की वाणी हिन्दी के माध्यम से। हिन्दी के गागर में भारत की एकता का सागर जयहिन्द ।

शेष पृष्ठ 12 पर

संघ की राजभाषा नीति और प्रशासन

□ निशिकान्त महाजन* :

[प्रस्तुत लेखमाला के लेखक श्री निशिकान्त महाजन एक लम्बी अवधि तक संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन पक्ष से जुड़े रहे हैं। वर्ष 1991 में राजभाषा विभाग से संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद से सेवानिवृत्त होने से पहले वे संसदीय राजभाषा समिति के सचिव रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए उन्हें प्रशासन में 'राजभाषा नीति' के कार्यान्वियन का अनुभव प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत लेख उनके दीर्घानुभव का प्रतिफल है। इस लेखमाला के अध्ययन-मनन से राजभाषा से जुड़े कर्मी तथा अध्येता निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।
—संपादक]

आधुनिक समाज में भाषा

किसी भी भाषा का इतिहास सदैव उस भाषा के बोलने वाले मानव समुदाय के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर उसके सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिम्बित करता है। साहित्य समाज के सर्वोत्तम या कम से कम इसके सबसे अधिक सवाक् वर्गों के चिन्तन, विचारों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है जबकि भाषा के बनाने में उस समाज के अधिकांश तथा छोटे से छोटे व्यक्ति योगदान देते हैं, चाहे वह योगदान कितनी ही कम मात्रा में क्यों न हो।

भाषा मानव संप्रेषण का सबसे अधिक प्रचलित रूप है और इसलिए यह, इसको प्रयोग करने वालों की विचार प्रकिया को अभिव्यक्त करती है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उसे जोड़े रखने की शक्ति का काम करती है। मौजूदा समय में संप्रेषण के रेडियो और दूरदर्शन, प्रेस और फिल्मों जैसे सशक्त प्रसार माध्यमों ने संप्रेषण के माध्यम के रूप में भाषा के विकास को गति दी है और इसलिए यह उस वातावरण में, जिसमें कि समाज कार्य करता है निर्णायक कारक बन गये हैं। संप्रेषण के ये आधुनिक माध्यम पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ढंग से, भाषा में समसामयिक प्रवृत्तियों को स्थापित और सक्रिय करते हैं। संप्रेषण माध्यमों की व्यापक उपलब्धता, भाषाओं की बोलियों की भिन्नता की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विरोध करती है और भाषा के सार्वलौकिक एक-समान रूप को स्थिर करने में सहायता करती है।

भाषा, शिक्षा प्रणाली में अपरिहार्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संप्रेषण के माध्यम के रूप में, यह लगभग ज्ञान प्रदान करने को सभी प्रक्रियाओं में सर्वव्यापी रूप से प्रवेश करती है, चाहे ज्ञान का विषय कोई भी हो। इसके अतिरिक्त शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति का साधन है। आधुनिक समाज में, विकास के मामूली स्तर तक पहुंचने के लिए भी समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के लिए साक्षरता एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

भाषा और राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिक पहचान

भाषा और राष्ट्रीयता के आपसी संबंध के बारे में दो शब्द कहना उचित होगा, विशेषकर इसलिये कि आज की दुनियां का राजनैतिक गठन इस प्रकार है कि प्रायः सभी राज्य "राष्ट्रीय राज्य" हैं। राष्ट्रीयता की भावना एक या अनेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि एक ही स्वदेश, ऐतिहासिक एकता, समान सांस्कृतिक परम्परा में सहभागिता और कभी-कभी धर्म और भाषा की समानता। राष्ट्रीयता की चेतना में भाषा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, भले ही यह हमेशा सबसे अधिक निर्णायक कारक न हो। आधुनिक समय में अधिकांशतः राष्ट्र-राज्यों के रूप में संगठित राजनीतिक सत्ताओं के उदय के बावजूद अल्पसंख्यकों की भाषा और बहुभाषिता की समस्या आम तौर पर अनेक देशों में उत्पन्न होती है। सभ्य समाज में भाषा ही आपसी सम्प्रेषण का मुख्य या लगभग एकमात्र साधन है। समाज और व्यक्ति के सब पहलुओं से आजकल की सरकारों का इतना व्यापक और घनिष्ठ संबंध है कि किसी भी देश की सरकार के सामने भाषा-गत माध्यम का प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक है। विधायी संस्थाओं के काम-काज में, प्रशासनिक कार्यालयों, नागरिकों के साथ दैनिक व्यवहार में, न्याय व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में, उद्योग में, व्यापार और वाणिज्य में, व्यावहारिक रूप से उन सभी क्षेत्रों में जिनमें उसे दिलचस्पी लेनी होती है, राज्य को भाषायी माध्यम की समस्या का सामना करना पड़ता है और उसे सुलझाना भी होता है। किसी भी राजनीतिक समुदाय में भाषायी मुद्दों के इन व्यावहारिक पहलुओं के अतिरिक्त, भावात्मक दृष्टि से, सामूहिक चेतना के एक विश्वस्त माध्य के रूप में भाषा का अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण या प्रतीक का काम करती है। राष्ट्रीय चेतना एक व्यक्तिगत भावना है। लेकिन, भाषा का अन्तर ऐसा है, जो बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। अतः व्यवहार में, किसी समूह की चेतनता को बहुत गहरा लगाव भाषा से होता है और इसलिए राष्ट्रीयता का मूल्यांकन करते हुए प्रायः सबसे अधिक जोर भाषा पर दिया जाने लगता है। तथापि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यहां यह बात याद रखनी चाहिए कि भाषयी अल्पसंख्यकों की समस्या पूरे विश्व में अनेक राष्ट्र/राज्यों में उठती रहती है। क्योंकि समाज में कोई भी काम मेलजोल, विचारों का आदान-प्रदान आदि भाषा के बिना नहीं हो सकता, दूसरी भाषा समझ में न आने के कारण अलग-अलग भाषा बोलने वाले वर्गों के बीच में एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। क्योंकि आज के सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिसका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध सरकारी कामकाज से न हो, इसलिए राजभाषा या भाषाओं का चुनाव करना ही पड़ता है

*48-पी, एम.आई.जी. फलैट्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27

और इसमें भाषाई अल्प-संख्यकों की दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है । संसार के विभिन्न देशों ने ऐसे भिन्न-भिन्न उपाय अपनाए हैं कि जिनसे राजकाज चलाने के लिए एक सार्वलौकिक भाषा भी रहे और साथ ही विभिन्न भाषाएं बोलने वाले अल्प-संख्यकों की इस व्यापक इच्छा का कि उनके सांस्कृतिक-जीवन के अंग के रूप में उनकी भाषाएं सुरक्षित रहें और उन्हें शिक्षा संस्थाओं में समुचित स्थान मिले, दमन भी न हो । कोई भी भाषा बोलने वाला वर्ग उस भाषा को अपनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग मान लेता है । फलस्वरूप वह भाषा के मामले को अपनी सामूहिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है । एक ओर यदि प्रत्येक भाषा को एक भाषाई-वर्ग की संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रिय मान लिया जाए तो भी एक सत्तात्मक राज्य में आधुनिक समाज का रहन-सहन और उसकी आवश्यकताएं ऐसी हैं कि विभिन्न भाषा-भाषी वर्गों के विचार-विनिमय और राष्ट्रीय कामकाज में एक भाषा को माध्यम बना लेना आवश्यक हो जाता है । किस भाषा को माध्यम बनाया जाए इस प्रश्न में सब भाषाई वर्गों की दिलचस्पी होती है । यदि इस समस्या को सहिष्णुता, सद्भाव और व्यावहारिक दृष्टि से हल करने का प्रयास किया जाए तो समस्या को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और यह पाठ संसार के कुछ बहुभाषी देशों ने उतार-चढ़ाव और मुसीबत के दिन देखने के बाद सीखा है । वास्तव में जहां एक ओर भाषा/एकता स्थापित करने का शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, वहां दूसरी ओर यह विभाजन शक्ति का रूप भी धारण कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस विषय को किस प्रकार सुलझाया जाता है ।

प्रजातंत्र में भाषा (भाषाएं) : सम्पूर्ण वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रजातन्त्र में, सरकार द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य आवश्यक रूप से जन साधारण द्वारा समझी जाने वाली भाषा में किया जाना अपेक्षित है । प्रजातन्त्र पर आधारित सरकार में, यह अनिवार्य है कि लोगों और सरकार के बीच हितों की समानता को वास्तव में समझा जाए और दोनों ही समन्वय और आपसी समझ के वातावरण में काम करें। कल्याणकारी राज्य की सफलता अनिवार्यत: व्यापक आधार वाले सर्वमान्य समर्थन पर निर्भर करती है जिसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक सरकार की प्रक्रियाएं लोगों को सुपरिचित भाषा में न समझाई जा सकें ।

भारत में भाषायी स्थित

स्वतंत्रता के समय भारत में भाषायी स्थिति: स्वतंत्रता के समय भारत में जिस रूप में भाषाओं की समस्या उठी वह कठिन और जटिल थी । उस समय की भाषायी स्थिति की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि देश में एक दर्जन से भी अधिक काफी विकसित भाषाएं प्रचलित थीं जिनमें से प्रत्येक भाषा बोलने वालों की संख्या काफी थी तथा प्रत्येक भाषा का अपना सुगठित क्षेत्र था । इन में से प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक और साहित्यिक परम्पराएं कई शतक पुरानी थी । सब भाषाओं की अपनी-अपनी अलग लिपियां भी हैं । इसके अलावा, किसी भी भाषा की स्थिति यदि बोलने वालों की संख्या का विचार न किया जाए तो, ऐसी नहीं थी, कि उसे एक दम सभी के मुकाबले से आगे रखा जाए । इसलिए इस आशा में कि विभिन्न भाषा-भाषी वर्ग अपनी भलाई के लिए स्वैच्छा से उचित स्तरों और स्थानों पर किसी एक भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार कर लेंगे, सब भाषाओं के उपभोग की खुली छूट दे देने का समाधान, भारत की स्थिति में, स्वत: उपलब्ध नहीं था । भारतीय स्थिति में, विशेषकर उन देशों में, जहां इन भाषाओं की सीमा अलग करना कठिन है, यह निर्देश देना आवश्यक था कि संघ की भाषा और प्रादेशिक भाषाओं के क्षेत्र स्पष्टतया क्या हों ।

ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति

भारत एक विशाल उपमहाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमालय पर्वतमाला की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वनों तक फैला हुआ है । मुख्य भूमि 8.4" और 37.6" उत्तर, अक्षांश तथा .68.7 और 97.26". पूर्व देशान्तर रेखाओं के बीच फैला हुआ है और इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2933 किलोमीटर है । भारत 25 राज्यों और 7 केन्द्रशासित क्षेत्रों, जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है का एक संघ है । ये राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, और पश्चिमी बंगाल । संघ राज्य क्षेत्र हैं—अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी । भारत का एक मजबूत, समृद्ध और विविध सांस्कृतिक पद्धतियों का पुरातन इतिहास रहा है । रूस को छोड़कर यूरोप के दो-तिहाई क्षेत्र के बराबर बड़े इस क्षेत्र की जनसंख्या मानव जाति का सातवां भाग है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह पूरे मानव इतिहास में विश्व के इस भाग में विविध जातीय और जनसांख्यिकीय मूल के लोगों का संगम-स्थल रहा है । इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस देश में नाना प्रकार की बोलियां बोली जाएं और उनमें अनेक प्रकार की भिन्नता हो ।

भारत अनेक भाषाओं की भूमि

भारत की वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार मुख्यतया कुटुम्बों में बोली जाने वाली 106 भाषाएं थी । अखिल भारतीय स्तर पर इनमें से प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी अधिक। इन 106 भाषाओं में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 15 भाषाएं और उनके रूपान्तर भी सम्मिलित है । भाषाओं के आधार पर 1981 में कुटुम्ब जनसंख्या का वितरण । जिन्हें अनुसूचित

भाषाओं और अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में समूहीकृत किया गया है। आगे सारणी में दर्शाया गया है। इनमें संस्थागत परिवारों की जनसंख्या शामिल नहीं है। जो कुल जनसंख्या का केवल 0.57 प्रतिशत है। असम राज्य के संबंध म आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि उस राज्य में वर्ष 1981 में जनगणना नहीं की जा सकी थी। (वर्ष 1991 में सम्पन्न जनगणना के आधार पर ऐसी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।)

सारणी–1

भाषाओं के आधार पर कुटुम्ब जनसंख्या (इसमें प्रत्येक ग्रुप के अन्तर्गत समूहित भिन्न रूप शामिल हैं।

भारत/राज्य संघ राज्य क्षेत्र	कुल कुटुम्ब जन संख्या	आठवीं अनुसूची की भाषाएं बोलने वाले (तथा कुल कुटुम्ब जनसंख्या का प्रतिशत)	अन्य भाषाएं बोलने वाले (तथा कुल कुटुम्ब जन-संख्या का प्रतिशत)
1	2	3	4
भारत	661,497,149	632,290,615 (95.58)	29,206,53 (4.42)
राज्य	597,862	103,037 (17.23)	494,825 (82.77)
अरूणाचल प्रदेश	53,175,277	52,754,352 (99.21)	420,925 (0.79)
आंध्र प्रदेश	69,638,725	65,440,524 (93.97)	4,198,201 (6.03)
बिहार	33,919,882	33,361,388 (98.35)	558,494 (1.65)
गुजरात	12,873,434	12,861,460 (99.91)	11,974 (0.09)
हरियाणा	4,257,575	4,084,570 (95.94)	173,005 (4.06)
हिमाचल प्रदेश	5,947,299	4,325,961 (72.74)	1,621,338 (27.26)
जम्मू तथा कश्मीर	36,839,222	34,801,429 (94.47)	2,037,793 (5.53)
कर्नाटक	25,244,369	25,024,913 (99.13)	219,456 (0.87)
केरल	52,000,069	47,884,931 (92.09)	4,115,138 (7.91)
मध्यप्रदेश	62,230,282	59,153,116 (95.06)	3,077,166 (4.94)
महाराष्ट्र	1,409,239	32,570 (2.31)	1,376,669 (97.69)
मणिपुर			

1	2	3	4
मेघालय	1,326,748	181,113 (13.65)	1,145,635 (86.35)
मिजोरम	476,439	43,523 (9.14)	432,916 (90.86)
नागालैंड	747,071	69,725 (9.33)	677,345 (90.67)
उड़ीसा	26,171,262	23,535,237 (89.93)	2,636,025 (10.07)
पंजाब	16,723,153	16,689,494 (99.80)	33,659 (0.20)
राजस्थान	34,135,701	32,518,743 (95.26)	1,616,958 (4.74)
सिक्किम	308,262	19,570 (6.35)	288,692 (93.65)
तमिलनाडू	48,089,281	48,041,159 (99.90)	48,122 (0.10)
त्रिपुरा	2,034,242	1,459,299 (71.74)	574,943 (28.26)
उत्तर प्रदेश	110,549,826	110,506,761 (99.96)	43,065 (0.04)
पश्चिमी बंगाल	54,207,652	51,570,921 (95.14)	2,636,731 (4.86)
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	178,885	143,748 (80.36)	35,137 (19.64)
चण्डीगढ़	440,837	437,301 (99.20)	3,536 (0.80)
दादरा तथा नगर हवेली	101,818	31,213 (30.66)	70,605 (69.34)
दिल्ली	6,174,632	6,136,683 (99.39)	37,949 (0.61)
*गोवा, दमण और दीव	1,059,012	446,406 (42.15)	612,606 (57.85)
लक्ष द्वीप	39,709	33,687 (84.83)	6,022 (15.17)
पांडिचेरी	599,384	597,780 (99.73)	1,604 (0.27)

*गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 1981 में विनिर्दिष्ट 15 भाषाएं बोलने वालों की संख्या, संस्थात्मक कुटुम्ब जनसंख्या को छोड़कर, कुल कुटुम्ब जनसंख्या का 95.58 प्रतिशत है। शेष 4.42 प्रतिशत में 90 भाषाओं के बोलने वाले शामिल हैं।

भाषा शास्त्रियों ने भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को चार विशेष परिवार समूहों नामतः भारतीय आर्य, द्रविड़, आस्ट्रोएशियाई, और तिब्बती-बर्मी में वर्गीकृत किया है। नीचे दी गई सारणी में परिवार-वार समूहीकृत इन भाषाओं के संयुक्त आंकड़े दिए गए हैं। प्रत्येक परिवार से संबंधित भाषाओं की संख्या कोष्ठकों में और 1981 की जनगणना के अनुसार कुल परिवार-वार जनसंख्या की तुलना में बोलने वालों की प्रतिशतता दी गई है (अरबी और अंग्रेजी जैसे विदेशी मूल की दो भाषाओं के बारे में आंकड़े नहीं दिए गए हैं)

सारणी—2

भाषाओं के परिवार-वार समूह

भाषा परिवार	बोलने वालों की कुल संख्या सहित भाषाओं की संख्या	कुटुम्ब जनसंख्या का प्रतिशत (संस्थागत जनसंख्या को छोड़कर)
भारतीय —आर्य	491,086,116(20)	74.24
द्रविड़	157,836,713(17)	23.86
आस्ट्रोएशियन	7,705,011(14)	1.16
तिब्बती—बर्मी	4,071,701(53)	0.62

भारतीय भाषाओं की विशेषता :—उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि भारतीय-आर्य और द्रविड़ दोनों भाषाएं मिलकर कुल जनसंख्या के 98 प्रतिशत लोगों की भाषाएं हैं। वस्तुतः आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय आर्य और द्रविड़ दोनों भाषायी परिवारों में आस्ट्रोएशियाई प्रभाव भी अन्तर्निहित है और भारतीय-आर्य और द्रविड़ भाषाओं के विभिन्न रूपों ने एक-दूसरे को अत्यधिक प्रभावित किया है। दक्षिण की चार महान साहित्यिक या उन्नत द्रविड़ भाषाओं में से तमिल भाषा की सबसे पुरानी साहित्यिक परम्परा रही है जो ईसवी काल की प्रारम्भिक सदियों तक पुरानी है, कन्नड साहित्य भी बहुत पुराना है जबकि तेलगु इससे अपेक्षाकृत एक या दो सदियां कम पुरानी बताई जाती है। मलयालम संभवतः इन साहित्यिक बोलियों में सबसे नई है। संस्कृत शब्दावली का बड़ा भाग, जिससे प्रत्येक दक्षिण भारतीय भाषाएं विभिन्न मात्राओं में परिपूर्ण है, वह द्रविड़ और आर्य सांस्कृतिक ढांचे और बोलियों के उन रूपों के ऐतिहासिक संश्लेषण का एक प्रमाण है जो इन दोनों भाषाओं के लोगों के कई सदियों के आपसी सहयोग और सम्पर्क से विकसित हुए देश के अन्य भागों की तरह दक्षिण ने न केवल भारत के दर्शन व्याकरण, पुराण और संस्कृत की साहित्यिक परम्पराओं को अपनाया, अपितु उनमें महत्त्वपूर्ण योगदान भी दिया और इसके साथ ही कई सदियों तक उन मौलिक और विशुद्ध रूप को संरक्षित भी रखा। यद्यपि संस्कृत को सभ्यता की भाषा माना गया और देश भर में पण्डितों और विद्वानों ने इसका व्यापक प्रयोग भी किया, तथापि शास्त्रीय संस्कृत कभी भी आम लोगों की भाषा नहीं बनी।

कहा जाता है कि संसार में सभी स्थानों में लगभग प्रत्येक 15 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। अतः यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत्न के सदियों पुराने इतिहास के दौरान एक ही स्रोत से निकलने वाली विभिन्न भाषाओं में किस प्रकार स्थान और काल के भेद से असमानताएं पैदा हो गई और समय गुजरने के साथ-साथ वे भाषाएं कुछ अलग-थलग सी दिखाई देने लगी, किन्तु अन्त में जब उनका रूप बिल्कुल ही भिन्न हो गया हो और एक भाषा-भाषी को दूसरे भाषा-भाषी की भाषा समक्ष में भी नहीं आती हो, तभी प्रत्येक भाषा का स्वरूप निश्चित हुआ हो। यहां तक कि आज भी भाषायी क्षेत्रों के रूप में इस प्रकार बात करते हैं जैसा कि वे मात्रा क्षेत्र हों जिन्हें प्राकृतिक सीमाओं ने ही निश्चित रूप से विभाजित किया हो और भाषायी क्षेत्रों को एक दूसरे से पृथक दर्शाने के लिए मानचित्र बनाते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की सीमाओं पर एक भाषा का दूसरी भाषा में संक्रमण अचानक नहीं होता बल्कि यह परिवर्तन लगभग अदृश्य रूप में बहुत धीरे-धीरे होता हैं। भाषाओं का साहित्यिक रूप और अभिव्यंजना तथा व्याकरण, वाक्य रचना और अन्य संरचनात्मक तत्व मुद्रण प्रेस आने के साथ ही दृढ़ और अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय हो गए। इसके साथ-साथ मुद्रण प्रेस के

आगमन और अंग्रेजी साहित्य के समान साहित्यिक रूपों और लक्षणों की नई विचारधाराएं आ जाने के परिणामस्वरूप भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में अप्रत्याशित विकास हुआ है । इस बात पर अफसोस जाहिर किया जा सकता है कि शिक्षा प्रणाली के अधिकांश भाग के लिए शिक्षा का माध्यम तथा प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होने के कारण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का उतना विकास नहीं हुआ है कि आधुनिक में समाज सभी उद्देश्यों के लिए वे अभिव्यक्ति का साधन बन सकें किन्तु यह तथ्य कि स्वतंत्रता मिलने पर हम यह सोचने में सक्षम थे कि हम सभी कार्य-क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही यह एक प्रारंभिक अवधि के बाद हो, स्वयं इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रतिभा सम्पन्न वर्गों पर पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के बाद इन भाषाओं तथा इनके साहित्य का अत्यधिक विकास हो चुका था ।

वर्ष 1981 की जनगणना की सारणियों में बोली जाने वाली भाषाओं के संबंध में दिए गए आंकड़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा । इन भाषाओं में से लगभग 90 भाषाएं बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं । उदाहरण के तौर पर अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त अनाल केवल 10,780 व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है । इन भाषाओं को बोलने वालों की अधिकतम संख्या संथाली के संबंध में 42,08,304 है, किन्तु जब इसकी कुल जनसंख्या से तुलना की जाती है तो यह प्रायः नगण्य बैठती है । यहां तक कि अनुसूचित भाषाओं के अन्तर्गत ऐसी बोलियों की बहुत बड़ी संख्या है, जिन्हें समकालीन परिष्कृत अथवा साहित्यिक भाषाओं की सूची में नहीं माना जा सकता । उदाहरणस्वरूप यद्यपि राजस्थानी, मैथिली भोजपुरी, मारवाडी आदि मौखिक बोलियों के रूप में प्रचलित हैं और इनमें से कुछ किसी समय साहित्य के लिए अत्यन्त उत्कृष्ट थीं, लेकिन भारत के संविधान में इनकी गणना पृथक भाषा के रूप में नहीं की गई है क्योंकि इन भाषाओं को बोलने वाले अब आमतौर पर हिन्दी को ही अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा मानते हैं । कई अन्य भाषाओं के मामले में भी यही स्थिति है, कुछ अनुसूचित भाषाओं के रूपान्तर जिन्हें बोलने वालों की 1981 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर संख्या 10,000 या उससे अधिक थी, नीचे दर्शाए गए हैं :—

बंगला	चकमा, हाई जोंग/हाजोंग, राजवाठसी
गुजराती	गुजराओ/गुजराऊ, सौराष्ट्र
हिन्दी	अवधी, बघेली/बघेलखंडी, बागडी राजस्थानी, बंजारी, भद्रवाही, भरमौरी/गद्दी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, बुंदेली/बुंदेलीखंडी, चम्बली, छत्तीसगढ़ी, घुराही धुंधारी, गढ़वाली गोरजी, हरौती, हरियाणवी, जौनसारी, कांगड़ी, खड़ीबोली, खोरया/खोट्टा, कुलभी, कुमांउनी, कुमांली, थार, लवानी/लम्बाडी, लाड़िया/लोधी, मागधी, मगही, मैथिली मालवी, मंदेली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, नगपुरिया, निमाडी, पडारी, पहाड़ी, पंचपरगनिया, पुगवाली, पावडी/पोवाडी, राजस्थानी, सदान सादरी, सोंदवाड़ी, सुगाली, सरगुंजिया, सुरजापुरी ।
कन्नड	वडागा, कुर्ग कुरूम्बा
कश्मीरी	किस्तवारी, सिराजी
मलयालम	पनिया, येरवा
उड़िया	मावी, परोजा, रेल्ली, सम्बलपुरी
पंजाबी	बागड़ी, भटीली, विलासपुरी/काहलूरी
सिंधी	कच्छी
तमिल	केकड़ी शेरूकला/येरूकुला
तेलगु	वदारी

संविधान की आठवीं अनुसूची में (अद्यतन संशोधन से पहले तक) संस्कृत सहित 15 क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है । 1981 की जनगणना के अनुसार इन भाषाओं को बोलने वालों के संबंध में आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं ।

सारणी—3

अनुसूचित भाषाओं के बोलने वालों की अवरोही क्रम में संख्या

भाषा	बोलने वालों की संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत (संस्थागत जनसंख्या को छोड़कर)
1. हिन्दी	264,189,057	(39.94)
2. तेलगु	54,226,227	(8.20)
3. बंगला	51,503,085	(7.79)
4. मराठी	49,624,847	(7.50)
5. तमिल	44,730,389	(6.76)
6. उर्दू	35,323,282	(5.34)
7. गुजराती	33,189,039	(5.02)
8. कन्नड़	26,887,837	(4.06)
9. मलयालम	25,952,966	(3.92)
10. उड़िया	22,881,053	(3.46)
11. पंजाबी	18,588,400	(2.81)
12. कश्मीरी	3,174,684	(0.48)
13. सिंधी	1,949,278	(0.29)
14. असमिया*	70,525	(0.01)
15. संस्कृत	2,946	नगण्य

*असम में जनगणना नहीं की गई

इन भाषाओं, में केवल 2946 व्यक्तियों ने संस्कृत को अपनी बोलचाल की भाषा बताया है। अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य शेष भाषाओं में भिन्न-भिन्न स्तरों पर एकरूपता और समानता देखी जा सकती है और वास्तव में ये सभी भाषाएं संस्कृत की सांझी साहित्यिक परम्परा तथा चिन्तन और अनुभव की सांझी पृष्ठभूमि से बनी है, जिसे साधारणतः "भारतीय जीवन पद्धति" कहा जा सकता है, और उर्दू को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं की लिपि और वर्ग सामान्य भारतीय ध्वनि पद्धति की परिवर्तित अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि उड़िया, असमिया, और बंगला भाषाओं का अपना अलग-अलग साहित्य है फिर भी इन भाषाओं के एक दूसरे से गहरे संबंध हैं। हिन्दी की पूर्वी बोलियों का उड़िया, असमिया व बंगला भाषा से गहरा संबंध है। उर्दू और हिन्दी का संरचना, व्याकरण और वाक्य विन्यास एक जैसे हैं। इनमें मुख्य अन्तर शब्द संग्रह का है। उर्दू में अधिकांश शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं, जबकि हिन्दी के अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। जिस क्षेत्र को हिन्दी भाषी क्षेत्र माना जाता है उनमें कई बोलियां बोली जाती हैं। इन बोलियों में अधिकांश बोलियों का एक समय समृद्ध साहित्य था, परन्तु 19 वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, खड़ी बोली, जो कि हिन्दी की एक बोली है, एक मानक बोली के रूप में उभरी और संपूर्ण हिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी लेखन के रूप में स्वीकार की गई। तमिल और मलयालम, गुजराती और मराठी, तेलगु और कन्नड़ भाषाओं के बीच में परस्पर समान अंश व समानताएं हैं और यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी कई बातें हैं जहां प्रत्येक भाषा का अन्य भाषा से सहज संबंध है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में समानता का यह स्वरूप भाषाओं के विभिन्न भाषा समूहों के बीच भौगोलिक तथा ऐतिहासिक संबंध प्रकट करता है। प्रादेशिकता की दृष्टि से उर्दू, संस्कृत और सिन्धी भाषा को छोड़कर बाकी सभी भाषाएं काफी सुगठित क्षेत्रों में बोली जाती हैं।

भारत में भाषायी परिदृश्य के मुख्य अंग और विशेषताएं

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे भारतीय भाषायी परिदृश्य की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट रूप से निरूपित किया जा सकता है। यद्यपि जनगणना प्रयोजनों के लिए सूचीबद्ध भाषाओं और बोलियों की संख्या सैंकड़ों में हैं किन्तु देश में भाषायी समस्या के संदर्भ में मानी जाने वाली मुख्य भाषाएं लगभग एक दर्जन क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो देश के सुगठित क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं में अलग-अलग मात्राओं में एकरूपता तथा सुदृढ़ सहज संबंध हैं; आधुनिक समाज में पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भाषायी साधन के रूप में इन सभी भाषाओं में कमियां हैं, जो कि स्वतंत्रता से तुरन्त पूर्व के दशकों में क्रियाकलापों और विचारों के कुछ क्षेत्रों में उन्हें दबाएं जाने के कारण उत्पन्न हुई, इनमें से हिन्दी ऐसी भाषा है जो भारतीय जनसंख्या से सबसे बड़े समूह द्वारा बोली जाती है, हालांकि कुल जनसंख्या में हिन्दी भाषी जनसंख्या का अनुपात अन्य सभी भाषाओं को बोलने वालों की कुल संख्या की तुलना में कम है, अनुपातिक दृष्टिकोण से विचार न करके निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रादेशिक भाषाएं बहुत अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं और इनमें बहुत ही विश्व की भाषा सूची में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगी।

क्रमशः

(पृष्ठ 5 का शेष)

जनजातियों की अपनी-अपनी बोलियां हैं और आपस में बातें करने के लिए भी वहां माध्यम हिन्दी ही है। वहां हमारी स्वदेशी और अपनी भारतमाता की भाषा हिन्दी ही इस देश के प्राणों में एकता का मंत्र जगाए है तथा जगाए रखेगी।

सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, धारवाउ, नागालैंड, मणिपुर, केरल, आंध्र, कर्नाटक, मेघालय में भी हमने जिन लोगों के इंटरव्यू फिल्माए हैं, हिन्दी में अपनी फिल्मों के लिए—वे हमारे सामने साक्षात एक मोंटाज के रूप में उभरते हैं, जिसमें बारी-बारी से सभी यही कह रहे हैं—मंदिरों में, खेतों में, खलिहानों में, दफ्तरों में, कारखानों में तो सड़कों पर भी—यही कह रहे हैं वे कि 'हम हिन्दी जानते हैं समझते हैं, बोल भी सकते हैं अपने तरीके से।' अइयार, मद्रास में तमिलभाषी आईसक्रीम विक्रेता ने बताया था 'हां, हां यहीं सीखी है हिन्दी, मद्रास में, यहीं अययार में सीखी है। व्यापार में तो बोलना पड़ता है न जी।' तो यह रहस्य है। 'पचग्राम संदेश' नामक फिल्मस भी जो कि इसी हिन्दी भाषा यात्रा के दौरान बनाई समाचार पत्रिका है।

(नवभारत टाइम्स: 13-4-92 से साभार)

व्यापार तथा उद्योगों में हिन्दी का प्रयोग कैसे बढ़ाएं

☐ जगन्नाथ *

अब जबकि हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाए जाने के लिए गम्भीर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि उसके साथ ही साथ उद्योगपति और व्यापारी भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं। इस दिशा में राजधानी दिल्ली के गांधी नगर के सिले सिलाए वस्त्रों के विक्रेताओं के संघ की कार्य समिति ने अपने सदस्यों को एक परिपत्र भेजकर उन्हें प्रेरित किया है कि वे अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें। यह संघ भारत वर्ष में थोक वस्त्र निर्माताओं और विक्रेताओं का कदाचित सबसे बड़ा संघ है। संघ ने सदस्यों से कहा है कि :

> "....प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। अपनी मातृभाषा की अवमानना एवं अपमान किसी भी अवस्था में सहन नहीं कर सकता और अपने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए निरन्तर संघर्षरत रहता है। अंग्रेजी के अवांछित प्रयोग का अर्थ है अंग्रेजियत के संस्कारों को अंगीकार करना। दूसरे शब्दों में भारतीयता का उपहास और अपने कर्मों के द्वारा अपनी राष्ट्रभाषा और संस्कृति को नष्ट करना है।....
>
> आप आज से ही अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करना आरम्भ कर दें। अपने व्यवसाय के नाम पट और अभिलेख पत्र व्यवहार, निमन्त्रण पत्र, शुभ कामना संदेश, संवेष्टनों (लिफाफों और पैकिंग) पर हिन्दी का ही यथासंभव प्रयोग करें। यथा संभव उधार नकद पर्चियों और दूरभाष पर बातचीत में हिन्दी का ही प्रयोग करें। केवल अंग्रेजी में छपी प्रचारात्मक सामग्री जैसे कलेन्डर, डायरी आदि उसे कदापि स्वीकार न करें और न ही छपवाकर वितरण करें।

इसी प्रकार गाजियाबाद (उ. प्र.) के लोहा व्यापारियों की समिति ने भी अपने सदस्यों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरणा देने के लिए एक परिपत्र प्रचारित किया है। परिपत्र का आशातित प्रभाव हुआ। अधिकांश व्यापारियों ने अपने नामपट्ट हिन्दी में बदल दिए। लेखा जोखा, चिट्ठी पत्री, नकद उधार की पर्चियां, बैंक के हस्ताक्षर आदि ऐसे ही दैनंदिन कार्य हिन्दी में करने प्रारम्भ कर दिए। Telephone की जगह दूरभाष, Unloading की जगह उतराई, लदान Loading और ऐसे ही Average की जगह औसत, Confirm पुष्टि, Cancel निरस्त, Amount राशि, Signature हस्ताक्षर, Sheet चादर, Tax-Paid कर-प्रदत्त, Shortage घटत, Payment भुगतान, अदायगी आदि हिन्दी शब्दों को खुलकर, धड़ल्ले से प्रयोग करने लगे। अच्छा वातावरण बना। लोगों ने अनुभव किया कि अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग करके हम विदेशीयता एवं अंग्रेजियत का बहिष्कार करने में समर्थ होंगे।

इस हिन्दीमय वातावरण से उत्साहित होकर, 'लोहा व्यापारी समिति' ने अपनी एक बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि व्यापारियों को हिन्दी अपनाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष एक "राष्ट्रभाषा हिन्दी पुरस्कार योजना" आरम्भ की जाए।

हिन्दी में नामपट्ट, हिन्दी में उधार-नकद पर्चियों बहियों, बही खातों, हिन्दी में ही पत्राचारों एवं परस्पर वार्तालाप में अंग्रेजी शब्दों का बहिष्कार आदि के आधार पर एक निर्णायक मण्डल द्वारा 1990 में प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कारों को एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया पुरस्कार आकर्षक एवं स्थायी मूल्य के थे।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने भी उद्योगपतियों और व्यापारियों को पत्र भेजे हैं और उन्हें हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव निम्न प्रकार दिए हैं :—

(1) सामान्य जनता हिन्दी को भली-भांति समझती है। दक्षिण और पूर्व के राज्यों में भी अब काफी अधिक संख्या अंग्रेजी जानने वालों की अपेक्षा हिन्दी जानने वालों की है। अतः अपने माल को लोकप्रिय बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विज्ञापन हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं और हिन्दी स्मारिकाओं आदि में भी दें और वे हिन्दी में ही दिए जाएं। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं आदि में अंग्रेजी में विज्ञापन छपवाने से उसका पूरा लाभ नहीं हो पाता क्योंकि हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं आदि के पाठकों में ऐसे कम ही व्यक्ति होते हैं जो अंग्रेजी के माध्यम से विज्ञापन को पूरा समझ सकें।

(2) आप यह भी चाहेंगे कि आपकी फर्म कम्पनी का नाम तथा आपके उत्पाद (प्रोडक्ट्स) अधिक से अधिक लोकप्रिय हों। इस दृष्टि से यह भी उचित

*ए–26, रोहित कुंज, रानी बाग, दिल्ली-34

होगा कि आप अपने पासमस्त उत्पादों पर और उनके पैकिटों पर उनका नाम, प्रयोग करने का तरीका कम्पनी/फर्म का नाम आदि हिन्दी में भी छपवाएं। इसी सच्चाई को मानते हुए अब भारत सरकार ने अपने सभी उत्पादों के विवरण उन पर हिन्दी में भी दिए जाने अनिवार्य कर दिए हैं। अपने नाम के बोर्ड अपनी लेखन सामग्री तथा प्रचार सामग्री को हिन्दी में भी बनवाएं क्योंकि अंग्रेजी को समझ सकने वाले मात्र दो-तीन प्रतिशत ही लोग हैं। चाहें तो साथ में अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं।

(3) सम्भवतः आपको विदित होगा कि देवनागरी लिपि के माध्यम से भेजे जाने वाले तार रोमन लिपि के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं और लिखने में आसान भी हैं। अतः निवेदन है कि अपने तार भी देवनागरी में ही भेजें। इससे पैसों की भी बचत होगी।

(4) अपने चैक हिन्दी में बनाएं। बैंक खाते हिन्दी में खोलें।

कई प्रसिद्ध कम्पनियां और फर्में अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर भी रही हैं। ताप नियंत्रण यंत्र बनाने वाली प्रसिद्ध सुवीरा कम्पनी न केवल अपना सारा कामकाज हिन्दी में करती हैं अपितु भारत सरकार को अपने टेण्डर भी हिन्दी में ही भेजती हैं। इस कम्पनी के मालिक श्री नेत्रपाल सूदन (जो स्वयं एक इंजीनियर हैं) ने बताया कि उनके उपकरण दक्षिण ध्रुव में अपने परीक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय ने काफी संख्या में खरीदे हैं और उसके लिए उन्होंने अपना टेंडर केवल हिन्दी में भरा था। इसी प्रकार स्वास्तिक प्रोग्रेसिंग, नोएडा के साझीदार श्री राजेन्द्र नारायण गोयल का अपना अधिकांश कामकाज पहले केवल अंग्रेजी में होता था। वे विद्युत विषय में इंजीनियर हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फैलो भी हैं। पहले वे डी सी एम लिमिटेड़ में बड़े ऊंचे पद पर अधिकारी थे और उनका अंग्रेजी में ही काम करने का अभ्यास था। किन्तु मेरी प्रेरणा पर उन्होंने अपना काम हिन्दी में करना आरम्भ कर दिया। श्री गोयल जी की और भी कई कम्पनियों में साझेदारी है। अब उनका कहना है कि उनकी कम्पनियों का लगभग 80 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगा है और उससे उनके ग्राहकों को और उनके उत्पादन के विक्रेताओं को काफी सुविधा हुई है। इसी प्रकार शिवको नाम की एक फर्म कापियों और रजिस्टरों का उत्पादन करती है जिसके मालिक श्री श्याम लाल जी स्वयं एम.ए., एम.एड हैं और पहले एक पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अपना कारखाना लगा लिया। उन्होंने भी अपने अनुभव के आधार पर बताया कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग से, विशेष रूप से हिन्दी के प्रयोग से, व्यापारियों के उत्पादनों की बिक्री अधिक ही होगी। और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

गाजियाबाद के लोहा व्यापारियों और दिल्ली के वस्त्र विक्रेता समिति के सदस्यों को हिन्दी अपनाने के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाकर प्रेरित करने वाले गाजियाबाद के श्री ओमप्रकाश अग्रवाल हैं जो रक्षा मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी रह चुके हैं। अन्य नगरों में भी और अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं/निर्माताओं से वे सम्पर्क बनाए हुए हैं जिससे हिन्दी का व्यवहार पक्ष सबल हो सके। कानपुर में केन्द्रीय तार घर के श्री मैयादीन सराफ ने रोटेरी क्लबों के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्षों से सफल अभियान छेड़ा हुआ है। वाराणसी के श्री जगदीश नारायण राय ने जीवन बीमा निगम आदि के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्पर्क बढ़ाकर हिन्दी का व्यवहार बढ़ाया है। हैदराबाद में श्री गजानन्द गुप्त भी इसी प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। आंगरा में श्री जगदीश प्रसाद बंसल भी अपने ढंग से व्यापारियों से हिन्दी में काम करने के लिए सम्पर्क बनाए हुए हैं। उधर भारत सरकार ने भी अपने सभी कारखानों को आदेश दिए हैं कि वे अपने उत्पादनों पर माल के विवरण हिन्दी में भी अनिवार्य रूप से लिखाएं और हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों तथा जनता के साथ अपना पत्राचार हिन्दी में ही करें। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित सुपर बाजार (जिसकी 100 से अधिक शाखाएं हैं) की सामान ले जाने की थैलियां अब केवल हिन्दी में ही छपने लगी हैं। इसी प्रकार दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार (जो दिल्ली प्रशासन का है) की थैलियां भी हिन्दी में ही छप रही हैं। दिल्ली में सरकारी दूध की दुकानों द्वारा जिन टोकनों की सहायता से दूध मिलता है वे भी केवल हिन्दी में बने हुए हैं। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में जहां सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है वहां उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा भी इसका अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है।

□

प्रशासनिक हिंदी में अर्थ की सुस्पष्टता का महत्त्व

□डॉ० केशरी लाल वर्मा *

भाषा विचार-विनिमय का माध्यम है। विचार-विनिमय के बिना भाषा का कार्य अधूरा रहता है। भाषा का कार्य अर्थ द्वारा ही होता है अर्थात् ध्वनियों की व्यवस्था जब अपनी समग्रता में किसी अर्थ की अभिव्यक्ति में समर्थ होती है, तब भाषा पूर्णता को प्राप्त होती है। भाषा, विशेषत: प्रशासनिक भाषा का आवश्यक गुण है--अर्थ की स्पष्टता। प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त शब्दों को सरल, स्पष्ट, और सुबोध होना चाहिए। प्रशासन के क्षेत्र में 'संदेह' और 'भ्रांति' को अलंकार नहीं, भाषा का दोष माना जाता है। द्विअर्थता प्रशासन के लिए घातक होती है। भाषा के तीन गुण--ओज, माधुर्य, और प्रसाद में सिर्फ 'प्रसाद' गुण को प्रशासनिक भाषा की श्रेष्ठता का आवश्यक उपकरण माना गया है। प्रशासनिक भाषा में 'ओज' और 'माधुर्य' गुण की विशेष आवश्यकता नहीं होती।

अभिव्यंजना की शक्ति अर्थ की स्पष्टता पर आधारित है, इसलिए स्पष्टता को शैली का महत्त्वपूर्ण गुण माना जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में परिगणित दोष अर्थ की अस्पष्टता की ही भिन्न-भिन्न रूपों में व्याख्या करते हैं। विशेष रूप से असमर्थत्व, अप्रयुक्तत्व, अप्रतीतत्व, संधिग्धत्व, निहितार्थत्व, अवाचकत्व, क्लिष्टत्व, संकीर्णत्व, गर्भितत्व, आदि दोष अर्थ की अस्पष्टता से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं।

प्रशासनिक भाषा में अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए एक शब्द के बाद दूसरा शब्द तथा एक वाक्य के बाद दूसरे वाक्य का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। कोष्ठक में दर्शाए जाने वाले अंग्रेजी के शब्द या अन्य भाषा के पर्यायवाची शब्द, अर्थ की स्पष्टता के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। अस्पष्टता के कारण पत्रादि कभी-कभी उपेक्षा के शिकार भी होते हैं। अर्थ का संदिग्ध होना अर्थात् अनिश्चित होना ही अस्पष्टता है। जानकारी भेजने की सफलता अर्थ की स्पष्टता पर अवलंबित है। यदि प्रेषक का आशय प्रेषिती तक यथावत् न पहुंचा, तो प्रेषक का प्रयास निष्फल हो जाएगा। यह लेखक की अभिव्यक्ति-सामर्थ्य तथा पाठक की ग्रहण सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है, परंतु अर्थ की स्पष्टता का अधिकांश दायित्व लेखक की अभिव्यक्ति-सामर्थ्य पर है।

प्रशासनिक हिंदी की वास्तविक समस्या अर्थ की सुस्पष्ट प्रकटीकरण की है। 'अस्पष्टता' का अर्थ स्पष्टता का (पूर्ण) अभाव नहीं है। स्पष्टता के पूर्ण अभाव में भाषा उन्मत्त प्रलाप हो जाती है, वह अध्ययन का विषय नहीं रहती। अस्पष्टता में 'अ' का प्रयोग 'न' के अर्थ में न होकर 'ईषत' के अर्थ में है। इस प्रकार अस्पष्टता का अर्थ हुआ 'ईषत स्पष्टता', दूसरे शब्दों में अपेक्षित स्पष्टता का अभाव।

भाषा का सौंदर्य स्पष्टता में ही होता है। प्रशासनिक भाषा में शंका या विवाद की गुंजाइश बिलकुल नहीं होनी चाहिए। सद्भावपूर्वक या असद्भावपूर्वक पढ़ने पर एक ही अर्थ निकले, यह आवश्यक है। संदेह का भावार्थ स्पष्ट होना चाहिए। मूल बात जो कही गई है, वह किसी-न-किसी प्रकार से सामने आए और उसका केवल एक ही अर्थ स्पष्ट रूप से निकले।

साधारण बोलचाल की भाषा उच्च शासकीय राजकाज की भाषा नहीं हो सकती। प्रशासनिक भाषा विषयानुसार विशिष्ट होती है। इस में सामान्य पत्र-व्यवहार ही नहीं होते; कानून, नियम, आदि से संबंधित जटिल आदेश भी निकाले जाते हैं, अत: प्रसंग के अनुसार भाषा का रूप भी विशिष्ट हो जाता है। लेखक की अभिव्यक्ति-सामर्थ्य तथा पाठक की ग्रहण-सामर्थ्य की सीमाएं होती हैं, जिस के कारण भी अर्थ की अस्पष्टता का अनुभव होने लगता है।

प्रशासनिक भाषा में अर्थ की अस्पष्टता दो स्तरों पर होते हैं; यथा--1. शब्द स्तर पर, 2. वाक्य स्तर पर। शब्द स्तर पर अस्पष्टार्थता के चार प्रमुख कारण हैं--शब्दों की सामान्यता अर्थात् उन की निर्विशेषता, शब्दों की बहुपक्षता, सुनिश्चित विभाजक रेखाओं का अभाव, तथा (वस्तु से) अपरिचितता। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों का पृथक-पृथक रूप में तो अर्थ स्पष्ट रहता है, परंतु वाक्य में वे अस्पष्टार्थक हो जाते हैं।

अर्थ के सुस्पष्ट प्रकटीकरण की समस्याएं दो प्रकार के लोगों के लिए हो सकती हैं; यथा:--

1. कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए।

2. जनसाधारण के लिए।

(शेष पृष्ठ 19 पर)

*व्याख्याता, भाषाविज्ञान--अध्ययनशाला, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर 492010

भारतीय बैंकिंग प्रबंधन और हिन्दी

☐ प्रेम सिंह चौहान*

खाड़ी युद्ध की विभीषिका आज सम्पूर्ण मानव जाति के सम्मुख एक महासंकट बना हुआ है। हम सभी विनाश की भयावहता से आतंकित हैं। इसके मूल में और जो कुछ भी हो, परन्तु भौतिक ऐश्वर्य की निर्बाध चाह एक कारण स्वरूप अवश्य है। इसने हम सबको यह सोचने के लिए विवश किया है कि हमारी महत्त्वाकांक्षा का अंतिम पड़ाव क्या है? उसकी उपलब्धि की कीमत कितनी देने के लिए हम तत्पर हैं? हमारे लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में कहीं न कहीं आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इनमें हमें मानवीय मूल्यों और अपने क्रियाकलापों की अवधारणाओं का नए सिरे से विश्लेषण कर पुनर्निर्धारण करना होगा। यह विचारदृष्टि आगे प्रशासन अथवा प्रबंधन के हमारे विश्लेषण की भी संवाहिका रहेगी।

प्रबंधन बनाम प्रशासन

किसी कार्यक्रम में भाषा विशेष के प्रयोग की आवश्यकता और संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो उन दोनों (कार्यक्षेत्र एवं भाषा) की अवधारणा और प्रकृतियों का विश्लेषण करना होता है। विचारणीय यहां यह है कि प्रशासन का प्राणतत्व (अवधारणा) क्या है? राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न संस्थाओं का गठन और उनके सुव्यवस्थित संचालन के लिए नियम और कार्यविधि तैयार की जाती है। इन नियमों और कार्यविधि को क्रियान्वित करने का नाम प्रशासन है जिसे व्यावसायिक प्रबंध शास्त्र में "प्रबंधन" की संज्ञा दी जाती है। इन नियमों और कार्यविधि के हिन्दी में तैयार किए जाने पर व्याख्या भ्रान्तियां नहीं के बराबर होंगी तथा प्रबंध के सभी स्तरों पर सहज बोध-गम्यता होगी।

हिन्दी औरों की अपेक्षा उसकी उत्तम संवाहिका किस प्रकार सिद्ध होगी?

सामान्यतः प्रशासन को संवेदनहीन, असंपृक्त और यांत्रिक कार्य, प्रशासक को हृदयहीन एवं प्रशासनतंत्र को गणितीय बौद्धिकतंत्र माना जाता है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं होती। जिसका लक्ष्य मानव और उससे निर्मित समूह हो उसमें संवेग, मूल्यों, जीवनदर्शन, विचारशीलता, अन्योन्याश्रित रागात्मकता और इससे उद्भूत अथवा दिग्दर्शित व संचालित क्रियाकलापों को पृथक नहीं रखा जा सकता। दूसरे शब्दों में देश, काल और सांस्कृतिक परिवेश की सापेक्षता प्रशासन के लिए भी उतनी ही सुसंगत है जितनी कि मानव जीवन से जुड़ी अन्य विधाओं के लिए। फिर इसकी अभिव्यक्ति अथवा मुखरता की प्रभावशीलता के लिए भी वही सब उपयोगी है जो अन्य के लिए अर्थात एक ऐसी भाषा जिसने प्राण और देह उसी मिट्टी से पाए हों जहां उसके बोलने वाले हों।

भारत में प्रशासन इस देश की आचार, जीवन पद्धति, शैली, सोच प्रणाली और उसके मूल में निहित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परांङ्मुख नहीं हो सकता। भारतीय समाज की उदारता, समरसता या और सहिष्णुता को प्रशासन एवं प्रबंधन में प्रतिकार, प्रतिशोध बर्बरता, "जैसे को तैसा" पर अधिमान देना ही होगा। किसी अपराध के दण्डस्वरूप चौराहे पर चाबुक, अंगच्छेदन जैसे दण्ड उस समाज में सर्वग्राह्य नहीं होंगे जिसमें जनमानस हत्या के अभियुक्त के प्रति भी उस पर आश्रितों के लिए उपजी दया के वशीभूत क्षमादान के लिए लालायित हो उठता है। इसी प्रकार बैंकिंग जैसे विशुद्ध व्यावसायिक संस्थानों में भी प्रबंधन मानवीय मूल्यों और जीवन दर्शन से निरपेक्ष नहीं रह सकता।

बैंकिंग प्रबंधन के आयाम

भारतीय बैंकिंग प्रबंधन के संगठनात्मक सोपान हैं :-

(क) शाखा, (ख) जिला समन्वयक, (ग) क्षेत्रीय (घ) आंचलिक, (ड) मुख्यालय।

जनसंख्यावार तीन वर्ग है

(1) ग्रामीण, (2) अर्धशहरी और (3) महानगरीय,

गतिविधिवार प्रबंधन की मुख्यतः विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(क) बैंकिंग सेवा प्रदायन, (ख) आंतरिक लेखांकन, (ग) संगठनात्मक।

उक्त सभी वर्गीकरणों में बैंकिंग गतिविधि अर्थात् दैनिक जमा/आहरण, ऋण, धनप्रेषण एवं विविध बैंकिंग सेवाओं का प्रदायन, इसके लिए अपेक्षित रिकार्ड व्यवस्था अर्थात आंतरिक लेखांकन और इन दोनों कार्यों के लिए आवश्यक मानवशक्ति, भवन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके अलग-अलग सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले ग्राहक समूहों की जरूरतें पूरी करने से संबंधित कार्य आते हैं।

*प्रबंधक, प्रबंध परामर्श सेवाएं प्रभाग, पं. ने. बैंक, भीकाएजी-कामा प्लेस, नई दिल्ली – 66

इसे प्रबंध – शास्त्र में मानवशक्ति, वित्त और सामान (मैन, मनी और मैटीरियल) का एकीकरण कहा जाता है जिनसे उत्पादन शुरू होता है।

बैंकिंग प्रशासन में अंग्रेजी वर्चस्व

एक तो देश के अन्य कार्यक्षेत्र के सामान बैंकिंग को भी अंग्रेजी वर्चस्व की विरासत में प्राप्ति; दूसरे, नवोन्मेषी बैंकिंग के नित नए कार्यक्षेत्रों में प्रवेश जिनकी पृष्ठभूमि और अवधारणाओं में अंग्रेजी की प्रधानता होना; तीसरे, दैनिक कार्यप्रणाली का अंग्रेजी पर आधारित यांत्रिकीकरण में अंतरण बैंकिंग में अंग्रेजी वर्चस्व के प्रमुख कारण हैं। परन्तु पिछले 15 वर्ष के दौरान बैंकों में राजभाषा नीति लागू होने के फलस्वरूप देश के अन्य समकक्ष संस्थानों की तुलना में हिन्दी प्रयोग की परिधि में तीव्र प्रसार हुआ है। अनेक शाखाओं व प्रशासनिक कार्यालयों में 95 प्रतिशत से भी अधिक काम हिन्दी में किया जाता है। बैंक मुख्यालयों तक में हिन्दी का प्रयोग सभी कार्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है। एक प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से इस संदर्भ में मैं पंजाब नेशनल बैंक का नाम लेख करना चाहूंगा। जहां ग्रामीण ही नहीं शहरी और महानगरीय शाखा से लेकर जिला, क्षेत्र अंचल स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयों के साथ ही साथ प्रधान कार्यालय में हिन्दी प्रयोग समस्त कार्यों में बढ़ रहा है जिसकी सराहना माननीय संसदीय (तीसरी उप समिति) राजभाषा समिति ने हाल के निरीक्षण सहित समय-समय पर अपने निरीक्षणों में की है।

दूसरे औद्योगिक व्यापारिक और इलैक्ट्रोनिकीकरण के विकास के साथ हुई आर्थिक समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य ने उपभोक्तावादी, उन्मुक्तता और प्रदर्शन प्रधान प्रवृतियों का प्रसार व्यापक पैमाने पर किया है। इसने स्वंय का दूसरों से अलगाव पृथक दिखने की धारणा को बलवती बनाया है और इसके लिए भारत जैसे बहुभाषावादी राष्ट्र में अल्पसंख्यक अंग्रेजी को अपनी एक शरणस्थली अनुभव करते हैं।

उनकी बात दूसरे न समझें, यह उनकी अहं तुष्टि करता है। बैंकों में इस सोच की तह तेजी से टूट रही है।

परन्तु एक समाज और राष्ट्र के अस्तित्व के लिए ये सभी प्रवृत्तियां प्राणघाती हैं। हमारा स्वातंत्रयोत्तर अनुभव यह सिद्ध करता है कि हमारी भौतिक, औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक उन्नति आज साम्प्रदायिकता अलगाववाद हिंसा और राष्ट्रद्रोही विघटनकारी आक्रमणों से आक्रांत हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने मानवीय सुख समृद्धि के साधन एकत्र किए परन्तु उनको भारतीय जीवन दर्शन की भट्टी में पिघला कर भारतीय स्वरूप प्रदान नहीं किया।

बैंकिंग उद्योग में परिवेश

बैंकिंग कार्य प्रकृति की दृष्टि से ठोस यथार्थ पर आधारित आर्थिक तंत्र है। इसकी राष्ट्र की आर्थिक चेतना में महत्त्वपूर्ण भागीदारी है। अतः इसके भीतर और बाहर के परिवेश में राष्ट्रवादिता, सेवा भावना, कर्तव्यनिष्ठा, संस्था के साथ प्रतिबद्धता जैसे उच्च आदर्शों की स्थापना उतनी ही आवश्यक है जितनी बैंकिंग उद्योग की लाभप्रदता का बना रहना क्योंकि यदि लाभप्रदता पर इसका अस्तित्व होता है तो उच्चादर्शों पर वह चिरस्थायी होता है।

बैंकों की लाभप्रदता में ह्रास, बैंकिंग एवं अनेक गैर बैंकिंग संस्थानों के साथ गहन प्रतिस्पर्धा, चहुंमुखी मूल्यवृद्धि से निरंतर बैंक सेवा लागत में वृद्धि देश की सामाजिक संरचना में विभिन्न कारणों से उत्पन्न तनाव, हिंसा, तोड़फोड़, अनिश्चितता के वातावरण में दबावों जैसी अनेक कठिन चुनौतियां हैं जिनसे बैंकों को मुकाबला करना पड़ रहा है।

फिर राष्ट्रीयकरण के उपरांत बैंकों पर सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों, राष्ट्र के साथ सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभाने का दायित्व भी है। वे अब मात्र लाभ अर्जक वाणिज्यिक संस्थान नहीं हैं। दूसरी ओर, अब बैंकिंग चिंतन में आमूल परिवर्तन हो गए हैं। बैंक के पास ग्राहक आने के बजाय ग्राहक के पास स्वयं बैंक पहुंचता है अर्थात् केबिन बैंकिंग का स्थान "ग्राहक की पौड़ियों पर बैंकिंग", साहूकार का "वित्त पोषक" में "कर्ज" वित्तीय सहायता" में बदल गए हैं। "सेवा क्षेत्र प्रणाली" जैसी नई अवधारणाएं लागू हो गयी हैं। महानगरोन्मुखी बैंकिंग पर ग्रामोन्मुखी बैंकिंग स्थापित हो चुकी है। गरीबी रोजगार, आवास जैसी राष्ट्रीय समस्याओं में बैंकिंग उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। "मालिक-मजदूर" संबंध पर अब "प्रबंधन में भागीदारी शैली" को अधिक प्रभावी एवं फलदायक मान लिया गया है।

बैंकिंग प्रबंधन में स्वदेशीपन की समसामयिकता

वर्तमान भारत के संदर्भ में "स्वदेशीपन" एक समसामयिक आवश्यकता है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वभाषा-हिंदी ने इस भावना की स्थापना में अहम भूमिका निभायी है। महात्मा गांधी ने तत्कालीन परिवेश में स्वाधीनता रूपी साध्य प्राप्ति के लिए "स्वदेशी आंदोलन" को एक साधन बनाया। उसके परिणामों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं लेकिन यह उल्लेख करना संदर्भानुकूल होगा कि उन दिनों भी स्वदेशी आंदोलन से बैंकिंग क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा था। उन दिनों राय मूलराज की सलाह पर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने आंदोलन के एक रचनात्मक कदम के रूप में एक ऐसा स्वदेशी बैंक स्थापित करने की योजना बनाई जिसे पूरी तरह भारतीय पूंजी से, भारतीयों के प्रबंध में चलाया जाए। अतः 23-5-1894 को देश के अलग-अलग भागों से अलग-अलग धर्मों और पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल करके एक निदेशक मंडल बनाया गया जिसमें सरदार दयाल सिंह मजीठिया (डी.ए.वी. कॉलेज व दैनिक ट्रिब्यून के संथापक) श्री लाला लाल चंद, श्री काली प्रसन्न राय (प्रसिद्ध वकील), श्री लाला ढोलनदास, ई सी. जायसवाल (पारसी व्यापारी), श्री लाला हर किशन लाल एवं लाला प्रभुदयाल (समाजसेवी एवं व्यापारी) शामिल थे।

1 अप्रैल, 1895 को पंजाब नेशनल बैंक नाम से इस पहले स्वदेशी बैंक ने अपना कार्य शुरू कर दिया। यह तत्कालीन धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का अद्भुत उदाहरण बना। आज भी स्वदेशी भावना समान रूप से समय की मांग है।

स्वदेशीपन के लिए "स्वभाषा" का प्रयोग अनिवार्य है। बैंकिंग जैसी संस्था जिसका प्रभाव समाज के हर आयु, धर्म, इलाके, आर्थिक स्तर के व्यक्ति पर गहरा होता है, उसमें हिंदी का प्रयोग राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है और उससे भी अधिक जरूरी है बैंकर और ग्राहक के परस्पर घनिष्ठ विश्वासपूर्ण संबंधों के लिए।

बैंकिंग प्रबन्धन में साधारणीकरण—प्रक्रिया और हिन्दी

उक्त परिस्थितियों में प्रबंधन या प्रशासन चलाने के लिए उच्चकोटि के प्रबंध कौशल की जरूरत है जिसकी अनिवार्य शर्त होती है, उच्च आदर्शों व मूल्यों पर आधारित प्रबंधन नीतियों की और उनके क्रियान्वयन हेतु सक्षम एवं प्रभावी भाषा रूपी संचार माध्यमों की जो कि प्रशासित समूह की आकांक्षाओं, सांस्कृतिक मान्यताओं से निर्मित समूचे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर सके।

हिंदी चूंकि भारतीय परिवेश में रची-बसी भाषा है। वह यहां की रागात्मक संबंधों, संस्कारों, जीवन शैली से पली-बढ़ी भाषा है, इसलिए प्रबंधन में साधारणीकरण की प्रक्रिया को सरलता से ला सकती है। नियमों व कार्यविधि के प्रति सर्व-सहमति व सर्व-ग्राह्यता इसी साधारणीकरण के दूसरे नाम हैं। नीति निर्धारक, उनके क्रियान्वयन कर्ता एवं नीतियों के लक्षित समूह इन तीनों स्तरों पर नीति प्रयोजनों का साधारणीकरण हो जाए तो "कर्मचारी-प्रबंधक" बैंक-ग्राहक संबंधों में अपनत्व की गहराई बढ़ेगी। परस्पर तनाव वैमनस्य समाप्त होंगे और तादात्मय और प्रतिबद्धता बढ़ेगी।

कठिनाइयां

यद्यपि भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के दौरान बैंकों में आशातीत तीव्र गति से हिंदी का प्रयोग बढ़ा है और इससे अतीत व्याप्त समस्त धारणाएं निर्मूल सिद्ध हो गयी हैं। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा कम बैंकिंग में प्रयोग किए जाने पर व्यवधान की आशंका की जाती थी लेकिन परिणाम इसके ठीक विपरीत और उत्साह-वर्द्धक हैं। फिर भी कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

बैंक में हिन्दी : अनुवाद की भाषा

बैंकिंग उद्योग में हिंदी का प्रदेश अनुवाद की एक भाषा के रूप में हुआ और आज भी अधिकांशत: उसका अनुवाद: स्वरूप ही बना हुआ है जो कि बैंकिंग कारोबार की विशुद्धत: बौद्धिक गतिविधि में रोचकता का अभाव दूर नहीं कर पाती। इस भाव को "दुरुहता" की संज्ञा दी जाती है जबकि हिंदी ने अंग्रेजी में अभिव्यक्त सुविकसित प्रौढ़ता प्राप्त बैंकिंग का स्थान ग्रहण किया है।

राजभाषा नीति और शिक्षा प्रणाली में विरोधाभास

देश में रोजगार प्राप्ति के क्षेत्र में अंग्रेजी की अधिमानत: एक ऐसा कटु सत्य है जो अंग्रेजी शिक्षितों को हिंदी शिक्षितों के ऊपर अधिमान प्रदान करती है। इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करके बैंक सेवाओं में आने वाले कर्मचारी हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में ज्यादा सुविधा पाते हैं, इसलिए बैंकों में हिंदी में मौलिक प्रयोग की संभावना दुष्प्रभावित होती है। इसके बावजूद भी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स द्वारा आयोजित विशुद्ध आर्थिक एवं वाणिज्यिक विषयों की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम चयनकर्ताओं तथा उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत अधिक होना, सचमुच हिंदी की बढ़ती ग्राह्यता का प्रशंसनीय प्रमाण हैं।

बैंकिंग की वैविध्यतापूर्ण प्रकृति

बैंकिंग के कार्यक्षेत्र में नित नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं जिनके बारे में किसी भी एक कर्मचारी की जानकारी होने की आशा कम है। अत: राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी भी इस विषमता से प्रभावित हैं लेकिन धीरे-धीरे इनका समाधान होता जा रहा है।

बैंकिंग शब्दावली बनाम विधि शब्दावली

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों में प्रयुक्त शब्दावली में एकरूपता बनाए रखने के लिए काफी पहले से बैंकिंग शब्दावली परिचालित कर दी थी। इसके अनुरूप बैंकिंग दस्तावेज द्विभाषी तैयार किए गए और प्रयोग में आ रहे हैं परन्तु भारत सरकार के विधि न्याय मंत्रालय (विधायनी विभाग) द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में किए पर्याय बैंकिंग शब्दावली से एकदम भिन्न हैं उदाहरणार्थ :—

	बैंकिंग शब्दावली	विधि शब्दावली
Hypothecation	दृष्टिबंधक	आडमान (तमिल)
Movable	चल	जंगम
Requisition	मांग/अपेक्षा	अध्यपेक्षा
Letter of credit	साख पत्र	प्रत्यय पत्र

बैंकिंग कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि इन शब्दावलियों में उदार दृष्टिकोण और समन्वय स्थापित हो।

बैंकिंग शब्दावली : कुछ गतिरोध

अंग्रेजी की प्रकृति मूलत: पृथक है जिसमें एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है इससे तकनीकी शब्दावली में एक भ्रांति या अस्पष्टता का अवरोध बना रहता है। उदाहरणार्थ–गवर्नर के लिए "राज्यपाल" शब्द का प्रयोग होता है परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को "राज्यपाल"

कहना उपयुक्त नहीं और अब तक इसके लिए उचित पदनाम नहीं निर्धारित किया जा सका है। इसके विपरीत कुछ और नमूने प्रस्तुत हैं :—

अध्यक्ष व सभापति शब्द हैं जो कि इन सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं परन्तु President of India में राष्ट्रपति शब्द प्रयुक्त होता है।

President Chairman Speaker के लिए :

आशय यह है कि ऊपर संकेतस्वरूप कठिनाइयों के समाधान हेतु सरकार के संबद्ध विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो पदनामों में अनुकरण प्रवृत्ति अपनाए रखने के स्थान पर संशोधन किए जाएं।

सारांश

उक्त विश्लेषण में यह प्रयास किया गया है कि बैंकिंग प्रबंधन में हिन्दी का प्रयोग मात्र एक भाषा माध्यम से जुड़ा प्रश्न नहीं है, बल्कि बैंकिंग प्रबंधन को भारतीय संस्कृति जीवन-शैली से तादात्मय स्थापित करने के लिए एक अनिवार्यता है। इससे प्रबंधक के प्रयोजनों का प्रबंधकों, कर्मचारियों और बैंक ग्राहकों के बीच परस्पर "साधारणीकरण" होगा अर्थात् ये तीनों वर्ग यह समझेंगे कि उनके अपने प्रयोजन हैं, किसी अन्य के नहीं जैसे रचनाकार, अभिनेता और दर्शक का अभिनीत चरित्र की भावनाओं–दुख-सुख का होता है और उनके वशीभूत हो वह रोता-हंसता है, साहित्यिक भाषा में "रसास्वादन या रसानुभूति करता है, फलस्वरूप औद्योगिक-विवाद कम होंगे और भागीदारी प्रबंधन शैली" का सही अर्थों में क्रियान्वयन हो सकेगा। अंततः इससे बैंकिंग कारोबार के प्रति संबंधित पक्षों की प्रतिबद्धता बढ़ेगी और नकारात्मक प्रवृत्तियों का शमन होगा।

□

पृष्ट 15 का शेष

कभी-कभी कार्यालयीन हिंदी इतनी जटिल हो जाती है कि कार्यालय के अन्य कर्मचारी लेखक के आशय को नहीं समझ पाते। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों में मुख्यतः या तो जानकारी भेजी जाती है या जानकारी मांगी जाती है। अर्थ की अस्पष्टता से कार्यालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा अनावश्यक विलंब होता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्यालय तथा किसी राज्य सरकार के कार्यालय के बीच अथवा राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार होने पर बार-बार कठिनाई उत्पन्न होती हैं।

कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग सिर्फ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की बीच पत्र-व्यवहार के लिए या सिर्फ कर्मचारियों से पत्र-व्यवहार करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि कई विज्ञापन, सूचनाएं, विज्ञप्तियां, निविदा-सूचनाएं, आदि में भी होता है, जिन्हें जनसाधारण के लिए निकाली जाती हैं। इसी प्रकार बहुत से पत्र जनता को भी प्रेषित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि वांछित भाव की स्पष्टता के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। बहुत से शासकीय विज्ञापनों एवं सूचनाओं को पढ़ने से जनसाधारण को उस का आशय समझ में नहीं आता। उस क्षेत्र की जनता के व्यवहार में आने वाली भाषा का प्रयोग ही जनसाधारण के लिए उपयोगी हो सकता है। जनसाधारण से संबंधित कार्यों में लोक-प्रचलित सरल शब्दों से युक्त भाषा की आवश्यकता होती है। लोक-व्यवहार की भाषा प्रशासन की भाषा तो नहीं हो सकती, परंतु कठिन लगने वाले पारिभाषिक शब्दों के बदले सरल एवं क्षेत्रीय प्रचलन के शब्दों का प्रयोग ज्यादा उपयोगी होगा।

□

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण और राजभाषा हिन्दी

डा ओम प्रकाश*

बैंक, रेलवे और शिक्षा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों का सीधा संबंध जनसाधारण से होता है इसलिए इनके निष्पादन में कम लागत पर और अधिक क्षमता पाने का प्रयास रहता है। 45 वर्ष पूर्व परमाणु बम से नष्ट हिरोशिमा के देश जापान ने सर्वतोन्मुखी प्रगति की है। वहां औद्योगिकीकरण और बैंकिंग उत्कृष्ट कोटि के हैं। वहां कंम्यूटरों का प्रयोग सभी कार्यालयों और उद्योगों में प्रारम्भ से ही जापानी भाषा में किया गया। जापान के सभी बैंकों में लेखा-जोखा जापानी भाषा में ही रखा जाता है। जन-सामान्य से संबंधित सभी कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कंम्यूटरों पर जापानी भाषा में संसाधन करने वाले आवश्यक साफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं। भारत में अच्छी सेवा देने के उद्देश्य से बैंकों में अधिक नियुक्तियां की गयीं। लेकिन आंकड़ों और सूचनाओं की पारस्परिक निर्भरता के कारण ज्यों-ज्यों काम बढ़ता जाता है त्यों-त्यों सूचनाओं का समग्र रूप से विश्लेषण करके उपयोगी निष्कर्ष निकालने में जटिलता बढ़ती जाती है। बैंक के अधिकारी की मानवीय क्षमताएं सीमित होती हैं जो कार्य निष्पादन में गति को अधिक बढ़ने नहीं देती समय की बचत करने और गति को बढ़ाने के प्रलोभन में त्रुटियां बढ़ने लगती हैं। मानव मस्तिष्क थकता है और गलतियां होने लगती हैं।

इस प्रकार बैंकों की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं :—

1. सेवा:—जन-सामान्य के लिए सेवा को बेहतर बनाना, और

2. सूचना-विश्लेषण : बैंक संबंधी बहु आयामी सूचनाएं जल्दी से जल्दी विश्लेषण और दैनिक प्रतिवेदन।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यंत्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। बैंक में सूचना संसाधन के लिए कंम्यूटर का प्रयोग और बैंकों के बीच लेन-देन संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर और कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में बैंकों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक मानक प्रस्तावित करती है। बैंकों में कम्प्यूटर के प्रयोग को लेकर बैंक कर्मचारियों में उनके निकाले जाने और नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की शंका पैदा होना स्वाभाविक था। इस विषय पर कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच समझौता हुआ जिससे कंम्यूटर का प्रयोग अत्यावश्यक बैंक कार्यों के लिए ही किया जाए। इस संदर्भ में रंगाराजन समिति की रिपोर्ट उल्लेखनीय है जिसमें उन कार्यों की सूची दी गई है जिनमें आंकड़े (डाटा) की मात्रा अधिक हो और जिन्हें कुंजी-पटल में टाइप किया जाए और जिनमें ग्राहक से सीधे संपर्क साधने की आवश्यकता न हो। इन कार्यों में कुछ इस प्रकार हैं—जमाराशि (क्रेडिट), भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा वापसी (रिर्टन), कार्मिक सूचना प्रणाली, नकद/निवेश प्रबंध, चालू/बचत खाता, सावधि जमा, जनरल लेजर इत्यादि।

भारतीय बैंकों में 1990–95 में कंप्यूटरों की मांग इस प्रकार अनुमानित है—

	सुपर कंप्यूटर	बड़े कंप्यूटर	मिनी कंप्यूटर	पर्सनल कंप्यूटर
बैंक एवं वित्त क्षेत्रों में मांग	—	85	850	52,000
कुल मांग सभी क्षेत्रों में	24	750	9,300	10,00,000
(कुल योग का प्रतिशत		(11.3)	(9.1)	(5.2)
औसत मूल्य प्रति कंप्यूटर	8 करोड़ रु.	2 करोड़ रु.	15 लाख रु.	50,000 रु.
भारत में उत्पादन (प्रतिशत में)	60	(80–85)	(90–95)	(100)

*संयुक्त निदेशक, इलैक्ट्रानिकी विभाग, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.–12015/12/84 राजभाषा (वं–1) दिनांक 30 मई, 1985 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और इनके अधीनस्थ कार्यालयों में खरीदे जाने वाले सभी कंप्यूटरों और इलेक्ट्रानिकी टेलिप्रिंटरों में द्विभाषी सूचना संसाधन की सुविधा हो । इस ज्ञापन से बैंक भी प्रभावित हुए और सूचना विश्लेषण के लिए आधुनिकीकरण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले सीमित क्षमता वाले ए.एल.पी.एम. कंप्यूटरों पर 1988 तक द्विभाषिक संसाधन क्षमता की अनिवार्यता से छूट पाने के लिए राजभाषा विभाग को कहा । 1987–88 में इस संबंध में कई बैठकें हुई । जिनमें राजभाषा विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग, सी.एम.सी., ई.सी.आई.एल., संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि और कुछ विशेषज्ञों ने भाग लिया।

ए.एल.पी.एम. क्या है ? ए.एल.पी.एम. पर्सनल कंप्यूटर पर आधारित एडवान्सड लेजर पोस्टिंग मशीन है । जिन पर कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के अनुसार कुछ चुनिन्दा अनुप्रयोग साफ्टवेयर पैकेज होते हैं, जो रंगराजन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित काम को कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त इन्हें अन्य किसी सामान्य प्रयोग के लिए काम में नहीं लाया जा सकता । इन मशीनों को खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 निर्माताओं को चुना है जैसे––ब्लू स्टार, डी.सी.एम., ई.आई.के.ओ., ई.एस.पी.एल., हिन्दीट्रान, एच.सी.एल., आई.सी.आई.एम., आई.डी.एम., माइक्रोनिक्स, माईक्रोसेंस, ओ.आर.जी., पी.एल.आई., अप्ट्रान, ऊषा, विप्रो, जेनीथ, टी.ई.सी.पी.एल., सी.पी.एल. आई.सी.एस.पी.एल. और जय इलेक्ट्रानिक्स।

प्रारंभ में कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनों का ही मानकीकरण नहीं किया गया था । इसलिए 1450 मशीनें 8 बिट माइक्रो कंप्यूटर पर आधारित हैं और शेष 16 बिट माइक्रो-कंप्यूटर पर आधारित हैं। मुख्य स्मृति 64 किलो से 256 किलो (किलो-1000) बाइट प्रस्तावित थी । विनचेस्टर और फ्लापी डिस्क ड्राईव की सुविधा हो सकती है। बैंकों के प्रधान कार्यालयों में मेनफ्रेम कंप्यूटर, क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में मिनी कंप्यूटर और शाखा स्तर के बैंक कार्यालयों में एडवान्सड लेजर पोस्टिंग मशीन जो वस्तुतः माइक्रो कंप्यूटर हैं, लगाये जाने प्रस्तावित हैं। 1987 में लगभग 4000 ए.एल.पी.एम. मशीनें लगाई गईं। सितम्बर 1989 तक 5700 मशीनें लगाने की योजना थी ।

राजभाषा विभाग के अनुसार इन सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी सूचना संसाधन की सुविधाएं होना अनिवार्य है ।

राजभाषा विभाग के द्वारा आयोजित अंतरविभागीय बैठकों में चर्चाओं के बाद यही निष्कर्ष निकाला गया कि भविष्य में खरीदी जाने वाली एडवान्स लेजर पोस्टिंग मशीनें द्विभाषी हों । मितव्ययता को ध्यान में रखकर पहले चरण में "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में लगाई जाने वाली मशीनें द्विभाषिक हों। इसके बाद "ग" क्षेत्र में आवश्यकतानुसार द्विभाषिक सूचना संसाधन सुविधा उपलब्ध कराएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एडवान्सड लेजर पोस्टिंग मशीन की विशेषताएं इस प्रकार निर्देशित की हैं––16 बिट आई.बी.एम.पी.सी.-ए.टी. अनुसंगत मशीन––इस पर काम के अनुसार 256 के.बी. (के.-1000) रैम स्मृति हो; हर्क्यूलस अथवा एम.जी.ए.कार्ड और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।

एडवान्स्ड लेजर पोस्टिंग मशीनों में 8 बिट की मशीनों पर सी.पी.एम. (CPM) आपरेटिंग और अन्य पर एम.एस. डास (MS, DAS) आपरेटिंग सिस्टम, सी.पी.एम. ऑपरेटिंग सिस्टम, पर आधारित मशीनों पर हिन्दी में संसाधन के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर उपलब्ध न होने के कारण इन्हें द्विभाषी बनाना संभव नहीं है ।

द्विभाषी मुद्रण के लिए बिन्दु मुद्रक (डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर) प्रस्तावित है। उच्च गति के लाइन प्रिंटर के स्थान पर उच्च गति के मेट्रिक्स लाइन प्रिंटर लगाए जा सकते हैं । एक ऐसे ही लिपि मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर पर देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों में उच्चगति से मुद्रण संभव है ।

जहां तक द्विभाषिक सॉफ्टवेयर का प्रश्न है, दो समाधान दिशाएं स्पष्ट होती हैं–– हार्डवेयर से हिन्दी में सूचना संसाधन का प्रयोग संभव बनाने के लिए जिस्ट (ग्राफिक इंडियन सक्रप्ट टर्मिनल) कार्ड अथवा टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है । आई.बी.एम. पर्सनल कंप्यूटर से अनुसंगत पी.सी. (पर्सनल कंप्यूटर) पर जिस्ट कार्ड का प्रयोग करते हैं । इससे कंप्यूटर भाषाओं के अनुभाषक (कम्पाइलर) और इन्टरप्रेटर को बदले बिना हिंदी में आगम-निर्गम (इनपुट-आउटपुट) संभव होता है, बेसिक, कोबोल आदि भाषाओं में प्रोग्राम तैयार करते समय इनपुट-आउटपुट कथन देवनागरी में भी दिए जा सकते हैं । उत्पादकता उन्मुखी चौथी श्रेणी की प्रोग्राम भाषाओं जैसे डीबेस, लोटस, स्प्रैडशीट आदि में भी इनपुट-आउटपुट कथन देवनागरी अथवा अन्य भारतीय लिपि में हो सकते हैं। बैंकों में कंप्यूटीकरण के संबंध में कुछ सामान्य प्रश्न उठाये जा सकते हैं जैसे––देश में जनशक्ति का अभाव नहीं फिर भी यंत्रीकरण क्यों? हिंदी के लिए उपयुक्त टैक्नोलॉजी कहां-कहां उपलब्ध हैं ? और इनका अनुमानित मूल्य क्या है ? हिन्दी में शिक्षण-प्रशिक्षण की क्या-क्या योजनाएं हैं ? इत्यादि इन्हें प्रश्नोत्तर के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:––

प्रश्न: 1 हमारे देश में जनशक्ति का अभाव नहीं है, फिर भी भारतीय भाषाओं में यन्त्रीकरण क्यों ?

उत्तर: 1 यन्त्रों का विकास कम लागत पर अधिक उत्पादन करने की दिशा में आवश्यक बना। औद्योगिकीकरण पश्चिम देशों की प्रगति का प्रमुख औजार बना। इसी कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच दूरी बढ़ती गयी। परिणामस्वरूप विकसित देशों में जीवनस्तर सुधरता गया और यह विकासशील देशों के लिए लक्ष्य बनता गया।

विकसित देशों में यन्त्रों का विकास उनकी भाषा और संस्कृति के अनुकूल हुआ। विकासशील देशों में इसे प्रयोग में लाकर कुछ उत्पादन तो बढ़ा लेकिन जनसामान्य के द्वारा इसे अपनाए जाने और आगे विकास की प्रक्रिया में इसकी भागीदारी की दिशा में सफलता नहीं मिल पाई।

यन्त्रों के प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि यन्त्रों के विकास और प्रयोग-संवर्धन की प्रक्रिया में जनसामान्य की भागीदारी बढ़ायी जाये जिससे विकास के नए आयाम खुलें, नए नए कार्यक्षेत्र विकसित हों। जिसमें अधिक से अधिक जनशक्ति को जुटाया जा सके और सबके समन्वित प्रयास से जनसामान्य का जीवनस्तर ऊपर उठाया जा सके।

यह सच है कि यन्त्रों के प्रयोग से कम से कम जनशक्ति को लगाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार एक विशेष परिस्थिति में उत्पादन की प्रक्रिया में यन्त्रीकरण से कम जनशक्ति की आवश्यकता होगी और यह कमी बेरोजगारी बढ़ने का द्योतक मालूम पड़ती है। लेकिन विचार करने पर हम पाते हैं कि यन्त्र के निर्माण और प्रयोग से सम्बन्धित पदार्थों और कल पुर्जों के निर्माण के नए उद्योग क्षेत्र विकसित होते हैं। इस प्रकार रोजगार के नए अवसर विस्थापित रोजगार की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं।

समय की बचत मनुष्य को कल्पनाशील बनाती है और इस प्रकार नवीन आविष्कारों का जन्म होता है। हां, इसमें राष्ट्रीय योजना का भी बहुत महत्त्व है, जिससे स्वदेशी विकास को निरन्तर बढ़ावा मिले और आयात को कम से कम किया जाये।

प्रश्न: 2 द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर कौन बना रहा है, और इनका कितना मूल्य है ?

उत्तर: 2 अब तक मैकेनिकल टेलीप्रिंटर केवल हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. मद्रास में ही बनाए जाते थे। यह उपक्रम दूर-संचार विभाग के अन्तर्गत है। सन् 1983 से इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाए जाने के लिए पहल की गई और 1988 से द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर हि.टे.लि. मद्रास से उपलब्ध होने लगे हैं। इसके अतिरिक्त एन.आई.टी.ई.एल. (निटेल) भोपाल, सी.एन.सी. और टाटा वरोज लि. में भी द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर तैयार किए जाते हैं।

एच.टी.एल से इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर लि. को लीज के आधार पर दिया जाता है, इनका अनुमानत. मूल्य लगभग 1.5 लाख हैं।

प्रश्न 3: कंप्यूटरोन्मुखी प्रशिक्षण प्रोग्राम क्या-क्या हो सकते हैं ? और इनके लिए सिखाने वाले कहां से मिल सकेंगे ?

उत्तर 3:—हिन्दी के माध्यम से कंप्यूटरोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के हो सकते हैं। सर्टिफिकेट स्तर पर शब्द संसाधन, डेटाकोश प्रबंधन और प्रोग्रामन भाषाओं (बेसिक, सी. कोबाल आदि) पर दो से चार सप्ताह के कम अवधि के कोर्स दिए जा सकते हैं। लघु उद्योग, और सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों और कॉलेज के शिक्षकों के लिए इस प्रकार के छोटे कोर्स उपयोगी होंगे। डिप्लोमा स्तर पर वर्ष के डी.सी.ए. प्रोग्राम में कई संस्थाओं के स्नातक प्रवेश पा सकते हैं। डी.सी.ए. में उत्तीर्ण छात्रों की मांग उद्योगों और कार्यालयों में बढ़ती जा रही है। डिग्री स्तर पर तीन वर्षीय एम.सी.ए.।

प्रोग्राम संभव है इसे एक वर्षीय डी.सी.ए. का विस्तार कार्यक्रम माना जा सकता है। अभी तक केवल एक ही संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद/मद्रास में हिन्दी के माध्यम से एम.सी.ए. कार्यक्रम आरंभ किया है। इस प्रकार के नये शिक्षण कार्यक्रम के लिए शिक्षा मंत्रालय से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर लेना आवश्यक है अन्यथा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना आवश्यक है उचित अवसर पाने में कठिनाई हो सकती है।

डिग्री स्तर पर बी.एड. और एम.एड. स्तर प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्रामों में कंप्यूटर सहित शिक्षण कोर्स शुरू करने की सिफारिश इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त समिति ने की है इस नए कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा शिक्षण के बी.एड. स्तर के पाठ्यक्रम में लगभग 50 घंटे का कंप्यूटर से शिक्षण विषय रखने का प्रस्ताव है। इसे शैक्षिक टैक्नोलॉजी अथवा कार्यान्वयन के स्थान पर रखा जा सकता है। भाषा शिक्षण पर एम.एड. स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञता धारा के रूप में लगभग 200 घंटे का कंप्यूटरसहित प्रशिक्षण प्रोग्राम के विषय रखे जा सकते हैं। आशा है कि कंप्यूटर कोर्स (शिक्षण) जैसे विषयों के जुड़ जाने से भाषा के शिक्षक कंप्यूटर को रहस्यमयी वस्तु नहीं मानेंगे और इसे कक्षा में सुविधानुसार शिक्षण पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग कर सकेंगे; साथ ही विश्लेषण एवं शोध का स्तर भी काफी ऊंचा उठेगा और अधिक समाजोपयोगी बन पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर पर अभ्यास करने से समस्या को संरचनात्मक रूप से समझने, तथ्यों को व्यवस्थित रखने और नियोजन जैसे कौशल विकसित होते हैं। ये कौशल भाषा शिक्षण पद्धति एवं भाषा शोध की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। □

भारतीय कथासाहित्य (तेलुगु-हिन्दी): ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सन्दर्भ

□प्रो. एजी. सुन्दर रेड्डी*

भारतवर्ष अनेक भाषाओं, धर्मों, विचारधाराओं, जीवन-प्रणालियों और सांस्कृतिक परंपराओं से संपन्न विशाल देश है। भारत की विभिन्न भाषाओं में सृजित साहित्य प्राचीनता, वैविध्य गुण और परिमाण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। भारतीय वाङ्मय अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त एक ही विचार है। भारती संस्कृति की एकता असंदिग्ध है। भारतीय चिंताधारा को रागात्मक चेतना के उद्घाटन के लिए भारत-वर्ष के विभिन्न भाषा साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में करना अनिवार्य है।

तेलुगु और हिन्दी जन्म से भिन्न भाषा-परिवारों के होते हुए भी भाषा का उद्भव, साहित्य का विकास और समृद्धि, विषयवस्तुगत एवं रागात्मक चेतना की दिशा में कई समानताएं रखती हैं। तेलुगु और हिन्दी में भाषा और साहित्य का उद्गम लगभग एक ही समय हुआ था। आधुनिक हिन्दी और तेलुगु साहित्य का उदय भी लगभग एक ही समय में होने के कारण इन दोनों वाङ्मयों की प्रवृत्तियों में भी पर्याप्त समानता स्पष्टतः परिलक्षित होती है।

भारत की कथा-परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक, उपनिषदीय तथा पौराणिक कथाओं से लेकर नीति-प्रधान कथाओं की दिशा में विकास-क्रम दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारतीय कथा परंपरा से 'कहानी' को अलग करके उसे एक निश्चित साहित्यिक विधा के रूप में रूपान्तरित करने का श्रेय पाश्चात्यों को मिला है। वहां से विभिन्न भारतीय भाषा-साहित्यों में कहानी पहले अनुवादों के माध्यम से, बाद में मौलिक रूप में जम गई। हिन्दी तथा तेलुगु में आधुनिक कहानी का उद्भव बीसवीं शती के आरंभिक दशक में होने पर भी उसके पूर्व से ही इनके लिए पृष्ठभूमि तैयार होती आई है। अठारहवीं शती में हिन्दी तथा तेलुगु में पटकथाओं का निर्माण होता था। उन्नीसवीं शती में गद्य के विकास के साथ-साथ कहानी के स्वरूप का निर्माण होने लगा था। सन् 1910 ई. में प्रकाशित श्री गुरजाड अप्पाराव की "दिद्दुबाटु" (सुधार) शीर्षक कहानी ही तेलुगु की सर्व-प्रथम कहानी है। सन् 1901 ई. में "छत्तीसगढ़ मित्र" नामक पत्रिका में प्रकाशित श्री माधवराव सप्रे की कहानी "एक टोकरी भर मिट्टी" हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। हिन्दी तथा तेलुगु की कहानियां बीसवीं शती के आरंभ में अवतरित हुई और प्रथम दशक तक पहुंचते अपने रूप को निखारती और संवारती गई। इस शताब्दी के आरंभिक दशकों की हिन्दी-तेलुगु कहानियों के पीछे राजनीतिक व धार्मिक चेतना की अपेक्षा समाज सुधार की भावना अन्तः प्रेरणा के रूप में विद्यमान रहने के कारण उन्नीसवीं शती की कथा रचनाओं की सामाजिक तटस्थता समाप्त होकर कहानी का इतिवृत्त समाज सापेक्ष बन पड़ा है। इस दशा में हिन्दी और तेलुगु कहानी को उत्तरोत्तर विकसित करने तथा लोकरुचि के अनुकूल मोड़ने के पीछे तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवधि की कहानियों में चर्चित सामाजिक याथार्थ के साथ-साथ समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक वातावरण के भी विभिन्न संकेत पाए जाते हैं। संयोग तत्त्व का समावेश इस अवधि की हिन्दी तथा तेलुगु की कहानियों में देखा जा सकता है। इस अवधि की हिन्दी तथा तेलुगु कहानियों में विकासात्मक प्रवृत्तिमूलक एवं कलात्मक समानताएं अधिक पाई जाती हैं, विषमताएं कम। विधवा-विवाह, दहेज-प्रथा का खंडन, नारी-उद्धार, हरिजनोद्धार आदि आन्दोलनों का प्रतिफलन हिन्दी तथा तेलुगु की कहानियों में समान रूप से देखा जा सकता है। हिन्दी में जयशंकर प्रसाद तथा आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने जिस तरह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का चित्रण किया है उसी प्रकार तेलुगु में वेलूरि शिवराम शास्त्री, मोक्कपाटी नरसिंह शास्त्री मूनिमाणिक्यम् नरसिंह राव, अडविबापिराजु, श्रीपाद सुब्रह्मन्य

* विद्यानगर, विशाखापत्तनम

शास्त्री तथा विश्वनाथ सत्यानारायण ने आन्ध्रों की संस्कृति एवं सभ्यता के चित्रण में अधिक रुचि ली है । इन कहानीकारों में जीवन के प्रति आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दृष्टिकोण [redacted] हास्यप्रधान कहानियों की भी रचना हुई है । हिन्दी के जी.पी. श्रीवास्तव, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और तेलुगु के श्री मुनिमाणिक्यम तथा भमिडिपाटा कामेश्वर राव में अपनी कहानियों में शिष्ट हास्य का प्रयोग किया है । वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से इस शताब्दी की आरंभिक हिन्दी-तेलुगु कहानियों में समानताएं अधिक मात्रा में पायी जाती हैं ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् हिन्दी तथा तेलुगु की कहानी समाज के अधिक निकट आयी और प्रगतिवादी दृष्टिकोण अधिक तीखे रूप में व्यक्त हुआ । गांधीवाद से प्रभावित होकर हिन्दी-तेलुगु कहानीकारों ने ग्रामीण पुनरूद्धार, अछूतोद्धार, देश की पराधीनता आदि समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया है । इस अवधि में जहां हिन्दी में मनोवज्ञानिक अनुभूतियां तथा यथार्थधारा की प्रेरक शक्तियां ही कहानी का रूपधारण करती आई हैं वहां तेलुगु में बुच्चिबाबु तथा राविशास्त्री की कहानियों को छोड़ शेष कहानियों में कथानक का विस्तार अधिक दिखाई पड़ता है । भारतीय जीवन की नैतिकता, अहिंसा, आदर्श एवं सांस्कृतिक सन्दर्भों के प्रति अज्ञेय तथा जैनेन्द्र का जितना आग्रह रहा है उतना बुच्चिबाबु तथा राविशास्त्री में दिखाई नहीं पड़ता । सन् 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का प्रभाव यशपाल, अश्क, रांगेय राघव जैसे हिन्दी कहानीकारों पर पड़ा है । इस समय के तेलुगु कहानीकार प्रगतिशील विचार-धाराओं से उतनी मात्रा में प्रभावित नहीं हुए । लेखिकाओं की स्वतंत्रतापूर्व हिन्दी-तेलुगु कहानियों में आदर्शवादी एवं धार्मिक प्रवृत्ति समाप्त होकर भावमूलक एवं यथार्थवादी प्रवृत्तियां विकसित हुई । स्वतंत्रतापूर्व हिन्दी तथा तेलुगु कहानी-साहित्य भारतीय साहित्यों में अन्तःसलिला की भांति विद्यमान विविधता में एकता की भावना को सिद्ध करने में सफल है ।

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी-तेलुगु कहानी के विकासपथ के विभिन्न मोड़ रहे । कहानीकारों ने अपने सामाजिक परिवेश को विविधता से उभारा था । स्वातंत्र्योत्तर तेलुगु कहानी-लेखन में सामाजिक चेतना के साथ राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव भी स्पष्टतः लक्षित होता है । प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानीकारों में "उग्र" भगवती चरणवर्मा, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, राधाकृष्ण, आदि की रचनाओं से हिन्दी कहानी-साहित्य सुसंपन्न हुआ है । स्वातंत्र्योत्तर तेलुगु कहानीकारों में कोडवटिगंटी कुटुंबराव गोपीचंद, जी.बी. कृष्णराव, पालगुम्मी पद्मराजु, बुच्चिबाबु, राविशास्त्री, इच्छापुरपु जगन्नाथ राव, चलसानि प्रसादराव, बलिवाडा कांताराव, मल्लादि वेंकट कृष्णमूर्ति आदि प्रमुख है । स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् समाज के नए जीवन मूल्यों, परिस्थितियों तथा विचारधाराओं का सम्यक् चित्रण आलोच्य कहानियों में पाया जाता है । इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् दोनों भाषाओं में मात्रा और महत्ता की दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियों की सूचि काफी लम्बी है । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भों में इस लोकप्रिय विधा कॉ उपलब्धियों का इस सीमित परिसर में सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अत्यंत दुष्कर है । भारत में अंग्रेजी शासन काल में ही उपन्यास साहित्य के विकास के अनुकूल गद्य का विकास हुआ है । गद्य साहित्य में उपन्यास एक नई विद्या के रूप में आया । हिन्दी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवासदास कृत "परीक्षागुरू" माना जाता है, तो तेलुगु में श्री कंदुकूरि विरेशलिंगम् पंतुलु विरचित "राजशेखर चरित्र" । "परीक्षागुरू" की अपेक्षा "राजशेखर चरित्र" प्रौढ़ तथा उपन्यास-कला की दृष्टि से उत्तम उपन्यास माना जा सकता है । स्वतंत्रता-पूर्व हिन्दी उपन्यासों में समाज-सम्मत आचरण करने वालों के आदर्श-जीवन का चित्रण तथा विकृत संस्कारों और कुप्रथाओं के कारण होने वाले अनर्थों का खण्डन देखा जा सकता है । प्रेमचंद के "प्रतिज्ञा", "सेवासदन", "रंगभूमि", "निर्मला", "गबन" नामक उपन्यासों में सुधारों की आवश्यकता बड़े जोर से व्यक्त की गई है । कंदुकूरि वीरेशलिंगम के पश्चात् आन्ध्र उपन्यास-साहित्य की दिशा को एक तरह खींचनेवालों में चिलकमर्ति लक्ष्मीनरसिंह पंतुलु अग्रगण्य हैं । चिलकमर्ति ने कई सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं । इनके सामाजिक उपन्यासों में "रामचंद्र विजयमु" उल्लेखनीय है । हेमलता, अहल्याबाई, कर्पूर मंजरी आदि एतिहासिक उपन्यासों में चिलकमर्ति का मूल उद्देश्य हिन्दु संस्कृति के प्रति आदर भाव उद्भव करना है । हिन्दी के बाबु देवकी नंदन खत्री के समान तेलुगु के चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिंह ने जासूसी एवं ऐयाशी उपन्यास लिखकर पाठकों में उपन्यासों के प्रति विशेष रुचि पैदा की है । श्री उन्नव लक्ष्मीनारायण पंतुलु ने "मालपल्ले" । (हरिजन बस्ती) लिखकर उपन्यास-साहित्य में क्रांति पैदा की । समाज-सुधार एवं राष्ट्रीय जागृति से पूर्ण इस उपन्यास का अधिक प्रचार हुआ । इसी प्रकार के विषयों पर हिन्दी में प्रेमचन्द्र जी ने एक दर्जन के करीब श्रेष्ठ उपन्यास उपस्थित किए । जनता में जागृति पैदा करने में श्री गुडिपाटि वेंकटचलम् के उपन्यास अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । मैदानम, हंपी कन्यलु, शशिरेखा आदि चलम् के उत्तम उपन्यास हैं । श्री जयशंकर प्रसाद ने तीन ही उपन्यास लिखे, पर उनको कहानी, नाटक एवं काव्य की रचना में जो सफलता प्राप्त हुई, उस दृष्टि से देखा जाए तो उपन्यास की रचना में नगण्य है । फिर भी "कंकाल" और "तितली" का अपना अच्छा स्थान है । श्री भोगराजु नारायण मूर्ति ने "विमला देवी" और "चन्द्रगुप्त" नामक दो उपन्यास प्रस्तुत किए तेलुगु के विख्यात उपन्यासकारों में श्री विश्वनाथ

शेष पृष्ठ 27 पर

पण्डित बाबू विष्णु पराड़कर और हिंदी पत्रकारिता

□ मोहन चन्द्र मिश्र*

हिंदी में आज यदि "श्री", "सर्वश्री", "राष्ट्रपति", "लोकतन्त्र", "कार्रवाई", "वातावरण", "वायुमण्डल", "अन्तर्राष्ट्रीय", "मुद्रास्फीति" जैसे शब्द आम प्रचलन में हैं तो इसका लगभग सारा श्रेय हिंदी पत्रकारिता के आलोक स्तम्भ व हिन्दी भाषा व साहित्य के महान साधक पण्डित बाबू राव विष्णु राव पराड़कर को है। अर्थशास्त्र और राजनीति सम्बन्धी उनके चलाए सैकड़ों शब्द हिन्दी में आत्मसात हो चुके हैं। हिन्दी पत्रों की भाषा को उन्होंने जहां जनसामान्य के लिए उपयोगी बनाया, वहीं व्याकरण की दृष्टि से इसे समृद्ध किया। "मैं" तथा "को" के प्रयोग से सम्बन्धित उनके व्याकरण सिद्धांत आज भी बहुत प्रचलित और विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में पराड़कर जी की धारणा एकदम निर्भीक व स्पष्ट थी। शिमला साहित्य सम्मेलन (1938) में उन्होंने हिन्दी भाषा सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था :—

> "इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी के आधुनिक साहित्य के निर्माण के लिए ऐसी भाषा उपयुक्त है, जिसका परम्परागत सम्बन्ध संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से है, जिसकी शक्ति कबीर, तुलसी सूर, मलिक मुहम्मद जायसी, रहीम, रसखान और हरिश्चन्द्र की कृतियों से आई है, जिसका मूलाधार देशी और तद्भव शब्दों का भण्डार है और जिसके पारिभाषिक शब्द प्राकृत अथवा संस्कृत के क्रम पर ढले गए हैं, किन्तु जिसमें विदेशी, रूढ़, सुलभ और प्रचलित शब्दों का भी स्थान है।"

पराड़कर जी की गणना हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चले आन्दोलन के प्रमुख कर्णधारों में की जाती है। उन्होंने व्याकरण का गहन अध्ययन किया था और हिन्दी के व्याकरण के सम्बन्ध में उन की अनेक मौलिक मान्यताएं थीं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और प. महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह वे हिन्दी भाषा को पूरी तरह व्याकरण सम्मत बनाना चाहते थे। हिन्दी गद्य को उन्होंने नई शैली दी और नए-नए शब्द देकर भाषा के भण्डार में वृद्धि की। नए शब्दों को ग्रहण करने के बारे में पराड़कर जी के विचार उल्लेखनीय हैं :—

> "शब्द मूलतः चाहे जिस भाषा के हों पर जब हम उन्हें लें, उन्हें अपना सा बनाकर लें अर्थात् उनकी ध्वनि हमारी भाषा की ध्वनि से मिलती-जुलती हो। मूल ध्वनि की रक्षा का यत्न केवल व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी है। यह बात केवल अरबी-फारसी के ही नहीं, संस्कृत के शब्दों के बारे में भी है। इन्हीं शब्दों के संबंध में दूसरी शर्त यह है कि ये हमारे व्याकरण के शासन में आ जाएं। हम शब्द अन्य भाषाओं से ले सकते हैं पर उनके लिंग और वचन सम्बन्धी रूपान्तर हमें उस भाषा के व्याकरण के नियमानुसार नहीं बनाने चाहिएं जिससे वे आए हों शब्दों को भाषान्तरित होने के साथ-साथ व्याकरणन्तरित भी होना चाहिए।"

हिन्दी पत्रकारिता को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय पराड़कर जी को जाता है। राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान करने की नीयत से वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे लेकिन अपनी प्रखर प्रतिभा के बलबूते पर उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता को असीम ऊंचाइयां प्रदान कीं उन्हीं के शब्दों में "पत्रकारिता मैंने अपनाई नहीं, मेरे गले पड़ी। सन् 1905 में कांग्रेस बनारस में हुई थी। इसी अवसर पर लोकमान्य तिलक के दर्शन और निकट सम्पर्क का सौभाग्य मिला था · · · · देश को स्वाधीन देखने की आकांक्षा के कारण ही मैंने डाक-तार विभाग की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र आने पर भी वहां जाना अस्वीकार कर दिया · · · · · ।"

पराड़कर जी 1906 में 23 वर्ष की आयु में पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे। वे कलकत्ता में गुप्त समितियों में काम करने के प्रयोजन से गए थे। वहीं उन्होंने "हिन्दी बंगवासी" में सहायक सम्पादक के रूप में आजीविका आरम्भ की। लेकिन

*डी-290, नेताजी नगर, नई दिल्ली-3

पत्र की अंग्रेज-परस्त नीति से असहमत होकर 1907 में "भारत मित्र" में संयुक्त सम्पादक बने । काशीनरेश श्री शिव प्रसाद जी गुप्त ने जब दैनिक "आज" के प्रकाशन का निश्चय किया तो उनके आग्रह पर वे काशी पहुंच गए और श्री प्रकाश

[redacted]

माध्यम से अपनी विद्वत्ता का आलोक बिखेरते रहे। 1945 में उन्होंने पुनः "आज" के प्रधान सम्पादक का दायित्व संभाला और 1955 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व तक उससे जुड़े रहे । इसके अतिरिक्त "कमला" "रणभेरी" आदि भूमिगत क्रांतिकारी पत्रों के सम्पादन और काशन से भी वे सम्बद्ध रहे ।

पराड़कर जी के सम्पादकत्व में "आज" ने राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वाधीनता संग्राम में जो योगदान किया, वह अभूतपूर्व एवं चिरस्मरणीय है। श्री शिवप्रसाद गुप्त ने उन्हें "आज" की नीति-निर्धारण के लिए विचार-विमर्श हेतु लोकमान्य तिलक के पास पुणे भेजा था । अतः स्वाभाविक था कि पत्र की नीतियां राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत रहतीं । निर्भीक राष्ट्रीय नीति और अंग्रेजी सत्ता की कटु आलोचना के कारण उनको कई बार अंग्रेजी सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। परन्तु पराड़कर जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे दमन की धज्जियां उड़ा कर रख दीं । स्वतंत्रता संग्राम काल में कुछ समय तक "आज" का प्रकाशन बन्द होने के बावजूद व "रणभेरी" के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम का मार्ग-दर्शन करते रहे । अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दमन और साम्राज्यवाद का खुला विरोध किया ।

पराड़कर जी ने अपने सम्पादकीय लेखों के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पुनरुत्थान और प्रगति के लिए सुझाव दिए जो न केवल तत्कालीन समाज के लिए प्रेरणास्रोत थे वरन् आज सम्यक् रूप से उपयोगी हैं । किसी भी प्रश्न पर तत्काल विचार एवं लेखन उनकी लेखनी का चमत्कार था । मुद्रा और अर्थ, सामाजिक समस्याएं साहित्य तथा चारित्रिक निर्माण अग्रलेखों के मुख्य विषय रहे । समस्याओं की गम्भीरता को समझने के साथ ही उन्होंने उनका समाधान भी प्रस्तुत किया ।

पत्रकारिता के व्यवसाय की पवित्रता के संबंध में उन्होंने लिखा है—"पत्रकार का स्थान आधुनिक युग में बड़े महत्त्व का है । समाज के जीवन में जिन प्रश्नों पर उचित निर्णय की आवश्यकता होती है और जिन निर्णयों पर समाज का जीवन अन्त में निर्भर करता है, उसके बारे में जनता को योग्य जानकारी कराना, उसके सम्बन्ध में जनमत का निर्माण और नेतृत्व करना, उस मत को प्रकट करना तथा उससे अधिक लाभ जनता को पहुंचाना एक आदर्श पत्रकार का कर्तव्य है । ——सच्चे भारतीय पत्रकार के लिए पत्रकारिता केवल एक कला या जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वह कर्तव्य साधन की एक पुनीत वृत्ति भी होनी चाहिए ।" पत्रकारिता में व्यवसायिकता की घुसपैठ के प्रति उन्होंने सचेत किया था, दुर्भाग्यवश उनकी आशंका आज अक्षरश: सत्य सिद्ध हो रही है ।

हिन्दी को अनुवाद की भाषा बनाए जाने के वे विरोधी थे । हिन्दी की मूल प्रवृत्ति पर उनकी पकड़ उनके लेखों से स्पष्ट है । उन्होंने बंगला और मराठी शब्दों को हिन्दी में चलाए । अंग्रेजी के भी बहुत से शब्दों को लेकर उन्होंने हिन्दी के शब्द भंडार की वृद्धि की। नागरीलिपि के विस्तार, उसके प्रयोग, लिपि सुधार, विभिन्न भाषाओं के शब्दों की ग्राह्यता तथा श्रेष्ठ ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे ।

पराड़कर जी हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्थान दिलाए जाने के प्रबल हिमायती थे । उन्होंने लिखा है :—

> "भारतीय राष्ट्रभाषा से हमारा मतलब उस भाषा से है, जिसके द्वारा इस देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के अधिवासी परस्पर राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक विचारों का आदान-प्रदान कर सकें । इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई अपनी मातृभाषा का त्याग करे केवल अन्तर-प्रान्तीय आदान-प्रदान और समस्त भारत से संबंध रखने वाले कार्य एक भाषा द्वारा हों । यही राष्ट्रभाषा होगी ।"

पत्रकारिता के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के साथ-साथ पराड़कर जी की साहित्य साधना भी उलेखनीय है । पत्रकारिता में काफी व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने कुछ साहित्य सृजन भी किया है। उन्होंने श्री मद्भगवद् गीता की टीका तथा भाषानुवाद किया । इसके अतिरिक्त श्री सखाराम गणेश देउस्कर की प्रख्यात बंगला कृति "देशेर कथा" के हिन्दी अनुवाद "देश की बात" में पूर्णतया मौलिक कृति सा आभास मिलता है । भारतेन्दु अर्द्धशताब्दी पर लिखे उनके सम्पादकीय में भारतेन्दू की जैसी समीक्षा उपलब्ध है, वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु युग की समीक्षा का आधार है ।

मई 1937 में पराड़कर जी ने प्रेमचन्द स्मृति अंक का सम्पादन किया था। "हंस" का यह अंक हिन्दी साहित्य के लिए स्थायी महत्त्व की सामग्री है । इस अंक में "प्रेमचन्द की कृति" शीर्षक से लिखा गया उनका लेख कथा साहित्य की समीक्षा का मानदण्ड माना जाता है । सन् 1921 से पराड़कर जी ने "आज" में प्रेमचन्द की कहानियां प्रकाशित करनी शुरू कर दी थी ।

पराड़कर जी ने साहित्य ही नहीं, साहित्यकारों का भी निर्माण किया । हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथाकार

पाण्डेय बेचेन शर्मा "उग्र" को साहित्य जगत में लाने का श्रेय उन्हें ही हैं। स्वयं उग्र जी ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है –"श्रद्धेय पराड़कर जी ने मुझे संभाला, सुधारा, रास्ते से लगा दिया और कितनी दिक्कतें उठा कर बरसों नित्य अमूल्य समय लगाकर, अग्रलेख और टिप्पणियां लिखना रोककर वे मेरी कहानियां, कविताएं, चुटकुले, एकांकी आदि शुद्ध करते, बढ़ावा देते," आचार्य शिवपूजन सहाय, डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, अनन्त शास्त्री फड़के, जयचन्द्र विद्यालंकार, मुकुट विहारी वर्मा आदि जैसे महान साहित्यकारों ने अपने लेखन पर पराड़कर जी के प्रभाव को स्वीकार किया है ।

निःसन्देह हिन्दी पत्रकारिता और विशेष रूप से साहित्यक पत्रकारिता के क्षेत्र में पण्डित विष्णुराव पराड़करजी का बहुमुखी योगदान अविस्मरणीय है । उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा––"पराड़कर जी का स्थान आधुनिक हिन्दी गद्य के निर्माताओं में प्रमुख है । हिन्दी की जो अपूर्व सेवा उन्होंने की है । वह सदा याद की जाएगी ।" डा. राम मोहन पाठक के शब्दों में––"स्वतंत्रता आन्दोलन में पत्रकारिता के माध्यम से अपने योगदान के अतिरिक्त हिन्दी पत्रकारिता की भाषा के संस्कार और पत्रकारिता में साहित्यिक विषय वस्तु के समावेश की दृष्टि से उनकी प्रतिभा आज भी हिन्दी पत्रों के सम्पादकों के लिए उपयोगी और अनुकरणीय है ।" □

पृष्ठ 25 का शेष

सत्यनारायण, श्री अडिवि बापिराजु, श्री नोरि नरसिंह शास्त्री, श्री बुच्चिबाबु, श्री कोडवटिगंटि कुटुम्बराव, गोपीचन्द, श्रीमती मल्लादि वसुन्धरा, रेकपूडी कौसल्यादेवी, यद्दनपूडी सुलोचना-राणी, मादिरेड्डी सुलोचना राणी, येंडमूरी वीरेन्द्रनाथ, नागबैंक कोटिश्वरराव् इन्छापुरप रामचंद्रराव, इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी के अन्य उपन्यासकारों में भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद-वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, उदयशंकर भट्ट, यशपाल, नागार्जुन, रांघेय राघव, जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, डा. देवराज, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहूल सांस्कृत्यायन, आदि प्रमुख है । तेलुगु में श्री बुच्चिबाबु और कुटंबराव मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने में सिद्हस्त हैं तो श्री गोपीचन्द समस्यामूलक उपन्यास। श्री विश्वनाथ सत्यनारायणजी ने 'वेयिपडगलु" नाम से एक हजार पृष्ठों का बृहद उपन्यास लिखा है । इसमें आन्ध्र देश का सम्पूर्ण चित्र तथा आन्ध्र संस्कृति और सभ्यता की झांकी मिलती है । ऐसा उपन्यास अभी तक हिन्दी में नहीं आया है । इनके अन्य उपन्यासों में "एकवीरा", चेलियालिकट्ट", "जेबुदोंगलु", "मां-बाबु", कडिमिचेटटु", "स्वर्गानिकिनिच्चेनलु,, आदि हैं । श्री अडिवि बापिराजु के उपन्यास ऐतिहासिक और भावात्मक भी हैं। इनके उपन्यासों में "नारायणराव", गोन गन्नारेड्डी", "जाजिमल्ले", "तूफान", कोनंगि", "हिमबिंदु", विख्यात हैं । "हिमबिंदु" छः सौ पृष्ठों का ऐतिहासिक उपन्यास है । "नारायणराव" का अनुवाद साहित्य अकादमी के लिए श्री रमेश चौधरी ने हिन्दी में रूपांतर किया है । श्री नोरि नरसिंह शास्त्री ने "नारायण भट्ट" "रूद्रमदेवी और "मल्लारेड्डी" नाम से तीन वृहत उपन्यासों की रचना की है, जिन में "रूद्रम देवी" का हिन्दी रूपांतर श्री बालशौरि रेड्डी ने, साहित्य अकादगी, दिल्ली के लिए किया है । बंगला और अंग्रेजी से सैकड़ों उपन्यास तेलुगु में अनुदित हुए हैं। हिन्दी से राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, जैनेन्द्रकुमार, भगवती चरण वर्मा इत्यादि के प्रमुख सभी उपन्यास तेलुगु में अनुदित हुए हैं। श्री भगवतीचरण वर्मा का "भूले बिसरे चित्र" तथा श्री रांगेय राघव का "कब तक पुकारू" आज के श्रेष्ठ उपन्यासों में गिने जाते हैं । नबोदित लेखकों के दर्जनों उत्तम उपन्यास दोनों भाषाओं में आए हैं और आ रहे हैं।

संक्षेप में यहां कहा जा सकता है कि हिन्दी तथा तेलुगु का कथा-साहित्य भारतीय संस्कृति की संवाहिका बनकर युग-चेतना की सारी अनुभूतियों, आवश्यकताओं, गुंजनों के साथ चलता हुआ उसकी स्वाभाविक परन्तु जोरदार अभिव्यक्ति देने में सर्वथा समर्थ हुआ है । आशा है, भविष्य में आलोच्य कथा साहित्य युग-चेतना से जागृत मानव की सारी अनुभूतियों को सुमनोज्ञ रूप से प्रतिबिंबित करने में अवश्य सफल होगा।

ब्राह्मी-लिपि

□बी. एस. दहिया*

आजकल हिन्दी भाषा व भारत की अन्य भाषाओं के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि को ब्राह्मी लिपि से उद्भूत कहते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस लिपि के जन्मदाता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। यह विचार कोई ऐसा अनूठा विचार भी नहीं है क्योंकि प्राचीन मिस्र में भी लिपि का जन्मदाता थोत् देवता को मानते हैं। बेबीलोन में भी नेबो देवता को लिपि का जन्मदाता मानते हैं।

भारत में सबसे प्राचीन लिपि सिन्धू घाटी की है किन्तु यह लिपि अभी तक अज्ञेय है और पढ़ी नहीं गई है, यद्यपि कुछ विद्वान इसको पढ़ने का दावा करते हैं। इन विद्वानों में मतक्य या विचार समानता नहीं है। कुछ विद्वान जिनमें असको, परपोला मुख्य हैं, सिन्ध लिपि को प्राचीन द्रविड़ भाषा से जोड़ते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का विचार है कि इस लिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है।

ब्राह्मी लिपि में सबसे प्राचीन लेख सम्राट अशोक (272 से 232 ई.पूर्व) के शिलालेखों के रूप में मिलते हैं और इन शिलालेखों में सम्राट अशोक ने इस लिपि को "धम्म लिपि" (धर्म-लिपि) कहा है। जिस प्रकार सम्राट अशोक के शिलालेखों में "धम्म-लिपि" कहा गया है, उसी प्रकार उन में भारत को भारत न कह कर जम्बूद्वीप कहा गया है। यह संभवतः इस कारण-वश है क्योंकि अशोक साम्राज्य में न केवल आधुनिक भारत का लगभग सारा भाग सम्मिलित था बल्कि उसमें आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे ऊपर मध्य-एशिया का बहुत सा भाग था, जिसमें कूची, अग्नि, खोतन आदि मुख्य राज्य थे। इन प्रदेशों में ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं कि यह सब प्रदेश अशोक साम्राज्य के भाग थे और अशोक के पुत्र, विशेषकर उसके पुत्र कुणाल, ने वहां राज्यवंश स्थापित किए थे, जो बहुत सदियों तक चलते रहे। ईसा की नौवीं शताब्दी तक इन मध्य-एशिया के राज्यों में प्राकृत ही सरकारी राजकाज की भाषा थी, जिसका स्थान बाद में तुर्की व अन्य भाषाओं ने ले लिया।

अशोक कालीन शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि समस्त उत्तरी भारत और सुदूर दक्षिण के कुछ भाग को छोड़ कर सारा दक्षिण भारत भी, उस समय ब्राह्मी लिपि का व्यवहार करता था और भाषा भी संस्कृत न हो कर प्राकृत/पाली थी। सम्राट अशोक ने जहां शेष समस्त भारत में अपने शिलालेखों के लिए एक ही "धम्म-लिपि" और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, वहीं पर उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अशोक ने स्थानीय लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे सम्राट अशोक ने मानसेहरा व शाहबाजगढ़ी के लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। कंदहार के पास अशोक के कुछ लेख आरमेई यूनानी (ग्रीक) लिपि में भी मिलते हैं।

स्पष्ट होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि प्रधान थी और कुछ जन-समुदाय आरमेई लिपि तथा यूनानी भाषा का प्रयोग भी करते थे। इस स्थिति के कुछ एतिहासिक कारण हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सिन्धु नदी का पश्चिम क्षेत्र बहुत समय तक ईरान के हखामनी साम्राज्य का भाग रहा था और क्योंकि उनकी लिपि आरमेई व खरोष्ठी थी इसलिए इन प्रदेशों में इन्हीं लिपियों का विस्तार हुआ। साथ ही, सिकन्दर के पश्चात् उसके यूनानी उत्तराधिकारी बैक्टा और अफगानिस्तान में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए और इन क्षेत्रों में उन्होंने यूनानी लिपि का ही प्रयोग किया। कुछ 200 वर्ष के इस इण्डो-ग्रीक शासन काल में सामाजिक स्तर पर भी यूनानी प्रभाव दृष्टि-गोचर हुआ है। इसका एक रोचक उदाहरण है, अटक के पास से मिला एक दान-लेख, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने माता-पिता की पुण्य-स्मृति में एक तालाब और एक कुंआं खुदवाया था। इस व्यक्ति का नाम हिपिया दहिया है। इस नाम से स्पष्ट होता है कि उस काल में जनता के कुछ भाग ने अपने निजी नाम भी यूनानी रख लिए थे। यूनानी भाषा का शब्द हिपिया, यदि संस्कृत में लिखा जाए तो अश्वपति होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कुल नाम, दहिया, भाषा के साथ परिवर्तित नहीं होता।

कुछ लेख ऐसे भी मिलते हैं, जिन्हें कतिपय पुराविदों ने अशोक के समय के पहले का माना है। गोरखपुर जिले के सहगौरा नामक स्थान से प्राप्त ताम्र-पत्र चन्द्र गुप्त मौर्य के समय का माना गया है। इसी प्रकार का एक लेख जिसे अशोक से पहले का मानते हैं, बांगला देश के महास्थान ग्राम से प्राप्त हुआ है। पिप्रावा स्थित बौद्ध स्तूप से एक धातु पात्र मिला है, जिस पर "·····सलिल निधाने बुधस भगवते ·····" लिखा है। ऐसा मत है कि बौद्ध स्तूप तथा धातु पात्र का निर्माण बुद्ध के निर्माण के तुरन्त बाद किया गया था और यह ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का लेख है। लंदन के ब्रिटिश संग्राहालय में एक बेबीलोनी फलक रखा हुआ है और यह फलक भी अति प्राचीन है और इस पर दो लिपियों में एक लेख खुदा हुआ है, जिसमें एक ब्राह्मी लिपि और दूसरी बेबीलोनी-कीलाक्षर लिपि है। ब्राह्मी लिपि में जो लिखा है, वह इस प्रकार है—अखज्ञराखनो औहम्यूंश्यः दधतु, अर्थात्, कोई वस्तु या सामग्री अखज्ञराख नगर के औहर्म्यू को दे दी जाए। कीलाक्षर लिपि में लेख का भी यही

*आयकर आयुक्त, जालंधर (पंजाब)

अर्थ है। इस द्विभाषी फलक से यह सिद्ध होता है कि बेबीलोन में भी कुछ भारतीय व्यापारी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे।

अशोक के कोई 200 वर्ष पश्चात् इस लिपि को बंभी या ब्राह्मी लिपि कहने लगे और न केवल भारत वरन् तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया और दक्षिण पूर्व एशिया की अधिकांश वर्तमान लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। यहां तक कि जापान की दो अक्षर मालाएं, जिन्हें हीराकाना और काता काना कहते हैं यें भी ब्राह्मी वर्णमाला के प्रभाव के अंतर्गत ही विकसित हुई हैं।

समस्त भारत में और विदेशों में भी जिस ब्रह्मी लिपि का प्रचार-प्रसार हुआ और जो 8वीं शताब्दी तक राज्य लिपि के रूप में थोड़े फेरबदल सहित प्रयुक्त होती रही, उसी को भारतीय पंडित और विद्वान 13वीं ईस्वी तक बिल्कुल भूल चुके थे। सन् 1356 ई. में दिल्ली का सम्राट फिरोजशाह तुगलक अशोक के दो स्तम्भों को टोपरा (जिला अम्बाला) और मेरठ से निकलवाकर दिल्ली लाया, जहां एक स्तम्भ को दिल्ली की पहाड़ी पर, जिसे रिज़ (RIDGE) कहते हैं, स्थापित किया। किन्तु यह एक बारूद के विस्फोट में टूट गया। दूसरा स्तम्भ फिरोजशाह कोटला में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। सम्राट फिरोजशाह तुगलक ने भारत के अनेक पंडितों को इन लेखों को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा ही प्रयत्न सम्राट अकबर ने भी इलाहाबाद स्थित अशोक के लेख को पढ़ने के लिए करवाया था। किन्तु दुःख की बात यह है कि तत्कालीन भारतीय पंडित व लिपिविद इन अपने ब्राह्मी भाषा में लिखे लेखों को पढ़ने में पूर्णतः असफल रहे। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यदि भारतीय विद्वानों ने, न केवल अपनी भाषा और लिपि वरण इसको अखिल भारतीय रूप देने वाले सम्राट अशोक को भी बिल्कुल भुला दिया था। विश्व के महानतम सम्राटों में से एक, सम्राट अशोक के नाम तथा इतिहास को पुनः प्रकाशमय करने का सौभाग्य अंग्रेज विद्वानों को ही मिला।

हमारे प्राचीन इतिहास को और ब्राहमी लिपि को पुनः जानकारी में लाने का श्रेय अंग्रेज़ विद्वानों को जाता है। एक अंग्रेज़ जो कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी था और एशियाटिक सोसाइटी का सेक्रेटरी भी, और जिसका नाम जेम्स प्रिन्सेप था, उसने सर्वप्रथम 1837 ई. में सांची स्तूप से प्राप्त दान-लेखों में ब्राह्मी लिपि को पहचाना और पढ़ा। उसने यह अनुमान लगाया कि जैसे आजकल भी मंदिरों आदि में लोग दान देने के बाद अपने नाम का दानपत्र पत्थर पर खुदवाते हैं, ऐसा ही लेख सांची के शिला-पट्टों पर भी होना चाहिए। अतः उसने अनुमान लगाया कि इन लेखों का अंतिम शब्द "दान" होना चाहिए और इस प्रकार द, न आदि अक्षरों का रूप सुनिश्चित हो गया। क्रमशः उसने शेष, अक्षरों को भी पहचान लिया और ब्राह्मी लिपि की पूरी वर्णमाला का उद्घाटन किया।

तत्पश्चात् इण्डो-ग्रीक शासकों के द्विभाषी सिक्के मिले जिन पर लेख, एक ओर ग्रीक लिपि में लिखा था और दूसरी ओर ब्राह्मी और खरोष्ठी में। इन द्विभाषी लेखों के आधार पर प्राचीन भारतीय वर्णमाला व लिपि को पुनः प्रकाशित किया

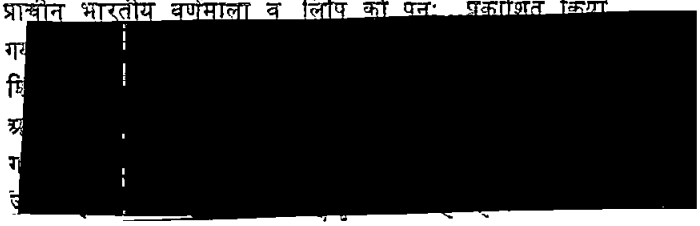

एक विशेष बात जो स्मरण रखने योग्य है वह यह है कि अशोक कालीन लिपि में अक्षरों के ऊपर रेखाएं नहीं होती थीं। इन पर रेखाओं का प्रचलन कोई चौथी सदी और उसके पश्चात् हुआ।

सम्राट अशोक के बाद शुंग काल में ब्राहमी लिपि का और विकास हुआ। उस काल में एक यूनानी राजदूत तक्षशिला से आया और उसने विदिशा (मध्य-एशिया) में एक गरूड़ध्वज स्थापित करवाया। इस यूनानी राजदूत का नाम हेलिओदोर था और वह महाराज अंतिलिकित का दूत था और भगवत् धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा पूर्व पश्चात् इन सरकारी लेखों की भाषा प्राकृत थी और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने का श्रेय सर्वप्रथम पश्चिमी भारत के शक राजवंशों को जाता है। महाक्षत्रप रूद्रदमन का गिरनार लेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में है। इसी काल में संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गये। इसी प्रकार गुप्त काल के जो लेख मिलते हैं, उनमें भाषा मुख्यतः संस्कृत है और साहित्य की दृष्टि से यह विशेष उच्च-कोटि की है। समुद्र गुप्त के प्रशस्ति लेख के कवि, हरिषेण ने संस्कृत काव्य में कालिदास आदि का पथ-प्रदर्शन किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूर्णतः वैज्ञानिक ब्राह्मी लिपि ने भारतीय राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा है। ऐसा ही हाल भारतीय अंकों का है जो दशमलव प्रणाली पर आधारित है और उसमें एक से नौ तक के अंक और "शून्य" का प्रयोग हुआ है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए। ईसा की 11वीं सदी में इन भारतीय अंकों का प्रयोग स्पेन आदि यूरोप के देशों में होने लगा, जहां अफ्रीका के अरबी लोग इन्हें ले गये थे और इसी कारण पश्चिमी जगत में इन्हें अरब के अंक (ARABIC NUMERAL) कहते हैं, इनको स्वयं अरब वाले हिन्दीसा या हिन्द के अंक कहते हैं। इस भारतीय लिपि व अंकों की अधिक जानकारी के लिए देखिए "गुणाकर मूले", द्वारा रचित (भारतीय लिपियों की कहानी) व "भारतीय अंकों की कहानी", जो राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। □

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की गूंज

* शंकर दयाल सिंह
संसद सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति

पिछले दिनों 15 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 1992 तक त्रिनिडाड-टुबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से श्री शंकरदयाल सिंह, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्य थे—सर्वश्री बच्चू प्रसाद सिंह, यशपाल जैन, राजेन्द्र अवस्थी, एवं श्रीमती डॉ. माजदा असद। प्रस्तुत लेख में श्री शंकरदयाल सिंह ने उक्त सम्मेलन का दिग्दर्शन पाठकों को कराया है। इस अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का शुभारम्भ त्रिनिडाड के राष्ट्रपति ने तथा उसका उद्घाटन वहां के प्रधानमंत्री ने किया। इस सम्मेलन में विश्व के 18 देशों के लगभग 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

—संपादक

"यह सम्मेलन सफल हो। आप सबों को धन्यवाद और नमस्कार", इन शब्दों के साथ 17 अप्रैल 1992 को भारत से हजारों मील की दूरी पर त्रिनिडाड-टुबैगो के प्रधान मंत्री श्री पैट्रिक मैनिंग ने पोर्ट ऑफ स्पेन में जब अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया तो 16 देशों के प्रतिनिधियों और कैरबियन देशों के हिन्दी प्रेमियों से खचाखच भरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में हिन्दी की महत्ता तथा त्रिनिडाड और टुबैगो के विकास में भारतीय मूल के लोगों की कठिनता को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की कि अगले वर्ष से त्रिनिडाड और टुबैगो के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई ऐच्छिक रूप से शुरू की जाएगी।

राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के संबंध में भले ही स्थिति कभी-कभी अस्पष्ट नजर आती हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय द्वार तक उसकी दस्तक अवश्य पहुंच गयी है। जिस भव्य और विशाल रूप में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसका वर्णन करना कठिन है। उसका अंदाजा इसी से हो सकता है कि त्रिनिडाड के राष्ट्रपति श्री नूर हसन अली ने 15 तारीख की शाम को सम्मेलन का शुभारंभ किया और उसका विधिवत् उद्घाटन वहां के प्रधान मंत्री श्री पैट्रिक मैनिंग के हाथों हुआ। इसके अतिरिक्त कैबिनेट स्तर के तीन मंत्रियों, त्रिनिडाड-टुबैगो के मुख्य न्यायाधीश एवं नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष ने भी दो दिनों तक उसमें हिस्सा लिया। अनेक संसद सदस्यों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने सक्रिय सहयोग से सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई।

त्रिनिडाड, वेस्टइंडीज का अंग है जो दक्षिण अमेरिका से सटा एक द्वीप है। इसके एक ओर वेनेजुएला और दूसरी ओर गयाना जैसे देश हैं। वेस्टइंडीज के देशों की बनावट एक है और हर देश में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी मात्रा में है। त्रिनिडाड की कुल आबादी 12 लाख है, जिसमें भारतीय मूल के लोग पांच लाख हैं। ये अपने को "भारत की संतान" कहने में गौरव अनुभव करते हैं और अपने धर्म और संस्कृति को पिछले डेढ़ सौ वर्षों से अपने सीने से लगाए हुए हैं।

सूरीनाम, मारिशस, तथा फीजी में धर्म और संस्कृति के साथ-साथ हिन्दी और भोजपुरी भी जीवित है, लेकिन त्रिनिडाड और गयाना में हिन्दी को योजनाबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले वहां के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई वैकल्पिक रूप से हुआ करती थी। बाद में उसे समाप्त करके फ्रेंच और स्पेनिश की पढ़ाई जारी की गई। उपनिवेशवाद को जीवित रखने के लिए हिन्दी की समाप्ति तथा अंग्रेजी का वर्चस्व आवश्यक माना गया। यही कारण है कि यद्यपि वहां के लोग आज भी अपने को हिन्दुस्तानी कहते हैं, लेकिन हिन्दी उनके लिए अनजान भाषा होती जा रही है।

* 15 रकाबगंज, नई दिल्ली-1

इसलिए जब 'हिन्दी निधि', त्रिनिडाड-टुबैगो, ने इस अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन की कल्पना की, तब निश्चय ही उसके दिमाग में यह बात रही होगी कि हिन्दी के ज्ञान के बिना भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रह पाना कठिन है। यह भावना अप्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन में हर ओर देखने को मिली।

सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए और उनमें से दो पर विशेष बल दिया गया। एक प्रस्ताव यह था कि त्रिनिडाड और टुबैगो के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई वैकल्पिक रूप से शुरू हो और दूसरा यह कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता मिले। जहां तक पहली मांग का प्रश्न है, वहां के प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हिन्दी की वैकल्पिक पढ़ाई अगले वर्ष से शुरू कर दी जाएगी। इसे सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता माना गया वैसे त्रिनिडाड संसद में विरोधी दल के नेता तथा भारतीयों के सबसे बड़े नेता श्री वासुदेव पांडेय ने यह कह कर इस आश्वासन की धज्जियां उड़ाईं कि यह वोट और चुनाव के लिए सरकार का एक नारा मात्र है।

सम्मेलन में कुल मिलाकर आठ सत्र हुए, जिनमें लगभग 20 गंभीर पर्चे पढ़े गए। हॉलैंड के डा. एम.के. गौतम, जर्मनी के डा. लोठार लुत्से, हंगरी की इवा अरादी तथा मारिया नेगेसी, सूरीनाम के डा. ज्ञान भगत, पोलैंड के प्रो. क्रिस्टी, अमेरिका के डा. भूदेव शर्मा और त्रिनिडाड के श्री मोहन शामलाल के पर्चे बहुत महत्त्वपूर्ण थे। बौद्धिक रूप से सम्मेलन काफी ऊंचाई पर रहा। तीन-तीन विश्व हिन्दी सम्मेलनों से जो वातावरण हिन्दी के पक्ष में तैयार हुआ, उसने इसे आगे बढ़ाया।

भारत से 12–13 हजार मील दूर त्रिनिडाड जैसे देश में हिन्दी के संबंध में सार्थक चिंतन और विचार-विमर्श होना भारत के लिए गंभीरता से सोचने का विषय है। जबकि विश्व के लगभग 50 देशों में फैले हिन्दुस्तानी मूल के भाई-बहन हिन्दी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम स्वयं अभी अंग्रेजी की दासता में जकड़े हुए हैं। आज दुनिया के 130 विश्वविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई हो रही है, पर हम अंग्रेजी स्कूलों की दासता के दलदल में स्वेच्छा से फंसते जा रहे हैं।

मैं जहां कहीं भी गया, मुझे एक बात से आंतरिक खुशी हुई कि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली एवं आगरा से हिन्दी में प्रशिक्षित शिक्षक लगभग विदेशों में हर जगह बड़े ही जागरूक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से हिन्दी का काम कर रहे हैं। उनमें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के प्रति भी मैंने गहरी निष्ठा देखी। सूरीनाम में श्री साहतो, जो केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के कभी छात्र रहे थे, इन दिनों वहां के हिन्दी संघ के निदेशक हैं। उन्होंने सूरीनाम के उन सभी ऐसे लोगों को एक जगह बुलाकर मिलाया जो कभी संस्थान के छात्र रहे थे। इसी भांति त्रिनिडाड में वहां के ऐसे सभी हिन्दी प्रशिक्षणार्थी जिनका संबंध कभी केन्द्रीय हिन्दी संस्थान से रहा था; एकत्र हुए। अयाचित ही मुझे इससे गौरवबोध हुआ कि अपने यहां संस्थान को बहुत से लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। ऐसी मुर्गियां बाहर जाकर हिन्दी के लिए पौष्टिक आहार प्रदान कर रही हैं।

हिन्दुस्तान और हिन्दी के प्रति, सुदूर देशों में बसने वाले भारतीयों के मन में जो श्रद्धा और अपनत्व है, उसकी कल्पना हम वहां गए बिना नहीं कर सकते। सम्मेलन के आयोजकों में प्रमुख थे 'हिन्दी निधि' के अध्यक्ष श्री चांका सीताराम, संयोजक रवि भाई, संचालक प्रो. के. रामचन्द्र, तथा प्रेरणास्रोत थीं, असेम्बली की अध्यक्ष कुमारी ओका सिओल। प्रथम का कार्यक्रम पोर्ट ऑफ स्पेन के 'त्रिनिडाड कंट्री क्लब' में संपन्न हुआ। उसके बाद के सभी समारोह रूद्रनाथ कपिल लर्निंग रिसर्च सेंटर, सांगवान के परिसर में हुए। उस स्थल के आसपास 80 प्रतिशत घर-मकान, गांव, खेती, व्यवसाय तथा कारोबार भारतीय मूल के लोगों के हैं। इस कारण लोगों का सहयोग भी खूब मिला। सभी प्रतिनिधियों को यहां के भारत-वंशियों ने अपने घरों में ठहराया था।

भारतीयों के प्रति यहां के अन्य समुदायों में ईर्ष्या-द्वेष का एक कारण यह भी है कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर भारतीयों ने अतुल संपत्ति अर्जित की है। जार्ज टाऊन, पोर्ट ऑफ स्पेन, तथा पारामारिबो जैसे शहरों में 70 प्रतिशत मकान और दुकानें भारतवंशियों की हैं। इस कारण कभी-कभी हिन्दुस्तानियों को परेशान भी होना पड़ता है तथा वहां के मूल निवासियों का कोपभोजन भी होना पड़ता है।

उत्तरी अटलांटिक सागर के पश्चिमी छोर पर स्थित त्रिनिडाड-टुबैगो का क्षेत्रफल मात्र 5,128 वर्ग किलोमीटर है और वहां 96 प्रतिशत साक्षरता है। समृद्धि और सुरम्यता दोनों दृष्टियों से यह एक दर्शनीय देश है।

हिन्दी के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 70–80 प्रतिशत कार्रवाई अंग्रेजी में हुई। वह एक विवशता थी। पर इन लोगों के उत्साह को देखकर लोगों को यह आस बंधी कि अगर भारत सरकार हिन्दी सिखाने के लिए योग्य और निष्ठावान शिक्षक यहां भेजे तो माहौल साल-दो-साल में बदल सकता है। हिन्दी के माध्यम से हम अपने इन बांधवों को अपने और करीब ला सकते हैं।

सम्मेलन के आखिरी सत्र की एक मनोरंजक बात कभी नहीं भूलता। सम्मेलन के संयोजक रवि जी ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'आप सबों को 'मुर्गापोंछ' समारोह में अवश्य उपस्थित होना है।' हममें से कई लोग यह पूछना चाह रहे थे कि यह 'मुर्गापोंछ' क्या है, लेकिन इसका अवसर दिए बिना रवि जी ने कहा, 'संभव है आप में से कुछ लोग यह समझ पाए हों कि यह मुर्गापोंछ है क्या, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह 'कॉकटेल' पार्टी का हिन्दी अनुवाद है। इस अंतर्राष्ट्रीय

[शेष पृष्ठ 88 पर]

समिति समाचार

(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. श्रम मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 18वीं बैठक केन्द्रीय उप श्रम मंत्री श्री पवनसिंह घटोवार की अध्यक्षता में 02 नवम्बर, 1992 को, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हुई। समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री महोदय ने सदस्यों द्वारा दिए जाते रहे उपयोगी सुझावों के लिए उनका आभार प्रकट किया ।

हिन्दी के प्रयोग की स्थिति :

सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जारी किए गए निदेशों का अनुपालन तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने के संबंध में मंत्रालय ने निदेश दे दिए हैं। भविष्य में उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना महत्त्वपूर्ण है ।

समय-समय पर किए जाने वाले मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी संबंधी निरीक्षण के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि सामान्य निरीक्षण प्रोफार्मा में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित प्रश्नों को भी सम्मिलित कर लिया जाए ताकि निरीक्षण सुविधापूर्वक किया जा सके ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन को एक वर्ष तक ही सीमित न करके सेवा निवृत्ति तक लगातार दिए जाने से संबंधित सुझाव के बारे में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री महेन्द्रनाथ ने समिति को सूचित किया कि मामले पर वित्त मंत्रालय व कार्मिक विभाग के साथ विचार विमर्श चल रहा है। उक्त विभागों का ऐसा मत है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन आदि देने के लिए एक नीति तैयार की जाए । इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है ।

प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी का प्रयोग मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीनस्थ केन्द्रीय मीडिया अनुदेशात्मक संस्थान मद्रास में प्रयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री के नए पैकेज को क्रमबद्ध रूप से तैयार करके उनका अनुवाद कराए जाने के संबंध में महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा यह बताया गया कि उक्त सामग्री को प्रान्तीय भाषाओं में तैयार किया जाता है। समिति में विचार विमर्श में यह प्रस्तावित हुआ कि चूंकि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्पूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों में प्रान्तीय भाषाओं के अलावा हिन्दी का विकल्प भी दिया जाए। चाहे प्रशिक्षण संस्थान देश के किसी भी भाग में क्यों न हो ।

सेवा कालीन विभागीय और पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प :— मुख्य श्रमायुक्त (के.) के कार्यालय द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में सार लेखन प्रश्न पत्र के लिए हिन्दी का विकल्प दिए जाने से संबंधित सुझाव के बारे में मुख्य श्रमायुक्त (के.) ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक तक इस बारे में निर्णय कर लिया जाएगा ।

"ग" क्षेत्र में मैट्रिक या इसके समकक्ष या उच्चतर परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बिना शर्त प्राज्ञ में प्रशिक्षण की अनुमति देने के सन्दर्भ में पिछली बैठक में दिए गए सुझाव के बारे में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि हाल ही में सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो "ग" क्षेत्र में कार्यसाधक ज्ञान देने के बारे में विचार करेगी । यह निर्णय हुआ कि राजभाषा विभाग द्वारा पुनः विचार किया जाए ।

2. नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय

नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति तथा पर्यटन हिन्दी सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक नागर विमानन और पर्यटन मंत्री श्री माधवराव सिंधिया की अध्यक्षता में दिनांक 3 सितम्बर, 1992 को हुई।

राजभाषा की दृष्टि से सितम्बर मास के महत्त्व का उल्लेख करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि 14 सितम्बर, 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निर्णय लिया था। उस ऐतिहासिक

निर्णय के बाद हमारी सरकार उत्तरोत्तर हिन्दी के विकास में लगी हुई है। माननीय सदस्यों के रचनात्मक सहयोग से हम नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में संलग्न हैं।

इसके पश्चात् समिति के उपाध्यक्ष एवं नागर विमानन राज्य मंत्री श्री एम०ओ०एच० फारूक ने समिति का अभिवादन करते हुए कहा कि हिन्दी के सहारे हम देश की एकता की रक्षा करेंगे और संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास करेंगे। उनकी राय थी "मंजिल न तय होती है, नाकाम इरादों से"। समिति को यह भी सूचित किया गया कि विभिन्न संगठनों द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति के अनुसार हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को संबंधित संगठन में अन्य संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इस विषय के संबंध में श्री सुरेन्द्र शर्मा ने समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि इंडियन एयरलाइंस में अनुवादकों के 34 स्वीकृत पदों में से 20 पद तथा अन्य ग्रेडों में भी कुछ पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि वे यह बात समझने में असमर्थ हैं कि इतने खाली पदों से इंडियन एयरलाइंस में हिन्दी का नियमानुसार प्रयोग किस प्रकार बढ़ सकता है। इंडियन एयरलाइंस एक बहुत बड़ा विभाग है और इसमें इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों का कोई औचित्य नहीं है। अतः इन्हें शीघ्र भरा जाना चाहिए।

पर्यटन विभाग की सलाहकार समिति के सदस्य श्री तुलसी राम ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति के साथ सम्बद्ध रहने के कारण मुझे इंडियन एयरलाइन्स में हिन्दी में किये गये काम को देखने का अवसर मिला है। पदासीन उप-कार्मिक प्रबंधक (रा०भा०) के प्रयासों के फलस्वरूप अच्छा काम हुआ है। इसलिए उन्हें तरक्की मिलनी ही चाहिए। श्री सी०पी० सिंह अनिल ने भी इसका समर्थन करते हुए यह मत व्यक्त किया कि हिन्दी पदाधिकारी का "सुपरसेशन" खेद का विषय है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि अगली बैठक से पूर्व पदों को भरने और हिन्दी के पदाधिकारी की पदोन्नति के मामलों को तय करने की कार्रवाई की जाए।

श्री हीरा लाल शास्त्री ने कहा कि मंत्री जी द्वारा पिछली बैठक के दौरान दिए गए स्पष्ट निदेशों के बावजूद बंगलौर-दिल्ली उड़ान संख्या आई०सी० 403 में कोई भी हिन्दी का समाचार-पत्र उपलब्ध नहीं था। श्री सुरेन्द्र शर्मा ने समिति को सूचित किया कि हैदराबाद से तो हिन्दी के समाचार-पत्र निकलते ही हैं परन्तु अब मद्रास से भी हिन्दी का पत्र निकलना शुरू हो गया है। उन्होंने आगाह किया कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उड़ानों में केवल राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार-पत्र ही रखे जाएं ताकि यात्रियों को सही पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो। श्री सी०पी० सिंह अनिल ने भी बम्बई-दिल्ली उड़ान संख्या आई०सी० 168 में हिन्दी का कोई सांध्य समाचार- पत्र न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बम्बई से हिन्दी में "दोपहर" के अलावा तीन अन्य सांध्य समाचार-पत्र निकलते हैं, जिन्हें इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ानों में रखा जा सकता है।

पर्यटन विभाग की सलाहकार समिति के सदस्य ने श्री महादेव सुब्रमणियन ने यह सुझाव दिया कि रेलवे द्वारा जारी की जा रही टिकटों की तरह ही इंडियन एयरलाइंस की टिकटें भी द्विभाषी रूप में जारी करने की व्यवहारिकता की जांच की जानी चाहिए।

श्री चन्द्र किशोर पाण्डेय ने कहा कि हवाई अड्डों पर प्रदर्शित साइन बोर्डों/नाम पट्टों/सूचना पट्टों आदि में हिन्दी वर्तनी की बहुत सी अशुद्धियां देखने में आती हैं जिन्हें दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

श्री पाण्डेय ने यह सुझाव भी दिया कि विमानन से संबंधित एक लघु शब्दकोश तैयार किया जाना चाहिए जिसकी प्रतियां सभी हवाई अड्डों पर कार्यरत अधिकारियों में वितरित की जाएं। इस संबंध में समिति को सूचित किया गया कि मंत्रालय स्तर पर एक शब्दावली संकलित करके वितरित की जा चुकी है जिसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदित हिन्दी पर्याय दिए गए हैं।

बैठक में दोनों विभागों की कार्यसूचियों पर विचार-विमर्श के बाद माननीय नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

3. जल संसाधन मंत्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति की माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल की अध्यक्षता में 29 मई, 1992 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में बैठक हुई।

मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सब संस्थानों तथा कार्यालयों के नाम हिन्दी में ही रखे जाने चाहिए। नामकरण अंग्रेजी में करके फिर उसे नागरी लिपि में छाप देना इस आदेश का पूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अनुवाद पर निर्भर न रहकर हमें सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में ही करना चाहिए।

इसके बाद मंत्रालय में हिन्दी के विकास के बारे में सदस्यों से अपने विचार रखने का आग्रह किया गया।

श्री शिव प्रसाद चानपुरिया ने कहा कि हिन्दी में जितना कार्य होना चाहिए था वह नहीं हुआ। केवल 5% काम ही हिन्दी में हो रहा है।

श्री सुब्बा सोमू ने कहा कि हिन्दी सीखना और सिखाना आज के समय में हरेक हिन्दुस्तानी का फर्ज है क्योंकि यही वह भाषा है जो देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर सकती है, अतः उनका यह अनुरोध है कि हिन्दी के विकास के लिए वातावरण बनाना चाहिए।

श्री रामशंकर एम० शुक्ल ने कहा कि वह 12-5-92 को मंत्रालय में आए थे और जल संसाधन मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति और विकास के संबंध में सचिव, जल संसाधन से विचार-विमर्श भी किया था। उनका मत है कि हिन्दी को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल सका।

डा० (श्रीमती) वीणा श्रीवास्तव ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक तीन साल के अन्तराल पर बुलाई गई और इसमें भी गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम है। मंत्रालय में रोमन के टंकण-यंत्र अधिक हैं, हिन्दी के उपकरणों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। यदि हमारे पास हिन्दी उपकरण होंगे तभी हम हिन्दी में काम कर सकेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही करें। इसके लिये उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये।

श्री आर.एस. गुप्ता ने पूर्व वक्ताओं से सहमति जताते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी टाइपराइटर कम प्रतीत होते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनुवाद और कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग अनुभाग बनाए जाने चाहिए। कार्यान्वयन ले लिए अलग स्टाफ होना चाहिए।

उन्होंने यह भी निवेदन किया कि सभी संविदाएं और करार अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में होने भी जरूरी हैं। इन करारों के कॉलम हिन्दी में भरे जाने चाहिए और दरों की सूची भी हिन्दी में लिख दी जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा एवं सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा बेतवा नदी बोर्ड और बाणसागर नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मंगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में वे रिपोर्ट समय पर भेजें, इसके लिए उन्हें सख्त अनुदेश जारी किए जाएंगे।

श्री सी.डी. थत्ते, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने कहा कि आयोग में सरकारी कामकाज हिन्दी में बहुत अच्छी तरह हो रहा है, जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। 1989 से 1992 तक आयोग में हिन्दी में काम करने की अच्छी प्रगति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केन्द्रीय जल आयोग में अभी चार महीने पहले ही संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने मुख्यालय का निरीक्षण किया था तथा उन्हें भी हिन्दी पत्राचार के बारे में बताया गया था। हिन्दी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं अच्छी तरह चल रही हैं। आयोग में जल संसाधन दिवस के बारे में थीम पेपर "जल एवं पर्यावरण" हिन्दी में जारी किया गया था।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 50वीं बैठक दिनांक 18 जून, 1992 को श्री एस. गुरली, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में की गई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों तर अनुवर्ती कार्रवाई :

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों को भरने की कार्रवाई :

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय ने अपने दिनांक 25-5-92 को का.ज्ञा.सं. 16(2) 91-मा.प.गु.नि./सा. के जरिए सूचित किया है कि :—

क. कलकत्ता में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद को भरने के लिए उम्मीदवार का चयन कर लिया गया है और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

ख. मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय में हिन्दी आशुलिपिक की सहायक के पद पर पदोन्नति होने के कारण यह पद अभी रिक्त है।

ग. सभी केन्द्रों/प्रयोगशालाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर लिया गया है और बैठकें हो रही हैं।

घ. मोहाली के ई.टी.डी.सी. में कोई भी उच्च पद न ही पदोन्नति के लिए खाली है और न ही कोई कर्मचारी पदोन्नति के लिए योग्यता रखता है।

इलेक्ट्रानिक विभाग के अन्तर्गत आने वाले संगठनों में हिन्दी पदों को भरने की कार्रवाई :

सीएमसी लिमिटेड के प्रतिनिधि मेजर एच.एस. अनेजा ने समिति को सूचित किया कि इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही कार्मिकों की तैनाती हो जाने की संभावना है।

प्रत्येक प्रभाग तथा अनुभाग में एक-एक हिन्दी आशुलिपिक तथा/अथवा टाइपिस्ट की तनाती :

कार्मिक प्रभाग के प्रतिनिधि श्री अशोक चावला ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि जाने वाले 26 कर्मचारियों को विभिन्न प्रभागों/अनुभागों

में पहले ही तैनात कर दिया गया है। जहां तक इनसे हिन्दी में काम लेने का संबंध है, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह समस्या उन आशुलिपिकों के साथ भी है जो केवल अंग्रेजी जानते हैं। उन्होंने श्री चावला से अनुरोध किया कि उनकी ओर से सभी प्रभाग प्रमुखों को इस आशय की एक अपील जारी की जाए कि हिन्दी आशुलिपिकों का उचित रूप से इस्तेमाल किया जाए। इससे एक ओर जहां उनका हिन्दी में डिक्टेशन लेने का अभ्यास बना रहेगा वहीं दूसरी ओर हिन्दी में काम की मात्रा भी बढ़ेगी।

हिन्दी में काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को प्रोत्साहन भत्ता :

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक (तक.) ने समिति को सूचित किया कि संसदीय राजभाषा समिति ने भी प्रोत्साहन भत्ते की राशि में वृद्धि करने की सिफारिश की है और राजभाषा विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस संबंध में कार्रवाई कर रहा है।

सभी शेष प्रभागों / अनुभागों में द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर अथवा द्विभाषी/बहुभाषी कम्प्यूटरों की व्यवस्था/ द्विभाषीय वेतन पर्ची पुस्तकालय के फार्म सभी कम्प्यूटरों में "जिस्ट" कार्ड लगाने की व्यवस्था :

कम्प्यूटर विकास प्रभाग में अपर निदेशक श्री अमिय बरन साहा ने बताया कि विभाग के 16 कम्प्यूटरों में "जिस्ट" कार्ड लगा दिए गए हैं। लेकिन चूंकि इस कार्ड की कीमत अपेक्षाकृत अधिक है, अतः शेष सभी कम्प्यूटरों में "जिस्ट" कार्ड लगाने के बजाए "विविधा" जैसे सॉफ्ट-वेयर समाधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जहां आंकड़ा संसाधन का कार्य अपेक्षित होगा वहां "जिस्ट" कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। अध्यक्ष ने कहा कि "विविधा" सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हैं और साथ ही उसका कुंजी-पटल भी मानकीकृत कोड के अनुरूप नहीं है। अतः इस संबंध में खामियों की ओर राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई का ध्यान भी आकृष्ट किया गया है। जब तक य खामियां दूर नहीं कर दी जाती तब तक इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा। डॉ० कुट्टी, वरिष्ठ निदेशक ने सूचित किया कि राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र का ध्यान इस ओर पहले ही आकृष्ट किया जा चुका है और वे इसे "इस्की" कोड के अनुरूप तैयार करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के संबंध में सामान्य प्रशासन प्रभाग के उप निदेशक श्री प्रवीण कुमार दत्त ने सूचित किया कि विभाग में इस समय कुल 38 द्विभाषी इलेक-ट्रॉनिक टाइपराइटर हैं जिन्हें विभिन्न प्रभागों सहित कई अनुभागों में भी उपलब्ध कराया गया है। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस आशय का निर्णय लिया जा चुका है कि विभाग में अब केवल वैयक्तिक कम्प्यूटर ही खरीदे जाएंगे और उनमें द्विभाषी/बहुभाषी/इनपुट/आउटपुट की व्यवस्था की जाएगी।

31. मार्च 1992 को समाप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा :

31 मार्च, 1992 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री वे. शेषन ने कहा कि स्थिति मोटे तौर पर "सन्तोषजनक" ही है, लेकिन विचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।

टेलेक्स मशीनों में द्विभाषी सुविधा की उपलब्धता के संबंध में श्री नेगी ने कहा कि अपनी ओर से संदेश भेजते समय यदि यह पता नहीं है कि दूसरी ओर की मशीन में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं तो अपनी मशीन में अंग्रेजी का "एच" अक्षर चार बार दबाकर कमांड देने से दूसरी ओर की मशीन की स्थिति का पता लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि विभाग का टेलेक्स आपरेटर आगे से टेलेक्स संदेश भेजते समय इस पद्धति का इस्तेमाल करेगा और इस प्रकार दूसरे कार्यालयों की मशीनों की स्थिति का पता लगाकर उनकी सूची तैयार करेगा।

यह भी निर्णय किया गया कि अधिकारियों के विजिटिंग कार्डों में टेलेक्स नम्बर के सामने कोष्ठकों में द्विभाषी (Bilingual) शब्द लिखे जाएंगे, ताकि अन्य कार्यालयों को इस बात का पता चल सके कि हमारे पास द्विभाषी टेलेक्स मशीन है और हिन्दी में टेलेक्स संदेश स्वीकार किए जा सकते हैं।

श्री शेषन् ने आगे सुझाव दिया कि यदि वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें व्यक्तिगत रुचि लें तो हिन्दी के विकास में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव का समर्थन किया।

कम्प्यूटर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ प्रशिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता :

डॉ. कुट्टी ने कहा कि इस संबंध में वरिष्ठ निदेशक श्री ओबराय तथा डॉ. चक्रवर्ती के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।

उच्च स्तरीय राजभाषा समिति द्वारा 3 जुलाई 1992 को सचिव महोदय का मौखिक साक्ष्य

संयुक्त निदेशक (हिन्दी) श्री जायसवाल ने समिति को सूचित किया कि संसदीय राजभाषा समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव महोदय का मौखिक साक्ष्य लेने के उद्देश्य

से उन्हें दिनांक 3 जुलाई, 1992 को प्रातः 10.30 बजे संसद भवन के कमरा नं. 62 में आमंत्रित किया है। उन्होंने सभी प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे उक्त तारीख एवं समय पर सचिव महोदय की सहायता के लिए अवश्य उपलब्ध रहें।

कम्प्यूटरों में हिन्दी का प्रयोग विषय पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन :

संयुक्त निदेशक (हिन्दी) ने बताया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विभाग द्वारा सी-डैक, सीएमसी लिमिटेड, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा हिन्दी में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कुछ कम्पनियों आदि के सहयोग से उपर्युक्त विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। डॉ. कुट्टी ने कहा कि इसका आयोजन करना संभव हो सकेगा।

हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के साफ्टवेयर के विकास की दशा में किए गए प्रयासों के लिए साफ्टवेयर विकास प्रभाग द्वारा एक विशेष एवं आकर्षक पुरस्कार की घोषणा करने की व्यवस्था की जाए :

श्री जायसवाल ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, उन्होंने सॉफ्टवेयर विकास प्रभाग में अपर निदेशक श्री ए.वी. पत्की के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कम्पनियों का निरीक्षण करने के बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वरिष्ठ निदेशक (श्री ओबराय) के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इस पर आगे कार्रवाई सॉफ्टवेयर विकास प्रभाग द्वारा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस समय उपलब्ध सभी सॉफ्टवेयर पैकेजों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए भी कमांड अंग्रेजी में ही देने होते हैं। यदि यह सुविधा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा दी जाए तो अंग्रेजी नहीं जानने वाले व्यक्तियों को भी कम्प्यूटरों पर काम करने में आसानी होगी। डॉ. कुट्टी ने कहा कि इसमें काफी समय लग जाएगा, लेकिन अन्तरिम व्यवस्था के रूप में सी-डैक को "जिस्ट" के कमांड लाइन का लिप्यंतरण करने के लिए कहा जा सकता है और इस प्रकार भारतीय भाषाओं की लिपियों में कमांड देने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अध्यक्ष ने राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी) श्री नेगी से अनुरोध किया कि चूंकि कम्प्यूटर प्रणालियां लगाने के लिए विभिन्न कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है (3 लाख रु. से अधिक मूल्य वाली प्रणालियों को छोड़कर), अतः राजभाषा विभाग स्वयं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को कम्प्यूटर प्रणालियों में हिन्दी में संसाधन की सुविधा मुहैया कराने की बाध्यता के संबंध में विशेष निर्देश जारी करें और अपने विभिन्न तंत्रों के माध्यम से उनका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं।

विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में टिप्पण / आलेखन (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) के प्रश्न पत्र में हिन्दी का विकल्प दिया जाना :

श्री अशोक चावला, उप निदेशक ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में इस संबंध में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है और दूसरे विभागों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कार्य :

1. निदेशक (श्री जिन्दल) ने सुझाव दिया कि यदि हिन्दी में काम करने के लिए विषयों का प्रभावी ढंग से निर्धारण किया जाना है तो ऐसा प्रभाग-प्रमुखों की बैठक में ही किया जा सकता है। अतः इस दिशा में तुरन्त कार्रवाई करने का निर्णय किया गया।

2. उप निदेशक (श्री सिद्दिकी) ने सुझाव दिया कि चूंकि सभी प्रभागों में हिन्दी के आशुलिपिक/टाइपिस्ट उपलब्ध नहीं हैं, अतः जब तक और अधिक कर्मचारी प्रशिक्षित न हो जाएं तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में बड़े प्रभागों के लिए एक-एक और दो छोटे प्रभागों के लिए एक-एक आशुलिपिक/टाइपिस्ट की व्यवस्था करना उचित होगा। इस व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की तैनाती में कुछ परिवर्तन करना संभवतः जरूरी होगा। कार्मिक प्रभाग से इस सुझाव की जांच करने का अनुरोध किया गया।

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28-7-1992 को संयुक्त सचिव, श्री अशोक कुमार बसु की अध्यक्षता में हुई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों में हिन्दी के पत्रों की संख्या बढ़ाना

समिति द्वारा हिन्दी के पत्रों की संख्या बढाए जाने के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं और इस संबंध में समय-समय पर मंत्रालय के अनुभागों/डेस्कों आदि को परिपत्र जारी किये जाते हैं। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जांच-बिन्दु की स्थापना भी की गई है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. महेशचन्द्र गुप्त ने हिन्दी में पत्राचार की स्थिति को शोचनीय बताया और कुद्रेमुख डेस्क में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी, प्रेक्षक ने उनकी बातों का समर्थन किया। डा. गुप्त ने सुझाव दिया कि बैठक में सक्षम अधिकारी विशेषकर शाखा अधिकारियों को भाग लेना चाहिए। विचार विमर्श के पश्चात् अध्यक्ष ने निदेश दिया कि समिति का पुनर्गठन किया जाए।

ए.एस.पी., बी.बी. अनुभाग, स्थापना, एच.एस.एम., आई.एल डेस्क–I डेस्क-II और डेस्क–III की चर्चा करते हुए डा. गुप्त ने कहा कि अनुभागों/डेस्कों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम तीन डेस्कों में एक डेस्क में तो हिन्दी आशुलिपि की तैनाती की जाए और उसमें सारा काम हिन्दी में हो।

मंत्रालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन :

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करने का पिछले अक्तूबर में प्रोग्राम था लेकिन संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के कारण कार्यशाला का आयोजन संभव नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संसद सत्र के बाद कार्यशाला आयोजित करने का विचार है। श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी का सुझाव था कि कार्यशाला में डिक्टेशन व कुछ हिन्दी सिखाने के लिए इसी मंत्रालय का ही अधिकारी रखना उचित होगा। डा० गुप्त ने भी उनकी बातों का समर्थन किया।

मंत्रालय में उप निदेशक राजभाषा का पद सृजित करना :

मंत्रालय में उपनिदेशक का पद सृजित करने के बारे में पूछे जाने पर अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार मंत्रालय में उपनिदेशक (रा.भा.) का पद सृजित करना स्थगित कर दिया गया है। राजभाषा के प्रतिनिधि, डा. गुप्त ने सूचित किया कि हिन्दी के पद सृजन के लिए न तो कार्य अध्ययन की आवश्यकता है और न ही पद की कटौती का प्रश्न है। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी के पद के सृजन के लिए इस्पात मंत्रालय के सचिव सक्षम हैं। अध्यक्ष ने बताया कि यदि ऐसा कोई नियम/प्रक्रिया (Procedure) है तो हम अवश्य कार्यान्वित करेंगे। श्री तिवारी ने कहा कि हम इस मामले को पुनः हिन्दी सलाहकार समिति में उठाएंगे।

हिन्दी टाइपिस्ट/आशुलिपिकों को प्रशिक्षण और उनका उपयोग :

समिति को बताया गया कि मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया गया है। परन्तु हिन्दी टाइपिस्टों का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से कम है। अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रालय में केवल हिन्दी टाइपिंग जानने वाले कर्मचारी ही मांगे जाने की कार्रवाई की जाएगी।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. तथा विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा :

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में समिति को बताया गया कि इस कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने का प्रयास जारी है जबकि उनका कार्य क्षेत्र तकनीकी किस्म का है। फिर भी, पत्राचार के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया गया है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने यह आपत्ति उठाई कि 42 आशुलिपिकों में हिन्दी का केवल एक है, तो फिर प्रशिक्षण किसे दिलाया जा रहा है। कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. के अधिकारी श्री रंगनाथाचार ने बताया कि प्रशिक्षण के आंकड़ों में अपरेशनल स्टाफ को निकाल दिया गया है। इस पर डा. गुप्त और श्री तिवारी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हिन्दी पढ़ना हर अधिकारी के लिए अनिवार्य है। श्री तिवारी ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशिक्षित आशुलिपिक अन्य आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दे सकता है और इसके लिए कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी उसे कुछ भत्ता दे सकती है।

श्री तिवारी तथा डा. गुप्त ने कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी में आशुलिपिकों की संख्या और दर्शाए गए पत्राचार के आंकड़ों की तुलना करते हुए उनके द्वारा प्रतिदिन होने वाले कार्य में विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया। अध्यक्ष ने श्री रंगनाथाचार को सुझाव दिया कि आप प्रत्येक वर्ष दो-तीन आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिलवाएं। उपसचिव श्री जैन ने कुद्रेमुख में हिन्दी में कार्य तथा उनके द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों की जांच कराने का आश्वासन दिया। श्री तिवारी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि कुद्रेमुख के अध्यक्ष को इस संबंध में एक पत्र लिखा जाए और अगली बैठक में इसकी जानकारी दी जाए।

विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, कलकत्ता :

विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के राजभाषा अधिकारी, श्री रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी ने समिति को विकास आयुक्त कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की जानकारी से अवगत कराया। डा. गुप्त ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी को प्रशिक्षण न देकर, दूसरे को प्रशिक्षित करवाएं क्योंकि प्रोन्नति होने पर आंकड़ा फिर वहीं रह जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि श्री त्रिपाठी अपने स्तर पर विशेष कक्षाएं लेकर प्रशिक्षण पर जाने वाले कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं।

डॉ. गुप्त का कहना था कि फालतू टाइपराइटर को कंडम करके और कुछ का कुंजी-पटल हिन्दी में बदलवाया जाए। हिन्दी में पत्राचार भी बढ़ाया जाए। डा. गुप्त ने मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर यह बताया कि क्षेत्रीय विकास आयुक्त के सभी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति बहुत खराब है।

मंत्रालय के और अनुभागों को केवल हिंदी में काम करने के लिए घोषित करना :

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. महेशचन्द्र गुप्त ने बताया कि राजभाषा विभाग के अनुसार प्रत्येक वर्ष पांच ऐसे अनुभाग नियत किए जाने चाहिए जो अपना काम हिन्दी में करेंगे। पुस्तकालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। इसी प्रकार कम से कम एक डेस्क को तो अधिसूचित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

संपदा निदेशालय

उपर्युक्त बैठक 2-4-92 को संपदा उपनिदेशक (स्थापना) की अध्यक्षता में संपदा निदेशालय के पुस्तकालय कक्ष (कमरा सं. 502 "सी" विंग) में हुई।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर3 की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त की गई और निम्नानुसार टिप्पणी, सिफारिश की गई :—

(क) किसी भी अनुभाग का "क" और "ख" क्षेत्रों में होने वाला हिन्दी में पत्राचार 50% से कम न हो। यद्यपि लक्ष्य 100% है और इस पत्राचार को बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाएं जाएं। जिन अनुभागों का हिन्दी में पत्राचार 50% से कम होगा उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा।

(ख) हिन्दी टाइपिस्टों एवं टाइपराइटरों की सेवाओं का सदुपयोग किया जाना चाहिए। स्थानान्तरण करते समय प्रशासन अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अनुभाग में हिन्दी टाइपिस्ट अवश्य हों।

(ग) सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिकांश कार्य हिन्दी में ही करें।

(घ) सभी अनुभाग अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट अतिशीघ्र हिन्दी अनुभाग को भेज दें।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर संतुष्टि व्यक्त की गई एवं निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(क) नियमानुसार द्विभाषी रूप में जारी होने वाला कोई भी कागजात तब तक जारी न किया जाए जब तक उसका हिन्दी रूपान्तर साथ न लगा हो।

(ख) अगली बैठक में हिन्दी पत्राचार के विस्तृत एवं तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) सभी आवंटन अनुभाग आवंटन-पत्र केवल हिन्दी में जारी करें।

(घ) सहायक संपदा प्रबंधक (मद्रास तथा शिमला एवं चंडीगढ़) अपने कार्यालयों में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा विशेषकर हिन्दी कार्य का प्रतिशत बढ़ाने का पूरा प्रयास करें।

(च) यदि संभव हो सके तो सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कोई एक अनुवादक मिलकर निदेशालय में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों एवं टिप्पण/प्रारूपण के लिए एक शब्दकोश द्विभाषी रूप में तैयार करें ताकि तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखना आसान हो जाए।

संसदीय राजभाषा समिति के सचिवालय से प्राप्त आश्वासन सूची पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् निम्न-लिखित निर्णय लिए गए :—

क्रम सं.	संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन	आश्वासन पूरा करने के संबंध में लिया गया निर्णय
1	2	3
1.	जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है, उन्हें समय-बद्ध कार्यक्रम के आधार पर शीघ्र हिंदी में प्रशिक्षित किया जाएगा।	समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए बस यह करना है कि प्रशिक्षण में नामित कर्मचारी को प्रशिक्षण में जाने से रोका न जाए।
2.	निदेशालय में हिन्दी कार्य को नियमानुसार करवाने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हिन्दी पदों का सृजन किया जाए।	(संबंधित अनुभाग) इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और अतिरिक्त पदों को सृजित कराने का कार्य प्रशासनिक होने के कारण अब प्रशा. अनुभाग इसे तेजी से करेंगे।
3.	अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटरों को खरीद करके हिन्दी टाइपराइटरों का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाए।	भविष्य में अंग्रेजी का कोई टाइपराइटर नहीं खरीदा जाएगा, जब तक कि हिन्दी टाइपराइटरों का अनुपात बराबर न हो जाए।

1	2	3
4.	कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्टरों के शीर्ष द्विभाषी होंगे और उनमें प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएंगी।	इस संबंध में सभी अनुभागों को निदेश दे दिए जाएंगे ।
5.	कार्यालय में चार्ट/मानचित्र/रबड़ की मोहरें/सील/मोनोग्राम/लोगों/स्टाफ कार नं. प्लेट/नाम-पट्ट आदि सभी द्विभाषी होंगे।	सामान्य अनुभाग इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है ।
6.	"क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ पत्राचार हिन्दी में किया जाएगा और "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कम-से-कम 50% तार हिन्दी में भेजे जाएंगे।	यह सभी अनुभागों के ध्यान में ला दिया जाएगा ।
7.	कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।	कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया है । प्रत्येक तिमाही में 20 कर्मचारियों/अधिकारियों को नामित करके प्रशिक्षण देने पर सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया जाएगा । प्रशिक्षण में नामित कर्मचारी को किसी भी हालत में प्रशिक्षण लेने से रोका नहीं जाएगा ।
8.	अतिरिक्त हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदी जाएंगी तथा इस संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किया जाएगा।	कुछ हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदी गई हैं। वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदी जाएंगी ।
9.	कार्यालय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार स्थापित जांच बिन्दुओं को ठोस रूप से क्रियान्वित किया जाएगा तथा उन्हें सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाएगा।	जांच-बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
10.	कार्यालय द्वारा हिन्दी में एक त्रैमासिक गृह-पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा।	इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 20-4-1992 को श्रीमती सरला गोपालन, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में कृषि भवन में हुई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई :

(क) समिति के सदस्यों की जानकारी के लिए सहायक निदेशक (रा.भा.-2) ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों आदि के साथ 90% पत्र हिन्दी में भेजना अनिवार्य एवं अपेक्षित है, किन्तु मंत्रालय द्वारा 31-3-1991, 30-6-91, 30-9-91, और 31-12-91 को समाप्त तिमाहियों में क्रमशः 58%, 59%, 61%, और 69.4% पत्राचार हिन्दी में किया गया। उन्होंने यह भी बतलाया कि हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों को केवल 25% पत्र हिन्दी में भेजे गये । अध्यक्ष ने कहा कि सभी अनुभागों को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखा जाए ।

(ख) सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया है कि मंत्रालय द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्रों में 50% तार हिन्दी में भेजने जरूरी है जबकि इन क्षेत्रों को भेजे जाने वाले तारों का प्रतिशत शून्य है । हिन्दी अनुभाग ने कम्प्यूटरों में निकनेट की द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एन.आई.सी से सम्पर्क किया परन्तु उन्होंने सूचित किया है कि अभी यह सुविधा देवनागरी लिपि में उपलब्ध कराना संभव नहीं है । इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुभागों से हिन्दी में भी तार भिजवाएं ।

(ग) बैठक में सूचित किया गया कि मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1992 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में 11 अवर श्रेणी लिपिकों तथा 11 आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था किन्तु केवल चार अवर श्रेणी लिपिकों ने ही हिन्दी टाइपिंग की कक्षा में प्रवेश लिया है । शेष कर्मचारियों से कक्षाओं में प्रवेश न लेने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए और जिनके स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव स्थापना-II अनुभाग को भेज दिया गया है ।

31-12-1993 को समाप्त तिमाही की हिंदी के प्रयोग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा :

1. इस तिमाही के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा पालन करते हुए 654 दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए गए ।

2. राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार प्रत्येक हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया जाना अनिवार्य है। इस तिमाही के दौरान मंत्रालय में 1239 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए उनमें से 583 का उत्तर हिन्दी में दिया गया और किसी भी हिन्दी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।

3. बैठक में मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा 31-12-1991 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए पत्राचार की स्थिति की समीक्षा की गई। सहायक निदेशक (राजभाषा-II) ने सूचित किया कि कई अनुभाग सही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। इनमें प्रशिक्षण तथा सतर्कता अनुभागों का विशेष उल्लेख किया गया। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि स्थापना-II अनुभाग अब छुट्टी के सभी स्वीकृती पत्र द्विभाषी रूप में जारी कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा सभी अनुभागों को चाहिए कि हिन्दी की प्रगति की सही रिपोर्ट भेजे, ताकि स्थिति का सही विश्लेषण किया जा सके। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उन अनुभागों को रिपोर्ट में न लिया जाये जहां पत्राचार आदि नहीं होता है। इसके अलावा सभी स्वीकृति पत्रों, अग्रिम राशि के फार्मों का अनुवाद कराया जाए तथा इसके लिए अवर सचिव (प्रशासन), अवर सचिव (सामान्य), उप निदेशक (राजभाषा) सहायक निदेशकों की एक समिति यह कार्य देखें कि यह कार्य जल्दी पूरा किया जाए।

विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति को उनके दिनांक 26-11-1990 के निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों के संबंध में की गई कार्रवाई :

1. संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए 9 आश्वासनों में से अधिकांश पूरे किए जा चुके हैं और शेष की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में समिति को अवगत कराया है कि फरवरी, 1992 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के लिए 11 अवर श्रेणी लिपिकों और 11 आशुलिपिकों को नामित किया गया था। जिनमें से केवल 4 अवर श्रेणी लिपिकों ने ही प्रवेश लिया है। शेष बिना वजह अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है।

(2) सूचित किया गया कि देवनागरी के टाइपराइटर खरीदने के लिए सामान्य अनुभाग को कहा गया था। सामान्य अनुभाग ने सूचित किया है कि उनके पास पहले से ही 6 हिन्दी के नए टाइपराइटर उपलब्ध हैं। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर नए टाइपराइटर खरीदे जा सकते हैं अध्यक्ष ने कहा कि इस समय आर्थिक संकट भी है इसलिए देवनागरी के और टाइपराइटर अभी न खरीदे जांय।

(3) सूचित किया गया कि मंत्रालय में उपलब्ध 12 कम्प्यूटरों में से 8 कम्प्यूटरों में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह भी उल्लेख हुआ कि जो द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए इस विषय में भी ध्यान दिया जाए।

(4) सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में यह सूचित किया गया कि इस संबंध में मंत्रालय के दो प्रभागों को चुना गया है तथा संसद सत्र के बाद कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

फरीदाबाद एवं हैदराबाद स्थित कार्यशाला में हिन्दी की प्रगति :

1. बैठक में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री ए.के. पाण्डेय ने अपने निदेशालय की प्रगति के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विगत तिमाही के दौरान "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे गए हिन्दी पत्रों का प्रतिशत 45% था जो पिछली तिमाही से 3% अधिक है। इसी प्रकार 60 प्रतिशत तार भी हिन्दी में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके निदेशालय की प्रगति अब पहले से अच्छी है। इस पर सभी सदस्यों ने संतोष प्रकट किया।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के प्रतिनिधि श्री मोहन पिल्ले सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अपने संस्थान द्वारा हिन्दी के संबंध में की गई प्रगति से समिति के सदस्यों को अवगत किया। उन्होंने कहा कि संस्थान के 93 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है तथा संस्थान से राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत 308 कागज पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं।

इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचित किया कि उनके संस्थान द्वारा कई सेमिनार और गोष्ठियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है तथा वर्ष के दौरान कई तकनीकी प्रकाशन भी हिन्दी में निकाले गये हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी संस्थान इसी प्रकार प्रगति करता रहेगा।

मुद्रण निदेशालय

मुद्रण निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 54वीं बैठक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 28-5-1992 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में हुई। अध्यक्ष ने सदस्यों और आमंत्रित व्यक्तियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यसूची पर निम्नलिखित रूप में चर्चा हुई :—

समिति द्वारा पिछली बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुए प्रगति की समीक्षा :

सदस्य सचिव ने बताया :—

(क) मुख्यालय में स्थापना अनुभाग द्वारा अभी भी वेतन बिल हिन्दी में नहीं बनाए जा रहे हैं। कुछ चर्चा के पश्चात् अध्यक्ष ने कहा कि वेतन बिल हिन्दी में बनाने के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। उप निदेशक (प्रशा.) ने आश्वासन दिया कि आगे से सभी वेतन बिल हिन्दी में बनाए जाएंगे।

(ख) मुख्यालय द्वारा मुद्रण शब्दावली की 25 प्रतियां खरीद ली गई हैं। परन्तु भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को छोड़कर अन्य सभी भारत सरकार मुद्रणालयों/शाखाओं द्वारा इन्हें खरीदने की कार्रवाई अपेक्षित है। उन्हें इस संबंध में अनुस्मारक जारी किया गया है।

श्री शिवनाथ चक्रवर्ती, संयुक्त निदेशक (तकनीकी) ने कहा कि इस निदेशालय के लिए मुद्रण शब्दावली एक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द संग्रह है जिसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा "बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह मुद्रण इंजीनियरी" नाम से प्रकाशित किया गया है। इसे तैयार करने में इस निदेशालय के अधिकारियों का भी गहरा योगदान है। अतः सभी भारत सरकार मुद्रणालयों/शाखाओं द्वारा इसकी अपेक्षित प्रतियां तुरन्त खरीदी जाएं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय कार्यालय द्वारा इसकी एक-एक प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को भी दी जाए।

श्री जयवीर सिंह, निदेशक, राजभाषा (शहरी विकास मंत्रालय) ने कहा कि इसकी दो प्रतियां उन्हें भी दी जाएं।

अध्यक्ष ने तदनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा और यह भी कहा कि इसकी 25 प्रतियां और खरीद ली जाएं।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा :

सदस्य सचिव ने बताया कि 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षित प्रतियां मुख्यालय में सभी अधिकारियों/अनुभागों और सभी भारत सरकार मुद्रणालयों/शाखाओं के प्रधानों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भेजी जा चुकी हैं। यह कार्यक्रम 1-4-92 से 31-3-1993 तक के लिए है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रण निदेशक ने भी निदेश जारी किए हैं।

इसके पश्चात् वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए और जांच बिंदुओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

हिंदी टंकण मशीनों का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में निदेशक (रा.भा.), (शहरी विकास मंत्रालय) ने कहा कि यदि सभी अनुभागों को एक-एक हिंदी टंकण मशीन दिए जाने के बाद भी हिंदी टंकण मशीनें बची हैं तो भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएं।

अध्यक्ष ने इस सुझाव का स्वागत किया और पुनः बल दिया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

मुख्यालय में उपलब्ध इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त निदेशक (तक.) के लिये भी एक द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर तुरन्त खरीदा जाए।

मुख्यालय के अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की संवीक्षा :

सदस्य सचिव ने मुख्यालय के अनुभागों में 31-12-91, 31-3-92 को समाप्त तिमाहियों में हुए हिंदी में पत्राचार की स्थिति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया।

निदेशक (रा.भा.) (शहरी विकास मंत्रालय) ने मुख्यालय के कुछ अनुभागों में हो रहे हिंदी में पत्राचार की प्रशंसा की और उन अनुभागों से हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने की अपील की जिन अनुभागों में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है।

अध्यक्ष ने कहा कि प्रशा.-II अनुभाग, प्र.-IV अनुभाग, सतर्कता अनुभाग और बजट लेखा अनुभाग द्वारा हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तुरन्त ठोस कदम उठाएं जाएं।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कम से कम 60% तार हिन्दी में दिए जाएं।

भारत सरकार मुद्रणालयों/शाखाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की संवीक्षा :

सदस्य सचिव ने मुद्रणालयों/शाखाओं में 31-12-91 और 31-3-92 की समाप्त तिमाहियों में हुए हिंदी पत्राचार की स्थिति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया।

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद की ओर से वर्ष 1988-89 1989-90 तथा 1990-91 की राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई। इस उपलब्धि की सराहना की गई।

अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय, फरीदाबाद, भा. स. मु., नीलोखेड़ी, भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय, चंडीगढ़ तथा भारत सरकार एकस्व मुद्रणालय, बम्बई द्वारा हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए तुरन्त ठोस कदम उठाए जाएं।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि "ग" क्षेत्र में स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों/शाखाओं द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाएं जाएं।

इस दौरान श्री एस. के. वरदन, उप निदेशक (बिल) ने कहा कि भारत सरकार मुद्रणालयों में हिंदी शिक्षण योजना लागू न होने से हिंदी प्रयोग को गति नहीं मिल पाती। भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की भांति भारत सरकार मुद्रणालयों पर भी हिंदी शिक्षण योजना अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए

इस संबंध में सदस्य सचिव ने प्रचुर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मामला अभी तक राजभाषा विभाग के विचाराधीन है। इस संबंध में उनसे निरंतर संपर्क स्थापित है।

निदेशक (रा. भा.) (शहरी विकास मंत्रालय) ने कहा कि यह सारा मामला उनको भेज दिया जाए। वे अपने स्तर पर इस संबंध में तुरन्त निर्णय कराने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष ने तदनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया।

अध्यक्ष ने निदेशक (रा. भा.) शहरी विकास मंत्रालय से पूछा क्या हिंदी टाइपिस्टों/हिंदी आशुलिपिकों को अंग्रेजी टाइप/अंग्रेजी आशुलिपि सीखने के लिये भेजा जा सकता है। इस पर निदेशक (रा.भा.) ने कहा कि यह सुझाव अपने स्तर पर राजभाषा विभाग को भेजें।

श्री नंदा बल्लभ नैनवाल, हिंदी अधिकारी, (भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नईदिल्ली) ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली में तीन हिंदी अनुवादक के पदों के सृजन का मामला उठाया। इस संबंध में श्री ए. एस. वर्मा, सहायक निदेशक प्रशा.-III अनुभाग ने सूचित किया कि मंत्रालय ने पूछा है कि सभी मुद्रणालयों में हिंदी के कितने पद रिक्त हैं। केवल कलकत्ता स्थित मुद्रणालयों से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष ने कहा कि यह सूचना उनसे फोन पर भी ली जा सकती है तथा उन्होंने चाहा कि इन मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जाए।

अन्त में अध्यक्ष ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग की स्थिति जांचने के लिये सहायक निदेशक (रा.भा.) सभी मुद्रणालयों/शाखाओं का निरीक्षण करें ताकि उन्हें आवश्यक सुझाव दिये जा सकें। पहले उन मुद्रणालयों का निरीक्षण किया जाए जिनकी स्थिति ठीक नहीं है।

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. पारादीप

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पारादीप की दसवीं बैठक 4-8-92 को श्री मधुसूदन साहू सचिव पारादीप पत्तन न्यास की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व) कलकत्ता से श्री ओ. आर. के. मूर्ति, सहायक निदेशक ने भाग लिया।

बैठक का शुभारंभ श्री बी. जी. राजू, हिन्दी अधिकारी, पारादीप पत्तन न्यास के स्वागत भाषण से हुआ।

श्री मूर्ति, ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए उनके यहां हो रही प्रगति की सराहना करते हुए कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि हिन्दी, हिन्दी, टाइप-राइटिंग सीखने और हिन्दी में काम करने के लिए जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार नियमों का सरलीकरण कर जो उपक्रम, निगम स्वायत संस्थाएं कर सकती हैं—प्रोत्साहित करें।

अध्यक्ष श्री साहू ने सदस्यों को बताया कि पिछले वर्ष समिति के द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत स्कूल के बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए तथा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और विजेताओं को समिति के द्वारा नगद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए साथ ही पारादीप केन्द्र पर प्राज्ञ परीक्षा में 1991 वर्ष के दो सत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को एच. एम. टी. घड़ियां विशेष पुरस्कार के रूप में प्रदान की गयीं।

2. जालंधर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जालन्धर की वर्ष 1992-93 की प्रथम बैठक 29 जुलाई, 1992 को हुई। श्री बी. एल. छिब्बर, आयकर आयुक्त ने इस बैठक की अध्यक्षता की। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व, श्री डी. पी. बन्दूनी द्वारा किया गया। आयकर आयुक्त (अपील), श्रीमती बलजीत बैंस तथा जालन्धर नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/निगमों आदि के कार्यालय-अध्यक्षों/प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक-कार्यक्रम 1992-93 की समीक्षा :

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष, 1992-93 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां सभी सदस्य-कार्यालयों को यथासमय भिजवा दी गई थीं। कुछ कार्यालयों को उनके मुख्यालय से वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम में सरकार की राजभाषा नीति तथा प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। समिति की बैठक के दौरान वार्षिक कार्यक्रम की मुख्य मदों को पढ़कर सुनाया गया तथा उनके कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। वार्षिक-कार्यक्रम की मुख्य मदें इस प्रकार हैं :

(क) "ख" क्षेत्र में कम से कम 70% पत्राचार हिन्दी में किया जाना चाहिए।

(ख) "ख" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय कार्यालयों आदि से भेजे जाने वाले पत्र, तारें, टैलेक्स, फ़ैक्स संदेश आदि 40% हिन्दी में जाने चाहिए।

(ग) देवनगारी टाइपराइटरों (जिसमें बिजली चालित भी शामिल है), हिन्दी टाइपिस्टों/हिन्दी आशु-लिपिकों का अनुपात 45% होना चाहिए।

(घ) धारा 3(3) के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए।

उपस्थित सदस्यों से तदनुसार वार्षिक कार्यक्रम लागू करने हेतु अनुरोध किया गया।

राजभाषा "परामर्श समिति" द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट :

समिति के संयोजन तथा सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, श्री महेन्द्र सिंह की ओर से आकाश-वाणी जालन्धर के हिन्दी अधिकारी, डा. विनोद पंकज ने बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जालन्धर के अंतर्गत गठित "हिन्दी परामर्श-समिति" ने पिछले वर्ष नगर के 15 कार्यालयों का निरीक्षण किया और वहां का हिन्दी कार्य देखकर आवश्यक सुझाव दिये। बीती छमाही में "हिन्दी परामर्श-समिति" ने नगर के निम्नलिखित 4 कार्यालयों का दौरा किया :

(क) पत्र-सूचना कार्यालय जालन्धर।

(ख) उप-महा-निरीक्षक, के. रि. पु. बल, जालन्धर।

(ग) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जालन्धर।

(घ) अधीक्षक, रेल डाक सेवा, जालन्धर।

समिति ने इन कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का अवलोकन किया और कार्यालय-अध्यक्षों को कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन संबंधी उचित सुझाव दिए, जैसे कि : पत्राचार को बढ़ावा दिया जाना, धारा 3(3) के अंतर्गत सामान्य आदेश द्विभाषी रूप से जारी करवाना, जिन कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग/हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना आदि।

श्री बंदूनी ने कहा कि पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों से राजभाषा विभाग अवगत है। जिन परिस्थितियों में पंजाब स्थित कार्यालय/बैंक/निगम आदि हिन्दी प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। जो हालात इस समय हैं, उसमें हमें जज्बात से काम नहीं लेना है, बल्कि व्यवहारिकता देखकर, एक-दूसरे को समझा-बुझाकर ही राजभाषा हिन्दी को आगे बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे लोग स्वयं हिन्दी प्रगति के बारे में पहल करें, न कि हिन्दी अधिकारी/कनिष्ठ अधिकारियों से ऐसी अपेक्षा करें।

3. पोर्टब्लेयर

पोर्टब्लेयर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस वर्ष की प्रथम बैठक दिनांक 28-07-92 को समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री के. टी. उम्मन प्रभागीय प्रबंधक (का. एवं प्र.) की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 37 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग की ओर से श्री ओ. आर. के. मूर्ति, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), कलकत्ता ने भाग लिया। बैठक का शुभा-रम्भ श्री शकीर अहमद हिंदी अधिकारी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के साधु वचनों से हुआ।

चर्चा के दौरान अधिकाधिक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि हिन्दी शिक्षण योजना के स्थानीय कार्यालय से न तो कक्षाओं में नामांकन हेतु सूचना, न कक्षाओं की समय सारणी समय पर मिलती है। उनके द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र कई सदस्य कार्यालयों से दूर पड़ता है और वे केन्द्र के परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं। सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना या उनके प्रतिनिधि या हिन्दी प्राध्यापक के बैठक में उपलब्ध न होने के कारण इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पायी।

श्री के. टी. उम्मन ने सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि भविष्य में भी वे नगर समिति को अपने दायित्व निभाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ "सागर तरंग" का अगला अंक निकालने हेतु आवश्यक सहायता और सहयोग दें।

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित रूप से बैठक में चर्चा के लिए सदस्य कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को न मिलने के लिए श्री मूर्ति सहायक निदेशक (कार्या.) ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां नियमित रूप से समय पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कलकत्ता तथा सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अवश्य भेजें। इससे राजभाषा के प्रगामी प्रयोग बढ़ाने में उक्त दोनों कार्यालय भी सदस्य कार्यालयों को आवश्यक सुझाव दे सकते हैं।

बैठक में वर्ष 1991-92 में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में विशेष उपलब्धियां हासिल करने तथा योगदान देने वाले कार्यालयों और व्यक्तियों को चल-वैजयंती शील्ड/कप तथा प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के श्री कैलाश चन्द्र के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

4. धनबाद

धनबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस वर्ष की प्रथम बैठक दिनांक 24-07-92 को श्री श्रीनारायण मिश्र, म०प्र० (का०) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री ओ०आर०के० मूर्ति, सहायक निदेशक (कार्या०) द्वारा किया गया।

अपने स्वागत वचनों के साथ अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही शुरू की। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की भी समीक्षा की गयी। विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे नियमित रूप से अपने कार्यालयों की रिपोर्टें समय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव को तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कलकत्ता को भी भेजें।

बैठक में अन्य उपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की साथ ही सभी उपस्थित सदस्यों ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। व्यक्तिगत संपर्क के लिए भी कुछ कार्यालयों के प्रधान अपने कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हुए। इनको पहले ही अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से अ०शा० पत्र भेजे गए फिर भी कोई असर नहीं रहा। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि अनुपस्थितों की सूची उपलब्ध होने पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की ओर से उन्हें अ०शा० पत्र लिखा जाए।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष सितम्बर में सामूहिक रूप से हिन्दी पखवाड़ा मनाने का निर्णय हुआ। आगे से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 15 जून व 15 दिसम्बर को बुलाने का निर्णय भी किया गया।

उदयपुर

उदयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30-6-92 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री बी०एन० सिंह ने की।

पिछली तिमाही में हुई हिन्दी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा :

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (आंचलिक कार्यालय)--में हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत आलोच्य तिमाही में 74 प्रतिशत रहा, जबकि हिन्दी तारों का प्रतिशत 80 रहा। आंचलिक कार्यालय के अन्तर्गत हिन्दी कार्यशालाओं समय-समय पर आयोजन किया जाता है। बैंक के उदयपुर अंचल कार्यालय ने राजभाषा का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। हिन्दी टंकण मशीनें बढ़ाने हेतु पुराने अंग्रेजी टाइपराइटरों के कुंजीपटल बदलवाये जा रहे हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा (क्षेत्रीय कार्यालय)--में हिन्दी की अच्छी प्रगति है। यह कार्यालय नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है। हिन्दी पत्राचार एवं हिन्दी तारों का प्रतिशत क्रमशः 96 व 98 है। कार्यालय में 10 टंकण यंत्रों में से 8 हिन्दी में हैं। बैंक की ओर से हिन्दी का सन्दर्भ साहित्य प्रकाशित किया गया है। समय-समय पर प्रतियोगिताएं आदि की जाती हैं। कुल मिलाकर हिन्दी की अच्छी प्रगति है।

इंडियन ओवरसीज बैंक--में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अच्छी नहीं है। बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि कर्मचारी हिन्दी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि हिन्दी सीखना अनिवार्य है, अतः कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं।

यूनियन बैंक आफ इंडिया--की उदयपुर स्थित चार शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति औसत से अधिक है। सामान्य आदेश शत-प्रतिशत हिन्दी में जारी किए जाते हैं। परन्तु, हिन्दी तारों का प्रेषण केवल चालीस प्रतिशत है। शाखा स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

भारतीय खान ब्यूरो--में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति सराहनीय है। लगभग सारा पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है। तारों का प्रतिशत 65 है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की गतिविधियां भी यहां होती हैं। तकनीकी रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार की जाती है। यह कार्यालय नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

केनारा बैंक--बैंक में हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय तारों का प्रतिशत 47 है। अधिकतर स्टाफ को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान नहीं है। इस संबंध में कहा गया कि उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया जाए। बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है और इसकी समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स--इस बैंक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन होता है। हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत 90 है। सभी स्टेशनरी द्विभाषिक रूप में छपवायी गयी हैं। सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है।

न्यू बैंक आफ इंडिया--की उदयपुर में केवल एक ही शाखा है जिसमें हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अच्छी है। पास-बुक में लगभग 50 प्रतिशत प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं।

आकाशवाणी उदयपुर--में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति ठीक है। लगभग सारा पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है। अनुबंध-पत्र हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। परन्तु, सामान्य आदेश केवल 80 प्रतिशत हिन्दी में जारी किए जाते हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। कार्यालय में हिन्दी अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध हैं। अतः इस मद में शत-प्रतिशत प्रगति होनी ही चाहिए।

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय--के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति सराहनीय हैं। कार्यक्रम हिन्दी में ही तैयार किए जाते हैं। समय-समय पर विचार गोष्ठियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कार्यालय के प्रतिनिधि ने प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। उनसे अनुरोध किया गया कि जब भी समिति की बैठकें की जाएं तब प्रगति के आंकड़े साथ में लाए जाएं।

आन्ध्र बैंक--बैंक के प्रतिनिधि ने पहली बार समिति की बैठक में भाग लिया। हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि की जा रही हैं। पास बुकों में भी प्रविष्टियां हिन्दी में की जाने लगी हैं। वाउचर हिन्दी व अंग्रेजी में बनाए जाते हैं।

दूर संचार विभाग--के प्रतिनिधि ने हिन्दी प्रयोग के संबंध में जो जानकारी दी वह केवल अनुमान पर आधारित सामान्य प्रकृति की थी। उनसे अनुरोध किया गया कि बैठकों में आते समय प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति साथ में लाना चाहिए और उसी के अनुसार ही प्रगति का बयान करना चाहिए। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक में ऐसा ही किया जाएगा।

डाक विभाग--इस विभाग के प्रतिनिधि भी अपने साथ प्रगति की तथ्यगत जानकारी नहीं लाए थे। उन्होंने भी प्रगति के संबंध में सामान्य वक्तव्य दिया और कहा कि विभाग में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अच्छी है। कार्य का निरीक्षण भी किया जाता है और हिन्दी में कार्य करने वालों को पुरस्कार भी दिया जाता है। समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। अध्यक्ष ने कहा कि "प्रगति अच्छी" या "लगभग सारा पत्राचार हिन्दी में किया जाता है" आदि अतथ्यगत वक्तव्य बैठक में नहीं किए जाने चाहिएं। सभी को पिछली छमाही में हुई प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना चाहिए।

न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी--इस कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अच्छी है। लगभग 83 प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है। शेष के लिए बताया गया कि बहुत शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाएंगे। कार्यालय में चार हिन्दी की तथा तीन अंग्रेजी की टंकण मशीनें हैं। हिन्दी टंकण में कर्मचारी प्रशिक्षित हैं। हिन्दी में पत्राचार में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

भारतीय स्टेट बैंक--84 प्रतिशत पास बुकों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण--प्रतिनिधि ने बताया कि उनका मुख्यालय कलकत्ता में है और वहां से पत्र अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं, अतः उनके उत्तर अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया जा सकता है। कार्यालय में हिन्दी टंकण मशीन है, परन्तु हिन्दी टंकण जानने वाला कर्मचारी नहीं है। प्रतिनिधि से कहा गया कि वे कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कराएं। अनुवादक का पद है परन्तु अभी रिक्त है। इसे शीघ्र भरा जाना चाहिए।

देना बैंक--बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय में लगभग 98 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है। बैंक के प्रतिनिधि हिन्दी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट साथ में नहीं लाये थे। उनसे भी अनुरोध किया गया कि भविष्य में हिन्दी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट साथ में लाया करें ताकि सार्थक चर्चा हो सके।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना--में न तो अनुवादक है और न ही टंकक है। प्रतिनिधि को बताया गया कि राजभाषा संबंधी नियमों आदि का पूरा-पूरा पालन किया जाए। प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक में जो सुझाव प्राप्त होंगे उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

बैंक आफ महाराष्ट्र--में सभी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। लगभग सारा पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है। खाता-वही में शत-प्रतिशत प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं।

केंद्रीय आसूचना कार्यालय--इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। सभी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है। कार्यालय को नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजा गया है। कार्यालय में हिन्दी की टंकण मशीन व टंकक नहीं है। इसके लिए लिखा गया है।

केन्द्रीय विद्यालय एर्कलिंगगढ़--धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाता है। हिन्दी में प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है।

केंद्रीय तार-घर--हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं। 9 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी हिन्दी टंकण का ज्ञान रखते हैं। वेतन बिल हिन्दी में तैयार कि जाते हैं। ड्यूटी चार्ट भी हिन्दी में तैयार होते हैं। प्रति-

निधि से यह शिकायत की गई कि हिन्दी में फोनोग्राम नहीं लिए जाते हैं तो उन्होंने बताया कि यह सत्य नहीं है। सभी तार बाबू सहर्ष हिन्दी में तार स्वीकार करते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम (दिल्ली गेट शाखा)--सभी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है। कार्यालय में 5 टंकण मशीनों में एक टंकण मशीन हिन्दी की है, हिन्दी टंकक नहीं है। अतः पालिसियां हिन्दी में जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में अध्यक्ष ने कहा कि अंग्रेजी टंककों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जाए। यह प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। हाथ से लिखे जाते हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया--के प्रतिनिधि ने बताया कि उदयपुर जिले को उनकी बैंक की ओर से हिन्दी जिला घोषित किया गया है। द्विभाषिक टेलेक्स मशीन उपलब्ध है। कार्यालय आदेश आदि शत-प्रतिशत द्विभाषी/हिन्दी में जारी किये जाते हैं। पास बुकों में इन्दराज भी हिन्दी में किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (चेटक सर्कल शाखा)--कार्यालय में 56 कर्मचारियों में से 50 कर्मचारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। कार्यालय में एक हिन्दी टंकण मशीन तथा 2 हिन्दी टंकक उपलब्ध हैं। पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रीमियम सूचना में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाता है।

पंजाब सिंध बैंक--में कार्यालय आदेश आदि शत-प्रतिशत हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत 80 है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। तारों का प्रतिशत 50 है। बैंक में हिन्दी टंकक नहीं है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय--के प्रतिनिधि ने तथ्यगत जानकारी नहीं देते हुए प्रगति की सामान्य जानकारी दी। हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। नियम 10(4) के अन्तर्गत यह कार्यालय अधिसूचित है। कार्यालय में हिन्दी की टंकण मशीन है।

केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क--में डिमांड नोटिस अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं। कार्यालय में दो टंकण मशीनें अंग्रेजी की तथा एक हिन्दी की है। एक द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर भी है। प्रतिनिधि अपने साथ हिन्दी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट नहीं लाए थे। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्य में प्रायः हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम--यह कार्यालय "भारतीय राजपत्र" में अधिसूचित है। 48 में से 47 कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। हिन्दी टंकक एवं हिन्दी आशुलिपिक उपलब्ध है तथा हिन्दी की एक टंकण मशीन भी उपलब्ध है। हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत केवल 40 है, जो कि लक्ष्य से कम बहुत कम है। इसमें प्रगति करने के लिए कहा गया।

पंजाब नेशनल बैंक--बैंक में लगभग 99 प्रतिशत कार्यालय आदेश हिन्दी में निकाले जाते हैं। इस बैंक के प्रतिनिधि भी हिन्दी प्रयोग की तथ्यगत प्रगति रिपोर्ट साथ में नहीं लाये थे।

ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी--इसके प्रतिनिधि भी अपने साथ हिन्दी प्रयोग की तथ्यगत प्रगति रिपोर्ट नहीं लाये थे और उन्होंने प्रगति के संबंध में सामान्य वक्तव्य ही दिया था। अध्यक्ष ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि बैठक में प्रगति के आंकड़े ही प्रस्तुत किये जाने चाहियें ताकि उन पर सार्थक चर्चा की जा सके और प्रगति को बढ़ाने के उपाय किये जा सकें। प्रतिनिधि के अनुसार अधिकांश पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है परन्तु पालिसियां अंग्रेजी में ही जारी की जाती हैं। कार्यालय में हिन्दी टंकक नहीं है। इस पर अध्यक्ष ने पूछा कि फिर पत्राचार हिन्दी में कैसे किया जाता है। इस पर प्रतिनिधि ने बताया कि पत्र आदि हाथ से ही लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के आशुलिपिकों/टंककों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

युनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी--हिन्दी टंकण मशीन उपलब्ध हैं और हिन्दी टंकक भी हैं। कम्प्यूटर में हिन्दी के प्रयोग को प्रारम्भ करने हेतु प्रधान कार्यालय को लिखा गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग--कार्यालय में हिन्दी का टंकक नहीं है। हिन्दी पत्रों के उत्तर हाथ से लिखकर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

युनाइटेड कमर्शियल बैंक--उदयपुर में बैंक की 2 शाखाएं हैं और दोनों ही शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति औसत हैं। अभी तक कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है। इन्हें शीघ्र हिन्दी का ज्ञान कराया जाए। लगभग 78 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। बैंक में कई आदेश केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जाते हैं जो कि नियमानुकूल नहीं है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड--हिन्दी में पत्राचार अभी लक्ष्य से कम है। इसमें वांछित प्रगति अपेक्षित है।

खान सुरक्षा विभाग--में पहले की तुलना में अच्छी प्रगति हो रही है। फिर भी, मूल पत्राचार में और अधिक प्रगति की आवश्यकता है। कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

रेलवे प्रशिक्षण विद्यालय--में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति सराहनीय है। हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत 90 से भी अधिक है और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का 100 प्रतिशत अनुपालन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्य हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से किया जाता है। कार्यालय टिप्पणियों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने की गुंजाइश है।

उदयपुर काटन मिल्स--में हिन्दी के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समय-समय पर प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है

जिनके फलस्वरूप हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सभी फार्म आदि द्विभाषिक हैं और वे प्रायः हिन्दी में ही भरे जाते हैं। हिन्दी के प्रयोग में और अधिक वृद्धि करने की गुंजाइश है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय विद्यालय, प्रतापनगर—विद्यालय में लगभग सारा काम हिन्दी में ही किया जाता है। प्रतिनिधि अपने साथ हिन्दी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट नहीं लाये थे इसलिए तथ्यगत सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकी। प्रतिनिधि के बयान के अनुसार रोकड़ बही आदि में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाता है।

केन्द्रीय टंकण हिन्दी आशुलिपि परीक्षाओं में बैठने के संबंध में

सचिव ने बैठक में बताया कि राजभाषा नियमों के अनुसार अंग्रेजी के टंककों/आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टंकण व हिन्दी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, इसके लिए कर्मचारियों की इच्छा या रुचि का कोई प्रश्न बीच में नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु मना भी नहीं कर सकता। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जिन कार्यालयों में हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी निदेशों के अनुसार आगामी दो-तीन वर्षों में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष ने अपने उद्‌बोधन में सर्वप्रथम बैठक के आयोजन में सहयोग देने के लिए रेलवे प्रशिक्षण विद्यालय तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही, सभी उपस्थितों का बैठक में भाग लेने पर आभार प्रदर्शित किया।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि बैठक में 39 सदस्य कार्यालयों के 48 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है ऐसी स्थिति आगे भी बनाये रखना चाहिए।

6. पुणे (बैंक)

पुणे स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक गुरुवार दिनांक 9 जुलाई 1992 को पुणे अंचल के उप महाप्रबंधक (स्थानापन्न) श्री मधुसूदन सरदेशपांडे की अध्यक्षता में हुई। पूणे अंचल की उपप्रबंधक (राजभाषा) डॉ० विदुला गोरे ने सभी का स्वागत किया।

शाखाओं से संबंधित विशेष कार्य के अंतर्गत 2 से 90% तक हिन्दी का प्रयोग पाया गया है। श्री मेहता ने कहा कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है इसलिए उपाय करने चाहिएं और दो प्रतिशत कामकाज को बढ़ाया जाए। सचिव ने कहा कि पासबुक के अंतर्गत इंडियन बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हिन्दी का प्रयोग शून्य है परन्तु स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 100% हिन्दी का प्रयोग दर्शाता है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक 70% और बैंक ऑफ इंडिया 75% उल्लेखनीय है।

लेजर वहियों के अंतर्गत हिन्दी का प्रयोग 10 से 94% तक है। इसमें भी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अधिकतम 94% हिन्दी का प्रयोग करता है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया 78% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 65% तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 60% हिन्दी का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत इंडियन बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में इस मद में हिन्दी का प्रयोग शून्य है।

वाउचर के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 100% हिन्दी का प्रयोग दर्शाता है साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 80% तथा बैंक ऑफ इंडिया 75% हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

चैक, भुगतान पर्ची/ड्राफ्ट के अंतर्गत हिन्दी का उल्लेखनीय प्रयोग करने वाले बैंक हैं—स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 100%, बैंक ऑफ इंडिया 75%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 60%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा भारतीय स्टेट बैंक 58%। जमा रसीदों के अंतर्गत हिन्दी का उल्लेखनीय कार्य करने वाले बैंक हैं—सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 70%, बैंक ऑफ इंडिया 65%, भारतीय स्टेट बैंक 75%, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 89% तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 55%।

विवरण के अंतर्गत हिन्दी का प्रतिशत अच्छा है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, 99%, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 100%, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 100%, पंजाब नेशनल बैंक 100% उल्लेखनीय है।

इस शाखा से संबंधित कार्य की सभी मदों में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने हिन्दी का सराहनीय प्रयोग किया है और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर ने हिन्दी का प्रयोग नहीं किया है। इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कार्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने हिन्दी का प्रयोग बहुत ही कम किया है।

हिन्दी पत्राचार के 70% लक्ष्य की पूर्ति करने वाले बैंक हैं :—

1. बैंक ऑफ इंडिया	70%
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	74%
3. पंजाब नेशनल बैंक	73%
4. भारतीय स्टेट बैंक	70%

निम्नलिखित बैंक लक्ष्य के निकट हैं :—

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	61%
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	60%
3. इंडियन ओवरसीज बैंक	65%

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-प्रधानाचार्य श्री बी० सत्यनारायणा ने बताया कि मैं पहले गोहाटी में था और गोहाटी "ग" क्षेत्र में आता है। जिस समय वहां पहुंचा था तब हिन्दी कामकाज 5% था और चार साल में हमने यह 20% बढ़ाया है। हिन्दी का कार्य अभिप्रेरणा, अपनापन और वचनबद्धता से ही होगा।

7. बीकानेर

उत्तर रेलवे, बीकानेर के मंडल रेल प्रबन्धक, श्री बिशन स्वरूप अग्रवाल की अध्यक्षता में दिनांक 29-6-92 को 16.00 बजे मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर की 20वीं बैठक सम्पन्न हुई।

आकाशवाणी बीकानेर के हिन्दी अधिकारी श्री सुशील कान्त सिन्हा ने बतलाया कि उनके यहां 90% कार्य हिन्दी में और केवल 10% अंग्रेजी में हो रहा है। अंग्रेजी में होने वाला कार्य केवल वैज्ञानिक तकनीकी प्रकृति का है। उनके यहां उपलब्ध अंग्रेजी टाइपराइटर तो तभी बदले जा सकेंगे जब कोई उन्हें लेकर उनके बदले हिन्दी के देने को तैयार हो जाए।

सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया के दिल्ली से पधारे मुख्य अधिकारी भी कृष्ण मोहन मिश्र ने बताया कि उनके यहां हिन्दी भाषी क्षेत्र के सभी कर्मचारी हिन्दी में कार्य करते हैं उनके यहां हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित लगभग सभी जिले हिन्दी जिले घोषित किये गये है। राजस्थान भी हिन्दी भाषी क्षेत्र है। यहां से केवल "ग" क्षेत्र को जाने वाले पत्रों को छोड़कर सभी पत्र हिन्दी में लिखे जाते हैं। वाउचर हिन्दी में बनते हैं। पास बुक, चैक बुक आदि हिन्दी में हैं। खाता रजिस्टर हिन्दी में हैं।

सेण्ट्रल बैंक बीकानेर के प्रबन्धक श्री के. एल पंचारिया ने बतलाया कि उनके यहां टाइपिस्ट हिन्दी के नहीं है। अन्य काम जैसे पत्राचार, मूल पत्राचार, वाउचर रजिस्टर रोकड़ बुक, खाता बुक आदि लगभग सभी हिन्दी में हैं।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री कोमल कान्त झा ने बताया कि उनके बीकानेर, श्री-गंगानगर, चूरू, सीकर और झुंझनू ये पांच जिले हैं जिनमें बैंक की 42 शाखाएं है। इन सभी जिलों में कार्यरत बैंक के शाखाओं में कार्य पूर्णरूपेण हिन्दी में किया जाता है उनके यहां टेलेक्स हिन्दी में हैं। सभी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी हैं। नये खरीदे जाने वाले सभी टाइपराइटर हिन्दी में खरीदे जा रहे हैं। कम्प्यूटर हिन्दी में करवाये जा रहे हैं। पत्राचार मूल पत्राचार, पूरी तरह से हिन्दी में किया जा रहा है। केवल विदेशों को भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। "ग" क्षेत्र को भी हम पत्र हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में लिखते हैं। "क" और "ख" के क्षेत्र के साथ पत्राचार शत प्रतिशत हिन्दी में किया जाता है।

उपायुक्त आयकर श्री एन. एल. कालरा ने अपने कार्यालय में हिन्दी लाने के प्रयास की दिशा में अपना अनुभव बतलाते हुए, कहा कि उन्होंने सबसे पहले ये मदें निर्धारित की जिनमें आसानी से हिन्दी में कार्य करना प्रारम्भ किया जा सकता था और फिर उस पर कार्य करना शुरू किया। इससे उन्हें धीरे-धीरे प्रगति करने का अवसर मिला। जैसे अंग्रेजी में लिखे प्रार्थना पत्र वापस लौटाना और हिन्दी में मांगना। फाइलों पर साधारण छोटी छोटी-टिप्पणियां हिन्दी में लिखना, आदेश हिन्दी में देना आदि।

उनका सुझाव था कि यदि अन्य लोग भी इस प्रकार पहले मदें निर्धारित कर लें और फिर उन मदों में कार्य करना प्रारम्भ करेंगें तो हिन्दी प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री सुशील सिंधवी ने कहा कि उनके बीकानेर में आने से पहले पंजाब नेशनल बैंक में हिन्दी कार्य नहीं के बराबर होता था। उन्होंने यहां आकर सर्वप्रथम हिन्दी कार्य की ओर ध्यान दिया और आज उनके यहां 95% कार्य हिन्दी में होता है। श्री सिंघवी ने कहा कि हम तीन हिन्दी सेमिनार भी आयोजित कर चुके हैं।

न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं. के सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री एस. एल. सिंगारिया ने अपने कार्यालय की स्थिति बताते हुए कहा कि उनके यहां हिन्दी लगभग 98% होता है। मोहरें हिन्दी में हैं। टाइपराइटर भी हिन्दी के आ गये हैं जिनसे 95% कार्य हिन्दी में किया जाता हैं।

अंत में समिति के सचिव एवं राजभाषा अधिकारी श्री गोपाल सिंघल ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

8. नागपुर (बैंक)

नराकास (बैंक) की दिनांक 5 जून 1992 को आठवीं बैठक हुई इसकी अध्यक्षता बैंक आफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक श्री जयशील यो. दीवान जी ने की।

समिति के अध्यक्ष श्री जयशील यो. दीवानजी ने बैठक में उपस्थित आमंत्रितों तथा सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्णनारायण मेहता का समय-समय पर हमें सहयोग तथा मार्ग दर्शन प्राप्त होता रहा है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक श्री सुवर्णा ने समिति को सूचित किया कि उनके बैंक में हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु काफी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तथा बैंक के आन्तरिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को सतत बढ़ाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं जिससे कि राजभाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो।

दूरसंचार विभाग के श्री मीरचंदानी ने समिति को अवगत कराया कि नागपुर में द्विभाषिक टैलेक्स की मांग है तथा वर्तमान में नगर में 15-20 द्विभाषिक टैलेक्स उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक नागपुर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आरम्भ नहीं होता है तब तक टैलेक्स रोमन में ही कार्य करने हेतु सक्षम रहेंगे। 50–100 द्विभाषिक टैलेक्स के प्राप्ति की संभावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि बाहर से टेलेक्स (द्विभाषिक) खरीद लिए जाएं तो उनको दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापना की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री रमेश श. बिडीकर ने कहा कि इस बैठक में मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे सामने बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। मुझे यह महसूस हुआ कि नगर को राजभाषा कार्यान्वयन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी।

9. कलकत्ता

कलकत्ता (केंद्रीय) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस वर्ष की प्रथम बैठक दिनांक 18-06-1992 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आडिटोरियम में हुई। इसकी अध्यक्षता श्री सी. पी. बोहरा, महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अन्य सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों के अलावा कलकालिक क्षेत्र-1 के उपाध्यक्ष, श्री एस. आर. वधवा, मुख्य आयकर आयुक्त के प्रतिनिधि श्री बी. आर शर्मा, आयकर आयुक्त, कलटालिक क्षेत्र-3 के उपाध्यक्ष श्री के. एस. भट्टा मुख्य डाक महाध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा), श्री मणिराम, राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री ओ. आर. के. मूर्ति सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), श्री जी. डी. केशवानी, उप निदेशक (पूर्व), हिन्दी शिक्षण योजना तथा डा. मलय विकास पहाड़ी केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, कलकत्ता भी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर बैठक में 150 कार्यालयों का प्रतिनिधित्व हुआ।

बैठक का शुभारम्भ श्री आर. सुन्दरम, सदस्य आयुद्ध निर्माणी बोर्ड एवं उपाध्यक्ष (समन्वय) कलटालिक के मधुर स्वागत भाषण से हुआ।

बैठक में सबसे पहले तिमाही प्रगति रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में जो अच्छाईयां है उसके लिए प्रशंसा तथा कमियों को दूर करने के लिए अनुरोध किया गया। तत्पश्चात कलटालिक द्वारा संचालित प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र आदि से मुख्य अतिथि श्री मणि राम निदेशक (राजभाषा) रक्षा मंत्रालय के कर कमलों से सम्मानित किया गया।

श्री ए. के. सरकार, संयुक्त विकास आयुक्त (लोहा एवं ईस्पात) तथा उपाध्यक्ष कलटालिक क्षेत्र –2 के प्रतिनिधि के धन्यवाद ज्ञापन से बैठक समाप्त हुई।

10. देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति देवास की नवीं बैठक दिनांक 3-6-92 को बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में हुई। बैठक बैंक आफ इंडिया, अग्रणी कार्यालय में की जानी थी लेकिन विद्युत आपूर्ति बन्द होने तथा मेज-बान कार्यालय की सहमति और कुछ अन्य सदस्यों के अनुरोध पर बैठक स्थल परिवर्तित किया गया। बैठक बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के महाप्रबन्धक श्री जे. सी. गुलाटी की अध्यक्षता में हुई।

हिंदी में काम्काज की समीक्षा

इस प्रकार 21 कार्यालयों की प्रगति की जानकारी इस प्रकार है :—

हिन्दी पत्रोत्तर

1. हिन्दी प्राप्त कुल पत्र	17,530
2. हिन्दी में उत्तर	10,167
3. अंग्रेजी में उत्तर	92

इस अवधि के दौरान दूर संचार विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सि) ने हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। इस बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, (सिविल), के सहायक अभियंता ने बताया कि वह इसकी जांच करके समिति को सूचित करेंगे।

पत्राचार

कुल जारी पत्र	हिन्दी पत्र	अंग्रेजी पत्र	हिंदी पत्रों का %
31,427	27,678	3,749	88%
तार	हिन्दी तार	अंग्रेजी तार	हिन्दी तारों का %
480	243	237	51

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल के प्रभारी अनुसंधान अधिकारी श्री रामजग यादव ने सर्वप्रथम देवास नगर समिति को वर्ष 1989–90 के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित होने के उपलक्ष्य में बधाई दी ।

श्री यादव ने अंशकालिक हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र की सुविधा का लाभ उठाने का आव्हान किया और सभी कार्यालयों से कहा कि देवास नगर उन चन्द भाग्यशाली शहरों में से है जहां अंशकालिक प्रशिक्षण के केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण को सुविधा उपलब्ध है ।

12. बम्बई (बैंक)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बंबई की 13वीं छमाही बैठक दिनांक 23-6-1992 को एम . सी. घिया हाल, बंबई में हुई । बैठक की अध्यक्षता बैंक आफ महाराष्ट्र के उप-महाप्रबंधक श्री प्र. अ. चितले ने की। इस बैठक में केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान नई दिल्ली के निदेशक श्री महेश चन्द्र दुबे, श्री कृष्ण ना. मेहता उप निदेशक (कार्यान्वयन), श्री राजेश्वर गंगवार उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी बी ओ डी उपस्थित थे ।

बैठक में बैंकों में हिन्दी के कामकाज की व्यापक समीक्षा की गई। साथ ही, समिति की ओर से बैंकों के लिए एक शील्ड योजना का आरंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने संबंधी निर्णय इस बैठक में लिया गया। इन कार्यक्रमों में 7 अंतर्बैंक प्रतियोगिता में अनुवाद प्रशिक्षण, राजभाषा अधिकारियों के बैंकिंग विषयक प्रशिक्षण, कार्यपालकों के लिए विशेष संगोष्ठी आदि का समावेश है । इसके अतिरिक्त समिति की ओर से ऐसे कार्यपालकों / कर्मचारियों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया जो अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों के प्रति बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रभारी उप प्रबंधक (राजभाषा) डा. दामोदर खडसे ने आभार व्यक्त किया ।

13. बर्नपुर-आसनसोल

बर्नपुर––आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 26-05-1992 को "ईसको" के सभा कक्ष में हुई । बैठक की अध्यक्षता श्री शुशील कुमार दास पटनायक प्रबंधक निदेशक व अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने की। बैठक की शुरूआत सदस्य सचिव श्री पोहारी शरण सिन्हा के स्वागत भाषण से हुई।

सदस्य कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी के प्रगामी प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा श्री ओ.आर.के. मूर्ति, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा की गई। उनकी समीक्षा करते समय उन्होंने सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने यहां की रिपोर्ट समय पर नियमित रूप से सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तथा उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कलकत्ता-20 को भी भिजवाया करें। इस अवसर पर उन्होंने तीन कार्यालयों का निरीक्षण भी किया।

वर्ष 1990–91 की तरह 1991–92 के लिए चल वैजयंती शील्ड का वितरण किया गया । वर्ष 1991–92 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय आसनसोल चुना गया। अध्यक्ष द्वारा इस कार्यालय को शील्ड प्रदान की गई। अध्यक्ष ने सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपनी अपनी रिपोर्टें समय पर भिजवाएं और अपने कार्यालय द्वारा उपलब्ध हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि की प्रशिक्षण सुविधा का फायदा उठाकर अपने-अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराएं।

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिण कमान, पुणे–411001

वर्ष 1992–1993 की दूसरी तिमाही बैठक रक्षा लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता में दिनांक 29-07-92 को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री विश्वजीत बनर्जी, भा. र. ले. से., रक्षा लेखा नियंत्रक (अध्यक्ष) ने की।

मुख्य कार्यालय के कुछ अनुभागों द्वारा 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक पत्राचार हिन्दी में किया गया है और चार पांच अनुभागों का हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत बहुत ही कम है। सुश्री देविका सेंगर, भा. र. ले. से. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक ने सूचना दी कि कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा तिमाही लेखा वियरण बहुत अधिक संख्या में द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है।

हिन्दी अधिकारी ने मुख्य कार्यालय द्वारा अपने ही संसाधनों से बनाई जा रही गृह पत्रिका का नमूना समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया । अध्यक्ष महोदय ने पत्रिका का नाम तय करने के संबंध में सुश्री देविका सेंगर, श्रीमती अंशुमती अ. दुनाखे तथा श्री गोविंदराव की एक समिति बनाई। अध्यक्ष ने अभिलाषा व्यक्त की कि पहली गृह पत्रिका 15 अगस्त तक प्रकाशित कर दी जाए।

2. पूर्व रेलवे मंडल, मुगलसराय

पूर्व रेलवे, मंडल, मुगलसराय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक 30-7-92 को श्री महेशचन्द्र श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबन्धक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

हिन्दी पत्राचार विषयक लक्ष्यों के बारे में बैठक में सम्पन्न चर्चाओं का सार इस प्रकार है :--

पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

क्षेत्र "क" और "ख" को आशयित 100% तथा क्षेत्र "ग" को आशयित 30%/35% हिन्दी पत्राचार के लक्ष्यों के संदर्भ में दिसम्बर 91, मार्च 92 और जून 92 की तिमाहियों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए :

दिसम्बर/91 तिमाही

	कुल पत्र	हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत
(1) "क" एवं "ख" क्षेत्रों को भेजे गए पत्रादि	6488	6448	40	99.3%
(2) "ग" क्षेत्र को भेजे गए पत्रादि	536	167	369	31.15%
	7024	6615	409	94.4%

मार्च/92 तिमाही

	कुल पत्र	हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत
(1) "क" एव "ख' क्षेत्रों को भेजे गए पत्रादि	5776	5751	25	99.55%
(2) "ग" क्षेत्र को भेजे गए पत्रादि	454	156	298	34.36%
	6230	5907	323	94.8%

जून/92 तिमाही

	कुल पत्र	हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत
(1) "क" एव "ख" क्षेत्रों को भेजे गए पत्रादि	10556	10521	35	99.6%
(2) "ग" क्षेत्र को भेजे गए पत्रादि	1539	954	585	61.98%
	12095	11475	620	94.8%

जन सम्पर्क के स्थलों पर हिन्दी का प्रयोग (नामबैज, पदनामबैज, मनी रसीद, पार्सल–रवन्नाबिल, बिल्टियां, अमानती समानघर रसीदें आदि समिति को बताया गया कि अधिकांशत: नामबैज, पदनामबैज आदि द्विभाषी रूप में बनवाकर जारी किए जा चुके हैं। किन्तु स्टेशन कर्मचारी अभी भी केवल अंग्रेजी के ही बैज धारण कर रहे हैं। पिछली बैठक में उपर्युक्त बैजों को द्विभाषी रूप में धारण करने और उक्त वर्णित रसीदों को हिन्दी में जारी कराने के निदेश मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा सहायक वाणिज्य अधीक्षक को दिये गये थे। उक्त निदेशों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट वाणिज्य शाखा से अभी भी प्रतीक्षित है।

अध्यक्ष ने उक्त वस्तुस्थिति पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस बारे में वाणिज्य शाखा से स्पष्टी करण मांगा जाए तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक उक्त वर्णित कार्य हिन्दी में सम्पन्न कराने के बारे में 14-8-92 तक ब्यौरेवार रिपोर्ट पेश करें।

"क" और "ख" क्षेत्र के लिए पास/पी टी. ओ. हिन्दी में जारी करना : श्री चंद्रगोपाल शर्मा ने बताया कि मंडल की ओर से "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए पास/पी. टी. ओ. हिन्दी में जारी हो रहे हैं। समिति ने इस वस्तुस्थिति पर संतोष व्यक्त किया तथा यह निर्णय लिया कि अन्य अधीनस्थ कार्यालयों ने भी जहां से पास जारी किये जाते हैं "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए निर्गत पास और पी. टी. ओ. केवल हिन्दी में ही बनाए।

3. बालको (प्रधान कार्यालय) नई दिल्ली

बालको प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 55 वीं बैठक 24-7-1992 को कम्पनी के प्रधान कार्यालय में श्रीमती उषा राय, निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में की गई।

कोरबा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची मंगाई गई है। इस संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि, कोरबा परियोजना के पुस्तकालय को ही **केन्द्रीय पुस्तकालय** के रूप में लिया जाए और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, श्री सुरेन्द्र कुमार कोरवा जाकर वहां के पुस्तकालय और साहित्य का अवलोकन करें। साथ ही, ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोरवा से विधि साहित्य एंव तकनीकी पुस्तकें प्रधान कार्यालय में मंगाई जाएं और तीन महीने की अवधि के बाद उन पुस्तकों को कोरवा वापस भेंज दिया जाए।

यह अपेक्षा की गई कि जुलाई से सितम्बर, 1992 की तिमाही में हिन्दी में पत्राचार में कम से कम 2 से 3% की वृद्धि करेंगे उदाहरणार्थ औद्योगिक संबंध 70%, प्रशासन 58%, वित्त 53% सचिवालय 75% कार्मिक 62%, योजना एवं विकास 42%, परियोजना एवं अधिप्राप्ति 60%, और विपणन विभाग 42% हिन्दी पत्राचार करेंगे और सभी विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

बैठक में वर्ष 1992–93 के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा की गई और कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की ओर समिति के

सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया गया और यह आशा व्यक्त की गई कि सभी सदस्य अपने-अपने विभागों में यथासंभव इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास करेंगे।

4. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डी-गामा, गोवा

अप्रैल-जून 1992 अवधि के लिए दिनांक, 20 जुलाई, 1992 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कमो. राज वेंकटेश की अध्यक्षता में हुई।

वार्षिक कार्यक्रम 1992-93 पर चर्चा

(क) पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग :— अध्यक्ष ने कंपनी सचिव को सुझाव दिया कि पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति को बढ़ाया जाए, उन्हें सुझाव दिया कि मझगांव डॉक लिमिटेड, अंडमान निकोबार सरकार आर सी डी आई नौसेना से पत्राचार पूर्ण रूप से हिंदी में ही कराया जाए। प्रेषण विभाग में हिन्दी में पत्राचार के लिए अलग रजिस्टर रखा जाए।

वार्षिक कार्यक्रम के मुताबिक 10% तार/टैलेक्स/नक्शे (मेप्स एवं स्केचस) हिन्दी में तैयार करना चाहिए। अध्यक्ष ने विभाग प्रधानों से अनुरोध किया है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(ख) निर्धारित कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं का प्रयोग:—अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है कि सभी मेमोरांडम आफ अंडरस्टांडिग्स, ठेके, कोड द्विभाषिक में होना चाहिएं। अंतरीय लेखा परीक्षा मेन्युअल अनुवाद के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाए।

(ग) फार्मों को द्विभाषी में मुद्रण करना :—अध्यक्ष ने अनुदेश दिया कि अस्थाई ड्यूटी अनुमोदन फार्म, दावे फार्म, स्टांडर्ड फार्मेट, संदर्शन कार्ड, पत्र शीर्ष आदि द्विभाषिक रूप में मुद्रण करना चाहिए।

(घ) रजिस्टर्ड कार्यालय पता द्विभाषिक रूप में तैयार करना :— कंपनी सचिव ने प्रस्ताव रखा है कि प्रशासनिक भवन के प्रवेश में स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय पता द्विभाषी रूप में तैयार करना है। अध्यक्ष ने इसे द्विभाषी रूप में तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

(ङ) प्रशिक्षु विद्यालय में प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से करवाना:—वर्तमान स्थिति में प्रशिक्षु विद्यालय से केवल समाज शास्त्र हिन्दी में पढ़ाया जा रहा है। अन्य विषयों को हिन्दी भाषा के माध्यम से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में लघुकालीन गहन पाठ्यक्रम में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजना है। अध्यक्ष ने इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा।

(च) राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डालने वाले वृत्त चित्रों की खरीद :—समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार किए गए हिंदी के विकास के लिए हुए कार्य पर प्रकाश डालने वाले राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं और स्वयं सेवी संस्थाओं और महापुरुषों के वृत्त चित्र जो मधुर संगीत के साथ मनोहरी नृत्य के दृश्य भी प्रदान करते हैं, उन्हें क्रय करने की सहमति प्रदान की।

5. आकाशवाणी सांगली

आकाशवाणी सांगली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1992 की दूसरी तिमाही बैठक दि. 7-7-92 को श्री एम. नैथ्यू, केन्द्र अभियंता के अध्यक्षता में हुई।

पिछली बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि कार्यालय के पहले खंड में लगाये गये प्रेस्टो लेटर बोर्ड पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों का नाम सहित पदनाम की सूची द्विभाषी में बनवाया जाए। इस बात पर ध्यान देते हुए श्री जयंत एरंड के. नि. ने यह सुझाव दिया कि फिलहाल प्रेस्टो लेटर बोर्ड पर राजपत्रित अधिकारियों की सूची अंग्रेजी में स्थित है। अतः प्रेस्टो लेटर बोर्ड पर राजपत्रित अधिकारियों की सूची अलग से हिन्दी में बनाया जाए।

बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि कार्यक्रम अनुभाग के कर्मचारी श्री सर्जेराव अरबुणे, लिपिक श्रेणी I को कार्यालयीन अवधि में ही शासन मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी आशुलिपिक का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जाए।

पिछली बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि आकाशवाणी सांगली केन्द्र के स्वतंत्र रूप से 40–50 पन्नों की हिन्दी में त्रैमासिक पत्रिका निकालें। खर्च करने हेतु महानिदेशालय के वित्त विभाग को निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेज दिया जाए।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने यह सुझाव दिए कि वृहस्पतिवार के दिन कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी वर्ग कार्यालयीन कामकाज अनिवार्य रूप से हिंदी में किया जाए।

श्री जयंत एरंडे केन्द्र निदेशक ने यह सुझाव दिया कि ब्लैक बोर्ड पर हिन्दी/अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषा में हिन्दी शब्दों के अलावा हिन्दी में सुविचार प्रतिदिन लिखने का सुझाव दिया।

रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान जम्मू छावनी

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 26 जून, 1992 को श्री सन्तोख सिंह, रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

समिति को सूचित किया गया कि 3/92 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के अनुसार संगठन में 192 सामान्य आदेश द्विभाषी और 81 केवल अंग्रेजी में जारी किये गए। इस

तिमाही के दौरान 4759 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 2648 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। शेष पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। अतः फाईल कर दिये गए। हिन्दी में 20461 पत्र लिखे गए और अंग्रेजी में 39603 जो कि लगभग 51.66% होते हैं। इस प्रकार हमारा संगठन लक्ष्य से काफी अधिक काम हिन्दी में कर रहा है।

समिति को सूचित किया गया कि कार्यालय में 30 सितम्बर, 1991 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 75 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था। इनमें से 16 कर्मचारियों को पिछले सत्र में प्रशिक्षित किया गया था। इस सत्र में भी 15–16 कर्मचारियों को नामित किया जा रहा है।

हिन्दी टाईपिंग के लिए पिछले सत्र में 16 कर्मचारियों को नामित किया गया था जिसमें से केवल 7 कर्मचारियों ने अपनी कक्षा में दाखिला लिया। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार यह प्रशिक्षण 31 मार्च, 1995 तक पूरा करवाया जाना है। हमारे कार्यालय में 214 लिपिक है जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना है।

ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं कि दाखिला लेने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में नहीं जाने दिया जाता जबकि नामांकन के बाद कक्षा में दाखिला लेना, कक्षाओं में उपस्थित रहना तथा अंत में परीक्षा देना अनिवार्य है। ऐसा न करना कर्त्तव्य की अवहेलना समझा जाता है। कई सदस्यों ने यह कहा कि कभी कभार कोई अत्यावश्यक काम हो तो रोका जाता है वर्ना सभी को प्रशिक्षण के लिए छोड़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे कर्मचारियों के नाम प्रशा./अनुभाग को भेजे जाएं ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।

कार्यालय को राजभाषा शील्ड पुरस्कार

समिति को सूचित किया गया है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक ने सूचित किया है कि हमारे संगठन को वर्ष 1990 तथा 91 दोनों वर्षों के लिए "राजभाषा शील्ड" से पुरस्कृत किया गया है। इस प्रकार हमारे संगठन को यह शील्ड लगातार 4 वर्षों से मिल रही है। समिति के सदस्यों ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की और अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि सभी सदस्य इस स्थिति को बनाये रखे।

कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर

कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति को 56वीं बैठक दिनांक 30 जून 1992 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री आर. कल्याणरमण की अध्यक्षता में हुई।

दिसंबर 91 तथा मार्च 92 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा समीक्षा तथा चेक/ड्राफ्टस की स्थिति

उक्त दोनों तिमाही रिपोर्टों की तुलनात्मक स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष ने कहा कि तिमाही के पत्र प्रेषण संबंधी स्रोत (आवक जावक रजिस्टर) का सही तरीके से रख-रखाव किया जाना चाहिए, आवश्यक हो तो इस विषय में प्रशासन अधिकारी परस्पर विचार-विमर्श करके उक्त स्रोत का मानक स्वरूप तैयार कर तद्नुसार अनुपालन करवाए ताकि भविष्य में कभी भी निरीक्षण पर आने वाली संसदीय राजभाषा समिति को समाधान जनक उत्तर दिया जा सके।

8. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० लोकतक जल विद्युत परियोजना, कोमकेरप, मणिपुर

लोकताक जल विद्युत परियोजना की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1992 के लिए दूसरी तिमाही बैठक दिनांक 18-6-1992 को श्री राजकुमार यादवेन्द्र मुख्य अभियंता के कक्ष में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपस्थिति पंजी में कर्मचारियों के नाम द्विभाषी में लिखे जाएं जिसे सभी उपस्थित सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सुझाव दिया कि सहायक हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक द्वारा सभी विभागों में निरीक्षण किया जाए और जहां कहीं आवश्यक हो वहां नाम लिखने में सहायता दी जाए। उनके सुझाव को भी स्वीकार कर लिया गया और यह आशा व्यक्त की गई कि इस प्रक्रिया से हिन्दी के प्रयोग में बढ़ोतरी हो सकती है।

द्विभाषी फार्म

उप प्रबन्धक (समन्वय) ने बतलाया कि उपयोग में आने वाले फार्मों/रजिस्टरों को दुबारा द्विभाषी में छपवा लिया गया है और मांग के अनुसार विभागों को दिये जा रहे हैं। उस पर अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों से फार्मों को हिन्दी में भरवाने के लिए प्रयास किये जाए।

कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग

तय किया गया कि कार्यालय में प्रयोग होने वाले छोटे-छोटे टिप्पणियों/वाक्यांशों को संकलित कर के द्विभाषी रूप में सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाए।

दिनांक 31-3-92 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा

पिछली तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई। कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया।

मणिपुरी माध्यम से हिन्दी

मणिपुरी कक्षाओं के बारे में तय किया गया कि उसें सप्ताह में दो दिन बुधवार व शनिवार को चलाया जाए।

वर्ष 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम पर विचार विमर्श

मुख्यालय से प्राप्त वर्ष 1992–93 के वार्षिक कार्यक्रम पर विस्तार सें चर्चा की गई। तय किया गया कि लागू होने वाले निम्नलिखित पदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रयास किये जाएं :—

(1) हिन्दी में पत्राचार

(2) हिन्दी में तार/टैलेक्स भेजा जाना।

(3) देवनागरी टाइपराइटर

(4) हिन्दी टाइपिस्ट/आशुलिपिक

(5) धारा 3 (3) का अनुपालन

(6) द्विभाषी स्टेशनरी का उपयोग ।

(7) द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था।

(8) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

(8) हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।

(10) हिन्दी दिवस सप्ताह का आयोजन।

(11) हिन्दी पुस्तकालय के लिए हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद

सदस्य-सचिव ने बतलाया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु लगभग 10 प्रकाशनों से पुस्तकों की सूची मंगवायी गयी है। अध्यक्ष महोदय ने सलाह दिया कि उन सूचियों को लेकर सभी विभागों के पास जाएं एवं उनसे पुस्तकों का चयन करवाये और अन्त में अन्तिम सूची तैयार कर खरीद हेतु कार्रवाई की जाए।

प्रशिक्षण

समिति को अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को दिये जा रहे हिन्दी प्रशिक्षण की प्रगति के बारे में सूचना दी गई। सदस्य-सचिव ने बतलाया कि आगामी सत्र के लिए जुलाई में प्रवेश प्रारम्भ किये जायेंगे तथा उसी महीने से नियमित कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। पत्राचार द्वारा हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण के लिए भी योग्य कर्मचारियों के प्रवेश हेतु परिपत्र जारी किये गये हैं। नाम मिलने पर सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिये जायेंगे।

9. आयकर आयुक्त जालन्धर, प्रभार

आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार की केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1992–93 की प्रथम बैठक श्री बी.एल. छिब्बर, आयकर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता मे 17 जून 1992 को हुई।

पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों सें "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 70 प्रतिशत पत्रादि हिन्दी में भेजे जाने चाहिएं।

समिति को सूचित किया गया कि गत वर्ष में जालन्धर प्रभार में हिन्दी पत्राचार 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक रहा। 31 मार्च, 1992 को समाप्त तिमाही में इस प्रभार में 44.56 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि आयकर उपायुक्त आयकर कार्यालयों का निरीक्षण करते समय राजभाषा निरीक्षण भी साथ करके एक रिपोर्ट भिजवाएं। समिति ने निर्णय किया कि आयकर उपायुक्त निरीक्षण के लिए कार्यालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) की भी साथ ले जायें।

10. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क मुख्यालय

दिनांक 24 जून 1992 को माणिक बाग पैलेस स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क मुख्यालय में श्री गोविंदन शे. तंपी, समाहर्ता की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई।

समिति को बतलाया गया कि मुख्यालय कि विधि शाखा ने 6%, गोपनीय ने 2%, सतर्कता ने 2% तथा पुनरीक्षण शाखा ने 1% हिंदी पत्राचार बढ़ाया है। समाहर्ता महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया किंतु मुख्यालय की पुनरीक्षण (रिव्यू) शाखा को हिंदी पत्राचार और बड़ाने पर जोर दिया।

समिति को सभी मंडल की पिछली दो तिमाहियों की प्रगति की जानकारी देते हुए सदस्य-सचिव ने बतलाया कि पिछली तिमाही की तुलना में भोपाल–II ने 20%, ग्वालियर ने 19% तथा इंदौर–1 ने 3% तथा इंदौर–II ने 1% हिंदी पत्राचार बढ़ाया है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सागर मंडल ने सबसे कम अर्थात् केवल 67% पत्राचार हिंदी में किया है, उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की।

वर्ष 1991–92 के दौरान राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में सर्वोत्तकृष्ट कार्य निष्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय को नगर समिति द्वारा पुनः प्रथम

ुरस्कार सें सम्मानित किया गया है । पुरस्कार के रूप में रनिंग शील्ड, प्रतीक चिह्न तथा प्रशास्ति पत्र प्रदान किया गया है ।

11. आकाशवाणी, पटना

आकाशवाणी, पटना तथा अन्य मीडिया कार्यालयों की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30–3–92 को समाप्त होने वाली तिमाही अवधि की बैठक 26–5–92 को श्री जी.सी. माझी, केन्द्र निदेशक, की अध्यक्षता में बैठक हुई ।

आकाशवाणी, पटना तथा मीयिया के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। आकाशवाणी, पटना से 31–03–92 को समाप्त तिमाही अवधि के दौरान धारा 3(3) के अतर्गत 85 प्रतिशत पत्र तथा पत्राचार में 98 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी किए गए। हिन्दी में 61 प्रतिशत तार जारी किए गए । क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सें धारा 3(3) के अंतर्गत शत प्रतिशत पत्र द्विभाषी रूप से जारी किए गए । पत्राचार में भी इस कार्यालय ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है । प्रकाशन विभाग द्वारा उक्त अवधि के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत केवल एक पत्र जारी किया गया और वह भी सिर्फ अंग्रेजी में । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सभी पत्र द्विभाषी रूप में हो जारी किए जाएं । उक्त कार्यालय द्वारा गत तिमाही में पत्राचार में करीब 99 प्रतिशत हिन्दी में किया गया। गीत और नाटक प्रभाग द्वारा गत तिमाही में पत्राचार में शत प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी किया गया।

12. दिल्ली नगर निगम

दिनांक 29–6–92 को श्री एम.सी.जैन, अतिरिक्त उपायुक्त (हिन्दी) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

डा. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान) एवं श्री नेत्रसिंह रावत, अनुसंधान अधिकारी (राजभाषा) गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा हिंदी अधिकारी, दिल्ली प्रशासन को विशेष रूप सें आमंत्रित किया गया ।

सर्वप्रथम, डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान), गृह मंत्रालय ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन नीति के अंतर्गत क्योंकि दिल्ली 'क' क्षेत्र में आता है इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम निगम में संपूर्ण कार्य हिंदी में किए जाने की आवश्यकता को जाने एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपना भरपूर सहयोग दें । उन्होंने दिन-प्रतिदिन का कार्य हिन्दी में किए जाने की महत्ता पर बल देते हुए 1976 में बने राजभाषा नियम एवं अधिनियम का खुलासा करते हुए बताया कि गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निगम के राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे हिन्दी के कार्य का निरीक्षण करेगा । अगली त्रैमासिक बैठक आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कराने की इच्छा व्यक्त की एवं निम्नानुसार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ एवं सुझाव दिए गए—

1. क्योंकि निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में कार्य करने में निपुण हैं, अतः यह आवश्यक है कि हिन्दी में कार्य करने हेतु निगम को गजट में नोटिफाई कराया जाए ।

2. राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि हिन्दी में अधिक सें अधिक कार्य हो ।

3. राजभाषा वार्षिक कार्यक्रमानुसार हिन्दी के आशु-लिपिकों/टाइपिस्टों का प्रतिशत वर्ष 1992–93 के अंत तक 75 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा प्रत्येक अंग्रेजी के आशुलिपिक/टाइपिस्ट को हिन्दी आशुलिपि/टाईप अनिवार्य रूप सें सीखनी होगी । कर्मचारी चयन आयोग सें उपरोक्त कोटा शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की भर्ती पर रोक लगा दी जाए ।

4. दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया जाए कि वे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को पूर्वानुसार हिन्दी आशुलिपि टंकण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करें ।

5. वर्तमान में टाईपराइटर कम्पनियां अंग्रेजी टाइपराइटर के "की–बोर्ड" कुछ राशि लेकर बदल देती हैं। अतः जो अंग्रेजी टाइपराइटर चालू हालत में हों उनके "की बोर्ड" बदलवा लिए जायें ।

6. कर-निर्धारण एवं समाहर्ता विभाग तथा फैक्टरी लाइसेंसिंग विभाग में अभी भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां पर नोटिस, बिल आदि चाहे वे हिन्दी के प्रिन्ट हैं परन्तु अन्य बातें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं । अतः यह प्रयास किया जाये कि इस प्रकार के फार्मों पर हिन्दी ही लिखी जाये ।

7. विभागीय/अधीनस्थ परीक्षाओं में हिन्दी के माध्यम से उत्तर देने के विकल्प की छूट दी जाए ।

8. जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में ही कार्य कर रहे हैं या जिनकी भूमिका सराहनीय है उनको पुरस्कार देने की योजना पर विचार किया जाए ।

9. जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान के प्रतिनिधि ने बताया कि सस्थान में लगभग 20,000 कर्मचारी हैं तथा वहां हिन्दी अधिकारी का कोई पद नहीं है तथा केवल एक अनुवादक हिन्दी संबंधित सभी कार्य को देखता है। हिन्दी की प्रगामी प्रगति सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने संस्थान में भी अलग सें एक बैठक आयोजित कराने का अनुरोध किया जिस पर श्री गुप्त ने एवं अतिरिक्त उपायुक्त (राजभाषा) ने संस्थान में बैठक आयोजित कराने का आश्वासन दिया।

अन्त में उन्होंने निगम में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की संभावनाओं की समीक्षा करने का सुझाव दिया तथा हिन्दी सप्ताह के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मित सुरूचि-पूर्ण फिल्मों को खरीदने एवं कर्मचारियों के लाभार्थ प्रदर्शित करने का सुझाव देते हुए बताया कि हिन्दी सप्ताह हमेशा 14 सितम्बर से ही मनाया जाना चाहिए ।

यह सुनिश्चित करें कि सेवा पुस्तिका, पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण रजिस्टर तथा डाक बुक आदि में प्रविष्टियां हिन्दी में ही हों ।

13. मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली-3

आयकर प्रभार, मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–3 क्षेत्र के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक तारीख 18–5–92 को श्री डी.बी. लाल, मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–3 की अध्यक्षता में हुई ।

हिन्दी टंकण, टंकक तथा आशुलिपिक की सुविधा प्रदान करने के विषय में श्रीमती आर.आर. होता, आयकर आयुक्त, अपील–14 ने कहा कि यदि आयकर आयुक्त, अपील–7, 14, 15 तीनों के लिए एक टाइपराइटर और एक आशु-लिपिक उपलब्ध करा दिया जाए तो हिंदी की प्रगति में काफी सुधार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय ने तुरन्त आयकर उप-आयुक्त (मुख्या.) को आदेश दिया कि मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–1 को पत्र लिखकर यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए ।

पुस्तकालय के संबंध में चर्चा के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि लगभग 61 हजार की हिंदी पुस्तकें खरीद ली गई हैं । परन्तु पुस्तकालय का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आयकर आयुक्त, दिल्ली–7 से विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा ।

आयकर अधिकारी (वेतन एवं आकस्मिक व्यय) जिसके कार्यालय को सारा काम हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । उन्होंने अपनी असुविधा प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी टाइपराइटर तथा आशुलिपिक के अभाव में पत्राचार केवल हिंदी में करना कठिन है। अध्यक्ष महोदय ने आयकर उपाआयुक्त (मुख्यालय) को आदेश दिया कि एक टाइपराइटर और एक आशुलिपिक (वेतन एवं आकस्मिक व्यय) को उपलब्ध करा दिया जाए ।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से कहा कि नोटिस सभी हिंदी में जारी किए जाएं, अपील प्रभार देने की कार्यवाही भी यथासंभव अधिक से अधिक हिंदी में होनी चाहिए ।

14. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) प्रभार लुधियाना

लुधियाना केन्द्रीय प्रभार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 23–6–92 को आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना श्री एस.एस. भाटिया की अध्यक्षता में हुई ।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

31–3–1992 को विभिन्न कार्यालयों में पत्राचार की स्थिति इस प्रकार थी :—

कार्यालय का नाम	कुल भेजे पत्र	हिन्दी में भेजे पत्र	अंग्रेजी में भेजे पत्र	हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता मात्रा	31-12-91 की स्थिति	वृद्धि/कमी
आ. आयुक्त (के.) कार्या.	2825	1452	1173	58.5%	46%	(+) 12.5%
आ. उप.-आयुक्त (के.) रेंज-i	395	190	205	48%	42.5%	(+) 5.5%
आ. उप-आयुक्त (के) रेंज-II	595	310	285	52%	66.7%	(—) 14.7%
आ. उप–आयुक्त (के.) अमृतसर	1230	358	872	29%	68%	(—) 39%
आ. सह. आयुक्त (के.) मं. जाल	931	174	757	18.7%	13%	(+) 5.7%
आ. सह. आयुक्त (के.) म. चण्डी.	531	98	433	18.5%	23%	(—) 4.5%
आ. सहा. आ. (के.) मं. करनाल	552	280	72	50.7%	50%	(+) 031%
क. व. अधि. (के.) लुधियाना	27	7	20	26%	39%	(—) 13%

15. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय; नागपुर

पुर्नगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक दिनांक 16–6–92 को श्री कृष्णचन्द्र ममगाई, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में हुई।

दिनांक 31–3–92 को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार समाहर्तालय की स्थिति भी समिति के समक्ष रखी गयी ।

पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

	लक्ष्य		
	वर्ष 91–92	वर्ष 92–93	उपलब्धि
(क) "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ	60%	70%	64.5%
(ख) "ग" क्षेत्र में स्थिति कार्यालयों के साथ	30%	35%	100%
(ग) "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों एवं व्यक्तियों के साथ	100%	100%	100%

2.2 तार/ बेतार /टेलेक्स/ फेक्स/ नक्शे/ ड्राईंग

लक्ष्य		
91–92	92–93	उपलब्धि
35%	40%	68%

2.3 देवनागरी टाइपराइटरों/हिन्दी टंककों आशुलिपिकों का अनुपात

	लक्ष्य		
	91–92	92–93	उपलब्धि
1. देवनागरी टाइपराइटर	35%	45%	35%
2. हिन्दी टाईपिंग जानने वाले निम्न श्रेणी लिपिक	35%	45%	70.2%
3. हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक	35%	45%	18%

16. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास

क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में दि. 12–3–92 को हिन्दी अनुभाग द्वारा तैयार किए गए "पारिभाषिक शब्द संग्रह" का विमोचन निदेशक श्री के. रामलिंगम द्वारा किया गया।

पुस्तक का विमोचन करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस शब्द संग्रह द्वारा न कवल क्षेत्रीय कार्यालय में अपितु हमारे मद्रास क्षेत्र के सभी फील्ड कार्यालयों में हिन्दी पत्राचार की बढ़ौतरी होगी और राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य अपेक्षानुकूल संपन्न हो सकेगा ।

समिति अध्यक्ष ने भण्डार अधिकारी को निर्देश दिये कि वे सभी फार्मों रबड़ मोहरों, रजिस्टरों, लिफाफों, फाईलों तथा अन्य स्टेशनरी आदि को द्विभाषी रूप में तैयार करायें उन्होंने कहा कि कार्यालय में लगाये जाने वाले सभी नामपट्ट एवं सूचनापट आवश्यक रूप से द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में लगाया जाए ।

17. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री आर.पी. भारद्वाज अधीक्षण इंजीनियर, इलाहाबाद केन्द्रीय परिमंडल के.ला.नि.वि. इलाहाबाद की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय ने परिमंडल/मंडल एवं उप मंडल कार्यालयों में राजभाषा के प्रगति की समीक्षा की जो निम्नवत् है ।

इलाहाबाद केन्द्रीय मंडल एवं उनके अधीनस्थ उपमंडलों की समीक्षा से पता-चला कि उनकी व्यक्तिगत प्रगति 63.4% है । जबकि इलाहाबाद केन्द्रीय /उप-केन्द्रीय प्रथम 97% उप-मंडल–2 92% उप मंडल तृतीय 99% वाराणसी केन्द्रीय उप-मंडल 99·6% एवं वी.एच.यू. उप-मंडल प्रथम एवं द्वितीय शत-प्रतिशत की लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं इस प्रकार यह पाया गया कि मात्र मंडल कार्यालय की प्रगति ही उनकी समोकित प्रगति को धूमिल कर रही है । इस पर अपना पूर्ण असंतोष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि कार्यपालक जूनियर अपने दायित्वों का सही निर्वाह नहीं कर रहे है । अन्यथा जिस मंडल में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखने वाले अधिकारी / कर्मचारी उपस्थिति हो, वहां की मात्र 63.4% की प्रगति हो, यह दुःखद स्थिति है । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि 6/92 तक मंडल की प्रगति 87% से कम (अर्थात् 3/01 में प्राप्त लक्ष्य) नहीं होनी चाहिए अन्यथा इसकी सारी जिम्मेदारी कार्यपालक इंजीनियर की होगी ।

अतः कार्यपालक इंजीनियर को पुनः सलाह दी जाती है कि वे अपने समस्त शाखा-प्रमुखों से प्रगति में ह्रास का कारण पूछे तथा कठोर जांच बिन्दुओं का गठन करते हुए प्रयत्नों से मंडल की प्रगति 6/92 तक कम से कम 87% पहुंचाएं ।

19. दक्षिण मध्य रेलवे गंतकुल मण्डल

मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 52वीं बैठक दिनांक 20-3-92 को श्री सी.वी. रत्नम, अमरेन्द्र गुंतकल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

उपस्थित सदस्य:—

बैठक में उपस्थित/अनुपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध में दर्शायी गयी है । श्री सी.वी. रत्नम, अमरेन्द्र एवं उप मुराधि गुंतकल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, गुंतकल मंडल पर हिंदी की मदों के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया, उन्होंने दि० 27–3–92 को, सिकन्दराबाद में महाप्रबंधक का व्यक्तिगत नकद पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को बधाई दी । दि. 13–3–92 को सिकंदराबाद में आयोजित अन्तमंडलीय कारखाना हिंदी नाटक प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को भी बधाई दी ।

पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग : समिति को सूचित किया गया कि गुंतकल मंडल ने मूल पत्राचार के अंतर्गत "क" क्षेत्र के साथ 43.1% एवं "ख" क्षेत्र के साथ 47.8% प्रगति प्राप्त किया है । इसके अतिरिक्त "वार्षिक कार्यक्रम 1991.92 के अनुसार "ग" क्षेत्र के लिए निर्धारित 30% के लक्ष्य के अंतर्गत 31.08% प्राप्त किये ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन :—सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत इस मंडल ने 96.30% अनुपालन हासिल किया है, जबकि पिछली तिमाही में यह 96.16% था । इस प्रकार, इस मद में 0.14% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह 89.2% था । अमरेन्द्र एवं उप मुराधि, गुंतकल ने, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किये गये प्रलेखों को शाखावार स्थिति की जांच की एवं जहां भी इसका प्रतिशत कम था, उन शाखा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये । उन्होंने मं. संरक्षा अधिकारी,/गुंतकल को अनुदेश दिये कि वे संरक्षा परिपत्रों को अनुवाद के लिए हिंदी अनुभाग में भेजें । साथ ही उन्होंने वमंलेधि/गुंतकल को भी अनुदेश दिये कि वे कार्यालय आदेशों को संबंधित, अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व अनुवाद के लिए हिंदी अनुभाग को भेजें ।

विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को हिंदी में भी उपलब्ध कराने के लिए हिंदी सहायकों को छुट्टी के दिन बुक किया जाता है । इस प्रकार प्रधान कार्यालय से प्राप्त अनुदेशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया।

सदस्य सचिव ने बताया कि डीजल प्रशिक्षण स्कूल/ गुंतकल में एक बैच को हिंदी एवं उर्दू माध्यम से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।

गुंतकल-मंडल पर चार वरिष्ठ आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि में, प्रशिक्षित है और संबंधित शाखा अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे हिंदी में डिक्टेशन देकर उनकी सेवाओं का उपयोग करें तथा रेलवे बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का लाभ उठाएं । मं.रे.प्र., श्री एस. गोपालन ने 13,650 शब्दों का हिंदी में डिक्टेशन दिया हैं और इस उपलक्ष्य में 1991 के दौरान इन्हें महाप्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया है ।

कानपुर में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी

कानपुर स्थित गुणता आश्वासन नियंत्रणालय व आयुद्ध निर्माणियों के संयुक्त प्रयास से दिनांक 21 व 22 सितम्बर, 92 को एक संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 21-9-92 को संगोष्ठी का विधिवत् उद्घाटन श्री के द्वारिकानाथ, कलकत्ता द्वारा किया गया। ओ. ई. एफ. समूह के मुख्यालय अपर महानिदेशक श्री सी एन गोविन्दन ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठी के आयोजन की पहल को महत्वपूर्ण कदम बताया।

इस संगोष्ठी में दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों, दिल्ली से रक्षा मंत्रालय के निदेशक (रा. भा.) श्री मणिराम, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग के डा. एस सी सक्सेना, उप निदेशक (तकनीकी), गु. आ. महानिदेशालय के श्री तुषार कान्ति डे व अनुवाद अधिकारी श्री प्रेम चन्द धस्माना के अतिरिक्त दोनों विभागों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 16 शोधपत्र पढ़े गए और उन पर परस्पर चर्चा हुई। इस अवसर पर निम्नलिखित लेख पढ़े गए :--

1. 21वीं सदी में रक्षा गुणता आश्वासन
2. सम्पूर्ण गुणता प्रबन्ध
3. औद्योगिक सम्बन्ध
4. गुणवता चक्र का मन्त्र
5. प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा पर अध्यारोपण द्वारा कठोर एनोडाईजिंग
6. सेना और सामग्री का गुणता आश्वासन
7. सामग्री-गुणता आश्वासन में अत्याधुनिक तकनीकी की सार्थकता
8. रक्षा उद्योग में "गुणता प्रबन्ध"
9. आई. एस. ओ. —9000
10. पृथक्सबा उत्तेजित दिष्ट धारा मोटर की माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित चाल नियन्त्रण पद्धति
11. प्राकृतिक गैस की उपयोगिता
12. पूर्ण गुणता प्रबन्ध तथा इसका प्लास्टिक उद्योग में प्रयोग
13. सांख्यिकीय विधियों द्वारा सर्वेक्षण
14. आयुध निर्माणी कानपुर--"रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में"
15. संगणक (कम्प्यूटर)

संगोष्ठी का समापन 22 सितम्बर, 92 को मेजर जनरल आर शिवदसानी ने किया।

संगोष्ठी का कुशल संचालन ओ ई एफ मुख्यालय के उप महानिदेशक श्री मुन्नू लाल ने किया।

आकाशवाणी अहमदाबाद में राजभाषा संगोष्ठी

आशवाणी, अहमदाबाद केन्द्र में दिनांक 14 से 21-9-92 तक हिन्दी सप्ताह को राजभाषा पर्व के रूप में मनाया गया। इसका उद्घाटन दिनांक 14-9-92 को किया गया। मुख्य अतिथि गांधीजी की पौत्री और उनके विचारों से अनुप्राणित भूतपूर्व सांसद श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी थी। उन्होंने अपने भाषण में हिन्दी की अस्मिता का प्रश्न उठाया। उनका मानना है कि सरकारी कामकाज को भाषा व्याकरण निष्ठ के बदले आम आदमी के बोल-चाल की भाषा होनी चाहिए। समारोह के अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता श्री जी. एल. रावल ने हिन्दी दिवस की सार्थकता के लिए हिन्दी में कामकाज करने की अपील की। अन्त में सहायक निदेशक श्री विनेश अंताणी ने अतिथि का आभार प्रकट करते हुए उनके हिन्दी प्रेम की प्रशंसा की।

दिनांक 15 सितंबर से 19 सितंबर, 92 तक इस पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई।

दिनांक 21 को संगोष्ठी में प्रसिद्ध गांधीवादी प्रतीक पुरुष श्री बाबूभाई जसभाई पटेल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि हिन्दी के माध्यम से गांधीजी ने हिन्दुस्तान को जिस दिशा में ले जाने का

[redacted]

प्रोफेसर नानूभाई जोशी, निदेशक, (पत्रकारिता एवं निरन्तर शिक्षा विभाग, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत) ने कहा कि स्वतंत्र भारत में यदि राष्ट्रभाषा का सवाल मौजूद है तो यह मानना पड़ेगा कि आज भी कहीं न कहीं गुलामी मौजूद है। उन्होंने बताया कि गुजरात के गांधीजी, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे महान राष्ट्र नेताओं ने हिन्दी को आत्मसात करने का मंत्रोच्चार किया और उसके स्थानों पर हिन्दी सेवा समितियों की स्थापना की। प्रख्यात उर्दू समीक्षक एवं साहित्यकार जनाब वारिस साहब ने बताया कि हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में यदि देखना हो तो किसी ट्रेन में यात्रा करें। जहां विभिन्न प्रांतों के लोग हिन्दी में ही बात करते हैं।

प्रोफेसर एस. रामचन्द्रन, (गुजरात विद्यापीठ) कन्नड़ के साथ-साथ हिन्दी के भी विद्वान हैं। उन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषण में कहा कि भारत का हर खंड एक दूसरे से संयुक्त है। कर्नाटक के कवियों ने सर्वभाषा सरस्वती की उपासना की हिन्दी को प्रान्तीयता के स्तर से राष्ट्रीयता स्तर पर ले जाने का काम गुजरात के लोगों ने किया। आज हिन्दी में जो कुछ भी लिखा जा रहा है राष्ट्रभाषा के कारण न कि राजभाषा के। अन्त में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी भाषा दूसरे को सिखाए और स्वयं दूसरे की सीखे तभी सौहार्द स्थापित हो सकता है। भाषा ही मानव को मानव से जोड़ती है।

प्रसिद्ध पत्रकार श्री घनश्याम भावसारने हिन्दी के प्रचार और प्रसार का मुख्य श्रेय रेडियो और सिनेमा को दिया। उन्होंने सरकार और अन्य प्रचार माध्यमों से यह अनुरोध किया कि अंग्रेजी के प्रति बढ़ते मोह को रोकें। समाजसेवी साहित्यकार श्री गिरधारीलाल सर्राफ ने कहा कि हमारा राष्ट्र विलक्षण है जिसमें कई भाषाएं, बोलियां समान्तर बोली जाती है फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होती।

अन्त में संगोष्ठी के अध्यक्ष श्री पी. के. घोष (भा. प्र. से.) नगर निगम आयुक्त ने अपनी बात को नई दिशा देते हुए कहा कि भाषा में मित्रता का अभाव वहां परिलक्षित होता है जहां आजिविका के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का भाव उदित होता है। आज भी हर समुदाय, वर्ग में ऐसे लोग हैं जो भाषा के स्तर पर द्वेष भाव रखते हैं।

संगोष्ठी का संचालन जानेमाने कवि, साहित्यकार तथा भाव एवं भाषा के धनी मदन मोहन "मनुज" जी ने किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में संचार माध्यमों को सप्रेषण की मुख्य विधा बताया। साथ ही साथ यह भी बताया कि भारत की सभी भाषाओं, बोलियों में आकाशवाणी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहता है। विचारों का विनिमय ही आकाशवाणी का मुख्य कार्य है। हिन्दी के स्वरूप और विकास की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात का न केवल आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा बल्कि अन्तर प्रादेशीय भाषी हिन्दी की पूर्व पीठीका करने व राष्ट्रीय समस्या की विचार भूमि निर्मित करने में भी गुजरात में तीन सौ कवियों ने हिन्दी में रचनायें लिखी है और यहां कच्छ में व्रज भाषी कविता की पाठशाला चलाई जाती थी। रसखान, जायसी, रहीम, खानखाना, कुतुबन, मझन जैसे विभिन्न समुदाय एवं भाषा के कवियों ने भी हिन्दी के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कवियों ने सर्वदेशीय भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाया है।

अधीक्षण अभियंता श्री जी. एल. रावल ने उपस्थित विद्वानों एवं मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करते हुए इस अवसर पर संगोष्ठी के कार्यक्रम की सफलता के लिए आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दी।

आज के दिन की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस समारोह का समापन कार्यक्रम इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिन्दी साहित्य के वर्चस्वी कवि, आलोचक विद्वान डा. रामलाल पारिख, कुलपति (गुजरात विद्यापीठ) थे। उन्होंने हिन्दी का तात्पर्य राष्ट्रीयता, भारतीयता, भारत का गौरव तथा भारत का व्यक्तित्व बताया। डा. पारिख ने कहा कि स्वतंत्रता और भाषा के सम्बन्ध में गांधीजी ने बहुत पहले ही सोच रखा था कि आजादी के बाद देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होगी। राष्ट्रभाषा के बढ़ते प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि दो रुसी विद्यार्थी गुजरात विद्यापीठ में हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं और यूनाईटेड नेशन में भी हिन्दी 7 वीं भाषा के रूप में स्थान ग्रहण करने जा रही है।

समारोह की अध्यक्षता गुजरात सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और गांधीवादी विचारधारा के श्री हितेन्द्रभाई देसाई ने की। उन्होने गुजरात में हिन्दी के प्रयोग पर कहा कि यहां तो सभी हिन्दी समझते, बोलते और सारा काम काज हिन्दी में गुजराती के साथ-साथ हो सकता है। क्योंकि सरकार ने अपनी राजभाषा गुजराती और हिन्दी दोनों को माना है। हिन्दी का स्थान दुनियां की महान भाषाओं के समकक्ष है। विश्वविद्यालयों में वह संसार भर में पढ़ाई जाती है। सौ देश तो हिन्दी में टेलिविजन, केबल चैनल के प्रसारण देखने में लगे हैं और हर जगह हिन्दी फिल्मों की मांग बढ़ रही है।

चित्र समाचार

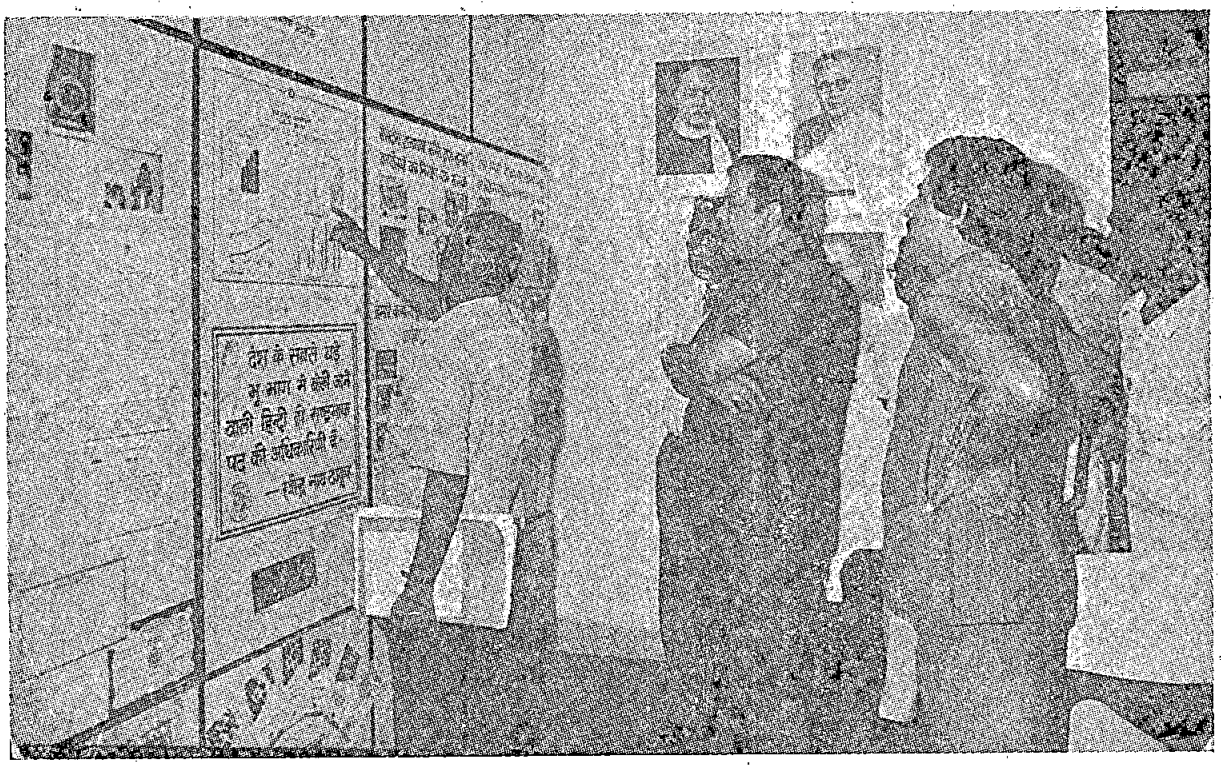

कलकत्ता : नराकास की बैठक के अवसर पर आयोजित 'राजभाषा प्रदर्शनी' का अवलोकन करते हुए यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए.के. भट्टाचार्य तथा अन्य।

कार्यक्रम का एक दृश्य

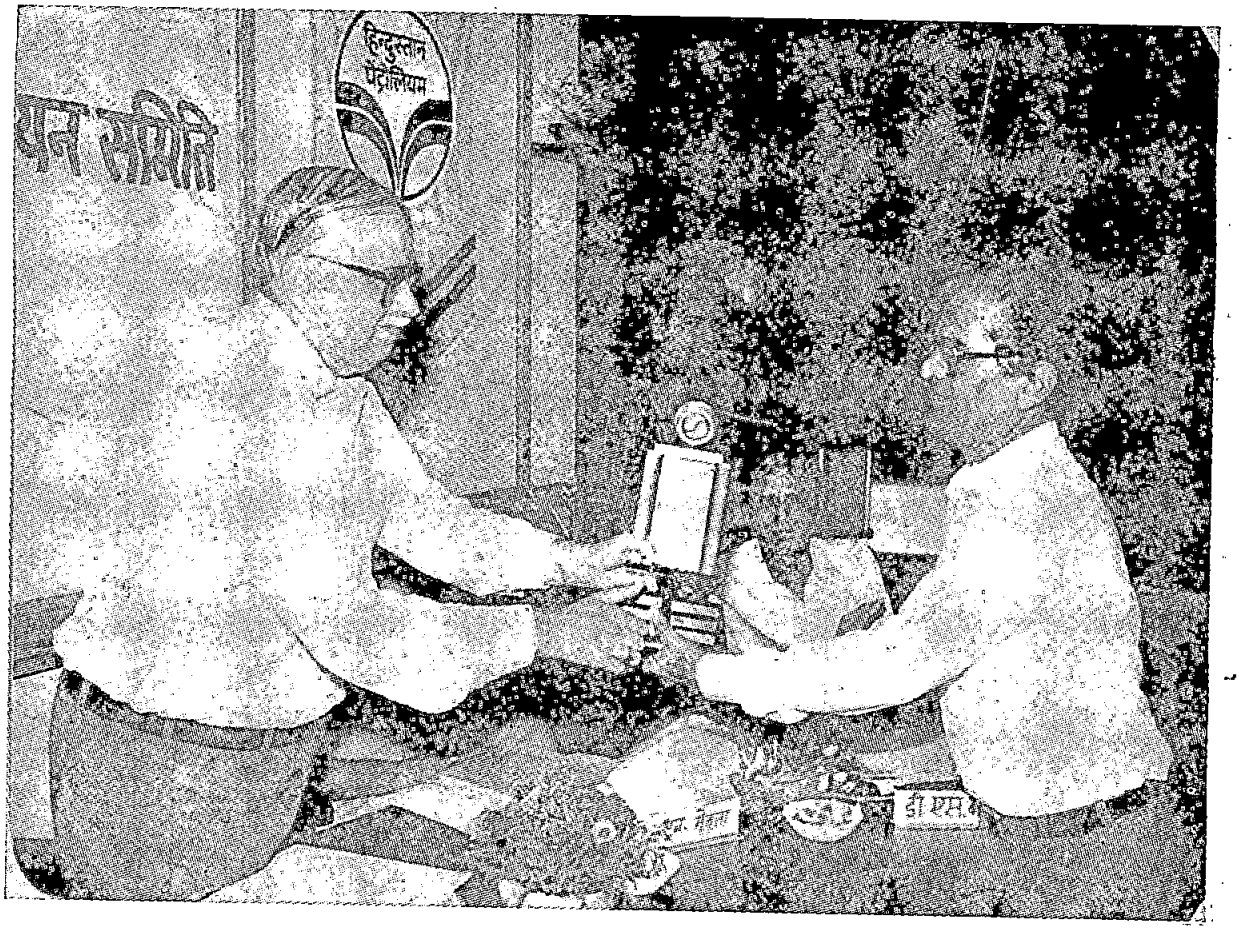

श्री पी. रामाकृष्णन, अध्यक्ष, नराकास एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. से चल वैजयन्ती प्राप्त करते हुए नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि. बम्बई के डॉ. लल्लन पाठक।

बम्बई: राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री महेशचन्द्र दुबे, निदेशक, के.हि.प्र. संस्थान का स्वागत करते हुए बैंक आफ महाराष्ट्र के उपमहाप्रबंधक श्री प्रभाकर चितले।

बीकानेर: नराकास अध्यक्ष श्री विशन स्वरूप अग्रवाल से हिन्दी के प्रयोग संबंधी नगर राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए एस. बी. बी. जे. के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री कोमलकान्त झा।

नई दिल्ली: निरीक्षण के अवसर पर दाईं ओर से संसदीय राजभाषा समिति के सचिव श्री कृष्णकुमार ग्रोवर, श्री विट्ठल एम. जाधव, संयोजक, श्री चन्दू भाई देशमुख, प्रो. आई. जी. सनदी तथा बाईं ओर के हि. प्र. संस्थान के निदेशक श्री महेशचन्द्र दुबे, उपसचिव (सेवा) श्री सरूप सिंह महरा तथा अन्य अधिकारीगण।

मद्रास: सवारी डिब्बा कारखाना में हिन्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री वी. टी. भिडे।

अमृतसर : संबोधित करते हुए श्री जे. एस. रंधावा, उपकुलपति गुरु नानक देव, विश्वविद्यालय।
उनकी दाईं ओर हैं श्री बी.एस. दहिया, आयकर आयुक्त तथा श्री ओम अवस्थी।

उद्घाटन भाषण देते हुए साक्षरता समिति के निदेशक डा. वेल्लायणी अर्जुनन।
साथ में केन्द्र निदेशक श्री एम.के. शिवशंकरन तथा श्री ओ. विजयन।

[नई दिल्ली : राजभाषा नीति पर विचार व्यक्त करते हुए श्री भगवानदास पटैरया, उपसचिव (का.) भारत सरकार। साथ में श्री इन्द्रजीत तथा श्री एस.एन. माथुर।

मनकापुर : मंचासीन (बाएं से) श्री के.सी. गुप्ता, मुख्य अतिथि डा. मल्ल, श्री जे.एस. गिल, महाप्रबंधक (गुणवत्ता) तथा श्री सुरेन्द्रपाल (तकनीकी)।

पुरस्कार प्रदान करते हुए हिन्दी नवनीत के संपादक डॉ० गिरिजा शंकर त्रिवेदी (बाएं)

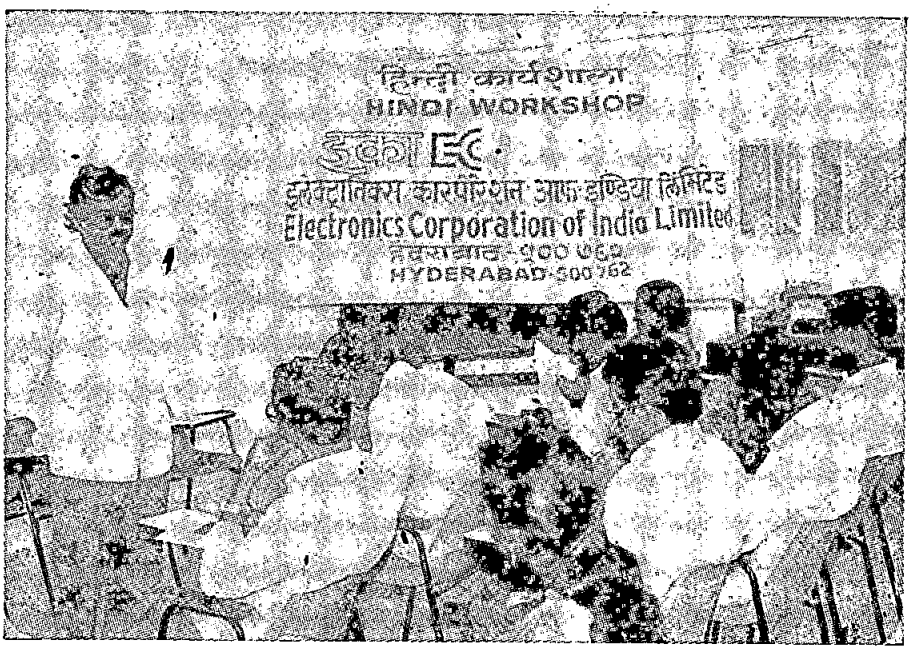

कार्यशाला का एक दृश्य

कलकत्ता : हिंदी में वैज्ञानिक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री के० द्वारिकानाथ, महानिदेशक एवं अध्यक्ष, आर्डनेंस बोर्ड ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में वैदिक संगोष्ठी

संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, द्वारा 9, 10-4-1992 को "वैदिक संहिताओं में विविध विद्याएं"—विषय पर एक द्वि-दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। स्वामीजी श्री विद्यानन्द सरस्वती ने आचार्य सत्यव्रत शास्त्री की अध्यक्षता में समारोह का उद्घाटन किया। सुन्दर वैदिक-मन्त्रोचारणपूर्वक, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के छात्र श्री नवलकिशोर ने, सभा का शुभारम्भ किया। कुमारी शालिनी ने मंगलाचरण के रूप में श्रवण मधुर मन्त्रों की प्रस्तुति की। समारोह का उद्घाटन सत्र डा. अवनीन्द्र कुमार के सुचारु संचालन में हुआ।

इस सत्र में, गतवर्ष आयोजित संगोष्ठी में "आधुनिक भारत में संस्कृत की उपादेयता" विषय पर पढ़े गए लेखों का संग्रह पुस्तक के रूप में आचार्य सत्यव्रत ने लोकार्पित किया। पुस्तक की प्रथम प्रति को स्वामी विद्यानन्द ने ग्रहण किया।

स्वामी श्री विद्यानन्द सरस्वती ने कहा कि वेद ही समस्त विद्याओं के मूल हैं। उन्होंने बताया कि सृष्टि के साथ के समय विधाता ने जगत के संचालन, धारण तथा पोषण के साधन के रूप में वेदों की रचना की। उन्होंने संहिताओं के साथ-साथ अनेक प्राच्य तथा प्रतीच्य विद्वानों के भी उद्धरण देकर बताया कि वैदिक विचारों का आधुनिक विद्वान के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कि च, वेद में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक तथ्य विद्यमान हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान नहीं जान पाया है। स्वामी जी के अनुसार किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए वैदिक अध्ययन अनिवार्य है।

आचार्य सत्यव्रत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जिज्ञासा और प्रश्न ही ज्ञान और समाधान की दिशा में प्रथम प्रयास हैं, तथा स्वयं-ज्ञान-स्वरूप वेदों के ऊपर चर्चा करना एक सौभाग्य का विषय है।

संगोष्ठी का प्रथम सत्र, आचार्य वाचस्पति उपाध्याय की अध्यक्षता में डा. शशिप्रभा कुमार ने संचालित किया इस सत्र में 6 पत्र पढ़े गए। सर्वप्रथम डा. गणेशदत्त शर्मा, प्राचार्य लाला लाजपतराय कालिज, साहिबाबाद ने "ऋग्वेद में परमतत्व" विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि वैदिक मनीषियों के एकमत से "एक" ही परतत्व, अर्थात् "ब्रह्म" को स्वीकार किया है, यद्यपि यह "ब्रह्म" अनेक नामों में अभिहित है। उन्होंने बताया कि "ब्रह्म" ही सृष्टि का आधारतत्व है तथा इस सर्वशक्तिमान अधिष्ठातृतत्व का हृदय से साक्षात्कार करना ही वैदिक ऋषियों का चरम लक्ष्य रहा है।

डा. वन्दिता अरोड़ा, प्राध्यापिका, इन्द्रप्रस्थ विद्यालय, दिल्ली, ने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपने पत्र "वैदिक संहिताओं में सृष्टिविद्या एवं प्रजापति" में कहा कि सृष्टि के रहस्यों का अनुशीलन परमतत्व तक पहुंचने का उपाय है। सृष्टि का मूलतत्व "असत्" अथवा "अव्यक्त" है, जो "सत्" रूप धारण करता है। उन्होंने वेदों की प्रतीकात्मकता पर बल देते हुए कहा कि सृष्टि के प्रसंग में "आपः" का अर्थ "जल" नहीं है तथा अनेकार्थसंवलित "वाक्" की भी यौगिकता को जानना आवश्यक है।

दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली, की प्राध्यापिका डा. नरगिस वर्मा, ने "वेदों में युद्धविद्या" विषय पर रोचक निबन्ध प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वेदों में जहां शान्ति के सन्देश हैं, वहीं आर्थिक, राजनैतिक, तथा पारिवारिक कारणों से उद्भूत युद्धों के भी अनेक सन्दर्भ हैं। वेदों में "इन्द्र" "युद्ध" का देवता माना गया है तथा "सोम", उत्तेजकदेवता", डा. वर्मा ने कहा कि युद्ध की परम्परा अति प्राचीन है तथा "पृतना", "आगर," "हेति", "प्रहेति", आदि युद्ध-सम्बन्धी शब्दों का और रथ, सारथि, दुर्गनिर्माण आदि अनेक युद्ध-विद्याओं का, वैदिक वाङ्मय में—विशेषतः शतपथब्राह्मण में, बहुशः उल्लेख पाया जाता है।

डा. निर्मल त्रिखा, प्राध्यापिका, दौलत राम महाविद्यालय, ने अपने लेख "वेदों में वनस्पति विज्ञान के बीजांकुर" में प्रकृति सौन्दर्य की दृष्टि से तथा वनस्पति की उपयोगिता की दृष्टि से, संहिताओं में "Pure Botony" तथा "'Applied or Economic Botony" पर पर्याप्त प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि बृहदारण्योकोपनिषद् में मनुष्य को सर्वशक्तिशाली वृक्ष माना तथा उस प्रत्येक अंग की, वृक्षों के अंगों से तुलना की गई है अथर्ववेद में वनस्पतियों के आकृतिमूलक वर्गीकरण का उल्लेख करते हुए डा. त्रिखा ने कहा कि इस विद्या के बीजांकुर वेदों में प्रस्फुरित होते हैं और कालान्तर में पल्लवित, पुष्पित होकर वनस्पतिविज्ञान का रूप धारण करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की शोध छात्रा सुश्री मंजुला गुप्ता ने "वेदों में वन और उनकी सुरक्षा" विषय पर श्लाघनीय निबन्ध प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वैदिक ऋषि वनों के संरक्षण के प्रति सर्वथा सचेत हैं और इसलिए अग्नि तथा वरुण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी शिखाओं और झंझावतों से वृक्षों को नष्ट न करें। सुश्री मंजुला गुप्ता ने प्राचीन आश्रम व्यवस्था में "वानप्रस्थ" के ग्रहण को भी वनों के ही माहात्म्य का सूचक माना है।

डा. अवनीन्द्र कुमार, रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय, ने "वैदिक भाषा" विषय के अन्तर्गत ऋग्वेद के, प्रथम मण्डल में प्रयुक्त भू के तिङन्त रूपों के आधार पर एक

विचारोत्तेजक लेख प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रकृत मण्डल में 74 तिङन्त रूपों में 45 लौकिक प्रयोग के समान हैं तथा अवशिष्ट रूप उनसे भिन्न, जैसे—भूयाम, बभ्विथ के लिए बभूथ इत्यादि, जिनकी व्याख्या के लिए पाणिनि के "व्यत्ययो बहुलम्" तथा "बहुलं छन्दीस" का ही पुनः पुनः आश्रय लेना पड़ता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक इस प्रकार का सांगोपांग व्याकरण रचा जाए जिसमें वैदिक विशेषताओं की व्याख्या के लिए व्यत्यय और छान्दस बहुलता का आश्रय न लेना पड़े।

संगोष्ठी का समापन प्रो. उपाध्याय ने अपने अध्यक्षीय व्याख्यान से किया। उन्होंने सभी आलेखों का सुन्दर आकलन करते हुए गोष्ठी की उपादेयता को रेखांकित किया।

संगोष्ठी का द्वितीय सत्र आचार्य सत्यप्रकाश सिंह, अधिष्ठाता, कला संकाय यू. एम. यू. के आध्यक्ष्य तथा डा. पुष्पा गुप्ता के संचालन में सम्पन्न हुआ। सत्र के आरम्भ में डा. सुदेश नारंग, मिराण्डा महाविद्यालय, ने "अथर्ववेद में धर्मशास्त्रीय सामग्री" विषय के अन्तर्गत मुख्यरूप से "राजधर्म" का ही विस्तृत विवेचन किया। उनके अनुसार अथर्ववेद में धर्म-सम्बन्धी सामग्री कामनाओं और प्रार्थनाओं के रूप में उपलब्ध होती हैं। ब्रह्मवर्चसी के समान ही राजा में भी "जितेन्द्रियत्व" अपेक्षित है तथा सभा और समिति द्वारा अनुमोदित वशी राजा के लिए बलिग्रहण पूर्वक प्रजारक्षण का विधान है।

डा. ऊषा चौधरी ने "वेदों में सौन्दर्यतत्त्व" विषय लेकर काव्य-मीमांसा की दृष्टि से कुछ मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि वैदिक संहिता वास्तव में एक विलक्षण, प्रतीकात्मक सार्वभौम तथा दैवी" "काव्य-संग्रह" है, जिसमें काव्यसर्जना, को तीन स्तर परिलक्षित होते हैं। उनके अनुसार काव्यसौन्दर्य की अनुभूति भाष्यों के माध्यम से नहीं, प्रत्युत, स्वतन्त्र अध्ययन तथा बोध से ही सम्भव है। उन्होंने "इन्द्रप्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्" इत्यादि 15 मन्त्रों के सूक्त को सौन्दर्य का सम्पूर्ण प्रारूप माना है।

"वेदों में नदियां—उनका महत्व" इस विषय को प्रतिपादित करते हुए डा. मुहम्मद इस्राइल खां ने सरस्वती नदी के आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक पक्षों का व्याख्यान किया। उनके अनुसार सरस्वती का संहिता में नदी—रूप और "देवता"—रूप उभयविध उल्लेख प्राप्त होता है। पुनश्च, नदी के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रूप का मध्यमा, वैखरी और पश्यन्ती के साथ साथ तारतम्य किया जा सकता है।

"वैदिक गुप्तचर—संस्था" विषय पर प्रकाश डालते हुए लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की डा. उर्वी ने कहा कि वेदों में गुप्तचरों का स्पष्ट उल्लेख न होकर उनके विषय में कई संकेत प्राप्त होते हैं। विविध भाष्यकारों ने ऋग्वेद में प्राप्यमाण क्विबन्त "स्पश्" तथा अंप्रत्ययान्त "स्पश" का अभिप्राय "गुप्तचर" से माना है क्योंकि गुप्तचर "स्पर्श करता है", अर्थात् अपराधियों को "पकड़कर" बन्धन में डालता है। डा. उर्वी ने स्पश के प्रमुख गुणों का उल्लेख कर वेदों में वर्णित सूर्य, अग्नि, सोम आदि को भी परोक्ष रूप से गुप्तचर का द्योतक सिद्ध किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार ने "वैदिक कर्मकाण्ड और पुर्नजन्म सिद्धान्त" विषय पर प्रबन्ध प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अथर्ववेद में कर्म की उत्पत्ति का विवाद द्वारा आलंकारिक वर्णन है। कर्म किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं जो सुकृत और दुष्कृत के माध्यम से सिद्ध होता है। ऋग्वेद में सुकृत सुकृततर तथा सुकृततम तीन कोटियों का उल्लेख है। सुकृत का आचरण करने वाला उत्तम मनुष्ययोनि को प्राप्त करता है, और दुष्कर्मी निकृष्ट योनि को। इस उल्लेख द्वारा पुनर्जन्म सिद्धान्त की पुष्टि होती है।

जाकिर हुसैन महाविद्यालय की प्रवाचिका डा. प्रवेश सक्सेना ने "वेद में विमान एवं नौका" विषय पर प्रकाश डाला। इनका निबन्ध दयानन्द के विचारों पर आधृत था। उन्होंने कहा कि जब आधुनिक विमान का निर्माण सन् 1901 में ही हुआ है, उससे अनेक वर्ष पूर्व ही स्वामी दयानन्द ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में विमानों के नाम निर्माण, संचालन की विविध विद्याओं का उल्लेख करते हुए नौः विमानादिविद्याविद" नामक एक पृथक अध्याय ही लिखा है। उन्होंने बताया कि वायुयान और जलयान—निर्माण की कला प्राचीन समय से ही बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई थी। उन्होंने इस सम्भावना का उल्लेख किया कि प्राचीन अश्विनों का महत्व नौका—संचालक के प्रसंग में आधुनिक "हार्स पावर" के समान ही रहा हो।

हापुड़ के डा. राजेश कुमार गुप्त ने "अथर्ववेद संहिता में मधुविद्या" विषय का प्रतिपादन करते हुए कहा कि "मधु" का ज्ञान पाकर मनुष्य सम्पूर्ण जगत को मधुर दृष्टि से देखता है। मधुरचित्त मधुरचिन्तन को उत्पन्न करता है जो मधुर व्यवहार का कारण बनता है जिससे वाणी में मधुरता व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार स्वयं मधुमय होकर मधुर धारा रूपी परमतत्व में लीन हो जाना ही वैदिक ऋषियों का लक्ष्य रहा है।

डा. प्रतिभा रानी ने अपने प्रतिभापूर्ण लेख "वेदों में आचार शास्त्र" द्वारा यह सिद्ध किया कि सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय को ही आचारशास्त्र की संज्ञा देना अत्युक्ति न होगी। उन्होंने प्रतिपादित किया कि वेदों में स्पष्टतः "पुरुषार्थ" का उल्लेख न होने पर भी वैदिक आचार का यही लक्ष्य था।

"ऋतु" आचार का ही एक अंग है। कर्म, ज्ञान, उपासना में ही आचार के साथ नीति का भी समावेश हो जाता है । जरामरणशून्य अमृतत्व के उल्लेख से मोक्ष का भी ज्ञान होता है।

अन्ततः सत्र के अध्यक्ष आचार्य सत्य प्रकाश सिंह ने "वैदिक संहिताओं में प्रतीक" विषय पर बताया कि न केवल वैदिकसंहिता ही, अपितु सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय प्रतीकों और प्रतीकात्मक प्रयोगों से भरा पड़ा है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण के प्रसिद्ध आख्यान में शुनःशेप की लिंधाबद्धता वास्तव में उसका सांसारिक बन्धन है, और उसके माता-पिता का अभिप्राय वास्तविक माता पिता से न होकर आधिभौतिक माता पिता से है जो स्वयं अदिति में सन्निविष्ट है । इस प्रकार उन्होंने वेदों की वस्तुपरक व्याख्या की अपेक्षा प्रतीकात्मक व्याख्या का ही औचित्य सिद्ध किया। आचार्य सिंह ने निबन्ध वाचन के साथ अध्यक्षता का निर्वाह कर सत्र इस समापन की घोषणा की ।

समारोह के तृतीय सत्र का संचालन डा. शशि तिवारी द्वारा डा. सत्यपाल नारंग की अध्यक्षता में किया गया । इस सत्र में सर्वप्रथम डा. प्रशान्त वेदालंकार ने "वेदों में आयुर्वेद" विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, यद्यपि कश्यप आयुर्वेद को पृथक पंचम् वेद के रूप में मानते हैं, उन्होंने अथर्ववेद में उल्लिखित शरीर के अंगों, अनेकविध कृमियों, विविध रोगों तथा उनके निदान और उपचार विधि का प्रतिपादन किया अथर्ववेद में रक्त के लिए "आप्" शब्द का प्रयोग हुआ है । वैद्य के लिए भिषक् शब्द का प्रयोग हुआ , और अश्वमेघ याग में भीषज ज्ञान की आवश्यकता भैषज्य के माहात्म्य का पर्याप्त प्रमाण है ।

"ऋग्वेद संहिता में अध्यात्मविद्या" विषय पर डा. बलदेव राज शर्मा ने विचारपूर्ण लेख प्रस्तुत किया उन्होंने ऋग्वेद से अध्यात्मसबन्धी प्रचुर उद्धरण दिए । वस्तुतः वेदों की सभी ऋचायें मनः स्वास्थ्य के ही निमित्त हैं ।

डा. उर्मिला रूस्तगी ने अपने आलेख "वेद और भूगर्भ शास्त्र" के माध्यम से वेदों में उपलब्ध भू-विज्ञान-विषयक सामग्री द्वारा पृथ्वी की संरचना और उसके आरंभिक रूप तथा क्रमशः विकास को बहुत वैदुष्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया।

डा. शशि प्रभा कुमार ने "वैदिक संहिताओं में न्याय वैशेषिक अवधारणाओं के आधार" विषय पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि दार्शनिक सम्प्रदायों का सांगोपांग वर्णन वेदों में ढूंढना समीचीन नहीं है, तथापि दर्शनों का मूल भी वेद ही है इस बात की पुष्टि में उन्होंने कहा कि अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त "अनुमति" नाम से मिलता है तथा इस "अनुमति" शब्द की व्याख्या निरुक्तकार ने "अनुमान" कह कर दी है । इसके अतिरिक्त प्रभा, अनुपति, ज्ञान आदि विषयों के वेद में प्रचुर स्त्रोत है । न्याय वैशेषिक की मूल मान्यता अवयव-अवयवी का उल्लेख तथा असत्कार्यवाद का आधार भी वेद में मिलता है ।

श्री द्विजेन्द्र कुमार ने "वैदिक कृषि एवं कृषि उपज" विषय पर अपना पत्र पढ़ते हुए ऋग्वेद में उपलब्ध कृषि शब्द तथा कृषि के लिए उपयोगी साधनों का वर्णन प्रस्तुत किया इसके साथ ही उन्होंने यह उल्लेख किया कि जहां कहीं भी देवासुर संग्राम की चर्चा की गई है, वह मुख्यतः कृषि सम्बन्धित है ।

श्री मनोहर विद्यालंकार ने "वेदों में अध्यात्मविद्या" विषय के अन्तर्गत वेदों के ज्ञान को सार्वदेशिक व सार्वकालिक बताते हुए उसमें वर्णित सम्पूर्ण ज्ञानको अध्यात्म परक कहा है, तथा उनके अनुसार योगसाधना में प्रवेश करने के बाद वेद अध्यात्म विद्या के अनुपम ग्रन्थ प्रतीत होने लगते हैं, क्योंकि वेद के अर्थ शाब्दिक दैनिक चर्या में सहयोग देकर आध्यात्मिकता के बीज का भी वपन करते हैं। इस विषय में अरविंद के मत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक देवता में सभी देवताओं का अंश समाया हुआ है, अतः जब भी किसी देवता का वर्णन या स्तुति होती है, तो वास्तव में उससे परमात्मा ही अभिप्रेत है ।

डा. ललिता कुप्पुस्वामी ने "जल चिकित्सा" विषय के अन्तर्गत चिकित्सा के साधन के रूप में जल किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है इस विषय में बल देते हुए जल के प्रकारों तथा उसके औषधीयतत्वों पर प्रचुर प्रकाश डाला तथा साथ ही इस मत पर अधिक बल दिया कि जल चिकित्सा से रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है, उन्होंने चिकित्सा का आधुनिक चिकित्सा के साथ क्या सम्बन्ध है, विषय पर भी विचार व्यक्त किए ।

डा. नारंग ने अपने अतिव्यवस्थित अध्यक्षीय भाषण में सुन्दर ढंग से समाहार करते हुए विषयों की उपयोगिता और औचित्य का प्रतिपादन किया।

समारोह के चतुर्थ सत्र का संचालन डा. उषा चौधुरी द्वारा आचार्य पुष्पेन्द्र कुमार के आध्यक्ष्य में किया गया । इस सत्र में सर्वप्रथम डा. शशि तिवारी ने "वैदिक मनोविज्ञान" विषय के अन्तर्गत कतिपय रोचक तथ्यों को उद्घाटित किया। उन्होंने बताया कि वैदिक चिन्तकों ने मानव स्वभाव के परिवर्तन की सम्भावना को स्वीकार किया है, अतएव, वे प्रार्थना करते हैं कि मन की अर्जित दुर्वृत्तियां दूर हो जायें तथा सद्वृत्तियों का स्थायीभाव बना रहे ।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के आचार्य यज्ञवीर ने "वैदिक व्याकरण दर्शन"—इस विषय के अन्तर्गत ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मणों तक व्याकरण-दर्शन के क्रमिक विकास का अनेक उद्धरणपूर्वक प्रतिपादन करते हुए कहा कि

वैदिक ऋषियों ने व्याकरण-दर्शन के उच्च शिखर का स्पर्श किया है। उन्होंने कहा कि सोपसर्ग तथा समस्त पदों से पृथक वैदिक पदपाठ भी व्याकरण का ही अंड है। व्याकरण "दर्शन" से आचार्य यज्ञवीर का अभिप्राय मात्र भाषा के विकास की प्रक्रिया तथा इस सम्बन्ध में मनीषियों के विचारों से था ।

"वैदिक संहिता में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी-विचार" प्रस्तुत करते हुए आचार्य सधीकान्त भारद्वाज ने उल्लेख किया कि ऋग्वेद में "धर्मन्" इस नपुसकलिंग प्रतिपादिक के ही रूप उपलब्ध होते हैं । "धर्म" की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि "धर्म" का तात्पर्य कोई कर्मकाण्ड अथवा धार्मिक आस्था न होकर एक व्यापक "प्रणाली", व्यवस्था है जो समस्त सृष्टि को "धारण" करती है ।

डा. बलवीर आचार्य ने "वैदिक सृष्टि विज्ञान" का प्रतिपादन करते हुए कहा कि सृष्टि की जिज्ञासा जितनी प्राचीन है उतना ही प्राचीन उसका समाधान भी है । उन्होंने नासदीय-सूक्त में प्रयुक्त "सीलल" शब्द का अर्थ "जिसमें सब कुछ लीन हो" अर्थात् "प्रकृति" किया है । उन्होंने ब्राह्मणों का उद्धरण देते हुए यह प्रतिपादित किया कि प्रजापति ने अपनी कामनाशक्ति से जब अग्नि, आदित्य आदि की रचना की तब सृष्टि का आरम्भ हुआ । उसके पूर्व सब कुछ अन्धकारमय था ।

डा. सरस्वती बाली ने "वैदिक वाक्तत्व और बृहस्पति" विषय पर वैदुष्यपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत करते हुए कहा कि पहले किसी प्रकार "वाक्" प्रस्फुटित हुई होगी जिसके माध्यम से तदवधि अज्ञात पदार्थों का, नामकरण द्वारा ज्ञान कराया गया होगा । ब्रह्म के समान ही वाक्तत्व को समझना दुष्कर है । "वाक्" से न केवल "बोलने की क्रिया" अपितु "विचार करने की क्रिया भी सम्पन्न होती है, जिस कारण समस्त क्रियाओं के मूल में "वाक्" ही विद्यमान है । इस सन्दर्भ में श्रीमती बाली ने "बृहस्पति" को स्तुतियों का प्रेरक और कर्ता मानकर उसका वक्तत्व से सम्बन्ध स्थापित किया ।

आचार्य सत्यपाल नारंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, ने "वेदों में सम्पत्ति की वैधानिक स्थिति" विषय पर विचार प्रकट करते हुए सम्पत्ति-सम्बन्धी कुछ नियमों का उद्घाटन किया और कहा कि वेदों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय सम्पत्ति का विभाजन पुत्र की इच्छा के विरुद्ध हो जाया करता था, संयुक्त परिवारों में सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार था, उपहार-स्वरूप भूमि, स्वर्ण, अश्व, उष्ट्र और स्त्रियां भी दी जाती थीं, इसके अतिरिक्त अवैध व अपैतृक सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विरुद्ध कठोर नियम बनाए गए थे ।

डा. सरोज दीक्षा ने वैदिक कृषि,-विज्ञान के सन्दर्भ को लेकर विद्वतापूर्ण लेख प्रस्तुत किया । उन्होंने यह जानकारी दी कि अथर्ववेद के तृतीय काण्ड में "कृषि-सूक्त" में कृषि-विज्ञान का विस्तृत वर्णन है । ऋग्वेद में भी अरण्यानी के सन्दर्भ में भी विविध वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन है । डा० दीक्षा ने कई उद्धरण देकर ज्ञानवर्द्धन किया ।

आचार्य पुष्पेन्द्र कुमार ने अध्यक्षीय भाषण के साथ-साथ अपने विषय "वेदों में काव्यतत्त्व" पर पत्र प्रस्तुत किया । उन्होंने वैदिक साहित्य से अनेक उद्धरण देकर विषय का सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया । वेदों में प्रयुक्त वीरवान् ऋतज्ञः. प्रचेतस् आदि विशेषणों का उल्लेखकर उन्होंने कहा कि वाणी को पवित्र करने का कार्यभार कवियों पर ही निहित था ।

समारोह का अन्तिम सत्र डा. ब्रज बिहारी चौबे की अध्यक्षता में तथा उर्मिला रुस्तगी के संचालन में सम्पन्न हुआ । सर्वप्रथम डा. वेदव्रत ने "वेद-मन्त्रों की छाया में योग का साध्य व साधन" विषय पर अपने विद्वतापूर्ण विचार व्यक्त किए । अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने अनेक उद्धरण प्रस्तुत किए । तदन्तर आचार्य अभिविनय भारथी ने पर्यावरण के सन्दर्भ में याजुषिक इष्ट और उर्जतत्त्व विषय पर अपने विचार प्रकट किए । उन्होंने इस और ऊर्जा सम्बन्धी अनेक रोचक मन्त्रों का उद्धरण देते हुए यज्ञ-सम्बन्धी कुछ विश्वासों तथा मन्त्रों के कुछ प्रचलित व्याख्याओं का निराकरण किया ।

आचार्य कृष्ण लाल ने "वेदों में कुछ गणितीय तत्त्व" विषय पर चर्चा करते हुए अनेक रोचक तथ्यों को हमारे समक्ष रखा । उन्होंने कहा कि संख्या 9 केवल न होकर "अधिकाधिक" अर्थात् "बहुत बड़ी संख्या" के अर्थ में प्रयुक्त है । उन्होंने कहा कि अरिथमैटिकल तथा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन्स का भी वैदिक मन्त्रों में उल्लेख मिलता है ? कि च "पूर्णमदः पूर्णमिद्म" इत्यादि मन्त्र में "अनन्तसंख्या" (Infinity) तत्व का ही प्रतिपादन है । सत्र के अध्यक्ष डा. ब्रज-बिहारी चौबे ने वैदिक विद्या पर अपने विचार प्रकट किए । उन्होंने कहा कि वेदों में नक्षत्रों और उनकी गतियों का स्पष्ट उल्लेख तथा वर्णन है इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर आख्यानों द्वारा खगोलशास्त्र का प्रतीकात्मक प्रतिपादन भी हुआ है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वेदों के उत्तरायण तथा दक्षिणायन के सिद्धान्त आधुनिक सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न हैं ।

नरवाना में हिन्दी गोष्ठी

दिनांक 03-10-92 को "नरवाना" में श्री सतबीर सिंह, अखिल भारतीय हिन्दी टाइपिंग चैम्पियन की अध्यक्षता में "स्टेनोज एसोसिएशन नरवाना" की बैठक का आयोजन किया गया । सर्वप्रथम हिन्दी के प्रयोग को गति दे ने के लिए नरवाना में 'हिन्दी-भाषा मंच" के गठन का निर्णय लिया गया जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की । दिनांक 09-05-92 को गोष्ठी में लिए गए

(शेष पृष्ठ 85 पर)

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में हिन्दी का प्रयोग–प्रगति और उपलब्धियाँ

निगम में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग पर प्रारंभ से ही ध्यान रखा जाता रहा है । परन्तु, विधिवत् रूप से इसकी शुरूआत मुख्यालय और इसकी परियोजनाओं में 1976 में हिन्दी प्रकीष्ठ की स्थापना से हुई। प्रारंभ में प्रदर्श सामग्रियों, लेखन-सामग्रियों आदि के आंशिक द्विभाषीकरण की स्थिति ही रही, और पत्राचार आदि भी आंशिक रूप में ही होता रहा । परन्तु, वर्ष 1977-78 से इस सम्बन्ध में सघन प्रयास प्रारम्भ हुए । राजभाषा नियम के विधिवत अनुपालन की दिशा में व्यापक कार्यक्रम बनाए गए और उसे अमल देने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए । गृह पत्रिका में हिन्दी लेख आदि दिया जाने लगा । मूल रूप से भी हिन्दी का प्रयोग आंशिक रूप में किया जाने लगा । वर्ष 1979 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभाषा स्मारिका का प्रकाशन किया गया जिसमें हिन्दी के माध्यम से न केवल साहित्यिक प्रतिभाओं को उभरने का मौका दिया गया, अपितु एन. एस. डी. सी. के प्रमुख कार्यकलापों को दिग्दर्शित करने के भी प्रयास किए गए । राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को समुचित वातावरण देने के उद्देश्य से 1980 में निगम के मुख्यालय में पहली बार हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री वन्देमातरम रामचन्द्र राव, मुख्य अतिथि थे । श्री राव ने निगम के मुख्यालय में पहली बार राजभाषा के मंच से हिन्दी के प्रयोग की जरूरत और उससे होने वाले व्यावसायिक और राष्ट्रीय हित की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जो निगम के कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग की ओर उत्प्रेरित किया ।

प्रमुख निरीक्षणों में 1985 एवं 1989 में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा निरीक्षण, 1984 में राजभाषा विभाग के सचिव, श्री आर. के. शास्त्री एवं 1986 में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री देवन्द्रचरण मिश्र द्वारा निरीक्षण तथा 1984 में इस्पात मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक, श्री शुभराम शिवरेन की अध्यक्षता में आए निरीक्षण दल, अक्टूबर, 1990 में श्री एम. के. राय, उप सचिव, इस्पात विभाग की अध्यक्षता में आए निरीक्षण-दल और 30 नवम्बर, 1991 को इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आदर्श किशोर द्वारा किए गए निरीक्षण हैं ।

निगम के राजभाषा कार्यक्रम, अनुपालन, निरीक्षण, समीक्षा तथा अपने मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण, सुझाव और उन पर अमल के अतिरिक्त उपर्युक्त निरीक्षणों और निरीक्षण दलों के सदस्यों की सराहना तथा उनके सुझावों ने निगम को अपने कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के गैर-तकनीकी एवं तकनीकी क्षेत्रों में क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग की ओर प्रवृत्त किया और आज निगम,

—हिन्दी में सुगम साहित्य के साथ ही पर्याप्त मात्रा में तकनीकी, व्यावसायिक साहित्य भी उपलब्ध हैं ।

—निगम से तैयार नक्शों, चार्टों आदि में हिन्दी के प्रयोग भी किए जाते हैं ।

—निगम के हिन्दी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से चेक हिन्दी में काटे जाते हैं और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं ।

—निगम के "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में भी हिन्दी में प्राप्त बिल, पुरस्थापित प्रस्ताव आदि के निपटान हिन्दी में किए जाते हैं ।

—परिचयपत्र, अनुदेश द्विभाषी हिन्दी में हैं ।

—विजीटिंग कार्ड, मेडिकल कार्ड, लाग बुक आदि द्विभाषी हैं ।

—हिन्दी में टिप्पण और आलेखन हो रहे हैं ।

—कहीं से भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं ।

इन सेमिनारों में वर्ष 1987 में निगम के मुख्यालय में ओपन कास्ट खानों में गवेषण और खनन विषय पर आयोजित राजभाषा तकनीकी सेमिनार, अक्तूबर, 1991 में सरकारी उपक्रम और प्रबन्धन विषय पर आयोजित राजभाषा व्यावसायिक सेमिनार तथा मार्च, 1992 में दोणिमलै लौह अयस्क परियोजना, कर्नाटक में औद्योगिक अर्थव्यवस्था प्रबन्धन विषय पर आयोजित सेमिनार महत्त्वपूर्ण रहे हैं ।

—राजभाषा प्रदर्शनी भी हर साल लगाई जाती है ।

—हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन भी नियमित रूप से हर साल किए जाते हैं ।

—राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रेस-विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं ।

—समय-समय पर राजभाषा अधिकारियों की संगोष्ठियां भी की गई हैं ।

राजभाषा अधिकारियों की प्रबंधकीय भूमिका

विषय पर आयोजित संगोष्ठी विशेष महत्व का रहा है ।

—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन भी नियमित रूप से चल रहे हैं ।

—राजभाषा कार्यक्रमों पर बल देने/समुचित वातावरण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से अन्य अनेक प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू हैं ।

—निगम के मुख्यालय में द्विभाषी टेलेक्स लगाए गए हैं और अन्य एककों में भी ऐसी ही व्यवस्था के प्रयास जारी हैं।

—निगम में उपयोग में आने वाले कम्प्यूटरों (पी. सी.) में हिन्दी के कुंजी पटल और साफ्टवेयर का प्रावधान कर उन्हें द्विभाषी किया गया है और उनसे हिन्दी के प्रयोग का काम लिया जा रहा है ।

प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निगम में आयोजित राजभाषा तकनीकी और व्यावसायिक सेमिनारों के आलेखों के संकलन, देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में स्थित सरकारी उपक्रमों को भेजे गए हैं ।

—निगम के राजभाषा विभाग को अन्य विभागों की तरह ही समुचित बजट प्रावधान किए जाते हैं और विभागीय सुविधाएं दी जाती हैं ।

—निगम के मुख्यालय तथा एकक स्तर पर राजभाषा विभाग से सम्बद्ध अधिकारियों की प्रबन्धकीय निपुणता के विकास हेतु समुचित प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है ।

निगम को वर्ष 1988 में "ग" क्षेत्र के उपक्रमों में 1987-88 में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग से प्रथम पुरस्कार के रूप में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त हुआ। निगम पुनः वर्ष 1988-89 के लिए भी "ग" क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए वर्ष 1990 में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त किया । निगम को इसके पश्चात् भी अपने मंत्रालय द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में प्राप्त उपलब्धियों के लिए क्रमशः 1986-87 तथा 1987-88 के लिए राजभाषा बड़ी ट्राफियां प्रदान की गई । निगम को मंत्रालय की ओर से पुनः वर्ष 1988-89 के दौरान इस्पात विभाग के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए भी प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्राप्त हुआ । यह निगम के लिए अपने मंत्रालय द्वारा प्राप्त तीसरा राजभाषा शील्ड और लगातार पांचवां राजभाषा पुरस्कार था ।

सालिग्राम सिंह,
निदेशक (तकनीकी)
(अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राजभाषा विभाग)

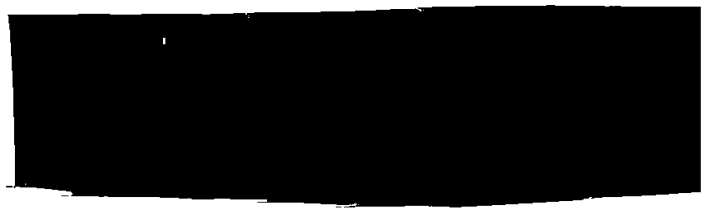

[redacted]

"न समझोगे तो मिट जाओगे"

भारतवर्ष विशाल देश है जहां विभिन्न समुदायों के लोग अपनी-अपनी पहचान लिए रह रहे हैं। यह पहचान किसी संकीर्णता का द्योतक नहीं है और न ही इससे हमारा भारतीयता का संस्कार कमजोर होता है। बल्कि यही पहचान हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इस महादेश में विभिन्न भाषाएं और बोलियां है जिसके माध्यम से यहां का जन-समुदाय अभिव्यक्त होता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे सामने आती है।

जिस तरह व्यक्ति और समाज की पहचान के लिए मानदण्ड होते हैं उसी तरह राष्ट्र की पहचान के लिए भी मानदण्ड निर्धारित होते हैं जिनमें भाषा का स्थान सर्वोपरि है। भाषा ही एक ऐसा सजीव माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति की चेतना, संस्कृति और सभ्यता संवाद स्थापित करती है। परन्तु यह दुःखद विषय है कि आज इस संवाद की मौलिकता का हनन हो रहा है। राजनीति के गलियारों में घूमने वाले व अभिजात्यता का खोखला दम्भ पालने वाले आज इस संवाद की मौलिकता के आड़े आ रहे हैं। अंग्रेजी मानसिकता ने आज भारतीयता की गरिमा को लीलने का जो कुप्रयास किया है उसका दुष्प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन में उथल-पुथल कर गया है। यह उथल-पुथल इस हद तक पहुंच गई है कि हम अपनी भाषाओं के गौरवपूर्ण साहित्य के महत्व के भूलने लग गए हैं। केवल अंग्रेजी की ललक से व्यक्ति अपने को पूर्णतया का दर्जा देने के लिए लालायित दिखता है जिससे हम अपने भौगोलिक और सामाजिक परिवेश की प्रकृति के विपरीत जीने का प्रयास करने लगे हैं जो कि झूठ और छलावा है।

समाज को जानने, उसके अतीत को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की ओर उचित ध्यान दिया जाए। मात्र दिवस, सप्ताह और पखवाड़े के आयोजन से यह संभव, नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान की नितान्त आवश्यकता है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित किया जाए।

न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दुस्तां वालो।
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।

—राम रत्न शर्मा*

मित्र संगम पत्रिका, सितम्बर 92 से साभार

*35 बी, पुरानी गुप्ता कालोनी, दिल्ली-110099

आकाशवाणी, विजयवाड़ा

दूरदर्शन, हैदराबाद

केन्द्र, में दिनांक 23-9-92 से 1-10-92 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर हिन्दी निबंध लेखन, क्विज प्रतियोगिता, सुबोध, लेखन हिन्दी शब्दावली, वाचन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिन्दी सप्ताह समापन समारोह का आयोजन दि. 1-10-92 को हुआ जिसमें आचार्य राम-निरंजन पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। समारोह की अध्यक्षता केन्द्र के अधीक्षक अभियन्ता श्री योगेश्वर प्रताप ने की। केन्द्र निदेशक श्री वी. ए. अप्पा राव ने कार्यालय में हो रही हिन्दी की प्रगति को सराहा तथा कहा कि हिन्दी का कार्य केवल हिन्दी दिवस अथवा हिन्दी सप्ताह के प्रतियोगिताओं तक सीमित न रखकर अपने दैनंदिन सरकारी कामकाज में भी हिन्दी का प्रयोग करें।

अधीक्षक अभियन्ता श्री योगेश्वर प्रताप ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जबसे संविधान लागू हुआ है हिन्दी हमारी राजभाषा है तथा हिन्दी भाषा का विकास तथा प्रचार प्रसार करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है।

हिन्दी सप्ताह के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी।

कर्मचारियों के लिए

निबंध लेखन के. श्रीदेवी (प्रथम), डी. हेमलता (द्वितीय) तथा एल.जी. अंबेरकर (तृतीय)

अधिकारियों के लिए

सुलेख प्रतियोगिता एन. हरिश्चन्द्र राव (प्रथम) विनोदिनी वीणा (द्वितीय) तथा आर. सूर्यकांतम (तृतीय)

[redacted] की भाषा बन गई है।

अंत में उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी तथा हिन्दी में अधिक से अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित किया।

श्री धुले एस०एस० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ।

दूरदर्शन, नागपुर

केन्द्र द्वारा 'हिन्दी दिवस' के उपलक्ष्य में दि. 14-9-92 से दि. 21-9-92 तक 'हिन्दी सप्ताह' मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्र निदेशक श्रीमती ललिता एस. भोज द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. घनश्याम व्यास, विभागाध्यक्ष (हिन्दी), नागपुर विद्यापीठ भी उपस्थिति थे। डॉ. व्यास ने कहा कि आज भी हम मानसिक रुप से जिस प्रकार अंग्रेजी के दास बने हुए है इस दासता से हमें शीघ्र ही मुक्त होना चाहिए। विदेशों की तरह हमारे देश की भी अपनी भाषा है जिस पर हम गर्व करें।"

केन्द्र निदेशक श्रीमती ललिता एस० भोज ने भी अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी में कार्य करने तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने की प्रेरणा कर्मचारियों को दी।

दि. 21-9-92 को केन्द्र अभियंता श्री बी.एम. खेर की अध्यक्षता में 'समापन दिवस समारोह' मनाया गया जिसमें श्री कृष्णराव मिसर विभागाध्यक्ष जनसंवाद, नागपुर विद्यापीठ, 'विशेष अतिथि' के रुप में उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के हिन्दी अधिकारी श्री उमाकान्त खुवालकर ने किया तथा आभार-प्रदर्शन हिन्दी अनुवादक, श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।

दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट

कार्यालय में दिनांक 14-9-92 से 19-9-92 तक हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का सार संक्षेप इस प्रकार है :—

दिनांक 14-9-92 को श्रुतलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें 22 अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। 15-9-92 को "प्रसारण माध्यमों की जिम्मेदारी" इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिस में 15 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था।

दिनांक 16-9-92 को वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसके विषय थे :—

1. अगर मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री होता
2. राजकोट शहर की विशेषताएं
3. मानव जीवन का सच्चा ध्येय

इन प्रतियोगिताओं में 10 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था।

दिनांक 17-9-92 को हिन्दी गीत प्रतियोगिता तथा दिनांक 18-9-92 को अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिस में फिल्मी, गैर फिल्मी आदि गीत प्रस्तुत किए गए थे। अंताक्षरी में 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था और सभी ने बहुत ही उत्साह और लगन के साथ हिस्सा लिया था।

अंत में दिनांक 19-9-92 को समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। समापन्न के दिन डाक सेवा विभाग के पोस्ट मास्टर जनरल श्री आर.एस. गुप्ता, मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किये गए थे। श्री गुप्ता ने अपने संक्षिप्त भाषण में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी के प्रति जागरुकता तथा रुचि बनाए रखने की अपील की। सिर्फ हिन्दी सप्ताह के दौरान ही हिन्दी में कार्य करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष के दौरान सभी को हिन्दी में कार्य करना चाहिए तो ही हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में विशेष योगदान होगा।

दूरदर्शन केन्द्र, मुजफ्फरपुर

केन्द्र, में "हिन्दी दिवस" समारोह 14 सितम्बर, 1992 को केन्द्र अभियन्ता श्री एम.सी. जायसवाल की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। बिहार विश्वविद्यालय के आचार्य श्री महेन्द्र मधुकर, मुख्य अतिथि रहे।

माननीय मुख्य अतिथि ने कहा कि राजभाषा हिन्दी भक्ति एवं संस्कृति की भाषा है। यह साहित्य संगीत एवं कला की अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम माध्यम रही है। इसमें गंभीर विचारों एवं सूक्ष्मभावों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है। इसकी लिपि देवनागरी है जो ध्वनि एवं विज्ञान की दृष्टि से विश्व की श्रेष्ठतम लिपि है, तिमंजिली लिपि होने के बावजूद भी यह लिखने, पढ़ने एवं बोलने में सरल, सुलभ एवं सुबोध है।

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन उसी दिन कार्यालय में गया जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी विजेता रहे :–

प्रथम पुरस्कार, श्री रामकिशोर प्रसाद, लि. वर्ग-I

द्वितीय पुरस्कार, श्री बिजय शंकर, लि. वर्ग-II

तृतीय पुरस्कार, श्री रामकिशोर प्र. सिंह, लि.वर्ग-I

सांत्वना पुरस्कार, श्री ए.के. श्रीवास्तव, लि. वर्ग-II

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर में दिनांक 14-9-92 को "हिन्दी-दिवस" दि: 15 सितम्बर, 1992 से 22 सितम्बर, 1992 तक हिन्दी सप्ताह और दि : 20-10-92 को "राज भाषा पुरस्कार वितरण समारोह" का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हिन्दी-सप्ताह के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया :–

दिनांक 14-9-92 को "हिन्दी दिवस" का आयोजन तथा दि : 15-9-92 से "हिन्दी-सप्ताह" का आयोजन किया गया। श्री सीताराम शर्मा, निदेशक (कार्य.) ने समारोह का उद्घाटन तथा श्री महेन्द्रपाल सिंह ने संचालन किया।

दिनांक 16 सितम्बर, 1992 को "हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता" आयोजित की गई। इसमें कई कर्मचारियों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में श्री जगदीश प्रसाद, लिपिक श्रेणी-I को प्रथम, श्री भूरामल मीना, लिपिक श्रेणी-II, को द्वितीय, श्री गरिन्दरपाल सिंह, लिपिक को तृतीय और श्री चरन सिंह विमल, शोध सहायक, को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ।

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

दिनांक 18 सितम्बर, 1992 को "हिन्दी टंकण प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। लिपिक श्रेणी-II के कई कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और इसमें श्री जगन्नाथ प्रसाद मीना, लिपिक श्रेणी-II को व श्रीमती आशा वाधवानी, लिपिक श्रेणी-II को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

हिंदी में सराहनीय शासकीय कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार सितंबर, 1991 से अगस्त, 1992 के दौरान हिंदी में सराहनीय शासकीय कार्य करने के लिए सर्वश्री बी.सी. बोस, तत्कालीन निदेशक तथा श्री सत्य प्रकाश खन्ना, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पुरस्कृत किया गया।

आकाशवाणी, तिरुअन्नतपुरम

केन्द्र में 14-9-92 से 19-9-92 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और उद्घाटन डा. वेल्लायणी अर्जुनन ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के लिए आत्मीयता से परिश्रम करने का सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया।

तत्पश्चात केन्द्र निदेशक द्वारा हिंदी के महत्व पर संक्षिप्त भाषण दिया गया।

हिन्दी सप्ताह के अवसर पर हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी अनुवाद, टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में केन्द्र के अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़े उत्साह एवं लगन के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। विजेता इस प्रकार रहे।

19-9-92 का हिन्दी सप्ताह समारोह के समापन सम्मेलन में दूरदर्शन के भूतपूर्व महानिदेशक श्री कृष्णमूर्ति मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने हिन्दी कार्यान्वयन के बारे में विवरण देते हुए बताया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र के कार्यालयीन काम काज में सरल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए। और उन्हीं के द्वारा हिन्दी प्रतियोगिता विजेताओं को नकद परस्कारों का वितरण किया गया।

इसके बाद केन्द्र अभियंता श्री फान्सीस ने हिन्दी के महत्व पर भाषण देते हुए कहा कि आकाशवाणी तिरुअनन्तपुरम में हिन्दी का कार्य काफी तादाद में हो रहा है और इसे बढ़ाने के लिए काफी प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

अंत में हिन्दी अधिकारी ने औ० विजयन ने हिन्दी दिवस –हिन्दी सप्ताह को सफल बनाने में केन्द्र निदेशक, केन्द्र अभियंता एवं अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से आभार व्यक्त किया था।

आकाशवाणी, विजयवाडा

दिनांक 14-9-92 को आकाशवाणी केन्द्र में हिन्दी दिनोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री गुरुराज केशवराज कुलकर्णी की अध्यक्षता में मनाया गया। केन्द्र निदेशक श्री कुलकर्णी ने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व ही आन्ध्र प्रदेश में राम चरितमानस जैसे उत्तम ग्रन्थों का अनुवाद हुआ और उसी आज भी यहां हिन्दी भाषा की प्रगति हो रही है। अधीक्षक अभियंता श्री पेरी विश्वनायन ने कहा कि, पिछले सालों की तुलना में राजभाषा का कार्यान्वयन केन्द्र में प्रशंसनीय रूप से बढ़ गया है। इसे और आगे बढ़ाने में सब का सहयोग चाहिए। कार्यालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को कैसे बढ़ाना है इस पर केन्द्र के प्रशासन अधिकारी श्री गुर्बन्स सिंह ने जोर दिया।

मुख्य अतिथि और हिन्दी कालेज के प्रिन्सिपल श्री मिक्किलिनेनि सूब्बा राव ने कहा हम भारतीय हैं। भारतीय भाषा को सीखना हमारा कर्तव्य है। गांधीजी की प्रेरणा से हमने हिन्दी के प्रचार का जो कार्यक्रम अपनाया उसे प्रगति के पथ पर ले जाकर राष्ट्र की मर्यादा को निभाना इस पीढ़ी का दायित्व है। इसके पश्चात् राजभाषा कार्यान्वयन

समिति के सदस्य सचिव श्रीमती येल्लमराजु सरोजा निर्मला ने हिन्दी प्रगति वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस संदर्भ में 7 तारीख से 14 सितंबर तक आयोजित निबंध प्रतियोगिता वाक, प्रतियोगिता (वर्ग क, ख, ग और घ कर्मचारियों के लियें) सुगम संगीत, प्रारुप और टिप्पण और अगस्त में अधिकाधिक काम (हिन्दी में) आदि प्रतियोगिताओं में 15 कर्मचारियों ने भाग लिया । विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नकद और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ।

आकाशवाणी, धारवाड़

केंद्र में दिनांक 8-9-92 से 14-9-92 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस संदर्भ में हिन्दी निबंध, हिंदी भाषण, हिन्दी अंताक्षरी, हिंदी वाचन तथा कर्मचारियों के बच्चों के लिए हिंदी गीत/भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं । इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साह-पूर्वक भाग लिया ।

दिनांक 14-9-92 को मुक्ताकाश मंच पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अंजुमन कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एस.वी. दिलशाद मुख्य अतिथि थे ।

हिंदी अधिकारी श्री जगदीश लाल ने वर्षभर की हिंदी गतिविधियों, राजभाषा के प्रति किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया ।

समारोह के अध्यक्ष, केन्द्र निदेशक श्री सी. राजगोपाल ने हिंदी की संवैधानिक पहलू पर प्रकाश डाला ।

मुख्य अतिथि श्री दिलशाद ने कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है । यह सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में भी अधिकतर जनता द्वारा बोली और समझी जाती है । पिछले छः-सात वर्षों में दूरदर्शन और आकाशवाणी माध्यमों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी योगदान दिया है ।

इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्रीपाद हेगडें, श्री वसवराज गोनाल, श्रीमती ज्योत्सना कुलकर्णी तथा श्री एम. ए. हुंडेकार ने हिंदी गीतों से सभा को उल्लासित किया । श्री चेतन नायक ने हास्य चुटकुले एवं शायरी की प्रस्तुती से सबका मनोरंजन किया । इसके बाद हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेंताओं को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए ।

आकाशवाणी, अहमदाबाद

दिनांक 14-9-92 को हिंदी दिवस एवं उसी दिन से 21-9-92 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया ।

1. हिंदी निबंध प्रतियोगिता 14-9-92 में 19 प्रति-भागियों ने भाग लिया । पुरस्कार विजेता श्रीमती साधना भट्ट, श्री ऋषिकुमार शास्त्री तथा श्री प्रवीण दवे रहे ।

2. हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता 16-9-92 में 16 प्रतियोगियों ने भाग लिया । पुरस्कार विजेता श्री डी. सी. वाघेला, श्री ऋषि कुमार शास्त्री, श्री रविन्द्र भगत तथा श्री सुभाष कुहिकर रहे ।

हिन्दी सप्ताह में चार कर्मचारियों 1. श्री डी. सी. वाघेला, लेखाकार 2. श्री यू. डी. त्रिवेदी, लेखाकार, 3. सीमा धमेजानी, हिन्दी अनुवादक 4. वेणु कोडूर, आशु-लिपिक को भी पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र गत वर्ष अपना अधिकांश कार्य पूरी लगन के साथ राजभाषा हिन्दी में किया एवं अन्य को हिन्दी में कार्य करने का मार्गदर्शन करके प्रेरित किया ।

आकाशवाणी, सांगली

दि. 14 सितंबर, 92 को सांगली की भारती विद्या-पीठ के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्रीमती शीला चंद्रशेखर मगदुम, की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया ।

केंद्र निदेशक श्री जयंत कारंडे ने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत भर में हिन्दी भाषा बोली जाती रही है । वर्तमान में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी/दूर-दर्शन/चित्रपट अहम भूमिका निभा रहे हैं ।

दि. 15-9-92 को दोपहर 4.00 बजे चम्पावहन शाह महाविधालय की हिन्दी प्राध्यापिका डॉ. मीना खांडिलकर की अध्यक्षता में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ । इसमें कार्यालय के अधिकारी/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जयसिंहपुर कन्या महाविद्यालय के छात्रायें, आरवाड़े कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों ने इसमें भाग लिया ।

दि. 16-9-92 को निवृत्त प्राध्यापक प्रो. एस.जी. खान की अध्यक्षता में कविता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ ।

दि. 17-9-92 को मथुबरई गरवारे कन्या महाविद्यालय की हिन्दी प्राध्यापिका श्रीमती निर्मला कुलकर्णी की अध्यक्षता में वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

दि. 19-9-92 को बैंक आफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय के उपप्रबंधक (राजभाषा) अधिकारी श्री विक्रम सिंह मुख्य अतिथि एवं आयकर विभाग कोल्हापुर के सहायक निदेशक (राजभाषा) अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह, पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस/सप्ताह समापन समारोह का आयोजन हुआ ।

आकाशवाणी, रायपुर

हिंदी दिवस के अवसर पर श्री विनायक पानसरे, केन्द्र निदेशक ने कहा कि "वह भाषा जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे से कहने की क्षमता रखते हों, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, जो व्यावहारिक हों, वही हमारी राष्ट्रभाषा है ।"

श्री कल्याणकुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता ने हिन्दी दिवस पर बोलते हुए कहा कि "हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और रहेगी । इसका विकास धीरे-धीरे हो सकेगा ।

हिन्दी दिवस के पूर्व दिनांक 4-9-92 को आकाशवाणी रायपुर में हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम इस प्रकार रहा :-

प्रथम, श्री अन्जन राय, लिपिक श्रेणी-2, द्वितीय श्रीरामजी ध्रुव, लिपिक श्रेणी-2, तृतीय कु. जयश्री नायर, लिपिक श्रेणी-2

इसी तरह दिनांक 8-8-92 को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुप लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम इस प्रकार रहा :-

प्रथम, श्री प्रभाकर थिटे, लिपिक श्रेणी-1 द्वितीय श्री के.के. वर्मा, लिपिक श्रेणी-प तृतीय : श्रीमती अपराजिता शर्मा, ग्रंथपाल

आकाशवाणी, बम्बई

आकाशवाणी केंद्र में 14 से 19 सितम्बर 1992 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । 14 सितम्बर को राजभाषा प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई । प्रदर्शनी का उद्घाटन केन्द्र के अधीक्षण अभियंता श्री एस. सुन्दरम ने किया ।

सप्ताह के दौरान आठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें आकाशवाणी एवं सहयोगी कार्यालयों के कर्मचारियों ने काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

19 सितम्बर को समापन समारोह के रुप में पुरस्कार वितरण सम्पन्न हुआ मुख्य अतिथि 'हिन्दी नवनीत' के सम्पादक डा. गिरिजा शंकर त्रिवेदी ने कहा कि हमारी भाषा हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है, वह हमें जो संस्कार देती है वह किसी अन्य माध्यम द्वारा सम्भव नहीं है। समारोह की अध्यक्षता केन्द्र अभियन्ता श्री सी. पी. माटा ने की । राजभाषा अधिकारी श्री अवधूत हर्डीकर, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री सि.व. शिर्गे तथा हिन्दी अधिकारी श्री कौशल पाण्डेय ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए ।

केन्द्रीय कार्यालय

भारी पानी संयंत्र--तूतीकोरिन, तमिलनाडु)

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी संयंत्र--तूतीकोरिन में दिनांक 4 नवंबर 1992 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में संयंत्र में कार्यरत तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मचारियों के लिए हिन्दी स्लोगन प्रतियोगिता, हिन्दी वक्तृता प्रतियोगिता, हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और भापांस रिक्रिएशन क्लब में स्कूली छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।

राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन के लिए संयंत्र में हिन्दी की मानसिकता बनाने के लिए भापास कालोनी में हिन्दी, तमिल व मलयालम की एक-एक फिल्म क्रमशः "खुदा गवाह", "रोजा" व "इन्स्पेक्टर बलराम" प्रदर्शित की गई। फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार की गई वीएचएस कैसटों का भी प्रदर्शन किया गया।

हिन्दी दिवस समारोह के शुभ अवसर पर श्री डी एस. लाम्बा, महा प्रबंधक, भारी पानी संयंत्र--तूतीकोरिन. मुख्य अतिथि थे। समारोह का उद्घाटन श्रीमती डी. एस. लाम्बा ने कुत्तुविलक्कु प्रज्वलित करते हुए किया। राजभाषा अधिकारी श्री के. श्रीनिवासन ने मुख्य अतिथि श्री डी. एस. लाम्बा , श्रीमती डी. एस. लाम्बा, श्री वी. कि, सन्तानम, अध्यक्ष, राभाकास, श्री डी. चेल्लपाण्डी, अध्यक्ष भापासं रिक्रिएशन क्लब, आदि का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि श्री लाम्बा ने "हिन्दी दिवस संदेश" में यह बताया कि दक्षिण भारत के लोग अब हिन्दी बड़े ही उमंग व उत्साह से सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी न केवल राजभाषा ही है बल्कि सभी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के लिए हिन्दी संपर्क भाषा भी है।

तदंनतर, तूतीकोरिन क्षेत्र के गण्यमान 7 व्यक्तियों द्वारा "आज की युवा पीढ़ी की अवनति का मुख्य कारण -: राजनीति या सिनेमा" विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम "पट्टिमन्ट्रम" का आयोजन किया गया। मनोनीत न्यायाधीश कविवर एस. अरुणाचलम, के नेतृत्व में तीन-तीन व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया था। दोनों पक्षों की एक-दूसरे पर नोंक-झोंक, तर्क-वितर्क दर्शकों को लुभाती रही।

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्रीमती डी. एस. लाम्बा द्वारा 45 पुरस्कार वितरित किये गये। श्री नरसिंह राम, सहायक निदेशक राजभाषा ने श्रीमती डी. एस. लाम्बा को स्मृति-चिह्न प्रदान किया।

अन्त में श्री वी. कि. सन्तानम, अध्यक्ष, राभाकास व प्रशासन अधिकारी, भापासंतू ने आभार प्रकट किया।

सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास

21-09-1992 से 25-09-1992 तक हिन्दी सप्ताह समारोह मनाया गया। इस दौरान, सवारी डिब्बा कारखाना के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अलग तौर से हिन्दी लेखन-वाचन अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राजभाषा की प्रगति दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका

महाप्रबंधक ने दिनांक 23-09-1992 को उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद सवारी डिब्बा कारखाना के कर्मचारियों के बीच एक सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गैर-हिन्दी भाषी प्रतियोगियों ने भाग लेकर हिन्दी में गीत प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की श्रीमती मीनाक्षी, स्टेट बैंक की हिन्दी अधिकारी डां. विजया एवं संगीत अध्यापिका श्रीमती कल्याणि शामिल थी।

काव्य गोष्ठी का संचालन दक्षिण रेलवे से सेवानिवृत्त वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डां. सुब्रहमण्यिन "विष्णुप्रिया" ने किया। गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी श्री किशोर वासवानी ने अध्यक्षता की एवं श्री किरण "शौक देहल्वी' गोष्ठी के मुख्य अतिथि रहे। इस में हिन्दी के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मराठी भाषाओं के भी कविताएं पाठ हुए।

25-09-1992 समापन समारोह में मद्रास विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रध्यापक (वरिष्ठ ग्रेड) तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय की राजभाषा परामर्श समिति के सदस्य श्री सैय्यद रहमतुल्ला, मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता महाप्रबंधक ने ग्रहण की।

मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी श्रीमती वृन्दा कुन्हीकृष्णन ने आगुंतकों का स्वागत किया। महाप्रबंधक श्री बी. टी. भिडे ने मुख्य अतिथि को शाल प्रदान करके सम्मानित किया।

इसके बाद महाप्रबंधक महोदय ने राजभाषा संगठन की ओर से प्रकाशित "राजभाषा हिन्दी का व्याहारिक व्याकरण" नामक पुस्तक का विमोचन किया।

हिन्दी की अनेक प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को श्रीमती विलासिनी भिडे ने पुरस्कार प्रदान किए।

मद्रास के टी. नागर गुरुद्वारे के ज्ञानी जी ने "शबद" प्रस्तुत किया और उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने दो गजलें प्रस्तुत की।

अंत में प्रशासन के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री आर. गोविन्दन् के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, गुण्टूर–522004

समाहर्तालय में दि. 19-10-1992 से दि. 29-10-1992 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और कर्मचारियों के बच्चों के लिए गीत प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

हिन्दी पखवाड़े का समापन दि. 19-11-1992 को हुआ।

श्री एस. नागराजन, उप समाहर्ता (तकनीकी) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष प्रतियोगिताओं और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई हैं। उन्होंने कर्मचारियों से अपने कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपील की।

श्री बी. टी. के नयनार, उप समाहर्ता (कार्मिक व सतर्कता) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय (केरल) तृश्शूर

"ओणम" केरल का एक प्रमुख त्योहार है और सितम्बर मास में इस पावन पर्व के उपरान्त 14 सितम्बर, 1992 को कार्यालय खुलने के बाद "हिंदी दिवस" की पावन बेला जुड़ी।

दिनांक 22–9–92 को मुख्य अतिथि श्री एम. दिवाकरन नायर, पूर्व अध्यक्ष, हिंदी संकाय सेंट थामस कालेज तृश्शूर पधारे। संयोगवश मुख्यालय के संयुक्त बीमा आयुक्त श्री के.वी. राजप्पन नायर भी कार्यालय में उपस्थित थे।

श्रीमती पूर्णिमा नारायण, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। तदनन्तर उन्होंने मुख्य अतिथि श्री दिवाकरन जी, श्री के.वी. राजप्पन नायर, संयुक्त बीमा आयुक्त, श्री ओ. अब्दुल हमीद, क्षेत्रीय निदेशक महोदय व संघ के सचिव श्री ए.एफ. जोसफ को पुष्प-गुच्छ भेंट किए।

मुख्य अतिथि श्री नायर ने वार्षिक हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता में विजयी रहे कर्मचारियों श्रीमती टी.वी. मीनाक्षी, मुख्य लिपिक और श्री पी.एम. चन्द्रन, उच्च श्रेणी लिपिक को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए

हिंदी अधिकारी श्री विनोद कुमार महाजन ने उन सभी को बधाई दी जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कहा कि वह स्वतः ही अपने आप में पुरस्कार है। उन्होंने कहा कि हर भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें पंजाबी भाषा के शब्द भी ज्यों के त्यों मलयालम भाषा में प्रयुक्त होते मिले हैं और इसी तरह तेलुगु भाषा के भी। उन्होंने हिंदी प्रयोग के संदर्भ में कार्यालय की प्रत्येक इकाई से मिल रहे सहयोग की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल के रूप में सहयोग के लिए उन्होंने श्री पी.जी. कामत व श्री माधवन कुट्टी व श्री के.पी. अप्पच्चन, उप क्षेत्रीय निदेशक के प्रति आभार प्रकट किया।

राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बेंगलूर

दिनांक 30 सितंबर 1992 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया ।

डा. बी. टी. यूके, निदेशक, डा. रा. के. चक्रवर्ती अतिरिक्त निदेशक और डा. (श्रीमती) पी. जगोता, अध्यक्ष राजभाषा समिति रंगमंच पर उपस्थित थे । समारोह की अध्यक्षता डा. पी. जगोता ने की ।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित किए प्रत्येक कार्यक्रम का संचालन डा. विजय कुमार चल्लू, सदस्य, राजभाषा समिति ने किया।

हिन्दी कार्यान्वियन की दिशा में कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हिन्दी दिवस के अंतर्गत हिन्दी गीता और हिन्दी भाषण प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में बहुत से कर्मचारियों ने बहुत उत्साह व उल्लास के साथ भाग लिया ।

प्रतियोगियों का निर्णायक डा. बी. टी. यूके, निदेशक डा. रा. के. चक्रवर्ती और श्री मुरली मोहन थे ।

सर्वप्रथम कार्यक्रम जो प्रार्थना गीत था ।

इस संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निम्न-लिखित बच्चों ने बहुत उत्साह से गाया:—

(1) कु. स्मिता (2) कु. गीतांजलि (3) कु. गौरी (4) कु. कल्पना (5) ची. गोपाल (6) ची. कामेश ।

डा. (श्रीमती) सोफिया विजय, राजभाषा समिति सदस्य ने प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा की और डा. बी. टी. यूके, निदेशक ने पुरस्कार बांटे ।

चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड़

दिनांक 14 सितम्बर, 1992 को चलार्थ पत्र मुद्रणालय में "हिन्दी दिवस" समारोह मनाया गया । मुख्य अतिथि के रूप में बाईज़ टाऊन पब्लिक स्कूल, नासिक के प्राचार्य श्री बेजन देसाई एवं अध्यक्ष के रूप में चलार्थ पत्र मुद्रणाल के महाप्रबंधक, श्री अ. व्यें., ढेकणे उपस्थित थे ।

"हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में

1. हिन्दी निबंध 2. हिन्दी टंकलेखन 3. हिन्दी काव्य तथा 4. हिन्दी घोषणा प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम तीन प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

वर्ष 1991-92 में "मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन" योजना में चलार्थ पत्र मुद्रणालय द्वारा जिन दस कर्मचारियों ने भाग लिया था, उनमें से नौ कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया ।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे-411004

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे में दिनांक 14 सितम्बर, 1992 को मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिन्दी शिक्षण योजना, पुणे की डा. श्रीमती अंशुमत दुनाखे, सहायक निदेशक थीं । अध्यक्ष महोदया ने अप भाषण में समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए अनुरोध किया।

वर्ष 1991 तथा 1992 में हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा में सफल कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान किए गऐ ।

कर्मचारी के मनोरंजन हेतु संग्रहालयीन संग्रह में से "चोरी-चोरी" (हिन्दी) नामक फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ई एस एस प्रोजेक्ट मनकापुर यूनिट, गोन्डा

14 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1992 तक संस्थान में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । 14 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया मानव संसाधन विकास केन्द्र के सभा मन्डप में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर और समरोह के मुख्य अतिथि डा. विजय शंकर मल्ल ने "हिन्दी दिवस" और "हिन्दी सप्ताह" का शुभारम्भ किया । महाप्रबन्धक वित्त एवं राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्र गुप्त ने संस्थान में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी । महाप्रबन्धक (तकनीकी) श्री सुरेन्द्र पाल ने कहा कि वार्तालाप में जिस सरल हिन्दी का प्रयोग कर वैचारिक आदान-प्रदान कर लेते रैं, उसी को हम पत्रावलियों में भी अपनाएं और इस प्रकार हिन्दी के अधिकाधिक प्रायोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

अध्यक्षीय भाषा में दूर संचार विभाग (गुइवत्ता आश्वासन) के महाप्रबन्धक श्री निर्मल सिंह गिल ने देश के स्वतन्त्रता -आदोलन और राष्ट्रीय चेतना के जागरण में हिन्दी की भूमिका की चर्चा की। उन्होंने अंग्रेजी का मोह त्यागने और स्वभाषा को गरिमामण्डित करने का आह्वान किया ।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि डा. विजय शंकर मल्ल ने विश्व में अपनी पहचान बनाए लिए हिन्दी रखने के के सार्थक प्रयोग की अनिवार्यता को रेखांकित किया। उहोंने उपस्थित समुदाय का आह्वान किया कि वे सोचने बोलने, और लिखने में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प लें ।

इस समारोह में "बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन देश के औद्योगिक विकास के हित में है" विषय पर हिंदी और हिन्दीतर भाषियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था।

हिन्दी सप्ताह कार्यक्रम में विद्यार्थियों, गृहणियों और कर्मचारियों के लिए सुलेख, निबन्ध, टंकण, वाद-विवाद स्लोगन एवं सुझाव प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कुल अठारह प्रतियोगिताओं में 297 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इनमें से 86 को विभिन्न पुरस्कारों हेतु चुना गया।

यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, देहरादून

संस्थान में दिनांक 21 सितंबर से 25 सितंबर 1992 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

इस सप्ताह में संस्थान के वैज्ञानिकों ने आधुनिक प्रयुक्त विज्ञान की विधाओं पर राजभाषा हिन्दी में ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिए जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं संयुक्त निदेशक डा. रामनाथ सिंह द्वारा "तापीय प्रतिबिम्बन, समस्याएं एवं निराकरण" तथा संस्थान के उपनिदेशक डा. प्रकाश चन्द्र मेहता द्वारा "होलोग्राफी" के नए आयाम" विषय पर दिया गया व्याख्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी अधिकारी श्री विजय बहादुर सिंह ने दैनिक जीवन पर विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रभावों के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए सामान्य विज्ञान पर एक मनोरंजक वक्तव्य दिया। संस्थान में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 24 सितम्बर 1992 को गीत, संगीत, लघु नाटिका से परिपूरित एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें राजभाषा हिन्दी की देश-व्यापकता को रेखांकित करते हुए इसे अपनाने की प्रेरणा दी गई।

इस अवसर पर संस्थान के दो वैज्ञानिकों सर्वश्री गोपाल कृष्ण शर्मा एवं गजेन्द्र प्रसाद डिमरी द्वारा प्रकाशीय प्रौद्योगिकी पर राजभाषा हिन्दी में लिखित प्रथम पुस्तक का विमोचन संस्थान के निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डा. ओम प्रकाश निझावन द्वारा किया गया। अपने वक्तव्य में डा. निझावन ने हिन्दी को राष्ट्र-एकता का प्रतीक बताते हुए हिन्दी सीखने एवं प्रयोग करने के कार्य को सबसे बड़े राष्ट्रीय कर्तव्य की संज्ञा दी।

समिति के उपाध्यक्ष डा. रामनाथ सिंह ने अनेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया कि हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य का सृजन एवं वैज्ञानिक कार्य श्रम साध्य तो है परन्तु असम्भव नहीं है। सचिव श्री गोपाल कृष्ण शर्मा ने हिन्दी को राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक रूप में बताते हुए संस्थान के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से हिन्दी को अंगीकृत करने का आह्वान किया।

आयकर कार्यालय, बठिंडा

आयकर कार्यालय बठिंडा में दिनांक 14-9-1992 से दिनांक 20-9-92 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 23-9-1992 को हिन्दी समारोह (संस्कृति कार्यक्रम व खेलकूद) का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री वी. एल. छिब्बर, आयकर आयुक्त जालन्धर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए व इसके अतिरिक्त श्री ए. एस. नारंग, आयकर आयुक्त (अपील) व बठिंडा रेंज के अधिकारियों व बार मैम्बरों ने भाग लिया। अध्यक्ष श्री जगतार सिंह, आयकर उपायुक्त-बठिन्डा ने मुख्य अतिथि तथा अन्य महमानों का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि श्री बी. एल. छिब्बर ने नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 1991-1992 के लिए प्रमाण-पत्र वितरण किए, पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी हैं :—

1. श्री राजवन्त सिंह, नि. श्रे. लि., बठिन्डा।
2. केशोदास वर्मा, पर्यवेक्षक, अबोहर।
3. निलम मिढ़ा, नि. श्रे. लि., फरीदकोट।
4. रजनीश कुमार, उ. श्रे. लि., फरीदकोट।
5. राजेन्द्र अल्दियां नि. श्रे. लि., फरीदकोट।

आयकर विभाग, अमृतसर

आयकर विभाग में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितम्बर, 1992 को किया गया जिसकी अध्यक्षता आयकर आयुक्त श्री बी. एस, दहिया ने की। मुख्य अतिथि के रूप में श्री जी. एस. रंधावा, उपकुलपति, गुरूनानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर उपस्थित हुए।

कार्यक्रम का संचालन श्री जे. एस. अरोड़ा, राजभाषा अधिकारी एवं उपायुक्त आयकर (आडिट), अमृतसर ने किया। श्रीमती आशा रानी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने विभाग में हो रही हिन्दी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा नगर स्तर पर प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अन्य केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के बारे में सूचित किया।

श्री ओम अवस्थी, हिन्दी विभागाध्यक्ष गुरूनानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर ने हिन्दी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि बहुत पहले से ही देश में बोली जाने वाली हिन्दी ही है। श्री हरमिन्दर सिंह बेदी, रीडर, हिंदी विभाग ने कहा कि जितना हिंदी साहित्य में पंजाब में योगदान दिया है उतना योगदान हिंदी भाषी राज्यों का भी नहीं रहा है।

श्री जी. एस. रंधावा, उपकुलपति, गुरुनानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर ने भी हिंदी को राजभाषा अ रूप में स्वीकार किया और उन्होंने इसका प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए कहा।

अन्त में श्री वी. एस. दहिया, आयकर आयुक्त, अमृतसर ने कहा कि हमारी राजभाषा हिंदी है और इसके प्रयोग और प्रसार को बढ़ाना हमारा कर्त्तव्य है।

तत्पश्चात् श्री जी. एस. रंधावा - उपकुलपति द्वारा नगर स्तर पर तथा आयकर विभाग स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता और हिंदी टंकण प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र एवं पैन वितरित किए गए । इसके अतिरिक्त वर्ष 1991-92 में हिंदी का अधिक से अधिक कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नगद-इनाम योजना के अन्तर्गत नगद पुरस्कार वितरित किए गए ।

उ. रे. यांत्रिक कारखाना, अमृतसर

दिनांक 2-3-92 से 9-3-92 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। उप-मुख्य यांत्रिक अभियन्ता श्री हर्ष कुमार ने दीपक जलाकर "राजभाषा के बढ़ाते चरण" नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कारखाना के कंटी कक्ष में लगाई गई हिन्दी प्रदर्शनी की कलात्मक सजावट तथा कारखाना में किये जाने वाले हिन्दी के विभिन्न कार्यों की स्थिति एवं रिकार्ड को देखकर उप/ मुख्य / यांत्रिक अभियन्ता सहित प्रधान कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री आत्मा राम गर्ग, फिरोजपुर मण्डल के राजभाषा अधिकारी श्री रामपति राम तथा अधीक्षक श्री गुरदास शर्मा एवं कारखाना के अधिकारी गण अत्यधिक प्रभावित हुए ।

अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों कर्मचारियों से आग्रह-पूर्वक कहा कि हमें एक जुट होकर हिन्दी में अधिक से अधिक काम करना चाहिए ताकि कारखाना में राजभाषा के प्रयोग प्रसार में नये कीर्तिमान स्थापित किए जा सकें।

दिनांक 5-3-92 को कारखाना में हिन्दी निबन्ध प्रति-योगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 6-3-92 को कारखाना के निर्माण प्रबन्धक (सी) श्री आर एस गिल तथा उत्पादन अभियन्ता श्री इन्द्रजीत द्वारा कारखाना के सभी अनुभागों तथा शाखाओं में वर्ष 1991-92 में किये गये हिन्दी कामकाज का निरीक्षण किया गया।

दिनांक 9-3-92 को हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। एक विचार गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में कारखाना के राजभाषा सहायक श्री कंवल किशोर गुप्ता ने वर्तमान परि-स्थितियों में हिन्दी के महत्व और उसके उत्तरोत्तर प्रयोग की अनिवार्यता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। एन.आर.एम.यू. के मण्डल सचिव श्री एस. डी. कपूर ने कारखाना में किए जा रहे हिन्दी कामकाज की सराहना की। उन्होंने हिन्दी के निरन्तर प्रयोग करने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए संकल्प करने का आग्रह किया। यू. आर.यू. के सचिव श्री वृज नारायण मेहरा ने कहा कि यहां लगाई गई हिन्दी प्रदर्शनी ने हिन्दी के महत्व को दर्शाने का साहसपूर्वक प्रयास किया गया है। राजभाषा सहायक श्री कंवल गुप्ता ने "सर्वव्यापकता" नाम से एक कविता का पाठ करके सब को मुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए कारखाना के सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संतोष सिंह ढिल्लों ने कहा कि सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करना हम सब का धर्म है। उन्होंने हिन्दी की संवैधानिक स्थिति और राष्ट्रीय एकता में हिन्दी के योगदान पर प्रकाश डाला।

कार्मिक शाखा को वर्ष 1991-92 में हिन्दी का सर्व-श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय कार्य करने पर 'राजभाषा शील्ड' प्रदान की गई। यह राजभाषा शील्ड कार्मिक शाखा की ओर से सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संतोष सिंह ने उप-मुख्य यांत्रिक अभियन्ता से प्राप्त की। कारखाना के जिन कर्म-चारियों ने नवम्बर-90 में हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा उच्चतर अंकों में पास की थी उन्हें उनके पुरस्कार की 25% राशि की पुस्तकें उप-मुख्य यांत्रिक अभियन्ता ने प्रदान की।

अन्त में उप-मुख्य यांत्रिक व अभियन्ता श्री हर्ष-कुमार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी सप्ताह में के मध्य तत्परता एवं उत्साह से हिन्दी में अधिकादिक काम करने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि हिन्दी भारत की कोटि-कोटि जनता की भाषा है, जन मन का स्वर है।

केन्द्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान
इन्दिरा नगर, लखनऊ-16

संस्थान के तत्वाधान में 14 से 19 सितम्बर 92 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर एक हिन्दी प्रश्नोत्तरी (क्विज) एवं निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबन्ध का विषय था--"राष्ट्रीय एकता में हिट्रदी की उपयोगिता" इस प्रति-योगिता में 19 वैज्ञानिक एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए थे।

17 सितम्बर को वैज्ञानिकों के लिए एक हिन्दी कार्य-शाला का आयोजन किया गया जिसमें 20 वैज्ञानिकों शामिल हुए। ढाई घंटे की इस कार्यशाला का मुख्य विषय था--"हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन"। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेखक एवं केन्द्रीय एवं हिन्दी समिति के सदस्य डा मुकुल चन्द पाण्डेय ने विषय विशेषज्ञ के प में मुख्य व्याख्यान दिया। वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के सेवा निवृत उपनिदेशक डा. हरिमोहन सक्सेना ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक शब्दावली से सम्बन्धित व्याख्यान दिया।

17 सितम्बर को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत कर्मचारियों में श्री भुवन चन्द्र लोहानी क. लिपिक ने शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करके प्रथम पुरस्कार स्वरूप 400-रु० की धनराशि प्राप्त की। श्री रमेश क० लिपिक ने भी लेखा प्ररीक्षा सम्बन्धी कार्य में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग (लगभग 10 लाख शब्द) करके नया कीर्तिमान स्थापित किया एवं इन्होंने चेक हिन्दी में लिखने का भी श्रीगणेश किया है। अतः इन्हें भी 400/- रु० का नकद प्रथम पुरस्कार

दिया गया। द्वितीय पुरस्कार श्री श्याम सुन्दर अरोड़ा, सहायक, श्री सत्यदेव प्रसाद दीक्षित, वरि. लिपिक, श्री धीरज कुमार, क० लिपिक को मिला। तृतीय पुरस्कार सर्व श्री कैलास चन्द्र वरि. लिपि., श्री अशोक कुमार सेठ, वरि० लिपिक एवं श्री कुलदीप कुमार मौर्य, वरि. लिपिक को प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि संस्थान में वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों के लिए भी प्रोत्साहन पुरस्कार पुरस्कार योजना शुरू की गई है। तकनीशियनों में श्री वी. पी. शुक्ला को प्रथम पुरस्कार (400/- रु. नकद) श्री जयपाल सिंह, कनिष्ठ उद्यान अधीक्षक को द्वितीय (200/- रु.) तथा श्री माशूक अली तकनीशियन को तृतीय पुरस्कार (150/- रु.) दिए गए।

कार्यकारी निदेशक डा० आर०वी०आर० यादव ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, लोअर परेल, एन एम जोशी मार्ग, बम्बई

हिन्दी पखवाड़े की समाप्ति पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय लोअर परेल, बम्बई–13 में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री रमेश कुंभारे, क्षेत्रीय निदेशक ने की। प्रमुख अतिथि, प्रसिद्ध हिन्दी-मराठी कवियत्री श्रीमती नीला सत्यनारायण ने कहा मराठी कहावत "आई मरू दे, मावशी जगू दे कहते हुए हिन्दी को मराठी की मौसी कहा। आशीर्वचन देते हुए आदरणीय श्री रामरिख मनहर जो, हास्य-सम्राट एवं मंगलदीप वार्षिकी के संपादक महोदय ने विदेशों में हिन्दी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की।

अध्यक्ष श्री रमेश कुंभारे ने आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारने के लिए हमें खुद-ब-खुद आगे आना चाहिए।

विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता सर्वश्री जे० एस० खांडेकर, फूलचंद कहार, वंदना जोशी, प्रणीति पोयरेकर, प्रज्ञा पाटील, गीता सदारंगानी, सुरेन्द्र सूरी, जे०आर० त्रिपाठी, कमलाप्रसाद शर्मा, आर०आर० पांडेय, एल०सी० पुजारी, डी०एस० सावंत, एस०के० सालवी, जे०एस० बेलोसे, के०वी० एन० कुट्टी, जे आर जादव आदि को ओम चिह्न एवं पुरस्कार प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री रतीलाल शराहीन ने किया और आभार पारसनाथ राजभर ने व्यक्त किया।

संस्कृति विभाग में "हिंदी सप्ताह' का आयोजन

संस्कृति विभाग में 14 सितम्बर से 18 सितम्बर, 1992 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। 14 सितम्बर को शास्त्री भवन के प्रांगण में माननीय शिक्षा एवं संस्कृति उपमंत्री कुमारी शैलजा ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी है और देश की अधिकांश जनता हिन्दी बोलती है और समझती है। उन्होंने अंग्रेजी की तुलना में हिन्दी को अधिक वैज्ञानिक भाषा बताया। उन्होंने उपस्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से यह संकल्प करवाया कि हिन्दी में कार्य करेंगे। संस्कृति सचिव श्री भास्कर घोष ने विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरे सप्ताह हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य अतिथि राजभाषा विभाग के निदेशक श्री सर्वेश्वर झा ने सरकार की राजभाषा नीति पर एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया। समारोह के अन्त में विभाग के उप सचिव श्री जी० वेंकटरमणी ने सब का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस समय हिन्दी एक मात्र ऐसी भाषा है जो देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत "सरस्वती वन्दना" के साथ समारोह का श्रीगणेश किया गया।

15 से 17 सितम्बर, 1992 तक चार अलग-अलग प्रतियोगिताओं का समायोजन किया गया जिसमें हिन्दी टाइपलेखन, प्रारूप और टिप्पण लेखन, निबंध तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में कुल 71 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से 31 को पुरस्कृत किया गया। अहिन्दी भाषियों और हिन्दी भाषियों के लिए समान रूप से अलग-अलग पुरस्कार रखे गए।

पुरस्कार वितरण समारोह 18 सितम्बर, 1992 को शास्त्री भवन के प्रांगण में ही आयोजित किया गया। इस समारोह में राजभाषा विभाग के सचिव डा० सीताकान्त महापात्र मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए डा० महापात्र ने कहा कि "यह मेरा सौभाग्य है कि राजभाषा विभाग के सचिव की हैसियत से आज संस्कृति विभाग के समारोह में आया हूं जहां कुछ समय पहले मैं अपर सचिव के पद पर कार्य कर चुका हूं"। हिन्दी को अधिक वैज्ञानिक भाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी देश की अखंडता और एकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिन्दी का प्रयोग केवल हिन्दी भाषी ही नहीं करते बल्कि अहिन्दी भाषियों के मन में भी हिन्दी के लिए काफी सम्मान है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्कृति सचिव ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि हमें मात्र पुरस्कार प्राप्त करने के ध्येय से हिन्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि अपने रोजमर्रा के सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में भी हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली

14 से 18 सितम्बर, 1992 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री असित रंजन

बन्धोपाध्याय अपर सचिव ने इस विभाग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक अपील जारी की। हिन्दी सप्ताह के दौरान विभाग में हिन्दी घोष (स्लोगन) और हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। हिन्दी घोष प्रतियोगिता में 13 अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया और इसमें श्रीमती पुष्पा ग्रोवर, अन्वेषक को 100 रुपए का प्रथम पुरस्कार श्री मक्खन लाल, अन्वेषक को 75 रुपए का द्वितीय पुरस्कार और श्री आर.के. ओबराय, कनिष्ठ विश्लेषक को 50 रुपए का तृतीय पुरस्कार दिया गया। हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता में 6 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री कृष्ण दत्त अनुभाग अधिकारी श्री मक्खन लाल और श्री पी.बी. ध्यानी, कनिष्ठ विश्लेषक को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए।

सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना

लोक प्रशासन और प्रबंध विज्ञान आदि विषयों पर हिन्दी पुस्तकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना के अधीन निम्न पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया :—

वर्ष	पुस्तक
1988	बोकारो इस्पात संयंत्र में मानव संसाधन विकास
1989	विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका
1990	भारतीय प्रशासन

लेखक	पुरस्कार
डा० सी. अशोक वर्धन	द्वितीय 7,000 रु०
डा० कृष्ण मोहन माथुर	द्वितीय 7,00 रु०
डा० पी.डी. शर्मा	प्रथम 10,000 रु०
डा० बी.एम. शर्मा	प्रथम 10,000 रु०

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की उक्त नकद पुरस्कार योजना के अधीन वर्ष 1991 के लिए पुरस्कृत किया गया :

श्री एस०एस० कोहली, सहायक

श्री आर.एस. दहिया, रोकड़िया

श्रीमती प्रकाश तलवार, सहायक

श्री मक्खन लाल, अन्वेषक

श्रीमती पुष्पा ग्रोवर, अन्वेषक

श्रीमती राजेश खन्ना, अन्वेषक

श्रीमती राधा टहिलयानी, अनु० सहायक

श्रीमती किरण पुरी, वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष

श्री खुशहाल मणि, उच्च श्रेणी लिपिक को पुरस्कृत किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली न्यायापीठ नई दिल्ली

दिल्ली न्यायपीठ में दिनांक 14 से 18-9-92 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

दिनांक 14-9-92 को समारोह की अध्यक्षता श्री विमल गांधी द्वारा की गई। समारोह का आयोजन श्री दिलवर सिंह तथा मंच संचालन श्री जे.एस. छिल्लर, सहायक पंजीकार-2 ने किया।

दिनांक 15-9-92 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दिल्ली न्यायपीठ के ग्रुप "ख" के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके निर्णायक श्री जे०पी० बेंगरा, न्यायिक सदस्य थे। इस प्रतियोगिता में कु० रेणु बाला, कु० सुशीला कलवानी तथा श्री एस०पी० सेटिया ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किए।

दिनांक 16-9-92 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके निर्णायक श्री विमल गांधी, न्यायिक सदस्य थे। इस प्रतियोगिता में श्री ज्ञान प्रकाश, श्री सी०पी० मेहता तथा श्रीमति लीला देवी ने क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए।

दिनांक 17-9-92 को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके निर्णायक मण्डल में श्री पी०जे० गोराडिया, एवं श्री आर०एम० मेहता, लेखा सदस्य थे। निर्णायक मण्डल ने श्रीमती विजय शर्मा को प्रथम, श्री ईस०एन० कौल एवं श्री सी०पी० मेहता को द्वितीय तथा कु० पूनम दत्ता एवं श्री विशम्बर सिंह को तृतीय पुरस्कर के लिए बिजेता घोषित किया।

दिनांक 18-9-92 को काव्यपाठ प्रतियोगिता तथा हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात् श्री पी०जे० गोराडिया, न्यायिक सदस्य ने पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

434 HA/93—11.

हिंदी कार्यशालाएं

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (प्रधान कार्यालय)
उटकमण्ड

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के प्रधान कार्यालय में 25-3-92 से हिन्दी कार्यशाला रखी गई। श्री ए. सी. जोसफ़ चन्द्रन, वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक ने कार्यशाला का उद्‌घाटन किया। पी. एस. चांदनी, हिन्दी अधिकारी ने सभी का स्वागत किया। श्री एम. रंगसामी, हिन्दी सहायक ने धन्यवाद समर्पित किये। श्रीमती पी. एस. चांदनी, श्री एम. रंगसामी, श्री पी. माणिक्कम, श्री एस. रमेश, आदि कार्यशाला के संकाय सदस्य थे, डा. एन. गोपालकृष्णन और डा. वालिया, राजभाषा कार्यान्वियन समिति के भूतपूर्व सदस्यों ने हिन्दी में क्विज़, कार्यक्रम आयोजित किया।

तिरुअनंतपुरम बैंक

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति (बैंक) तिरुअनंतपुरम के तत्वाधान में 4 से 7 मई 1992 तक अधिकारी और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए दो संयुक्त हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में सदस्य बैंकों के कुल 41 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रयोजनमूलक हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कार्यशालाओं का उद्‌घाटन क्रमशः श्री के. सुकुमारन, उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर तथा श्री वी. जी. देवडिग, मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक ने किया।

दूसरी कार्यशाला के उद्‌घाटन अवसर पर 6-5-92 को मंडल प्रबंधक श्री वी. जी. देवडिग ने प्रतिभागियों को इस बात के लिए सौभाग्यशाली माना कि आज प्रत्येक संस्था अपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाषा के स्तर पर किसी भी कर्मचारी को देश के किसी भी कोने में आज कोई कठिनाई नहीं हो सकती।

श्री के. चंद्रन, वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा विभाग, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यशालाओं के समापन पर श्री के. आर. शेणाय, सहायक महा प्रबंधक, केनरा बैंक ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किये।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
तिरुअनन्तपुरम 33

27 से 29 अप्रैल, 1992 तक तिरुअनन्तपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के तत्वाधान में एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला एवं प्रशिक्षक कार्यक्रम चलाया गया

सभी छोटे सदस्य कार्यालयों से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त एक एक कर्मचारी इस संयुक्त हिन्दी कार्यशाला में शामिल किया गया।

हिन्दी कार्यशाला चलाने योग्य संकाय सदस्यों को तैयार करने के लिए, इस उच्च स्तरीय हिन्दी कार्यशाला को प्रशिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बना लिया गया।

बारह विषयों पर वर्ग लेने बारह हिन्दी अनुवादकों को पहले से तैयार किया गया। हर वर्ग के बाद, प्रशिक्षकों को अलग बुलाकर उनकी पढ़ाई की समीक्षा करके सुधारात्मक सुझाव दिए गए। भाषण की अपेक्षा लिखित पहलू पर ज्यादा जोर दिया गया। प्रशिक्षार्थियों को उच्च स्तरीय टिप्पणियों और आलेख हिन्दी में तैयार करने का वास्तविक अभ्यास करवाया गया।

राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एम. पी. नायडू, न. रा. का. समिति के सदस्य – सचिव श्री डी. कृष्ण मणिक्कर श्री टीम तोमस, राजभाषा अधिकारी दक्षिण रेलवे, श्रीमती इंदिरा जी. नायर हिन्दी अधिकारी, दुरसंचार, और श्रीमती जयश्री वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (रा. भा. हिन्दुस्तान लैटेक्स ने अनुदेशकों को निष्पादन की पुनरीक्षा करके, उत्तम निष्पादन की ओर आगे बढ़ाया।

इस संयुक्त हिन्दी कार्यशाला एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षण-कार्यक्रम का उद्‌घाटन तिरुअनन्तपुरम दूरसंचार के महाप्रबन्धक श्री नागराजन ने किया और समापन समारोह में केरल डाक सर्किल के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री उदयबालकृष्णन ने न. रा. का. स. की तरफ से प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे न केवल अपने-अपने कार्यालयों में जाकर हिन्दी में काम करें वरन दूसरों को भी इस के लिए प्रेरित करें।

श्री नायडू ने कहा कि यह कार्यशाला अभूतपूर्व हैं। नगर समितियों की उपयोगिता का यह उत्तम उदाहरण हैं।

तिरुच्चि

दि ओरिएंटल इंश्योरेन्स क० लि० द्वारा

प्रथम हिन्दी कार्यशाला दिनांक 3 व 4 अगस्त, 1992 को तिरुच्चिरापल्लि शहर में आयोजित की गई। यह कार्यशाला क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास के सहयोग से आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 13 कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री एन. स्वामीनाथन, सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिरुच्चि ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। प्रबंधक श्री पं संपतकुमारन ने मुख्य अतिथि और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उद्घाटन के अवसर पर श्री एम. पी. नाइडू, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे।

दिनांक 4 अगस्त, 1992 को समापन समारोह आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री कुमार, सहायक निदेशक, आकाशवाणी, तिरुच्चि ने की। श्री कुमार ने वर्तमान प्रसंग में हिन्दी सीखने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री एस. एस. माणिक्कम, मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय तिरुच्चि ने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें। श्री आर. आर. रंगनाथन, सहायक (टंकक) मंडल कार्यालय, मदुरै द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समारोह समाप्त हुआ।

दक्षिण रेलवे तिरुचिरापल्लि मंडल

16वीं हिन्दी कार्यशाला मंडल कार्यालय/तिरुचिरापल्लि में दिनांक 13-7-92 से 31-7-92 तक दो घंटे के हिसाब से 15 दिन चलायी गयी। इसमें 13 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न मंडल के राजभाषा अधिकारियों द्वारा हर दिन विविध विषयों पर भाषण दिए गए और उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कामकाज की सामग्री से प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास कराया गया। दिनांक 31-7-92 को आंतरिक मूल्यांकन किया गया।

दिनांक 31-7-92 को आयोजित समापन समारोह में श्री रा. सुब्रहमणयन, मुख्य अतिथि थे।

श्री एन. बी. जयराम, राजभाषा अधिकारी/तिरुच्चि ने सभी का स्वागत किया।

श्री एन. स्वामिनाथन, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी ने अपने अध्ययीय भाषण में कहा कि तिरुच्चि मंडल में और हिन्दी की प्रगित लाने की ओर अधिक ध्यान देना है और प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध क्रिया कि वे अपने कार्यालय में कम से कम 10% काम हिन्दी में करना शुरु करें।

श्रीमती एस. जयश्री राजभाषा सहायक ग्रेड II/तिरुच्चिरापल्लि के धन्यवाद समर्पण के साथ समारोह समाप्त हुआ।

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड

20 अप्रैल से 22 अप्रैल 1992 तक एक अतिरिक्त हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई।

श्री आर. सी. मिश्रा, उप निदेशक (कार्यान्वियन) क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय, कोच्चि ने उद्घाटन किया। श्री एस. हरिहरन, कम्पनी सचिव, श्री आर. तिरुवेंगट सामी, सहायक महाप्रबन्धक तथा श्री डी. कृष्ण पणिक्कर, भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समारोह का समारंभ श्रीमती वी. के. जयश्री, वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (हिन्दी) के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने मुख्य अतिथि व प्रतिभागियों का समारोह में हार्दिक स्वागत किया। समारोह का अध्यक्ष श्री एन. पी. पोटी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वियन के लिए हर कार्यशाला के बाद मूल्यांकन और समीक्षा की अपेक्षा की।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लि०, न्यूजप्रिंट नगर

केरल स्थित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की एक अनुषंगी, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लिमिटेड में 27 और 28 जुलाई, 1992 को दो दिवसीय राजभाषा कार्यशाला और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिल के मुख्य अधिशासी और निगम के निदेशक (वित्त) श्री सी. तुलसीरामनू ने राजभाषा कार्यशाला का उद्घाटन किया जब कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि नेपा मिल के अध्यक्ष, सह-प्रबन्ध निदेशक श्री ए. एल. चौधरी थे। उद्घाटन समारोह में अभ्यागतों का स्वागत प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री टी. वी. गंगाधरन् ने किया।

श्री तुलसीरामन् ने मिल में हिन्दी को प्रचारित और प्रसारित करने से संबंधित गतिविधियों पर प्रकाश डॉलते हुए, इस राजभाषा कार्यशाला को सफल बनाने में सभी कर्मचारियों से सहयोग देने का अनुरोध किया।

श्री चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशाला से कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का अभ्यास हो जाता है। नेपा पेपर मिल में अपने अनुभव के आधार पर श्री चौधरी ने बताया कि हिन्दी में तकनीकी अथवा अन्य सभी प्रकार के कार्य बिना किसी कठिनाई के किये जाने संभव हैं। मिल के महाप्रबन्धक (निर्माण) श्री एस. सी. भार्गव ने इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि मिल में अलग अलग प्रान्तों के लोगों की भाषाएं अलग अलग होने के बावजूद अधिकतर लोगों की भाषा हिन्दी को स्वत: स्वीकार लेते हैं। हमें अपने रोजना के काम में भी इसी हिन्दी को व्यवहार में लाना चाहिए। मुख्यालय के उप प्रबन्धक (राजभाषा) डा. ओम प्रकाश शर्मा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारने के बारे में अपने विचार प्रकट किए। हिन्यूल की हिन्दी अधिकारी श्रीमती ए. भवानी ने सब को साधुवाद ज्ञापित किया।

इस कार्यशाला के समापन समारोह के रूप में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध पार्श्व गायक डा. पी. बी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में तिरुअनन्तपुरम से प्रसिद्ध कवि डा. जे. रामचन्द्रन नायर, मद्रास से श्रीमती राधा अम्माल, मैसूर से श्रीमती सफीक परवीन, कलकत्ता से विश्रान्त वसिष्ट और श्रीमती भवानी द्वारा राष्ट्रीय कविताएं और मधुर गीत प्रस्तुत किये गए।

मिल के कर्मचारियों में आयोजित हुई प्रतियोगिताओं के पुरस्कार श्रीमती राजेस्वरी तुलसीरामन ने वितरित किए। पुरस्कार विजेताओं में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम श्रीमती सी. सती, द्वितीय श्रीमती सी. के. कात्यायिनी और तृतीय सी. जी. सोमनाथन् थे जबकि टिप्पण प्रारूपण में प्रथम श्री एन. देबराज, द्वितीय श्रीमती सी. सती और तृतीय श्री सुभाशीष दे थे। छात्रों में कक्षा 10 में हिन्दी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कुमार थामस पोन्नी और कक्षा 12 के लिए कुमारी षीजा को क्रमशः 150 रुपए तथा 200 रुपए से पुरस्कृत किया गया।

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय अनुसंधान व परीक्षण प्रयोग शाला, बेंगलूर-94

संस्थान में दसवीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 9 से 11 जून 1992 तक किया गया। इसमें 15 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में भाग लेने वाले अतिथि वक्ता थे श्रीमती उषा पंडित, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, श्री मंगल प्रसाद, उपनिदेशक, केन्द्रीय हिन्दी अनुवाद ब्यूरो, श्री शंकर प्रसाद, हिन्दी अधिकारी, एच. ए. एल. कार्पोरेट कार्यालय, बेंगलूर।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद

दिनांक 28 अप्रैल 1992 को कार्यशाला का उद्घाटन निगम के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री टी.एच. प्रसाद ने किया।

श्री प्रसाद ने कहा कि हिन्दी सीख कर दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। समारोह के अध्यक्ष श्री ए. महादेव, प्रभारी हिन्दी अनुभाग ने कहा कि हमे सिर्फ कार्यशाला के दिन ही हिन्दी सीख कर इसकी इतिश्री नहीं करनी चाहिए बल्कि हमेशा हिन्दी का प्रयोग करके इसके प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए।

श्री एन. नागेश्वर राव, हिन्दी अधिकारी ने सभी का शुरू में स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा रखी।

कार्यशाला में 15 कर्मचारियों ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया जो अत्यन्त सफल रही।

नीपको, शिलाग

उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि. (नीपको) के कारपोरेट कार्यालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने हेतु 5 अगस्त से 7 अगस्त 92 तक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्री एन. के. दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समारोह के मुख्य अतिथि थे। अपने सारगर्भित भाषण में उन्होंने कहा कि कार्यशाला ने अधिकारियों एवं कमचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता का संचार किया।

श्री एस. के. वर्मा, मुख्य (मानव संसाधन) ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझावों द्वारा माग दर्शन किया गया। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए उत्साहित किया। मुख्य अतिथि, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए श्री बी. प्रसाद, हिन्दी अधिकारी ने भारत सरकार के राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला एवं हिन्दी के प्रयोग के बारे में संविधानिक उपबन्धों का उल्लेख किया।

कार्यशाला में एक अधिकारी एवं 32 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षार्थियों ने भी हिन्दी सीखने के प्रति अपनी काफी रूचि दिखाई। श्री डी.एन. चक्रवर्ती, मुख्य (ओ.सं.एवं.प्र.) की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का समापन दिनांक 7-8-92 को सम्पन्न हुआ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कच्छाड़ पेपर मिल पंचग्राम

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अधिकारियों एवं कमचारियों के लिए दिनांक 6 एवं 7 मार्च, "92 तथा दिनांक 18 एवं 19 मई"92 को चार दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें 17 अधिकारियों एवं 15 कमचारियों को विशेष प्रशिक्षण लाभ प्रदान किया गया।

उद्घाटन करते हुए मिल के अधिशासी निदेशक एवं सिलचर, नराकास के अध्यक्ष श्री एस.पी. दासगुप्ता ने किया।

उक्त दोनों कायशालाओं के समापन अवसर पर अपने महत्वपूर्ण एवं प्रेरक सम्बोधन के साथ मिल के महा-प्रबंधक (कार्य) श्री आर.एस.डी. पाण्डेय ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यशाला का संचालन हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास, सिलचर डॉ., प्रमथ नाथ मिश्र ने किया।

इफको--कांडला

हिन्दी के कार्यान्वियन में गतिशीलता लाने हेतु हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले इफको-कांडला के कमचारियों के कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में उनकी झिझक को दूर करने की दृष्टि से 25 से 26 जून, 1992 तक एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया समें 46 कर्मचारियों ने भाग लिया।

25 जून, 92 को प्रशिक्षण केन्द्र में इफको-कांडला के संयुक्त महा प्रबंधक-व-अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वियन समिति--श्री वी.के. सक्सेना ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को जितनी सरलता से प्रकट कर सकते हैं उतना विदेशी भाषा से संभव नहीं हो सकता । अपनी भाषा से हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं।

कार्यक्रम के आरम्भ में राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सदस्य सचिव--श्री जी. एल. पारीख ने सभी का स्वागत किया और कार्यशाला के महत्व को बताते हुए कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कमचारियों को हिन्दी में काम करने का अभ्यास कराना और हिन्दी में काम करने में उन ी झिझक को दूर करना है ।

अहमदाबाद से आए अतिथि प्रवक्ता डॉ. कुंज बिहारी वाष्णेय, प्रोफेसर व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुजरात विद्यापीठ ने कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता के साथ कहा कि गुजरात राज्य ही ऐसा राज्य है जिसकी दो राजभाषाएं हैं--हिन्दी व गुजराती । अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि संकुचित मानसिकता को त्याग कर हम हिन्दी को अपनाएं । हिन्दी में काम करना अत्यन्त सरल है ।

श्री जे.के. बाली, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण) ने सभी के प्रति आभार प्रदर्शित किया।

एन टी सी/एम एन/लि., बम्बई

दिनांक 24/25 जून, 1992 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नीति, हिन्दी पत्रों की शैली, हिन्दी तार, वस्त्रोद्योग में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली आदि का प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी में पत्राचार का विस्तृत अभ्यास कराया गया । कार्यशाला में दोनों दिन 21 कमचारियों ने भाग लिया कार्यशाला में मार्गदर्शन के लिए प्रमुख रूप से श्री कृष्ण नारायण मेहता, उप निदेशक (कार्यान्वियन), बम्बई उपस्थित थे । कार्यशाला का संचालन डॉ. लल्लन पाठक, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने किया।

गुजरात रिफाइनरी, बड़ोदरा

"मातृभाषा में विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी तरह से हो सकती है":--यह बात हिन्दी अनुभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का समापन करते हुए श्री सतीश कुमार गर्ग, वरि. प्रबंधन सूचनाएं प्रबंधक ने कही । श्री गर्ग ने हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र एवं आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए ।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को डॉ. माणिक मृगेश ने भारत संघ की भाषा नीति, अनुवाद प्रक्रिया एवं हिन्दी की व्याकरणिक भूलों के बारे में जानकारी दी । यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के राजभाषा अधिकारी श्री सुनील कुलश्रेष्ठ एवं शिवचरण दास ने टिप्पण लेखन एवं व्यावहारिक हिन्दी की जानकारी दी । भारतीय स्टेट बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री जतिन शाह ने पारिभाषिक शब्दावली के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री बी० डी० पाठक ने पत्राचार के विषय में जानकारी दी एवं अभ्यास भी कराए । श्री आई जैड दवे लेखाअधिकारी ने वित्त विभाग में हिंदी के प्रयोग के संबंध में जानकारी दी तथा अभ्यास भी कराए । श्री गिरीश देशपांडे ने कार्मिक व प्रशासन विभाग के दैनिक कामकाज में आने वाले प्रपत्रों को भरना सिखाया ।

दीपक परियोजना, शिमला

मुख्यालय दीपक परियोजना में दिनांक 06 जुलाई 92 से 09 जुलाई 92 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस का उद्घाटन मुख्य संचालक श्री राम प्रकाश, शौर्य चक्र अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) ने किया।

संकाय सदस्यों के रूप में श्रीमती बिन्दु सहगल, हिन्दी अधिकारी सीमा सड़क महानिदेशालय, श्री नन्द किशोर जुलका सहा. लेखा अधिकारी का. वरि. उप. महा. शिमला तथा श्री उमेद सिंह चौहान अधि.अभि. (सि.) थे ।

भारी पानी संयंत्र, तालचेर

भारी पानी संयंत्र, तालचेर की राजभाषा कार्यान्वियन समिति के तत्वावधान में इस वर्ष 30 तथा 31 मार्च, 1992 को संयंत्र में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं महाप्रबंधक श्री वी.एल. पाण्डेय ने किया।

कुल 26 प्रतिभागियों को मानित किया गया था जिनमें प्रथम श्रेणी अधिकारी से लेकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी तक सभी शामिल थे । कार्यशाला में स्थानीय केन्द्रीय विद्यालय के हिन्दी अध्यापक श्री आर.एन. बारिक तथा श्री आर.बी. सिंह ने, संयंत्र के उत्पादन प्रबंधक श्री ए.के. शर्मा, सुरक्षा अधिकारी श्री जै. प्रसाद एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री आर.पी. विश्वकर्मा ने प्रशिक्षण दिया।

इस दौरान, भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी पर बनाए गए कुछ लघु चित्र भी दिखाए

गए जिससे लोगों को बहुत सार्थक एवं प्रभावशाली जानकारी प्राप्त हुई। ये बहुत पसंद किए गए।

महाप्रबंधक श्री वी.एल. पाण्डेय ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए आशा व्यक्त की कि कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान उपयोगी सिद्ध होगा। अंत में कार्यशाला के संचालक एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा ने सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।

ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, सुन्दरनगर

दिनांक 23-5-92 को "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यकारी अभियन्ता श्री जी.सी. बंसल ने "हिन्दी कार्यशाला" के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिन्दी में अभिव्यक्ति अधिक सहज और सरल है क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया।

बी.एस.एल. परियोजना के मुख्य अभियन्ता श्री एस. एन. विग ने "हिन्दी कार्यशाला" पुस्तिका का विमोचन किया

पंजाब नेशनल बैंक, कुरुक्षेत्र

पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं की नई रूपरेखा तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत राजभाषा अधिकारी शाखाओं में जाकर कर्मचारियों को हिन्दी का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राजभाषा अधिकारी निरंतर तीन दिन किसी एक अथवा दो (छोटी) शाखाओं में जाकर कर्मचारियों को कारोबार समय (Busines urs) तथा कार्यालय-समय (Office hours) में उनकी सीटों का कार्य हिन्दी में करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं एवं उन्हें अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा अपनी-अपनी सीटों का कार्य हिन्दी में किया जाता है, यथा-रजिस्टरों/लैजरों में हिन्दी में प्रविष्टियां करना, विभिन्न वाउचर हिन्दी में बनाना, ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदें, टीपीओ आदि हिन्दी में बनाना, फार्म हिन्दी में भरना तथा पत्राचार हिन्दी में करना। अधीनस्थ कर्मचारियों को भी अपना कामकाज हिन्दी में करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यथा-फाइलों, रजिस्टरों आदि पर हिन्दी में विषय लिखना, सील किए गए वाउचरों पर हिन्दी में विवरण लिखना। उनके द्वारा स्थानापन्न रूप में किए जाने वाले कार्य हिन्दी में करना यथा-पासबुकों, लैजरों/रजिस्टरों में हिन्दी में प्रविष्टियां करना आदि।

व्यावहारिक हिन्दी कार्यशाला में राजभाषा अधिकारी द्वारा संबंधित शाखा के कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए, हिन्दी के प्रयोग के संबंध में उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाता है। बैंक के कर्मचारियों तथा प्रशिक्षकों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि व्यावहारिक हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से कहीं अधिक उपयोगी है क्योंकि इन कार्यशालाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने का अभ्यास हो जाता है तथा हिन्दी में कामकाज करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का भी वे प्रशिक्षकों से तत्काल समाधान कर सकते हैं।

इन कार्यशालाओं के दौरान हिन्दी के प्रयोग हेतु कर्मचारियों को सहायक सामग्री भी प्रदान की जाती है। कार्यशाला के अन्त में शाखा प्रबंधक सहित शाखा के सभी कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्हें राजभाषा संबंधी मुख्य-मुख्य अपेक्षाओं की जानकारी देते हुए उनसे राजभाषा के प्रयोग के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है।

वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इस प्रकार की व्यावहारिक हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र की प्रबन्धक-राजभाषा श्रीमती कविता चौधरी द्वारा शाखा कार्यालय पिपली, थानेसर बैंक कालोनी थानेसर, शाहबाद एवं मुख्य प्रबंधक शाखा जी.टी. रोड, करनाल के कर्मचारियों के लिए किया गया। समय-समय पर पं. नै.बै.के. पाय. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस प्रकार की व्यावहारिक हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, इंदौर

"हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन 29-07-92 को श्री सी.एस. तेवतिया प्रबंधक की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर श्री महेन्द्रकुमार बांठिया, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी, इंदौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यशाला में उपस्थित 3 अधिकारियों/31 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री बांठिया ने सरल एवं रोचक शैली में कर्मचारियों को हिंदी अपनाने के लिये प्रेरित किया।

20-9-91 को आयोजित "हिंदी दिवस" समारोह में भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

दिनांक 13 व 14 जुलाई, 1992 को क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर के तत्वावधान में मंडल कार्यालय, उज्जैन द्वारा दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में मंडल कार्यालय, उज्जैन, भोपाल एवं मंडल कार्यालय क्र. 3 इन्दौर एवं इनके अधीनस्थ शाखा कार्यालयों के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन हिन्दी के कामकाज का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

13 जुलाई, 1992 को सर्वप्रथम प्रतिभागियों का पंजीकरण कर उन्हें पाठ्य सामग्री वितरित की गई। उद्घाटन सत्र के आरम्भ में क्षेत्रीय कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री ब्रजमोहन भट्ट ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ने भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसको सैद्धांतिक पक्ष पर ध्यान देने और राष्ट्रीय एकता हेतु राजभाषा हिन्दी में कार्य किये जाने का आहवान किया।

कार्यशाला को अन्तिम सत्र में "हमारे कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन—समस्याएं एवं समाधान" विषय पर सामूहिक परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में आने वाली विभिन्न समस्याओं के पहलुओं पर विचार किया गया तथा उनके निराकरण सुझाये गए। परिचर्चा में क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एच.एल. कक्कड़, उपप्रबन्धक श्री आर.के. गोयल व वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक श्री एम.एल गुप्ता ने भाग लिया। प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अधिकारी श्री ब्रजमोहन भट्ट एवं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एच.एल. कक्कड़ द्वारा दिये गये।

परिचर्चा के पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

आकाशवाणी, कलकत्ता

केन्द्र में दिनांक 22–6–92 से 2–7–92 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। केन्द्र निदेशक डॉ. मलय बिकाश पहाड़ी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

श्री पहाड़ी ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए जल में उतरना, उसमें अवगाहन करना, डुबकी लगाना आवश्यक है उसी प्रकार हम जो सीखते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं उसे व्यवहार में, अमल में लाना आवश्यक है। उन्होंने आशा प्रकट की कि अधिकारी कर्मचारी कार्यशाला के दौरान जो कुछ सीखेंगे उसे अपने सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाएगे।

कार्यशाला का समापन दिनांक 2–7–92 को आकाशवाणी, कलकत्ता के सहायक केन्द्र निदेशक श्री सी.डी. सिन्हा ने किया। इस अवसर पर आयकर विभाग, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता कार्यालय के उपनिदेशक (राजभाषा) श्री इन्द्रदेव प्रसाद, आयुध निर्माणी बोर्ड, कलकत्ता के हिन्दी अधिकारी श्री गोपाल जी बैठा तथा मुख्य अभियंता (पू०क्षे०) आकाशवाणी, कलकत्ता के हिंदी अधिकारी श्री बी.बी. दास ने अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्द्धन किया।

कार्यालय आयकर आयुक्त, मेरठ

आयकर प्रभार, मेरठ की चालू वित्त वर्ष की पहली हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला आयकर आयुक्त कार्यालय, मेरठ में पूर्ण 2 दिवसीय दिनांक 15 व 17 जून, 1992 को चलाई गई। आयकर आयुक्त कार्यालय के स्टाफ के सदस्यों ने इस हिन्दी कार्यशाला में पूण उत्साह एवं लगन के साथ भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री ई. सरोज, आयकर आयुक्त (अपील) मेरठ ने किया। कार्यशाला के समापन के अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए पूर्ण दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला में कुल 10 सत्र रखे गए। आयकर विभाग तथा विभिन्न बैंकों के अनुभवी वक्ताओं ने प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित विषयों पर सैद्धान्तिक पक्ष के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास विशेष रूप से कराए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीमा निरीक्षक अधीक्षक/प्रबंधक ग्रेड–I एवं इसके ऊपर के अधिकारियों के लिए मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में 18–5–92 से 22–5–92 तक एक हिन्दी कार्याशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 18–5–92 को राजस्थान सरकार के भाषा निदेशक, डॉ. कलानाथ शास्त्री द्वारा किया गया और समापन अवसर पर भाषा अधिकारी डा. आत्माराम शर्मा ने अधिकारियों को सम्बोधित किया।

इस कार्यशाला में मुख्यालय के उप निदेशक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान के हिन्दी अधिकारी और क्षत्रीय निदेशक राजस्थान ने प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी में काम करने का अभ्यास कराया। उक्त कार्यशाला में मुख्यालय से 3, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली से 2, निदेशालय (वि.) दिल्ली से 1, क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा से 2, क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब से 2 और क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान से 6 अधिकारो अर्थात् कुल मिलाकर 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जयपुर

महालेखाकार (ले.प.) प्रथम एवं द्वितीय राजस्थान, जयपुर के कार्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में हिन्दी की अर्द्ध-दवसीय प्रथम कार्यशाला का आयोजन दिनांक 15 जून, 1992 से 19 जून 1992 तक किया गया।

दिनांक 15 जून, 1992 को इस कार्यशाला का समापन श्री नित्यानन्द शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार (आई.सी.) के भाषण से हुआ इस पूर्व प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षार्थियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान किया गया जो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक अनुभव लिए हुए था। श्री शर्मा ने हिन्दी की उपयोगिता एवं राजकार्यों में उसके महत्व पर प्रकाश डाला।

मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली

मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–1 के तत्वाधान में एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25–6–92 को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री टी.एस. श्रीनिवासन मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–1 ने किया उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि इस कार्यशाला से

प्रशिक्षण का लाभ लेकर वे अपने-अपने कार्यालयों में जाकर सरकारी कामकाज हिंदी में करना शुरू कर दें ।

कार्यशाला में मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–1 प्रभार के 16 ग्रुप "ग" कर्मचारियों ने भाग लिया

मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली-3

मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–3 के तत्वावधान में एक पूर्ण दिवसीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 21–5–92 को किया गया। इसका उद्घाटन श्री डी.बी. लाल, मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–3 ने किया । समापन के अवसर पर श्री एस.सी. मिश्रा, आयकर आयुक्त, दिल्ली– 7 ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस कार्यशाला में मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–3 क्षेत्र के 27 ग्रुप "ग" कर्मचारियों ने पूर्ण उत्साह एवं लग्न के साथ भाग लिया। एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला में कुल छः सत्र रखे गए थे और सभी व्याख्याता आयकर विभाग के अधिकारी थे।

आवास तथा नगर विकास निगम, नई दिल्ली

हिन्दी के नोडल अधिकारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला

हिन्दी कार्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय, एच एस एम आई तथा यू आई एफ विंग में नियुक्त किए गए बीस समन्वय अधिकारियों के लिए हिन्दी विभाग द्वारा मुख्यालय में विशेष हिन्दी कार्यशालाओं का 24 तथा 25 जून, 1991 को आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में देश के विभिन्न भागों से हमारे 20 नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

हिन्दी विभाग के प्रभारी श्री एस पी सेठी ने सभी नोडल अधिकारियों का परिचय कराने के बाद इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट किया।

कार्यशाला का उद्घाटन निदेशक वित्त श्री मुलख राज ने किया तथा उन्होंने कहा कि राजभाषा हिन्दी का सम्बन्ध हमारे राष्ट्रीय गौरव, प्राचीन साहित्य, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है । हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बचाना चाहिए ।

कार्यकारी निदेशक (मानव) जो कि हडको राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने भी हिन्दी के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते हुए सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी के प्रयोग की बात कही ।

इसके पश्चात् प्रथम सत्र में राजभाषा विभाग के उप निदशक (कार्यान्वयन) ने प्रतिभागियों को बहुत ही रोचक ढंग से भारत सरकार की राजभाषा नीति, आदेशों, नियमों आदि की जानकारी दी ।

अन्तिम सत्र में भारत सरकार के सेवानिवृत्त उप सचिव श्री हरिबाबू कंसल ने आम बातचीत के माध्यम से बड़े सरल तथा प्रभावशाली ढंग से प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं आदेशों की जानकारी दी ।

अन्त में हिन्दी विभाग के नियंत्रण अधिकारी एवं प्रमुख प्रबंध सवाएं श्री के सी जैन ने अपने संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित वक्तव्य में श्री कंसल तथा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए सभी नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की कि यहां से जाने के बाद वे अपने-अपने कार्यालयों म राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को तेजी से बढ़ाएं ।

वायुसेना (मुख्यालय), नई दिल्ली

वायुसेना मुख्यालय के वायुभवन स्थित हिन्दी कक्ष द्वारा छः हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में स्टाफ के अलावा कई राजपत्रित अधिकारियों (सैनिक एवं असैनिक) ने भी भाग लिया।

कार्यशाला के पाठ्यक्रम में प्रशासनिक तथा वायुसेना शब्दावली, हिन्दी नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग, नेमी कार्यालय टिप्पणियां, सैन्य नोट, सैन्य पत्र, अनुस्मारक, पावती, सरकारी कामकाज संबंधी बातचीत तथा हिन्दी के प्रयोग की प्रोत्साहन योजनाएं तथा हिन्दी संबंधी रिपोर्ट आदि विषय शामिल थे।

इस कार्यशाला का संचालन उपशिक्षा निदेशक (राजभाषा) विंग कमांडर नंदलाल जोपवाणी ने किया ।

हिन्दी कार्यशालाओं का समापन वायुसेना मुख्यालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने भाग लेने वाले अधिकारियों के उत्साह की सराहना करते हुए आशा की कि अपने हिन्दी ज्ञान का प्रदर्शन कार्यालय में प्रत्यक्ष कार्य करते हुए हैं ।

दि ओरिएण्टल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, 88 जनपथ, नई दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दि. 29–5–92 को चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली में एक दिन की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 37 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री भगवान दास पटैरिया उप-सचिव, राजभाषा (भारत सरकार) द्वारा किया गया।

श्री पटरिया ने कहा कि संसद द्वारा बनाये गये अधिनियमों की धाराओं और सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन होना चाहिए और हमें इसकी महत्ता को समझना चाहिए ।

क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी श्री एस.एन. माथुर ने कहा कि चूंकि हमारी कंपनी का जनता के साथ सीधा संबंध होता, है अतः "क" क्षेत्र में होने के नाते हमारा यह दायित्व होना चाहिए कि हम अपने ग्राहकों को पालिसी कवर नोट, रसीद

एवं चैक इत्यादि हिन्दी में ही प्रदान करें। श्री इन्द्रजीत ने राजभाषा के प्रयोग में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में प्रशिक्षित हुए सभी प्रतिभागियों को क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबन्धक (राजभाषा) श्री सुशील कुमार अहलुवालिया द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।

तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली

तटरक्षक मुख्यालय में 01 से 05 जून 92 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन उप-महानिरीक्षक एस० डी० शर्मा, निदेशक (प्रशासन) ने किया। कार्यशाला में विभिन्न निदेशालयों के 10 कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों को कानूनी दृष्टि से राजभाषा का स्वरूप, छुट्टी तथा अनुशासनिक मामले, प्रोत्साहन योजनाएं तथा देवनागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए गए तथा हिन्दी में काम करने का अभ्यास कराया गया।

समापन समारोह में महानिरीक्षक अ.कु. शर्मा, उप-महानिदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा जब रूस जापान, फ्रांस और जर्मन जैसे देशों ने अपनी भाषा के माध्यम से उन्नति की है तो ऐसा कोई कारण नहीं की हम हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रगति के पथ पर अग्रसर न हो पाएं। उन्होंने कहा कि केवल थोड़े से अभ्यास की बात है।

सीमा सड़क महानिदेशालय

सीमा सड़क महानिदेशालय में दिनांक 10 जून से 11 जून, 92 तक निदेशक स्तर तक के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ब्रिगेडियर एस.के. पुरी, उपमहानिदेशक (कार्मिक) सीमा सड़क, द्वारा किया गया। 10 जून, 92 का डा. महेश चन्द्र गुप्त ने "राजभाषा नीति" पर भाषण दिया और अधिकारियों को राजभाषा के आदेशों/निर्देशों की जानकारी कराई।

दिनांक 11 जून, 92 को श्री एम एल मैत्रेय, उपनिदेशक राजभाषा विभाग, ने "राजभाषा नीति और उसका कार्यान्वयन" विषय से संबंधित जानकारी दी। यह कार्यशाला हमारे अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी और लाभ दायक सिद्ध हुई। इससे अधिकारी और अधिक हिन्दी में कार्य करने के लिए उत्साहित हुए।

अन्त में कर्नल आर.के. मेहता, निदेशक (कार्मिक) ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित की जाएं ताकि अधिकारियों को राजभाषा से संबंधित आदेशों/निर्देशों की पूरी जानकारी हो सके और हिन्दी के कार्य में प्रगति हो।

के. रि. पु. बल महानिदेशालय, नई दिल्ली

पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, चंडीगढ़ के तत्वाधान में दिनांक 20-7-92 से 27-7-92 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा चंडीगढ़ स्थित विभिन्न कार्यालयों के 31 कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

श्री आर.आर. यादव, पुलिस उप-महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, चंडीगढ़ ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में इस प्रकार की कार्यशालाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

इस कार्यशाला में कर्मचारियों को हिन्दी की सांविधिक स्थिति, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु लागू विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से परिचित कराने के अतिरिक्त विभाग के विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उनका अभ्यास कराया गया। कामकाज को हिन्दी में करने के लिए कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए भी कार्यशाला में एक सत्र रखा गया था। □

---

64 का शेष

निर्णय का अवलोकन किया जिसके आधार पर सभी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की मात्रा काफी बढ़ हुई मिली जिस पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री विनोद कुमार ने बैठक में बताया कि उनके कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उचाना में लगभग सभी कार्य हिन्दी में होना प्रारम्भ हो गया है इसके लिए उन्होंने मई में हुई गोष्ठी के आधार पर काफी प्रयास किए। श्री इन्द्र सिंह सोलंकी ने भी बताया कि उनके कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरवाना में भी लगभग सारा कार्य हिन्दी में किया जाने लगा है। प्रो अलोक वर्मा ने भी अपने कार्यालय के हिन्दी प्रयोग की स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके कार्यालय में भी काफी कार्य हिन्दी में शुरू हो गया है और निकट भविष्य में सारा कार्य हिन्दी में करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सूरजभान शर्मा ने भी बताया कि उनके कार्यालय "उप-मंडल कृषि अधि. नरवाना" में भी लगभग सारा काम हिन्दी में होता है। श्री महेन्द्र गर्ग ने बताया कि उनके कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता पी. डब्ल्यू. डी. (बी एण्ड आर.) नरवाना में तकनीकी प्रकार का कार्य होने के कारण हिन्दी में कार्य करने में कठिनाई होती है लेकिन उन्होंने अपने प्रयास सें इस दिशा में प्रगति का आश्वासन दिया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का दिनांक 1 सितंबर, 1992 को निरीक्षण किया गया। उपसमिति के निम्नलिखित सदस्य निरीक्षण हेतु पधारे :—

1. श्री विटठल राव एम. जाधव	संयोजक
2. श्रीमती वीना वर्मा	उपाध्यक्ष
3. प्रो. रासा सिंह रावत	सदस्य
4. श्री रामपूजन पटेल	सदस्य
5. श्री चन्दुभाई देशमुख	सदस्य
6. प्रो. आई. जी. सनदी	सदस्य

इन माननीय संसद सदस्यों के अतिरिक्त उपसमिति की सहायतार्थ संसदीय राजभाषा समिति के सचिव श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजकुमार सैनी भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे।

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा राजभाषा विभाग की ओर से निरीक्षण के समय संस्थान के निदेशक श्री महेश चन्द्र दुबे, राजभाषा विभाग के निदेशक (नीति) श्री सर्वेश्वर झा, उपसचिव (सेवा) श्री सरूप सिंह मेहरा एवं संस्थान के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

संस्थान के निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा प्राप्त किया गया। उपसमिति द्वारा संस्थान में दैनिक कामकाज में अधिकतर हिंदी के प्रयोग तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी दस्तावेजों, पत्राचार, फाइलों, अभिलेखों, पाठ्यपुस्तकों, कंप्यूटर पर द्विभाषिक रूप से तैयार किए गए परीक्षा-परिणाम तथा संस्थान द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण सामग्री का भी अवलोकन किया गया।

डॉ गुरूदयाल बजाज

कलकत्ता में राजभाषा प्रदर्शनी

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय समय-समय पर राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहा है। इसी क्रम में हमारे नवागत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. ए. के. भट्टाचार्य तथा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों एवं प्रधान कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26-6-92 को हुई 33वीं बैठक के अवसर पर "राजभाषा प्रदर्शनी" का आयोजन किया गया था।

जापानियों का संस्कृत प्रेम

टोकिया, 6 अक्तूबर (पीटी आई)। जापानी विद्वानों को संस्कृत में शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए एक जापानी मन्दिर पुस्तकालय ने संस्कृत व्याकरण और श्लोकों की एक कम्पेक्ट डिस्क तैयार करने की योजना बनाई है।

यह कम्पेक्ट डिस्क नारा तोएजी बौद्ध मंदिर पुस्तकालय बना रहा है। इसमें संस्कृत के एक मद्रासी विद्वान डॉ. एस. एस. जानकी की आवाज में संस्कृत व्याकरण और चुने हुए श्लोक भरे जाएंगे।

डॉ. जानकी का चुनाव मंन्दिर पुस्तकालय के निदेशक श्री शोशु हिराओका ने किया था।

श्री हिराओका दो संस्कृत शब्दावलियां पहिले ही तैयार कर चुके हैं। आज के जापान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कम्पैक्ट डिस्क से जापानियों को देवभाषा संस्कृत सीखने में सहायता मिलेगी।

हिन्दी फार ए कैरियर

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा अपनी द्विभाषिक पत्रिका "हिन्दी परिचय" में यह जानकारी दी गई थी कि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "हिन्दी फार ए कैरियर" बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जिसकी सहायता से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार मिलने में सुविधा होगी। अनेक व्यक्तियों ने इस पुस्तक की प्राप्ति के स्थान के विषय में पूछा है। यह निम्न पते से प्राप्त की जा सकती है :—

निदेशक, कैरियर स्टडी सेन्टर,
सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट फार रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन इम्प्लाईमैंट सर्विस (डी जी ई एण्ड टी), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,
पूसा, नई दिल्ली-110012

यह पुस्तक उपर्युक्त प्रकाशक के अतिरिक्त स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से भी मिल सकती है और मूल्य केवल 2 रुपए 60 पैसे है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (मुख्यालय) की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प

नागर विमानन विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 16-1-92 को हुई बैठक में यह जानकारी दी गई थी कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की निम्न-लिखित परीक्षाओं में हिन्दी के विकल्प की सुविधा दे दी गई है :—

(1) एयर पोर्ट प्रबंधक

(2) सहायक विधि प्रबंधक

(3) सहायक कारगो प्रबंधक

(4) सहायक ग्रेड-2 (स्टेनो)

(5) सहायक लेखा प्रबंधक,

(6) सहायक ग्रेड—3

(7) भूमि अधिग्रहण प्रबंधक

(8) सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रानिक्स)

(9) सहायक ग्रेड—1 लेखा

(10) तकनीकी प्रबंधक

(11) वरिष्ठ तकनीकी सहायक

(12) सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की सीधी भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प हुआ

नागरिक विमानन विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 16 जनवरी, 1992 को हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण की (1) संचार अधिकारी, (2) इलैक्ट्रानिक्स अधिकारी, (3) जूनियर इंजीनियर, (4) सहायक इंजीनियर (5) लेखा सहायक और (6) जूनियर स्टेनो की परीक्षाओं के सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में भी दिए जाने का विकल्प है। इन परीक्षाओं के कुछ प्रश्न पत्र द्विभाषी छपते हैं ।

संविदों के लिए हिंदी का विकल्प

साप्ताहिक "रोजगार समाचार" के 15 अगस्त, 1992 के अंक में छपे समाचार के अनुसार सेना में हरियाणा वासियों की नियुक्ति के लिए सामान्य सैनिकों, नर्सिंग सैनिकों, टैक्नीकल सैनिकों, लिपिक स्टोर कीपर सैनिकों और ट्रेडसमैन सैनिकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा में हिन्दी में भी उत्तर देने का विकल्प होगा और प्रश्न पत्र हिन्दी में भी छापे जाएंगे ।

ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की भर्ती परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प

साप्ताहिक "रोजगार समाचार" के 13 जून, 1992 के अंक में कर्मचारी चयन आयोग का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल तथा प्रोडक्शन) के 256 पदों पर नियुक्ति हेतु एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा अक्तूबर, 1992 में ली गई । परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता के प्रश्न पत्र होंगे जो वस्तु परक प्रकार के होंगे । अर्थात् आवेदकों को सही उत्तर पर निशान लगाने होंगे । सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता के प्रश्न पर द्विभाषी रूप में छापे जाएंगे ।

तकनीकी संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश भर में अनेक संस्थान और प्रयोगशालाएं हैं जो कृषि संबंधी विभिन्न उप-विषयों पर अनुसंधान कार्य करती हैं । कई संस्थानों को विश्वविद्यालयवत् दर्जा प्राप्त है और वे डाक्टरेट तथा आगे की पढ़ाई भी कराते हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने दि. 10 जून, 1992 के परिपत्र सं. 2/9/90 हिन्दी के द्वारा सभी संस्थानों को अपनी प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प देने का आदेश जारी कर दिए हैं ।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में ग्रेजुएट अभियंता प्रशिक्षुओं की चयन परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् (सरोजिनी नगर, नई दिल्ली) ने नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर से अनुरोध किया था कि वह अपनी ग्रेजुएट अभियंता प्रशिक्षुओं की चयन परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प भी दें । अब उस कम्पनी ने हिन्दी परिषद् को अपने 18-2-1992 के पत्र संख्या मा.स.वि./172/92 द्वारा सूचित किया है कि प्रश्न पत्रों को द्विभाषी जारी करने हेतु कार्रवाई की जा चुकी है तथा परीक्षार्थियों को इस संबंध में भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख भी कर दिया है कि वह हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं । साक्षात्कार में भी हिन्दी माध्यम के विकल्प की व्यवस्था कर दी गई है।

सेना में स्थाई कमिशन के कोर्स की परीक्षा में हिन्दी का विकल्प

श्री एस. आर. नौटियाल, ए. सी. एस. ओ. भर्ती टी.जी.सी.अनुभाग, थल सेना, मुख्यालय, पश्चिम खण्ड-III,

[शेष पृष्ठ 100 पर]

प्रेरणा-पुंज

वरिष्ठ गुणंता आश्वासन स्थापना (आयुध) अंबाझरी नागपुर की हिन्दी अनुवादक श्रीमती मंजु भारद्वाज सम्मानित

वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (आयुध) अम्बाझरी नागपुर की हिन्दी अनुवादक श्रीमती मंजु भारद्वाज ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो बम्बई के 31 वें सत्र (जुलाई से सितम्बर) के अनुवाद प्रशिक्षण में स्वर्णपदक प्राप्त किया है। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता श्री सत्यप्रकाश भारद्वाज, सहायक निदेशक, हि. शि. योजना नागपुर तथा श्रीमती लाल व श्री प्रसाद प्रशिक्षण अधिकारी के. अनु. ब्यूरो बंबई को देती है।

पितृभाषा

मातृभाषा चाहे जो हो,
पितृभाषा सबकी हिन्दी,
भारत मां का सुहाग है हिन्दी,
भारत मां का हार है हिन्दी!

हम तो हैं इस हार के मोती,
अगर न हिन्दी अपनाएंगें,
बिखर-बिखर हम जाएंगें,
अनाथ हम बन जाएंगें।

एल. डी. भाटिया
वज्ञानिक तथा तकनीकी शाब्दावली
आयोग, नई दिल्ली।

(पृष्ठ 31 का शेष)

हिन्दी सम्मेलन में कुछ नए शब्द गढ़ने ही होंगे'। इस पर ज़ोरों का ठहाका लगा।

हम 'मुर्गापोंछ' में सोल्लास सम्मिलित हुए, जो हमारा त्रिनिडाड की धरती पर आखिरी कार्यक्रम था। वहां न तो कोई मुर्गा था, न उसकी पूंछ थी, वरन् उसकी जगह अनेक प्रकार के भारतीय व्यंजन, पकवान तथा मिष्ठान हाजिर थे, जिन्हें हम भारतीयता का प्रतीक कह सकते हैं।

वहां एक संकल्प लिया गया कि हर परिवार कम-से-कम एक घंटा पूरी बातचीत हिन्दी में करे; तभी हिन्दी सरलता से ज़बान पर चढ़ सकेगी। अपने भारतीय भाइयों के उस उल्लास को देखकर यही लगा कि कहने के लिए यह विदेश भले हों, लेकिन हर तरह से यह स्वदेश से बढ़कर है, जहां भाषा और संस्कृति की चेतना लोगों में गंगा और यमुना की तरह प्रवाहित है। □

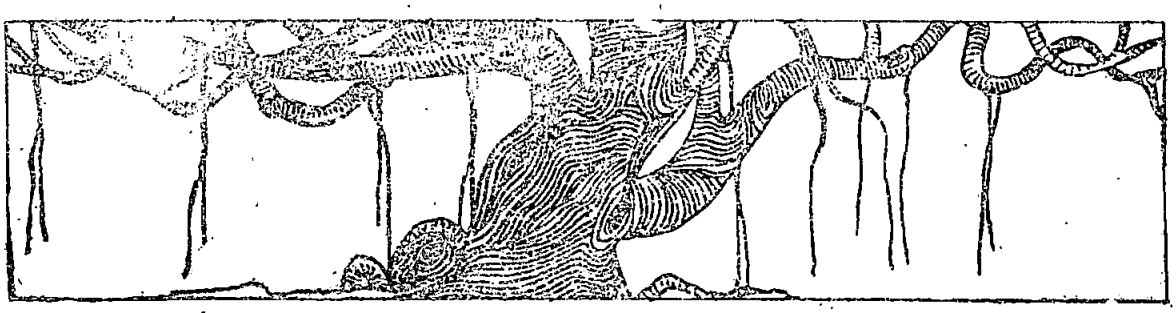

राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार

वायुसैना मुख्यालय में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

9 जनवरी 1992 को राजभाषा शील्ड प्रदान करने और हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देने के लिए राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया।

एयर मार्शल नरेश कुमार, अ वि से मे, वा से मे, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर, वायुसेना मुख्यालय समारोह में मुख्य अतिथि थे जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले निदेशालयों और कार्मिकों को शील्ड तथा पुरस्कार प्रदान किए।

निम्नलिखित निदेशालयों ने राजभाषा शील्ड जीती: इंजीनियरी सहायता निदेशालय—प्रथम पुरस्कार (स्वर्ण शील्ड)

कार्मिक (सिविलयन) निदेशालय—द्वितीय पुरस्कार (रजत शील्ड);

अनुरक्षण प्रशासन निदेशालय—तृतीय पुरस्कार (कांस्य शील्ड)

निदेशालयों के सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए पुरस्कार के रूप में वैजयन्तियां दी जाती हैं।

निम्नलिखित कार्मिकों ने हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं:—

(क) हिन्दी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता

सार्जेंट जी पी चतुर्वेदी वायुसेना निर्माण निदे; श्री प्रवीण कुमार, आशुलिपिक "ग" संक्रिया (हवाई रक्षा) निदे.; श्री महेश कुमार सहगल, भं. अधीक्षक अनुरक्षण प्रशासन निदेशालय।

(ख) हिंदी निबंध प्रतियोगिता

श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, भें अधीक्षक, इंजीनियरी सहायता निदे. स्क्वाड्रन लीडर अनिल पांडे इंजी "ग" निदेशालय, श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा, लायब्रेरियन न्याय महाधिवक्ता निदेशालय।

(ग) हिन्दी शब्दज्ञान तथा वाक्यांश प्रतियोगिता :

श्री टेकचन्द, ए.सी.एस.ओ इंजी "ग" निदेशालय, सार्जेंट जी.पी. चतुर्वेदी निर्माण निदेशालय, श्री मामराज, वैयक्तिक सहायक वायु स्टाफ (निरी.) निदे.

(घ) हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

कु. कमलेश अरोड़ा, आशुलिपिक "ग" अनुरक्षण प्रशासनि निदेशालय, श्रीमती ऋतु रोहतगी, सहायक भं.इंजी "ए" निदेशालय, श्रीमती संतोष तंवर, आशुलिपिक "ग" उड़ान संरक्षा निदेशालय।

(ङ) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

श्री मामराज, वैयक्तिक सहायक वायु स्टाफ (निरी) निदेशालय, कुमारी चन्द्रिका, वैयक्तिक सचिव, प्रणाली मूल्यांकन निदेशालय।

(च) हिन्दी भाषण प्रतियोगिता :

श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा, लाइब्रेरिन, न्याय महाधिवक्ता निदेशालय, सार्जेंट जी पी चतुर्वेदी वायुसेना निर्माण निदेशालय सार्जेंट राधेश्याम पांडे आर ए ए बी ई, कार्पोरल निर्मल कुमार, क्लर्क जी डी इंजी "ए" निदेशालय, श्री अशोक कुमार, अ. श्रे.लि. वायुसेना निर्माण निदेशालय।

(छ) स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता

श्रीमती चन्द्रकांता शर्मा, लायब्रेरियन न्याय महाधिवक्ता निदेशालय, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुपम शर्मा आरटीसी, श्री दीपक शर्मा, अ.श्रे.लि. अनुरक्षण प्रशासन निदेशालय, श्रीमती आभा जैन, प्र.श्रे.लि. सिगनल (वायु) निदेशालय।

सरकारी कामकाज में हिन्दी में टिप्पण और मसौदा लेखन की नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्मिकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए :—

श्रीमती बानी सेठ, संयुक्त अनुरक्षण आंकड़ा निदेशालय; श्री पृथ्वीराज कार्मिक (वायुसैनिक) निदेशालय पी.सी.-I; श्री महेश कुमार सहगल, अनुरक्षण प्रशासन निदेशालय; श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, इंजी सहायता निदेशालय; श्री जे एन नैय्यर, इंजी सहायता निदे, श्रीमती ललिता बिका एस नायर, संयुक्त अनुरक्षण आंकड़ा निदे, श्री एम एस रावत इंजी. सहायता निदेशालय; श्री रजनी मोहन गुप्ता, संगठन निदेशालय, ; सार्जेंट ए सी बिसनोई, इलैक्ट्रानिक आयुध निदेशालय।

एयर वाइस मार्शल एस. रत्नम; अति विशिष्ट सेवा मेडल, शिक्षा निदेशक, वायु सेना मुख्यालय ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। शिक्षा निदेशक ने अपने स्वागत भाषण में संविधान में हिन्दी को दिए गए महत्त्व पर तथा भारतीय वायुसेना में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वायुसेना ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में विशेष सफलता प्राप्त की है।

मुख्य अतिथि ने वायुसेना में हिन्दी में सरकारी पत्र व्यवहार की दिशा में हुई प्रगति पर विशेष जोर दिया।

मुख्य अतिथि ने सभी से आग्रह किया कि वे हिन्दी के प्रति अपनी अभिरुचि बनाए रखें जिससे कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्मिकों को भी हिन्दी में आवश्यक प्रवीणता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए अधिकारी पुरस्कृत

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। प्रशासकीय कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने व स्वेच्छा से हिन्दी में कार्य करने पर आज यहां दिल्ली प्रशासन के 37 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

भाषा विभाग की सचिव श्रीमती आदर्श मिश्रा ने एक सादे समारोह में उक्त पुरस्कार वितरित किये। पुरस्कार पाने वाले चार अधिकारियों में उपायुक्त (श्रम), वी. कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चारों अधिकारियों को 1991 के कार्य के आधार पर एक हजार के नकद पुरस्कार प्रदान किये गये।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले 33 कर्मचारियों में दिल्ली गजेटियर विभाग के मुख्य अतिथि लिपिक गोवर्धनदास गोला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें 1500 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को एक हजार रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारी को 700 रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। शेष कर्मचारियों को 250 रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर 1990 की एडवांस उर्दू परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली कु. रजनीश लता (प्रथम) सुरेश कुमार (द्वितीय) तथा मनमोहन शर्मा (तृतीय) को भी पुरस्कृत किया गया।

(राष्ट्रीय सहारा, 29-4-93, से साभार)
नराकास समिति द्वारा

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर पुरस्कृत

बीकानेर नगर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों व बीमा कम्पनियों के 31 प्रतिनिधियों ने दिनांक 29-6-92 को आयोजित बैठक में अपने कार्यालयों का प्रतिनिधि किया तथा अपने-अपने कार्यालयों में वर्ष भर में हुई हिन्दी प्रगति का ब्यौरा दिया।

इस अवसर पर अधिकतम हिन्दी प्रयोग करने के लिए नगर राजभाषा शील्ड स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को प्रदान की गई जोकि बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री कोमल कान्त झा ने समिति के अध्यक्ष मण्डल रेल प्रबन्धक श्री बिशन स्वरूप अग्रवाल से ग्रहण की।

सीमा सुरक्षा बल राजभाषा शील्ड वितरण समारोह

सीमा सुरक्षा बल में 31 मार्च 1992 को एक समारोह में सरकारी काम-काज में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए सीमा सुरक्षा बल राजभाषा शील्ड फ्रण्टियर मुख्यालय पंजाब तथा बल मुख्यालय के संचार निदेशालय को प्रदान की गई। महानिदेशक श्री टी. अनन्ताचारी ने फ्रण्टियर मुख्यालय पंजाब के प्रतिनिधि श्री जी.डी. सिंह, प्रधान स्टाफ अधिकारी को और बल मुख्यालय से संचार निदेशालय के प्रतिनिधि श्री एन.एन. गुप्ता महानिरीक्षक (संचार) को अलग-अलग सीमा सुरक्षा बल राजभाषा शील्डें प्रदान की। सितम्बर 1991 में आयोजित हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित विजेताओं को भी महानिदेशक ने पुरस्कृत किया।

हिन्दी में टिप्पण प्रारुपण

श्रीमती सरोज रावत, श्री महेश चन्द्र सहा. श्री जे.पी. सिंह श्री सी. कृष्ण मूर्ति

हिन्दी निबन्ध लेखन

श्री हरीश चन्द्र मिश्रा, श्री रवि प्रकाश, श्री लोक साक्षी शर्मा, श्री एस.एस. पाटिल।

हिन्दी आशुलिपि

श्री राजपाल चौहान, श्री पी.एस. अधिकारी, श्री राजवीर सिंह, श्री सन्तोष कुमार

हिन्दी टाइप लेखन

श्री सतीश कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री हरीश चन्द्र मिश्रा, श्रीमती डी. मर्शा।

बल के महानिदेशक श्री अनन्ताचारी ने कहा कि अनेक मोर्चों पर हम सबसे आगे हैं तो सरकार कामकाज में राजभाषा के प्रयोग के मामले में हम पीछे क्यों रहें और मेरी इच्छा है कि इसी आत्मविश्वास से आप लोग अपने कर्तव्य में जुट जाइए। आप लोग एक बार विश्वास कर लें तो मेरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र में भी हम लोग सबसे आगे रहेंगे।

इससे पहले श्री एच. राव महानिरीक्षक (प्रशा.) ने सभी उच्च अधिकारियों तथा पुरस्कार विजेता कार्मिकों का अभि-

वादन करते हुए यह जानकारी दी कि बल में हिन्दी में काम-काज में एकरूपता लाने के लिए प्रामाणिक शब्दावली तैयार की जा रही है जो अगले हिन्दी दिवस तक प्रकाशित कर दी जाएगी। मंच संचालन श्री आर.के. द्विवेदी सहायक निदेशक (रा.भा.) बल मुख्यालय ने किया।

सांख्यिकी विभाग की उपलब्धियां एवं इन्दिरा गांधी पुरस्कार

मानना होगा कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए प्रबल इच्छाशक्ति, कार्य करने की उत्कृष्ट इच्छा तथा लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक तीनों ही आवश्यक हैं। सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसके बल पर ही भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए सांख्यिकी विभाग को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। इससे पूर्व भी विभाग 1986-87 में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड का तृतीय पुरस्कार तथा 1987-88 एवं 1988-89 में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। दिनांक 12-7-90 को सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हुए तत्कालीन योजना राज्य मंत्री श्री भाग्ये गोवर्धन ने अपना हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि "मार्च 1990 में राजभाषा विभाग द्वारा योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को वर्ष 1988-89 के लिए "इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड" का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह विभाग लगातार पिछले 3 वर्षों से पुरस्कार प्राप्त करता आ रहा है और आशा है कि यह आने वाले वर्षों में और अधिक उत्साह का प्रदर्शन करेगा।" मन्त्री महोदय की उपर्युक्त टिप्पणी पर हिन्दी सलाहकार समिति के अनेक-गैर सरकारी सदस्यों ने सांख्यिकी विभाग को राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर साधुवाद दिया और यह सुझाव दिया कि अच्छे कार्य के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, हिन्दी के उच्च अधिकारी तथा हिन्दी स्टॉफ को अलग से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तदनुसार संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानदेय देकर सम्मानित किया गया।

इस तरह सतत् प्रोत्साहन एवं प्रयत्न के बल पर विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया तथा 28 नवम्बर 1991 को मावलंकर आडिटोरियम, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक समारोह में उपराष्ट्रपति जी ने सांख्यिकी विभाग को यह पुरस्कार प्रदान किया जिसे विभाग की सचिव डा. (श्रीमती) आर. ताम्राक्षी ने ग्रहण किया तथा पुरस्कार की प्रतिकृति को उपसचिव श्री नवल किशोर ने ग्रहण किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर सांख्यिकी विभाग के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी ने अपने को गौरवान्वित महसूस किया। इस सम्बन्ध में विभाग के प्रयासों एवं संकल्पों की सराहना करते हुए योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने प्रसन्नता व्यक्त की है। फाइल पर लिखी गई उनकी टिप्पणी इस प्रकार है। "हम सबके लिए अत्यन्त उत्साह और गर्व का विषय है, मेरी ओर से सब को बधाई।"

सचिव सांख्यिकी विभाग ने मंत्री महोदय के उपर्युक्त संदेश को सांख्यिकी विभाग के उच्च अधिकारियों तथा सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को प्रेषित करते हुए अपने अर्द्धशासकीय पत्र में लिखा है कि "मंत्री महोदय के इस संदेश से हमारा विभाग तथा उसके अधिकारी व कर्मचारी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह सफलता जो लगातार विभाग को प्राप्त हो रही है वह आपके सहयोग, लगन व परिश्रम का परिणाम है। इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देती हूं तथा आशा करती हूं कि भविष्य में भी आप राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अपना सक्रिय सहयोग देते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इस बारे में अवगत करा दें।"

सांख्यिकी विभाग ने अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जो वित्त वर्ष 1986-87 से लागू किया गया उसे चार वर्ष से लगातार प्राप्त करके विशेष गौरव प्राप्त किया है, जिससे सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिन्दी के प्रति उत्साह व निश्चय और बढ़ा है। सांख्यिकी विभाग अपनी हिन्दी में कार्य के क्षेत्र में मिली प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये प्रयत्नशील है।

नराकास तिरुअनन्तपुरम द्वारा कें०रि०पु० बल ग्रुप केन्द्र पुरस्कृत

तिरूअनंतपुरम नगर स्थित 88 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में से के.रि.पु बल के ग्रुप केन्द्र कार्यालय को वर्ष 1991-92 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में उत्तम निष्पादन के लिए तिरूवनंतपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा "चल वैजयन्ती" एवं "योग्यता प्रमाण-पत्र" प्रदान किया गया, जिसे श्री वी० राधाकृष्णन, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, केरल परिमण्डल एवं समिति के अध्यक्ष से इस ग्रुप केन्द्र के श्री महेन्द्र प्रसाद, अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा उपर्युक्त बैठक में समिति के सदस्य कार्यालयों के उपस्थित प्रधानों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्राप्त किया।

नेशनल टैक्स्टाइल कारपोरेशन (म ना) लि०

बम्बई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान 300 तक कर्मचारी वाले उपक्रम/निगम के अन्तर्गत राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन

तथा राजभाषा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एम.एन.) लि. बम्बई को द्वितीय पुरस्कार (चल वैजयंती) विजेता घोषित किया गया।

दिनांक, 22 मई, 1992 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोलियम हाउस में आयोजित बम्बई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक में पी. रामकृष्णन्, अध्यक्ष, बम्बई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., ने पुरस्कार प्रदान किए। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एम.एन.) लि., बम्बई की ओर से डॉ. लल्लन पाठक, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने पुरस्कार ग्रहण किया।

सेंट्रल बैंक आंफ इंडिया ने हिन्दी प्रतियोगिता आयोजित की

आन्ध्र बैंक हैदराबाद के संयोजन में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) के निर्देशानुसार सेन्ट्रल बैंक अॅफ इंडिया ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु 14 जुलाई को आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र में अंतर बैंक हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नगर के विभिन्न बैंकों के 33 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नराकास के सदस्य सचिव सहित विभिन्न बैंकों के अनेक राजभाषा अधिकारी तथा सेन्ट्रल बैंक के आंचलिक प्रबंधक श्री उ. र. दलाल भु.प्र. श्री सी. के. भास्करन सहित आंचलिक व क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी और प्रभारी (राजभाषा) उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री दलाल ने कहा कि हिन्दी प्रयोग की मानसिकता बनाने के लिये ऐसा प्रस्ताव हमारे बैंक ने नराकास को दिया था। जिसे नराकास ने कार्य रूप देकर अनेक अंतर बैंक प्रतियोगितायें आयोजित करवाई हैं। उन्होंने नराकास का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि सेन्ट्रल बैंक इस कार्य को पूरी गति से निरन्तर आगे बढ़ायेगा और अपनी पूर्व परंपरा के साथ इस क्षेत्र में पहला स्थान बनाये रखेगा। इस प्रतियोगिता में नाबार्ड के श्री मिलिन्द चौसालकर प्रथम तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की श्रीमती के अन्नपूर्णा-द्वितीय और सेन्ट्रल बैंक हैदराबाद मुख्य शाखा की सुजाता श्रीनिवासन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तालचेर

पहले दिन काव्य पाठ प्रतियोगिता में तीन अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों ने जीवन में पहली बार हिन्दी में स्वरचित कविताएं प्रस्तुत कीं।

सबसे अंत में आयोजित हुआ प्रश्नमंच लेकिन हर प्रश्न पर बढ़ती हुई उत्सुकता प्रतियोगियों द्वारा दिए गए दिलचस्प उत्तर और विजेता के प्रति सम्मान सूचक तालियों की गड़गड़ाहट और तत्क्षण पुरस्कार प्राप्ति का रोमांच सब कुछ एक साथ घटित और फिर यही क्रम बार-बार, पुनरपि-पुनरपि।

महाप्रबंधक महोदय एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रुचि ले कर विभिन्न प्रतियोगिताओं का स्वयं निरीक्षण किया।

मुसलमानों ने हिन्दी को क्या दिया

हिन्दी का नामकरण करने वाले, हिन्दू नहीं, मुसलमान थे और जिसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया, वह अहिन्दी भाषी महात्मा गांधी थे।

अब्दुल रहमान प्रथम मुसलमान कवि हैं, जिन्होंने अपभ्रंश में सन्देशरासक नामक उत्कृष्ट विप्रलंभ काव्य का प्रणयन किया। ——कुछेक विद्वान उन्हें हिन्दी भाषा का आदि कवि भी मानते हैं।

अमीर खुसरो खड़ी बोली हिन्दी के कवि के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए।

कबीर की महत्ता असंदिग्ध है।

मुसलमान सूफियों का ऋण भी हिन्दी साहित्य पर सदैव स्मरणीय है।

जायसी का 'पदमावत' हिन्दी का एक अक्षय-कीर्ति स्तंभ है। कुतुबत की 'मृगावती' मंकन की 'मधुमालती' उसमान 'चित्रावली' आदि कृतियों द्वारा सूफी कवियों ने भारत में सर्वप्रथम भावात्मक एकता स्थापित करने का विश्वसनीय कार्य किया।

रसखान का नाम अनायास ही जिव्हा पर आ जाता है। उनकी उदारता पर विस्मय तथा विशालता पर श्रद्धा होती है।

अब्दुर्रहीम खानखाना के दोहों में जीवन का व्यावहारिक पक्ष सम्यक् रूप में निखरा हुआ मिलता है।

—— और ताज जैसी हिन्दी की रीतिकालीन मुसलमान कवयित्रियों पर साहित्य को गर्व है।

ईशा अल्ला खां की 'रानी केतकी की कहानी' एक एतिहासिक महत्त्व की रचना है।

जूहरबख्श ने बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य की रचना की है।

तमिलभाषी डा. मलिक मुहम्मद तथा डा. नजीर के शोध कार्य स्थायी महत्त्व के हैं।

नजीर बनारसी, राही मासूम रजा, नईम, अली शेर तथा निजाम उद्दीन आदि भी हिन्दी-सेवी कलाकार हैं।

नवोदित स्वर साप्ताहिक, वर्ष 1, अंक 37)
2/4, धामांवाला, पुरानी कोतवाली, देहरादून

हरी चादर

लेखक—कुलदीप शर्मा

मूल्य : 100 रुपए

पृष्ठ : 127

प्रकाशक : मानक पब्लिकेशन प्रा.लि.,
3ए वीर सावरकर ब्लाक, मधुबन रोड,
शकरपुर, दिल्ली-52

प्रकृति ने प्राणियों की सुख-सुविधा के लिए चारों ओर औषधियों और वनस्पतियों की एक ओढ़नी ओढ़ा रखी है। हमारी पृथ्वी मातृरूपा है, वह लज्जाशील है, निवेसन नहीं हो सकती। उसकी इस ओढ़नी में ही तो उसका ममत्व-मातृत्व छिपा हुआ है। इसके भीतर ही वह अपनी सन्तान को सब कुछ देती है। अथर्ववेद (12-1-24) उस भूमि की स्तुति में कहता है कि जिस पर अनेक शक्तियों वाली औषधियां पलती हैं, जिस पर अन्न तथा अन्य अनेक स्वेतियां होती हैं, प्राण लेने वाले तथा गति करने वाले प्राणियों का जो भरण-पोषण करती हैं, वह भूमि हमें गौ आदि पशु (दूध, घी आदि के लिए) तथा (भोजन के लिए) अन्न प्रदान करे—

नानावीर्या औषधीर्या विभर्ति————
यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः। या बिभर्ति बहुधा
प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु।

भूमि की यह ओढ़नी किस प्रकार प्राणिमात्र के जीवन के लिए आवश्यक है—यह बात इस मन्त्र से बहुत स्पष्ट है। मनुष्य यदि अपनी मां की इस ओढ़नी को निर्लज्जता-पूर्वक उघाड़ेगा अथवा नष्ट करेगा तो मां लाज में ही नष्ट हो जाएगी। अपने शिशुओं का पालन वह कैसे करेंगी। भारतीय साहित्य ने आदि वैदिक काल से इस बात को समझा-समझाया है।

"हरी चादर" के लेखक श्री कुलदीप शर्मा ने इसी ओढ़नी को चादर कहा है। चादर में व्याप्ति की विस्तार की भावना भी अभिप्रेत है। वस्तुतः वृक्षों, औषधियों, घास आदि की यह चादर प्राणियों को सर्वत्र सुख-सुविधा प्रदान करने के लिए सारी पृथ्वी पर बिछी हुई है। छोटे मोटे सब प्राणी इस पर आश्रित हैं और अन्ततोगत्वा पृथ्वी का श्रेष्ठ इस चादर से सबसे अधिक प्रभावित है।

पर्यावरण के इस पहलू पर लेखक ने अत्यन्त मार्मिक भावात्मक शैली में विचार किया है। साथ ही साथ यह शैली तथ्य-शोधक परक भी हैं।

पर्यावरण प्रदूषण के विषय में लेखक की यह चेतावनी ध्यान देने योग्य है—"हम प्राकृतिक जगत पर अपने अन्त-हीन अतिक्रमण तथा बगैर सोचे-विचारे उसमें बड़े बड़े बदलाव कर इस अधिकार का अविवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं।"

प्रथम अध्याय में लेखक ने अनेक पुराणों, स्मृतियों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उद्धरण देकर स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल से भारत में धार्मिक ग्रन्थ पर्यावरण के प्रति सजग रहे हैं। वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा इसी सजगता का उदाहरण है। "श्री हरिवंश पुराण में तो यहां तक लिखा है कि वृक्ष एवं लताओं को व्यर्थ में काटने वाले को ब्रह्म-हत्या के समान पाप भुगतना पड़ता है"। (पृ. 14) परन्तु इस प्रसंग में पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ का उल्लेख न करना खटकता है। प्राचीन ग्रन्थों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि यज्ञ के लिए समिधाओं के रूप में स्वयं सूख कर वृक्षों से गिरी हुई शाखाओं का ही प्रयोग किया जाए।

द्वितीय अध्याय में भिन्न प्रकार के मरुस्थलों का उल्लेख लेखक के गहन अध्ययन का परिणाम है। तृतीय अध्याय में इस हरी चादर की उपयोगिता बताते हुए जो सारे संसार की विभिन्न वनस्पति उपजों की जानकारी एकत्र की गई है, उससे लेखक द्वारा इस दिशा में किए गए शोध का पता चलता है। इस प्रसंग में वृक्षों से प्राप्त होने वाली अनेक

दवाइयों का परिचय भी मिलता है। इसी अध्याय में एक उपशीर्षक "हरियाली की चादर से पेट्रोल की धार" देखकर पाठक चौंक जाता है। परन्तु आगे पढ़ने पर इस वास्त-

की अनेक संभावनाएं हैं।

चतुर्थ अध्याय में पौधों की प्रदूषण-रोधक क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। "पत्तों की सतह के पदार्थ या तो प्रदूषकों को नष्ट कर देते हैं या उनके साथप्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।" (पृ. 78)

पंचम अध्याय में वृक्षों की एक और उपयोगिता का विवरण है। वृक्षों से अनेक प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग न केवल सौन्दर्य-प्रसाधन के रूप में होता है, अपितु जो औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।

इस हरी चादर के जितने गुण और उपयोग बताए जाएं, कम हैं। लेखक ने षष्ठ अध्याय में एक अत्यन्त आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य उद्घाटित किया है। हम दूरदर्शन में चित्र प्राप्त करने के लिए महंगे एण्टीना आदि उपकरणों का प्रयोग करते हैं, परन्तु वृक्ष और बाहें फैलाए उनकी शाखाएं मूल्यरहित प्राकृतिक एण्टीना का काम करते हैं, चित्र दिखाने और संगीत सुनाने में हमारी सहायता करते हैं।

ये पौधे संचार माध्यम तो हैं ही, परन्तु स्वयं भी मानव की भावनाओं, बातों और कार्यों के प्रति संवेदनशील हैं। अन्तिम ग्यारहवें अध्याय में पौधों से बातचीत के अनेक वैज्ञानिकों के प्रयोग और उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। यह सब छोटी-छोटी हृदयग्राही कहानियों के समान हैं। इन्हें और अधिक पढ़ते रहने की आकांक्षा बनी रहती है। पौधे हमें सुनते हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं और अपने ढंग से अपनी प्रतिक्रियायें प्रकट करते हैं। पौधे झूठ पकड़ते हैं, हत्यारों की पहचान करते हैं और संगीत के प्रति संवेदनशील होते हैं। पाठक को यह अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए।

प्रकृति कितनी विशाल है। इसी चादर के रूप में मानव को ईश्वर ने एक अनुपम बहुपयोगी उपहार दिया है। यदि मानव क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर उसे नष्ट करता है तो वह मूक चादर कुछ नहीं बोलेगी—उसे नहीं रोकेगी। परन्तु मानव उसे नष्ट कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी अवश्य मार लेगा।

हरी चादर के प्रति मोह, हरी ओढ़नी की रक्षा, उसकी लाज की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, अपनी रक्षा, पृथ्वी सुन्दरतर से सुन्दरतम बनाना इस "हरी चादर" का सन्देश है।

इस खोजपूर्ण और भावनामय कृति के लिए श्री कुलदीप शर्मा बधाई के पात्र हैं। यह पुस्तक अत्यन्त मार्मिक ढंग से पर्यावरण के प्रति सजगता उत्पन्न करती है।

डा. कृष्ण लाल,
आचार्य एवं अध्यक्ष,
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पुलिस अन्वेषण

लेखक : श्री राम लाल "विवेक"

प्रकाशक सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली

पृष्ठ 200

मूल्य 75.00

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि "विश्व में कोई भी व्यक्ति अपराध का पूर्णतः उन्मूलन करने का दावा नहीं कर सकता है। हमारा कार्य अपराध को रोकना, कम करना और साथ-साथ उसकी जांच करना और अपराधी को पकड़ना है। यह दो बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हम अपराध को सही ढंग से और सफलतापूर्वक जांच करें तो हम न केवल अपराध की घटनाओं को कम कर सकेंगे बल्कि अपराधियों या भावी अपराधियों के मन में भ्रम भी पैदा कर देंगे। अतः मैं चाहता हूं कि अधिकारी मिसाल पेश करें जवान अपना कर्त्तव्य दक्षता से और उचित रूप से करें।"

संक्षेप और परख होना उन मूलभूत गुणों में से एक महत्वपूर्ण गुण है, जो कि सफल व प्रभावकारी अन्वेषणकर्ता के लिए अति आवश्यक है, जैसा कि अनुभव से सिद्ध होता है।

इसी मूलभूत विचारधारा पर आधारित है—प्रस्तुत पुस्तक "पुलिस अन्वेषण"। यह बात गौरतलब है कि पुलिस, अपराध, अन्वेषण एवं अपराधशास्त्र पर हिन्दी में और भारतीय भाषाओं में कम हैं। अतः ऐसी पुस्तकें स्वागत योग्य हैं। वह भी एक ऐसे व्यक्ति की लेखनी से जो कुछ वर्षों तक वकालत करने के पश्चात् राजस्थान सरकार की अभियोजन सेवा में कार्यरत हैं। साथ ही जीवनदर्शन, विवेक दर्पण, ग्रामीण पुलिस—समस्याएं एवं समाधान, भारत में विचार क्रान्ति, महात्मा गांधी और मसीहा आदि कृतियों के रचियता भी हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का सरोकार सम्पूर्ण पुलिस के कार्यक्षेत्र कार्य के तरीके एवं प्रक्रिया से है। जब पुलिस तत्परता एवं सही ढंग से कार्य करेगी, तभी कानून एवं व्यवस्था का उचित

रूप से पालन संभव होगा और इसके फलस्वरूप समाज एवं राष्ट्रप्रगति के पथ पर अग्रसित होता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि अपराधियों का चुस्त एवं सही तरीके से पता लगाया जाये तथा उन्हें उचित दंड दिलाया जाये, जिससे अन्य अपराधी वर्ग को भी सबक मिल सके व अपराध की संख्या घटे।

महात्मा गांधी जी ने इस बात पर हमेशा ही बल दिया कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अतः अपराधियों के सही दिशा निर्देश एवं उनके पुनर्वास पर ध्यान देना समाज का कर्त्तव्य है। आजकल उन सिद्धान्तों पर हमेशा ही बल दिया जा रहा है जिससे कि अपराध की पुनरावृत्ति न हो तथा निवारक उपाय अपनाए जा सकें। दवा करने से रोग का निवारण अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपराधों को घटित होने से रोका जा सके। अपराधियों को उचित दण्ड दिलाना भी जरूरी है।

वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण भी तभी कारगर हो सकता है जब, पुलिस कर्मियों को ऐसे तरीकों से गहन अन्वेषण करने, प्रक्रिया एवं कानून विधि की उन्हें पूरी जानकारी हो। तभी वे अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से निर्वाह कर पाने में सफल होंगे। पुस्तक इस [illegible]द्देश्य के लिए किया गया एक प्रयास है। लेखक ने अ[illegible]र्षों के अनुभव के आधार पर पुलिस के सभी कार्यों, [illegible]दारियों व ऐसे उत्तरदायित्व को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी विवेचना की है तथा अन्वेषण के विभिन्न आयाम व पहलुओं पर काफी प्रकाश डाला है।

यह पुस्तक सम्पूर्ण केन्द्र व राज्य पुलिस संगठनों, अधिकारियों, विधि एवं न्याय से संबंधित व्यक्तियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर पुलिस विभागों के हेतु उपयोगी व महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही यह जनता के लिए भी ज्ञानवर्धक है।

माला गुप्ता
डी-1/ए/115 जनकपुरी,
नई दिल्ली-58

'नया सवेरा' लाएं कविता संग्रह

लेखक : राधेश्याम "आर्य"

मूल्य : दस रुपए

प्रकाशक : रश्मिरथी प्रकाशन, मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर (उ. प्र.)

कविवर श्री राधेश्याम 'आर्य' का 'नया सवेरा' नामक काव्य-संग्रह इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इसकी कविताएं राष्ट्र प्रेम तथा देश भक्ति की भावना से ओत प्रोत हैं। कविताओं में स्थान-स्थान पर प्रकृति चित्रण भी झलकता है। राष्ट्र-प्रेम की भावना के साथ-साथ कविताओं में राष्ट्रीय उत्थान की भावना भी निहित है। कविताओं में मार्मिकता [illegible]

कविताओं की भाषा सरल और सुबोध है और उसमें भावों की तारतम्यता है। साथ ही कविताएं सरस तथा प्रेरणादायक भी हैं। ऐसी कविताएं सार्वभौम होती हैं।

देवीदत्त तिवारी,
अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

भारत की सांस्कृतिक एकता

लेखक : डॉ. नरेश कुमार

प्रकाशन : इण्डोविजन प्रा. लि. IIए-220, नेहरु नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)

मूल्य : 30 रु.

राष्ट्रीय एकता बिना भावनात्मक एकता के संभव नहीं है और भावनात्मक एकता का आधार है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता की जननी है भारतीय भाषाओं का साहित्य एवं सांस्कृतिक परम्पराएं। विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं वेश भूषाओं, जीवन पद्धतियों के होते हुए भी 'विभिन्नता में एकता' भारतीयता की पहचान है।

डॉ. नरेश कुमार की प्रस्तुत पुस्तक "भारत की सांस्कृति एकता" जिसमें उनके बीस लेखों का संग्रह है, इसमें राष्ट्रीय एकता की खोज सांस्कृतिक एकता के माध्यम से की गई है। सांस्कृतिक तत्व ही वास्तव में भारत को एक सूत्र में बांधते हैं।

प्रस्तुत लघु निबंध-संग्रह में उन भारतीय आदर्शों का दिग्दर्शन करना ही लेखक का उद्देश्य रहा है, जिन पर मनन करने तथा उन्हें अपनाने में सांस्कृतिक एकता की कड़ी सुदृढ़ करने का यह एक अच्छा प्रयास है।

शान्ति कुमार स्याल,
ई-43, सैक्टर 15, नोएडा-201301

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तकनीकी कक्ष का दिनांक 15 अक्टूबर, 1992 का का. ज्ञा. सं.-12013/26/92-राभा (त. क.)

विषय:—कम्प्यूटरों के द्विलिपिय प्रयोग के लिए, द्विभाषी साफ्टवेयर/हाडवेयर का प्रयोग

कंप्यूटरों में द्विलिपिय क्षमता तथा उन पर राजभाषा नियमों के अनरूप कार्य किए जाने के हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 30-5-85 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84-रा. भा. (ख-1), दिनांक 31-8-87 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84-रा. भा. (त.क.) तथा दिनांक 25-5-90 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/18/90-रा. भा. (त.क.) के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समय शब्द-संसाधन तथा डाटा-एन्ट्री के लिए कई प्रकार की सुविधाओं से युक्त द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रजी) साफ्टवेयर/हाडवेयर बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें से अपने कार्य की आवश्यकतानुसार उपयुक्त द्विभाषी साफ्टवेयर/हार्डवेयर का चयन कर किसी भी कार्यालय द्वारा राजभाषा नियमों के अनूरूप कार्य किया जा सकता है।

2. अतः सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि से यह अनूरोध है कि वे उपयुक्त द्विभाषी साफ्टवेयर/हाडवेयर का चयन कर उसका प्रयोग राजभाषा नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए तुरन्त करें ताकि जहां एक ओर कंप्यूटरों पर राजभाषा के प्रयोग को बल मिलेगा, दूसरी ओर विभिन्न द्विभाषी साफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्माताओं को उनके उत्पाद के उत्तरोत्तर प्रयोग से प्रोत्साहन मिलेगा तथा वे उसमें और अधिक सुधार करने के लिए प्रेरित होकर उनके विकसित संस्करण उपलब्ध करा सकेंगे।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 4 दिसंबर 1992 का का. ज्ञा. सं.-12013/1/92-रा. भा. (घ)

विषय:—हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली हिन्दी, हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि की परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से पास करने पर दिए जाने वाले एक मुश्त पुरस्कार को फरवरी, 1992 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रखना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12-9-91 कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/1/91-रा. भा. घ. के संदर्भ में इस विभाग के 21 मई 1977 कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/3/76-रा. भा. (घ), कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-रा. भा. (घ) दिनांक 29-10-1984 व कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/4/87-रा. भा. (घ) दिनांक 11-7-89 में दी गई शर्तों तथा दरों के अनुसार फरवरी, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के लिए एक मुश्त पुरस्कार जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे है।

3. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 11-8-1992 यू. ओ. नं. 7(49) ई. 111/91 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है।

4. यह कार्यालय ज्ञापन सभी सम्बन्धितों के ध्यान में ला दिया जाए।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 29-4-92 का का. ज्ञा. संख्या 12024/2/92-रा. भा. (ख-2)

विषय:—नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन।

देश के विभिन्न नगरों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने तथा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इस समय पूरे देश में ऐसी 120 समितियां कार्य कर रही हैं। इसी श्रृंखला में वर्ष 1991-92 में 3 नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों एवं इनके अध्यक्षों के नाम एवं पते निम्नलिखित हैं:—

क्रम सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम एवं पता	समिति से संबंधित राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का नाम
1.	ऊटी-कूनूर	श्री पी.एस. राव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यू. कम्पनी लि.— "इन्दुनगर" उटकमण्ड–643005	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय—कोचीन
2.	कोल्हापुर	श्री यू.सी. चौरे, आयकर आयुक्त आयकर आयक्त का कार्यालय "आयकर भवन" 31 सी/2 ई वार्ड तारापाई पार्क–कोल्हापुर–416003	क्षेत्रीय कार्या. कार्यालय, बम्बई
3.	पालक्कोड–कंजीक्कोड	श्री एस. सूर्यनारायण मण्डल रेल प्रबंधक, दक्षिण रेलवे–पालक्काड–2	क्षेत्रीय कार्या० कार्यालय, कोचीन

2. उपर्युक्त जानकारी सभी नगर राजभाषा कार्यान्वनत समितियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जा रही है।

□

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
का दिनांक 21-7-1992 का
का० सा० सं०–12024/2/92 रा. भा. (ख–2)—5

विषय:—संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें-रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन-बोर्ड, शीर्ष और शीषपत्र आदि द्विभाषी रूप में बनवाए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के देश-विदेश में स्थित सभी कार्यालयों और क्षेत्र "क" एवं "ख" में स्थित केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संस्थान भी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष, लोगों आदि सभी द्विभाषी रूप में तैयार कराएं और "ग" क्षेत्र में स्थित ऐसे संस्थान इन्हें त्रिभाषी रूप में तैयार करवाएं। पत्र शीर्ष, नामपट्ट आदि बनवाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सभी भाषाओं की लिपियों का आकार बराबर हो। यह सिफारिश मानते हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के, दिनांक 28-1-1992 के, संकल्प संख्या 12019/10/91-रा. भा. (भा.) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है।

2. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, पत्र शीर्ष आदि द्विभाषी बनाए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 30-12-1987 के का. ज्ञा. सं. 14034/1/87-रा. भा. (क-1) द्वारा विस्तृत निदेश सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को जारी किए गए थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के नामपट्ट, नोटिस बोर्ड आदि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में लिखे जाने के संबंध में आदेश गृह मन्त्रालय के दिनांक 7-6-1972 के का. ज्ञा. संख्या 11020/12/72-रा. भा. द्वारा जारी किए गए थे।

3. संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुनः अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके देश एवं विदेश में स्थित सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संस्थानों में नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र-शीर्ष, लोगो आदि द्विभाषी रूप में ही बनवाए जाएं। जहां तक "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों आदि का संबंध है वहां इन्हें त्रिभाषी रूप में तैयार किया जाना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि पत्र-शीर्ष, नामपट्ट आदि बनवाते समय सभी भाषाओं की लिपियों का आकार बराबर हो।

4. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। इस संबंध में जारी किए गए निदेशों की प्रतियां इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें।

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग, का दिनांक 21-7-92 का का ज्ञा. सं. 12024/2/92–रा. भा. (ख–2)—3

विषय:—संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें—राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं उनकी बैठकें।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के

चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए । समिति की यह सिफारिश मानते हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा. भा. (भा.) दिनांक 28-1-1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है ।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 29-1-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11015/26/73-रा. भा. द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जिन कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों की संख्या 25 या इससे अधिक हो, उनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जाएं और अन्य कार्यालयों में समितियां बनाई जाएं या नहीं, इस संबंध में मंत्रालय/विभाग स्वयं निर्णय ले सकते हैं ।

3. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में अब सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कराए और संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए ।

4. इसी के साथ-साथ समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम छः बैठकों का आयोजन किया जाए । ऐसा किया जाना व्यावहारिक नहीं है । अतः यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । फिर भी सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यहां एवं अपने सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों आदि में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वर्ष में 4 बैठको (प्रत्येक तिमाही में एक) का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित कराएं।

5. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। इस संबंध में जारी किए गए निदेशों की प्रतियां इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 21-7-92
का ज्ञा. सं. 12024/2/92—
रा. भा (ख—2)—6

विषय :—संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें—रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि (1) सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिन्दी में होनी चाहिएं (2) सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों और लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि द्विभाषी होने चाहिएं (3) "क" और "ख" क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं । ये सिफारिशें आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई हैं और इस संबंध में सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12029/10/91-रा. भा. (भा.) दिनांक 28-1-1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है ।

2. गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/65/68-रा. भा. दिनांक 19-8-68 एवं का. ज्ञा. सं. 11015/-43/72-रा. भा. दिनांक 8-2-74 में क्रमशः यह आदेश दिए गए हैं कि कर्मचारियों की सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं । रा. भा. विभाग के दिनांक 25-7-78 के का. ज्ञा. संख्या 1/14011/5/75-रा. भा. (क-1) में बिल्लों एवं प्रतीक चिह्नों आदि को द्विभाषी रूप में लगाए जाने के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं । हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाने के संबंध में निदेश गृह मन्त्रालय के का. ज्ञा. संख्या 12/50/62-रा. भा. दिनांक 30-7-1962 में दिए गए हैं।

3. संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि :

(1) "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं । "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथासम्भव हिन्दी में की जाएं ।

(2) सभी क्षेत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्दी पर लगाए जाने वाले बिल्लों/प्रतीक चिह्नों, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नामों आदि को द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में तैयार कराया जाए ।

(3) "क" तथा "ख" क्षेत्रों में भेजे जाग वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं ।

4. मंत्रालयों/विभागों आदि से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें । इस संबंध में जारी किए गए निदेशों की प्रतियां इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 21-7-1992
का. ज्ञा. सं. 12024/2/92—रा. भा. (ख-2)-4

विषय :—संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें—वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस उपाय एवं संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और "ग" क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरुआत की जाए। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई की जाए एवं सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग की समिति द्वारा की गई मंत्रालयवार समीक्षा संबंधी अनुच्छेदों की प्रतियां संबंधित कार्यालयों को तत्काल अग्रेशित की जाएं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के निदेश दिए जाएं। ये सिफारिशें मानते हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा. भा. (भा.) दिनांक 28 जनवरी, 1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है ।

2. राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में यह अनुरोध किया जाता रहा है कि वे इस विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यथासम्भव प्रयत्न करें। समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे अपने यहां तथा अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके । मंत्रालयों/विभागों आदि से यह भी अनुरोध है कि वे संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों तथा इस संबंध में जारी निदेशों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई तत्काल एवं समयबद्ध रूप से करें। समिति के प्रतिवेदन के चारों खण्ड जिनमें समिति द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग संबंधी मंत्रालयवार समीक्षा के अनुच्छेद भी हैं, सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजे जा चुके हैं । अतः यह भी अनुरोध है कि वे उन अनुच्छेदों में दिए गए विवरण के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करें। साथ ही निरीक्षण के दौरान समिति को दिए गए आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा करने की कार्रवाई भी की जाए ।

3. संसदीय राजभाषा समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह बेहतर होगा कि मंत्रालय/विभाग अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों की कार्य-सूची में इसे एक मद के तौर पर शामिल कर लें और प्रत्येक बैठक में उसकी समीक्षा करें । वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में की जानी चाहिए । जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे हों, वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय-सीमा के अन्दर समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें । इस संबंध में जारी निदेशों की प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का 9-8-1992
का ज्ञापन सं. 20016/1/92-
रा. भा. (क-1)

विषय :— राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों को केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करना ।

सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारुपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/9/87-रा.भा. (क-1) दिनांक 23-11-1987 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/9/87-रा०भा० (क-1) दिनांक 5-9-88 में अनुदेश दिए गए थे कि क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में, जो राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारी 1-4-88 से निम्नलिखित पत्रादि का प्रारुप केवल हिन्दी में प्रस्तुत करेंगे :—

(1) "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले सभी पत्रादि,

(2) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि आदि के उत्तर,

(3) किसी कर्मचारी द्वारा हिन्दी में दिया गया या हस्ताक्षर किया गया आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर ।

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 को हुई बैठक में पुनः इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे विनिर्दिष्ट कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अपना सारा काम केवल हिन्दी में करें।

4. अतः केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि वे उपरोक्त अनुदेशों तथा निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इन्हें अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में भी अनुपालन हेतु ला दें ।

5. इस संबन्ध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी सूचित करें ।

गृह मंत्रालय,राजभाषा विभाग का दिनांक 26-8-92 का
का. ज्ञा. सं. 14034/4/92-रा. भा. (क-1)

विषय – राजभाषा अधिनियम ,1963(यथासंशोधित 1967) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना— टेलीफोन निर्देशिकाओं को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने की अनिवार्यता ।

कृषि मंत्रालय तथा अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिंदी संस्करण लिए जाने के संबद्ध में गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जनवरी, 1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/57/70-रा. भा. की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदी टेलीफोन निर्देशिका का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और जिस टेलीफोन का एक्सटेंशन हो उसके लिए कम से कम एक टेलीफोन डायरेक्टरी हिंदी में ली जाए । इसी क्रम में गृह मंत्रालय का दिनांक 22-7-1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/38/70-रा.भा. भी देख लिया जाए जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को हिंदी टेलीफोन डायरेक्टरी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का निदेश देने का प्रावधान है । उस कार्यालय ज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि मंत्रालय विभाग आदि हिंदी की टेलीफोन डायरेक्टरी की अपनी आवश्यकता के बारे में डाक व तार विभाग (अब दूरसंचार विभाग) को सूचित करे और गृह मंत्रालय को भी सूचित करे ।

2. इस संबद्ध में दिनांक 25-8-1992 का इस विभाग द्वारा एक समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संचार मंत्रालय को भेजा गया है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

इस संबन्ध में की गई अपेक्षित कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें ।

□

[87 का शेष]

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में अपने दि. 13 फरवरी, 1992 के पत्र सं. : ए/89240/75 टी. जी. सी./टी. जी. सी. एन्ट्री के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली को सूचित किया है कि सेना में स्थायी कमीशन के तकनीकी स्नातकोत्तर कोर्स में भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से होती है जिसमें हिन्दी बोलने की पूरी छूट दी गई है।

जूनियर इंजीनियर से सहायक इंजीनियर की पदोन्नति परीक्षा में हिन्दी का विकल्प हुआ

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् परिषद् आदि अनेक संस्थाओं, विशिष्ट सज्जनों और कर्मचारियों के संघों द्वारा कई वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग से यह मांग की जाती रही थी कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों से सहायक इंजीनियर की पदोन्नति परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया जाए क्योंकि यह एक विभागीय परीक्षा है जिसमें केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं । अब संघ लोक सेवा आयोग ने श्री जगन्नाथ, संयोजक, राजभाषा कार्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली के नाम अपने दि. 16-9-92 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में हिन्दी के विकल्प की सुविधा दे दी गई है। परीक्षा के प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे जाएंगे । अंग्रेजी भाषा का पृथक से कोई प्रश्न पत्र नहीं होगा । आयोग की इस विषयक औपचारिक विज्ञप्ति के अनुसार 263 सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए उक्त परीक्षा देश के सभी प्रमुख नगरों में 23 सितम्बर, 1992 को ली जाएगी ।

कलकत्ता पत्तन न्यास में प्रबन्धन प्रशिक्षु की चयन परीक्षा में हिंदी माध्यम का विकल्प हुआ

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने कलकत्ता पत्तन न्यास से निवेदन किया था कि वे प्रबंधन प्रशिक्षुओं की चयन परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प दें । अब संयोजक, राजभाषा कार्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के नाम अपने 22 सितम्बर, 92 के पत्र सं. प्रशासन/6339/1/एम. टी. एस./परीक्षा (92) द्वारा उक्त न्यास ने सूचित किया है कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अगले साल यह परीक्षा द्विभाषी रूप में ली जा सके । इस साल लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण प्रबंध प्रशिक्षु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प रहेगा ।

नई दिल्ली : मंचासीन (बाएं से) उपसचिव(प्र.) श्री जी. वेंकटरमणी, शिक्षा एवं संस्कृति उपमंत्री कु. शैलजा, संस्कृति सचिव श्री भास्कर घोष तथा श्री सर्वेश्वर झा निदेशक, राजभाषा विभाग।

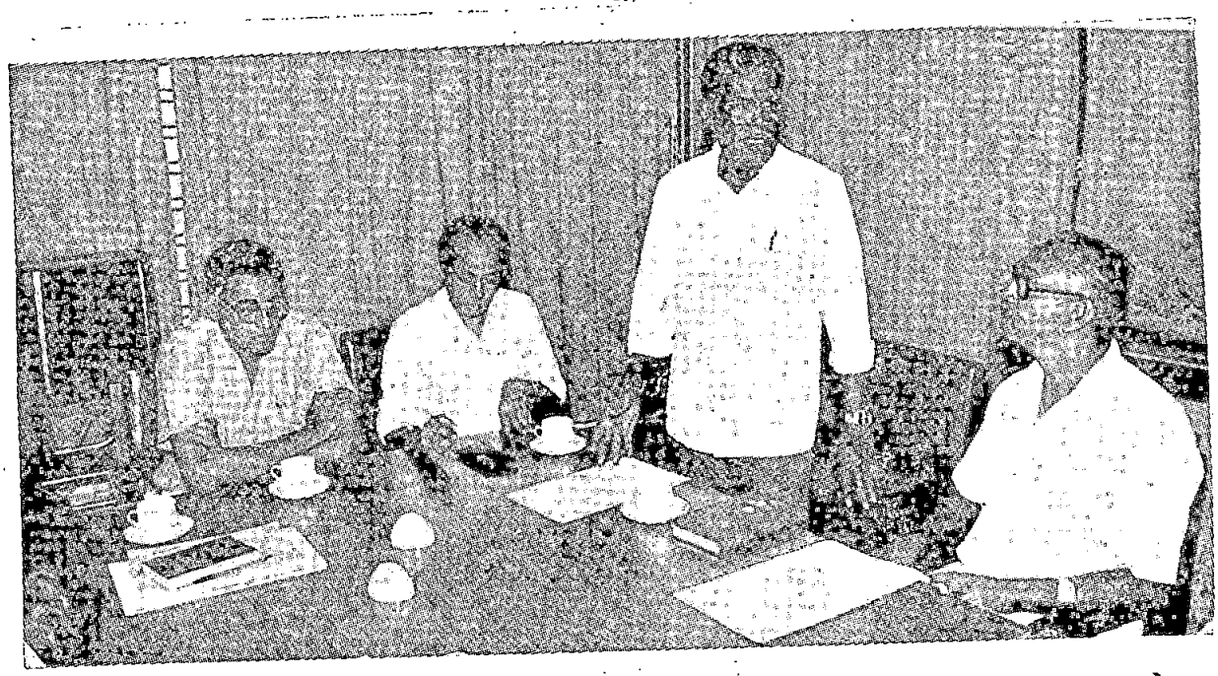

तिरुअनन्तपुरम : संयुक्त हिंदी कार्यशाला को संबोधित करते हुए दूरसंचार के स. महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री एम. गणेशन।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के लिए डॉ. गुरुदयाल बजाज, उप-संपादक द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित